# खण्ड

# 1

## आधुनिक समाज एवं पुस्तकालय

इकाई - 1 5
पुस्तकालय : परिभाषा एंव भूमिका

इकाई - 2 26
सूचना समाज की अवधारणा एवं विशेषताएँ

इकाई - 3 46
बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं सेन्सरशिप

इकाई - 4 65
पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र

## विशेषज्ञ समिति - पाठ्यक्रम अभिकल्पन

| | |
|---|---|
| **डॉ0 पाण्डेय एस0 के0 शर्मा** | अवकाश प्राप्त मुख्य ग्रंथालयी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, |
| **डॉ0 ए0 पी0 गक्खर** | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इला0 |
| **डॉ0 यू0 सी0 शर्मा** | एसोसियेट प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष, बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |
| **डॉ0 सोनल सिंह** | एसोसिएट प्रोफेसर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन |
| **डॉ0 ए0 पी0 सिंह** | एसोसिएट प्रोफेसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| **डॉ0संजीव सर्राफ** | उपपुस्तकालयाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| **डॉ0 टी0एन0 दुबे** (सदस्य सचिव) | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |

## सम्पादक मण्डल

| | |
|---|---|
| **डॉ0 टी0 एन0 दुबे** | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| **श्री आर0 जे0 मौर्य** | सहायक ग्रन्थालयी, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| **श्री राजेश गौतम** | प्रवक्ता, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |

## लेखक

| | |
|---|---|
| **डॉ0 माँगेराम** | उपपुस्तकालयाध्यक्ष, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, आगरा |

## परिमापक

| | |
|---|---|
| **डॉ0 बी0 के0 शर्मा** | पूर्व विभागाध्यक्ष, डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |

प्रस्तुत पाठ्य सामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के स्वयं के हैं।

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य-सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

**उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से** डॉ0 आर0के0 पाण्डेय **कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित,** सितम्बर, 2016

मुद्रक : चन्द्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद

# खण्ड-1 : आधुनिक समाज एवं पुस्तकालय

## प्रस्तावना

आधुनिक सूचना समाज में पुस्तकालयों का अपना एक विशिष्ट स्थान है। पुस्तकालय सामाजिक संस्थाएँ हैं। ये समाज में निहित ज्ञान का संचयन कर उपयोक्ता की आवश्यकतानुसार उस ज्ञान/सूचना का सम्प्रेषण करते हैं। पुस्तकालय आधुनिक समाज के चहुँमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध ज्ञान एवं सूचनाप्रद सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखते हुए उसका अधिकतम उपयोग समाज के हित में कराते हैं।

इस खण्ड के अन्तर्गत 4 इकाइयाँ हैं। इनका उद्देश्य आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका और उपयोगिता की जानकारी देना है।

इकाई 1 में पुस्तकालय की भूमिका तथा परिभाषा, इकाई 2 में सूचना समाज की अवधारणा और इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया गया है। इकाई 3 में बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं सेन्सरशिप की जानकारी दी गई है। इकाई 4 में डॉ एस0 आर0 रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्रों और पुस्तकालयों के विभिन्न क्रियाकलापों तथा सेवाओं में उनके निहितार्थ पर प्रकाश डाला गया है।

# इकाई - 1 : पुस्तकालय : परिभाषा एवं भूमिका

## संरचना


1.0 प्रस्तावना

1.1 उद्देश्य

1.2 पुस्तकालयों का इतिहास

- 1.2.1 प्राचीन काल में पुस्तकालय
- 1.2.2 मध्यकाल में पुस्तकालय
- 1.2.3 मुगलकाल में पुस्तकालय
- 1.2.4 ब्रिटिश शासन काल में पुस्तकालय
- 1.2.5 वर्तमान काल में पुस्तकालय

1.3 परिभाषाएं

1.4 पुस्तकालयों की भूमिका

- 1.4.1 आधुनिक वातावरण में पुस्तकालय
- 1.4.2 शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय
- 1.4.3 उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में
- 1.4.4 शोध एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में
- 1.4.5 मनोरंजन के क्षेत्र में
- 1.4.6 सांस्कृतिक धरोहर व प्रलेखों के संरक्षण के रूप में
- 1.4.7 सूचना प्रसारण के क्षेत्र में
- 1.4.8 व्यक्ति के दैनिक जीवन पर प्रभाव

1.5 सामाजिक परिवर्तन एवं पुस्तकालय

1.6 सारांश

1.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.8 सन्दर्भ एवं पाठ्य सामग्री


## 1.0 प्रस्तावना

भारत में आरम्भिक काल में पुस्तकालयों के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता फिर भी सिन्धु घाटी की सभ्यता से मिले कुछ प्रमाणों से ज्ञात हुआ है कि उस समय भी ग्रन्थों,

शिलालखों के भण्डारण के लिए भण्डार घर बनाये हुए थे। जिन्हें हम प्राचीन पुस्तकालय कह सकते हैं।

वर्तमान काल में पुस्तकालय के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालयों की अनिवार्यता को लागू किया गया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है जैसे-जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर अब तो कई राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पास होने के साथ-साथ गांवों में भी पुस्तकालय खुलने लगे हैं। राजाराम मोहन राय फाउण्डेशन, कोलकाता का इसमें बहुत योगदान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1957 में डॉ. एस आर. रंगानाथन की अध्यक्षता में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय समिति की स्थापना की। इसके बाद 1964-66 में यू0जी0सी0 ने कोठारी आयोग की स्थापना की, इस आयोग ने सिफारिश की कि "विकासशील विभाग के लिए अपने पुस्तकालयों के गठन व अत्याधुनिक बनाने के लिए अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए।

यह सूचना का युग है। आज प्रत्येक विषय पर सूचनाओं का वृहद साहित्य प्रकाशित हो रहा है। इस भण्डार को संग्रहित करना फिर उसका प्रबन्ध करना और पाठकों को उनकी उपयोगिता की सूचना प्रदान करना एक आसान कार्य नहीं है। पुस्तकालयाध्यक्षकों व सूचना प्रबन्ध करने वालों के हमेशा ही प्रयास रहे हैं कि प्रयोक्ता को उसकी आवश्यकता की सूचना, प्रलेख इत्यादि समय पर व उसी क्रम में मिल सकें, जिससे उस सूचना व प्रलेख की उपयोगिता बनी रहे। किसी भी राष्ट्र, देश के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए सूचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन तथा मूल्यवान वस्तु के रूप में जानी जाती है आज समाज में प्रत्येक सक्रिय व्यक्ति को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी रूप में सूचना की जरूरत होती है। सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी कार्यालयों तक को सही निर्णय लेने के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ रही है। सूचनाओं को पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है।

## 1.1 उद्देश्य

इस इकाई में आप निम्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे-

क. पुस्तकालयों का इतिहास

ख. पुस्तकालय की परिभाषाएं

ग. पुस्तकालय की भूमिका :-

- आधुनिक वातावरण में पुस्तकालय
- शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय
- उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में
- शोध एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में
- मनोरंजन के क्षेत्र में
- सांस्कृतिक धरोहर व प्रलेखों का संरक्षण
- पुस्तकालयों एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव
- व्यक्ति के दैनिक जीवन पर प्रभाव

घ. सामाजिक परिवर्तन एवं पुस्तकालय

## 1.2 पुस्तकालयों का इतिहास

प्राचीन काल से ही भारत में पुस्तकालयों का महत्व रहा है। पुराने लेखों व अभिलेखों में पुस्तकालयों का वर्णन मिलता है चाहे उनका नाम किताबघर, ग्रन्थालय, पोथीखाना, ग्रन्थागार, शाही पुस्तकालय, पुस्तकागार कुछ भी रहा हो। पाश्चात्य देशों में भी पुस्तकालयों के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है जैसे-Liber (पुस्तक), लेटिन में Libraria, जर्मन में Bibliotheck फ्रेंच में, Bibliotheque ग्रीक भाषा में Atnenaium आदि का प्रयोग हुआ है। प्राचीन समय में भी पुस्तकालय का इतना ही महत्व था जितना आज है, अन्तर केवल उसके स्वरूप व सेवा में आया है। परन्तु समाज की विचारधारा ने पुस्तकालय के स्वरूप को पूरा ही बदल दिया है।

### 1.2.1 प्राचीन काल में पुस्तकालय -

भारत वर्ष में आरम्भिक काल के पुस्तकालयों के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता फिर भी सिन्धु घाटी की सभ्यता से मिले कुछ प्रमाणों से ज्ञात हुआ है कि उस समय भी ग्रन्थों, शिलालेखों के भण्डारण के लिए भण्डार घर बनाये हुए थे। जिन्हें हम प्राचीन पुस्तकालय कह सकते हैं। वैसे भी पुराने समय में पुस्तकालय एक भण्डार घर ही होता था। चीनी यात्री फाह्यान (399-414ई0) ने अपने लेख में नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग (675-685) ने लिखा है कि प्रत्येक मठ में पुस्तकालय थे। जिनमें सर्वाधिक चर्चित पुस्तकालय नालन्दा विश्वविद्यालय

का था जिसका नाम धर्मगंज था इसमें तीन बहुत बड़ी इमारतें थी जिन्हें रतनसागर, रतनोदाधि और रतनरंजक कहा जाता था रतनोदधि को नौ मंजिल बताया गया है। प्रत्येक इमारत में 300 कमरों का उल्लेख किया गया है जब यह इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी तो इसमें पुस्तकें कितनी मात्रा में होंगी। इस पुस्तकालय को बखत्यार खिलजी ने 1205 में भारत पर आक्रमण के समय आग लगा दी थी। यह अमूल्य पुस्तकालय छः महीने तक जलता रहा था।

### 1.2.2 मध्यकाल में पुस्तकालय -

भारतीय इतिहास के मध्यकाल में पठानों व मुगलों ने पुस्तकालयों के विकास पर जोर दिया इस समय अरबी, फारसी के अच्छे पुस्तकालयों की स्थापनी हुई। शाही पुस्तकालय को राजा अपने महलों में अपने स्वाध्याय के लिए रखते थे। मुस्लिम शासनकाल में मदरसों के पुस्तकालय होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इम्पीरियल ग्रन्थालय की स्थापना की। जलालुउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरों को अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया था और उसे महफिले कुरान की पदवी दी थी। फिरोज तुगलक भी पुस्तक प्रेमी था और उसने भी अपने राज्य में पुस्तकालयों की स्थापना की।

### 1.2.3 मुगलकाल में पुस्तकालय -

मुगल सम्राट बाबर व उसके बेटे हुमायूँ ने भी मदरसों में पुस्तकालयों की स्थापना की। अकबर के समय तो पुस्तकालयों का अलग महकमा था जिसके निदेशक को 'नाजिम' कहते थे। विद्वान व्यक्ति ही इस पद के दावेदार होते थे। इसके बाद दरोगा-ए-किताबखाना का पद होता था। शाहजहाँ व बहादुरशाह जफर (अन्तिम मुगल सम्राट) ने भी बहुत से पुस्तकालयों की स्थापना की।

### 1.2.4 ब्रिटिश शासन काल में पुस्तकालय -

प्रेस के आविष्कार के साथ ही पुस्तकों, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं में बहुत वृद्धि हुई। भारत में अंग्रेजों के आगमन से भारत को कई लाभ भी हुए जैसे अंग्रेजों ने कोलकाता में 1891 में इम्पीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। वैसे तो इस पुस्तकालय की स्थापना 1835 ई0 में फोर्ट विलियम कालेज में 500 पुस्तकों के संग्रह से हुई। 30 जून 1930 को इसका द्वार सर्वसाधारण के उपयोग के लिए खोल दिया गया। कॉनेमारा पुस्तकालय मद्रास में खोला गया, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुम्बई

में खोला गया। अंग्रेजों ने इन महान पुस्तकालयों के विकास के लिए बहुत कुछ किया, परन्तु इन पुस्तकालयों में रोमन लिपि की ही ज्यादातर पुस्तकें होती थीं जो आम जनता के काम आने वाली नहीं थी। पढ़े लिखे व अमीर व्यक्ति ही इनका लाभ उठाते थे। भारत की आजादी में भी इन पुस्तकालयों की पुस्तकों ने बहुत योगदान दिया। दूसरे देशों की शासन व्यवस्था व आजादी की बातें पढ़कर ही लोगों में आजाद होने की प्रेरणा जागृत हुई। इस प्रकार ब्रिटिश काल में बहुत से पुस्तकालयों की स्थापना हुई।

### 1.2.5 वर्तमान काल में पुस्तकालय -

वर्तमान काल में पुस्तकालयों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालयों की अनिवार्यता को लागू किया गया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है जैसे-जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर अब तो कई राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने के साथ-साथ गांवों में भी पुस्तकालय खुलने लगे हैं। राजाराम मोहन राय फाउण्डेशन कोलकाता इसमें बहुत योगदान दे रहा है। पुस्तकालय शिक्षा व प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ लाइब्रेरी साइंस विभाग खोले हैं। दूरवर्ती शिक्षा पद्धति से कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारी अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं। बहुत से संगठन IASLIC, ILA व राज्यों के पुस्तकालय संगठन तथा राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र NISCAIR (INSDOC), DESIDOC पुस्तकालयों एवं कर्मचारियों के विकास के लिए संगोष्ठी, सेमिनार आदि का आयोजन कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने अब पुस्तकालयों की काया ही पलट दी है। समाज के जागरूक होने से अब खुली पद्धति का विकास हो पाया है। आज पुस्तकालय अपने में ही सिमट कर नहीं रह गये हैं बल्कि वे नई सूचना संचार प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए एक दूसरे से सहयोग करके उपयोगकर्ता की समस्त आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। भारत में पुस्तक़ालय विकास व शिक्षा के जनक डॉ0 एस0 आर0 रंगानाथन का महत्वपूर्ण योगदान है। जो आज हम काट रहे हैं वह सब उनका ही बोया हुआ है नहीं तो पहले समय में किसी भी अध्यापक या प्राध्यापक को पुस्तकालय का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1957 में डॉ0 एस0 आर0 रंगानाथन की अध्यक्षता में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय समिति की स्थापना की। इसके बाद 1964-66 में यू0जी0सी0 ने कोठारी आयोग की स्थापना की और इस आयोग ने सिफारिश की कि सरकार को विश्वविद्यालय को अपने केन्द्रीय पुस्तकालय के साथ-साथ प्रत्येक विभाग के लिए अपने पुस्तकालयों के गठन व अत्याधुनिक बनाने

के लिए बहुत-सा अनुदान देना चाहिये। यू0जी0सी0 ने 1991 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इनफ्लिबनेट (INFLIBNET) की स्थापना की जिसका उद्देश्य शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास और इसके साथ-साथ पुनर्रावृत्ति को बचाने के लिए अनुदान का सही-सही उपयोग व पुस्तकालय में सूचना संचार तकनीकी का प्रयोग भारत में पुस्ताकालय विकास की गति धीमी ही रही है इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। भारत के लोग अभी भी पूरी तरह शिक्षित नहीं हो पाये हैं, जिससे उनमें पुस्तकालय प्रयोग व उपयोग की भावना पूर्ण रूप से जाग्रत नहीं हो पा रही है। तीसरा मुख्य कारण अनुदान का न मिलना है। बहुत से पुस्तकालयों की दशा बिना अनुदान के सोचनीय बनी हुई है। चौथा कारण भारत में अनेक भाषाएँ हैं और वे पूरी तरह विकसित नहीं हो पायी हैं। फिर भी अब धीरे-धीरे भारत में पुस्तकालय विकास की गति में वृद्धि हो रही है।

**बोध प्रश्न**

1. राजा राम मोहन राय फाउण्डेशन कहाँ स्थित है?

   .....

   .....

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए एक समिति बनाई?

   .....

   .....

3. अंग्रेजों ने कोलकाता में 1891 में कौन से पुस्तकालय की स्थापना की?

   .....

   .....

4. चीनी यात्री फाह्यान (399-414 ई0) ने अपने लेख में किस विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किया है?

   .....

   .....

5. नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम क्या था?

   .....

   .....

6. धर्मगंज पुस्तकालय को बखत्यार खिलजी ने कब भारत पर आक्रमण करके आग लगी दी थी?

.....

.....

7. अकबर के समय में पुस्तकालयों के निदेशक को .....कहते थे।

8. कॉनेमारा पुस्तकालय कहाँ खोला गया था?

.....

.....

9. एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी को कहाँ खोला गया?

.....

.....

## 1.3 परिभाषाएं

अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द को हिन्दी में पुस्तकालय कहते हैं। लाइब्रेरी शब्द रोमन के Liber पुस्तक, लेटिन भाषा के Libraria (House of Book) से बना है लाईब्रेरिया उस स्थान का नाम है जहाँ पर पुस्तकें अथवा अन्य मुद्रित तथा लिखित सामग्री सुरक्षा से रखी जाती है। शब्द 'Library' का उद्‌भव 'लाइब्रेरिया' शब्द से ही अंग्रेजी में हुआ है। कई देशों में लाइब्रेरी शब्द के लिए 'Bibliothek' शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत में तेलुगू में ग्रन्थालय, मलयालम में ग्रन्थमाल। चाहे किसी भी भाषा में कोई भी शब्द प्रयोग हुआ हो पुस्तकालय से तात्पर्य संग्रह से ही है।

**पुस्तकालय क्या है -** इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। पुराने समय के अनुसार पुस्तकालय, पुस्तकों, अभिलेखों का भण्डारण था जिसे राजा या शाही परिवार के लोग सिर्फ अपने लिए बनवाते थे। आज के युग में पुस्तकालय का पूरा अर्थ ही बदल गया है। समय के अनुसार पुस्तकालय की पूरी परिभाषा व अवधारणा भी बदल गई है। पुस्तकालय के चार मुख्य तत्व होते हैं।

- प्रलेखों/पुस्तकों का भण्डार
- एक उपयुक्त भवन
- योग्य कर्मचारी
- पाठक्रम

इस प्रकार पुस्तकालय जहाँ पुस्तकों, प्रलेखों का संग्रह एक उपयुक्त भवन में हो, जिनका रखरखाव योग्य कर्मचारियों द्वारा पाठकगण के लिए किया जाता है। सबसे मुख्य तत्व पुस्तकालय का पाठक है जिसके लिए सारी गतिविधियाँ होती हैं। पाठकों को सन्तुष्ट करना पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है।

**रीडर्स डाइजेस्टग्रेट डिक्शनरी के अनुसार -** एक भवन जिसमें पुस्तकें, पत्रिकाएं रखी जाती हैं आम लोगों के उपयोग के लिए या किसी विशेष संस्था के सदस्यों के उपयोग के लिए।

**According to Reader's Digest great Dictionary Library** is a building or room containing a collection of books and periodicals for use by the public or the member of an Institution.

पुस्तकालय एक भवन या कमरा या संगठन विशेष रूप से व्यक्तियों के पढ़ने और आदान-प्रदान के लिए जो पुस्तकों का भण्डार रखता है और सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

**According to Cambridge International Dictionary Library** is a building room or orgaisation which has a collection especially of books for people to read or borrow usually without payment.

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं में लोगों के लिए पुस्तक शब्द का प्रयोग हुआ है। पुस्तकालय की स्थापना पाठकों के लिए की जाती है। सभी परिभाषाओं में इसी बात पर जोर दिया गया है।

**लैक्सीकोन विश्वकोष के अनुसार -** "पुस्तकालय एक व्यवस्थित संग्रह है- पुस्तकों तथा अन्य सूचनाप्रद सामग्री का जो ज्ञान के समस्त क्षेत्र या उसके किसी एक अंश को पूरा करता है, एक पुस्तकालय सभी के लिए अथवा किसी एक समुदाय विशेष के लिए भी हो सकता है।"

"A Library is an organized collection of books and other informational material covering the whole field of knowledge or any part of it; a library may be available to everyone or restricted to a particular community."

इससे स्पष्ट होता है कि पुस्तकालय में ज्ञान एवं सूचनाप्रद सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है जिससे पाठक उसका उपयोग सरलता से कर सके। यह ज्ञान सामग्री

समस्त विषयों से सम्बन्धित भी हो सकती है जैसे सार्वजनिक ग्रन्थालयों में विविध विषयों की पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है, जो सभी के लिए खुली होती है, और इस सामग्री में ज्ञान का कोई एक विशेष अंश या भाग हो सकता है जो किसी संगठन के उपयोग के लिए ही होता है जैसे Crop Pesticides का पुस्तकालय।

पुस्तकालय एक प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थित सामग्री का संग्रह होता है जो किसी विशेष समूह को भौतिक, वांगमय सम्बन्धी और बौद्धिक ज्ञान प्रदान करता है जो विशेष समूह को उनकी सूचना - आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है।

**आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार -** "पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है, जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल रखना है तथा उसको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना है।

According to Oxford English Dictionary "A Library is a public institution or establishment charged with the care of a collection of books and the duty of making them accessible to those who require the use of them"

यहाँ पर पुस्तकालयों को एक सार्वजनिक संस्था का दर्जा दिया गया है जिसका अभिप्राय है कि पुस्तकालय जनता के लिए है तथा जनता द्वारा चलाये जाते हैं और पुस्तकालय का कर्तव्य है कि वह अपने संग्रह की देखभाल रखे, उसकी व्यवस्था करे तथा पुस्तकों को उन उपभोक्ताओं / पाठकों को उपलब्ध कराये जिनको उनकी आवश्यकता हो।

**डॉ0 रंगानाथन के अनुसार -** "पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या स्थापना है, जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रखरखाव करना तथा उनको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना है और अनियमित पाठक को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना है।"

**According to Dr. Ranganthan :** "A Library is a bublic institution or establishment charged with the care of collection of books, the duty of making them accessible to those who require the use of them and the task of converting every person in its neighbourhood into a habitual library goer and reader of books".

डा0 रंगनाथन ने भी पुस्तकालय को एक सार्वजनिक संस्था का रूप दिया है। पुस्तकालय के कार्य में उन्होंने संग्रह की देखभाल, व्यवस्था कर पाठकों को वांछित सूचना प्रदान करने के साथ-साथ इस बात को भी शामिल किया है कि पुस्तकालय का कार्य प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से अनियमित पाठक को नियमित पाठक के रूप में बदलना है। जिससे पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके।

**बोध प्रश्न**

10 लाइब्रेरी शब्द रोमन के .....और लेटिन भाषा के .....शब्द से बना है।

11 कई देशों में लाइब्रेरी शब्द के लिए .....शब्द का प्रयोग हुआ है।

12. भारत के तेलगू और मलयालम में पुस्तकालय को क्या कहा जाता है?

.....

.....

13. पुस्तकालय के चार मुख्य तत्व कौन से होते हैं?

.....

.....

14. डा0 रंगनाथन ने ग्रन्थालय की परिभाषा में क्या कहा है?

.....

.....

15. डा0 रंगनाथन ने भी पुस्तकालय को एक .....का रूप दिया है।

16. आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय की परिभाषा दीजिए।

.....

.....

## 1.4 पुस्तकालयों की भूमिका

पुस्तकालय एवं समाज का सम्बन्ध बहुत पुराना है। समाज के बिना पुस्तकालय का कोई अस्तित्व नहीं है। आज के समाज की पुस्तकालय पर जितनी निर्भरता है पुराने समय में नहीं थी, क्योंकि पहले पुस्तकालय केवल शाही लोगों के लिए होते थे, आम जनता के लिए नहीं। सार्वजनिक पुस्तकालयों के उद्भव से समाज की निर्भरता

पुस्तकालय पर बढ़ी है। जे0एच0 शेरा ने इस सम्बन्ध में लिखा है "पुस्तकालय हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है।"

कुछ समय पहले पुस्तकालय का जो सामाजिक उपयोग था, आज इसका उपयोग सर्वथा भिन्न है। सामूहिक शिक्षा की अवधारणा ने पुस्तकालय का स्वरूप ही बदल दिया है। आज पुस्तकालय अपने संसाधनों द्वारा सभी वर्ग के लोगों के लिए दिशा-निर्देश देने का काम करता है। आज सामाजिक नव-निर्माण में पुस्तकालयों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है।

### 1.4.1 आधुनिक वातावरण में पुस्तकालय -

आज के बदलते हुए वातावरण में पुस्तकालय का महत्व बढ़ गया है। पुस्तकालय अधिनियम कई राज्यों में पारित हो गया है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण पुस्तकालय खुल रहे हैं।

गाँव में पुस्तकालय का महत्व है किसान को अपनी पसन्द की किताबें जैसे कितना खाद डालना, कौन-कौन सी फसल उगानी है व फसलों की कीटों से कैसे बचाया जा सकता है व कौन-कौन से कीटनाशकों को प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे ही गृहणियों को अपनी पसन्द की पुस्तकें जैसे-घरेलू वस्तुओं के बारे में, बच्चों का लालन-पालन, छोटी-मोटी बीमारियों के ऊपर मिल सकती है। लेकिन इन सबके लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। जो पढ़ न पाया उनको प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा दी जा सकती है। पुस्तकालय का प्रौढ़ शिक्षा में बहुत योगदान है। सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पास होना चाहिए, प्रत्येक गाँव में पुस्तकालय खुलना चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय को ग्राम स्तर पर, ब्लाक स्तर पर खोलने के लिए सरकार को अनुदान देना चाहिए।

### 1.4.2 शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय -

शैक्षणिक पुस्तकालय पाठकों में अध्ययन की रूचि बढ़ाने में सहायक है। शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने में पुस्तकालय का बहुत महत्व है। जैसे ही कोई छात्र विद्यालयों, महाविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करता है उसको अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाने की जिज्ञासा रहती है। यहाँ शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा कक्षा में दी जाती है। शिक्षक श्रेणी कक्ष में एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देते हैं जो विद्यार्थी के समुचित विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती। यहाँ पुस्तकालय की अनिवार्यता बढ़ जाती

है। पुस्तकालय ही अपने संसाधनों से उसकी जिज्ञासा को शान्त कर सकता है। पुस्तकालय शिक्षा की परिचारिका है जिसके बिना शिक्षा का अस्तित्व नहीं है। शिक्षा और पुस्तकालय एक दूसरे के पूरक हैं व एक दूसरे पर आधारित है। जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान का अपना पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय विद्यालय में विद्यार्थी में पढ़ने की आदत डालते हैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय उसे आगे बढ़ाकर उसके बौद्धिक विकास में योगदान प्रदान करते हैं।

शिक्षा के साथ-साथ पुस्तकालय का शोध कार्य को बढ़ाने में योगदान है। पुस्तकालय स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक लगातार शिक्षा में छात्र, अध्यापक व शोधकर्ता को सहयोग देते हैं। सन्दर्भ सेवा द्वारा नई-नई सूचनाओं, तकनीकों की जानकारी पुस्तकालय से ही मिलती है आज के पुस्तकालय इन्टरनेट द्वारा अपने प्रयोगकर्ताओं की सभी जिज्ञासाओं की पूर्ति कर रहे हैं।

स्वशिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र भी सार्वजनिक पुस्तकालय ही है। इन पुस्तकालयों का उद्देश्य रहा है- प्रत्येक व्यक्ति की अध्ययन एवं सूचना विषयक रूचि का ध्यान रखना और उसकी पूर्ति करना। स्वशिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा में विद्यार्थी को अध्यापक की सहायता पर न्यूनतम निर्भर रहना पड़ता है उसे स्वाध्याय पर ही अधिक आश्रित होना होता है। ऐसी अवस्था में सार्वजनिक पुस्तकालय ही विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा का एक मात्र माध्यम पुस्तकालय ही है।

भारत जैसे प्रजातान्त्रिक देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों का महत्व अधिक है। जनता की अशिक्षा, अज्ञान, भूख, गरीबी को दूर कर जनमानस का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में पुस्तकालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जनता में बौद्धिक विकास कर उसमें प्रजातन्त्र की भावना, राजनैतिक चेतना का विकास पुस्तकालय द्वारा ही सम्भव है। पुस्तकालय ही प्रत्येक देश में उसकी संस्कृति व सभ्यता के सजग प्रहरी हैं।

### 1.4.3 उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में -

विशिष्ट पुस्तकालय इस क्षेत्र में बहत ही योगदान करते हैं। किसी भी देश की उन्नति वहां के उद्योगों, और व्यापार पर निर्भर करती है। उद्योगों की उन्नति नवीन ज्ञान तथा सूचनाओं पर निर्भर करती है। किसी भी उद्योग का संसार में क्या हो रहा है? उस विशेष उद्योग की सूचनाएं देने का काम और अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करने का काम

पुस्तकालय ही कर सकता है। वैज्ञानिक शोधकार्यों में लगे हुए होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे अद्यतन प्रकाशित सभी सूचनाएं व ज्ञान को पढ़ सकें, जान सकें व अपने काम व रूचि के विषय को छाँट सकें। यह सब काम एक पुस्तकालय ही कर सकता है। इस प्रकार विषयानुसार सूचनाओं को छाँटकर उनको अपने प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराता है। दुकानदार, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स व अन्य व्यवसाय के लोग पुस्तकालय से अपने रूचि के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

### 1.4.4 शोध, तकनीकी विकास के क्षेत्र में -

शोध से बहुत सी नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती है जिस किसी भी देश में ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं वह देश प्रगतिशील कहलाता है। उस देश के निवासियों का रहन-सहन ऊँचे स्तर का होता है। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देशों के पीछे शोध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश की प्रगति के लिए शोधों का भण्डारण किया जाता है तथा उस भण्डारण को वर्षों तक जीवित रखने में पुस्तकालय ही योगदान देते हैं। आने वाली पीढ़ियों को पुस्तकालय से ही अपनी संस्कृति और सभ्यता की जानकारी मिलती है। अपने देश में हो रहे शोधों के बारे में नहीं बल्कि विदेशों में किसी विशेष क्षेत्र में क्या-क्या शोध हो रहे हैं तथा क्या-क्या परिणाम मिल रहे हैं यह सब किसी पुस्तकालय से ही ज्ञात हो सकता है। अब तो हम कम्प्यूटरीकृत युग में पुस्तकालय में किसी भी विषय पर कोई भी पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएं उस पुस्तकालय में ही नहीं बल्कि किसी भी देश के पुस्तकालय में देख सकते हैं व जानकारी प्राप्त कर सकेत हैं। नेटवर्क और इन्टरनेट के माध्यम से यह सब कुछ आसान हो गया है।

### 1.4.5 मनोरंजन के क्षेत्र में -

जब मनुष्य थका हुआ महसूस करता है तो उसे आराम चाहिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। फालतू समय का अच्छा प्रयोग पुस्तकालय में ही हो सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की मुख्य भूमिका अपने प्रयोगकर्ताओं की सभी जरूरत की सूचना देना व मनोरंजन कराना है। आजकल पुस्तकालय भी ओडियो-वीडियो तकनीकों का सहारा ले रहे हैं तथा अपने उपयोक्ताओं के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रदर्शनी लगाते हैं। पुस्तक सप्ताह, लैक्चर, और फिल्मों का प्रदर्शन अपने को सन्तुष्ट करने के लिए करते हैं। उपन्यास, कहानियां, चुटकुले, लोकोक्ति-मुहावरों आदि को पुस्तकालय अपने प्रयोगकर्ताओं के लिए जुटाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय ही बच्चों के लिए चित्रात्मक

कहानियां, वृद्धों के लिए धार्मिक पुस्तकों का प्रबन्ध करते हैं। विद्वान व पढ़े-लिखे मनुष्य अपना फालतू समय व थकान को कम करने के लिए पुस्तकालय का ही उपयोग करते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान उपलब्ध कराने का भी उत्तम साधन है।

### 1.4.6 सांस्कृतिक धरोहर व प्रलेखों के संरक्षण के रूप में -

पहले समय में प्रलेखों को सुरक्षित व संरक्षण के लिए पुस्तकालयों के पास उन्नत नवीन तकनीकें नहीं थीं ये सिर्फ प्रलेखों के अर्जन, संग्रहण तथा उनकी व्यवस्था तक ही सीमित थे। अब नवीन सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों द्वारा प्रलेखों का संग्रह व संरक्षण पुस्तकालय में वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के उपयोगार्थ सुरक्षित रखा जाता है। प्रत्येक देश के पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण कार्य एवं परम दायित्व है कि वह प्रलेखों को सुरक्षित तथा व्यवस्थित ढंग से रखें। समाज तथा पूरे राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्पाद का संरक्षण अति आवश्यक है। पुस्तकालय राष्ट्रीय तथा विदेशी साहित्य का संरक्षण करते हैं जिसमें उस राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर निरूपित होती है। पुराने समय में मन्दिर, मदरसों एवं मठों के पुस्तकालय ही संस्कृति और ज्ञान के संरक्षण के एक मात्र साधन थे। इस प्रकार पुस्तकालय सांस्कृतिक धरोहर व प्रलेखों का संरक्षण करते हैं।

**बोध प्रश्न**

17. शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की भूमिका पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

.....

.....

.....

.....

18. शोध, तकनीकी क्षेत्र व प्रगति में पुस्तकालयों की भूमिका पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

.....

.....

.....

.....

### 1.4.7 सूचना प्रसारण के क्षेत्र में -

पुस्तकालय अपने संग्रहीत किये हुए संग्रह की सूचना पुस्तकालय सूची से पाठकों तक पहुँचाते थे। कुछ समय तक यह समझा जाता रहा था कि पुस्तकालय की सेवाएं सीमित व निष्क्रिय ही रहेंगी। परन्तु सूचना प्रौद्योगिकी ने पुस्तकालयों का स्वरूप एक सक्रिय संस्था के रूप में बदल दिया है। सच तो यह है कि यदि पुस्तकालय को समाज में जीवित रहना है तो सूचना प्रोद्योगिकी को अपनाते हुए अपनी सेवाओं का विस्तार करना ही होगा। प्रलेखों की भौतिक आकृनि, पाठकों की असीमित आशाएँ, सीमित धन व संसाधन आदि ने पुस्तकालयों को अपने स्वरूप को बदलने तथा पाठक सेवाओं पर आधारित होने को मजबूर कर दिया है। अब सूचना प्रौद्योगिकी का पुस्तकालयों में लागू करना ही सभी समस्याओं का हल है। उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालयों में सहायता करने के उद्देश्य से, सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए कम्प्यूटर-साफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। पिछली कुछ दशाब्दियों की समयावधि में पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों में प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होने लगा है। आज अनेक संख्याओं और रूपों में पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों में वांग्मयात्मक एवं अवांग्मयात्मक डेटाबेसों के ऑनलाईन अभिगम उपलब्ध हो रहे हैं। पुस्तकालय नेटवर्किंग ने तो एक क्रान्ति ही ला दी है। पुस्तकालयों को घर पर बैठकर या कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आजकल पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों में पाठकों को ई-मेल, फैक्स, प्रिंटर, सीडी/डीवीडी पर डाटा लेने, इलैक्ट्रोनिक जर्नल्स, ओपेक आदि सुविधाएं मिल रही हैं। यह सब सूचना प्रौद्योगिकी की देन है।

पुस्तकालय सूचना प्रदान करने वाली संस्थाओं में सबसे प्राचीन है। पुस्तकालय को पहले शिक्षा तथा शैक्षिक अध्ययन में सहायता प्रदान करते थे। परन्तु कालान्तर में उनका झुकाव अन्यत्र हो गया। सार्वजनिक पुस्तकालयों का अविर्भाव मूलतः जनसामान्य के लिए ज्ञान तथा सूचना प्राप्ति के लिए सामाजिक वातावरण से हुआ। कालान्तर में यही सामाजिक वातावरण शासन द्वारा अनुदान देने तथा उनका संचालन करने के लिए पुस्तकालय आन्दोलन के रूप में उभरा। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों ने शोध कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए अपने संसाधनों का निर्माण किया। अनेक ऐसी शोध संस्थाओं का जन्म हुआ जिनका ध्येय शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना था या शोध कार्य करना था। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक प्रलेखन केन्द्रो की स्थापना हुई और तब

ग्रन्थपरक सेवाओं का क्षेत्र विस्तृत होने लगा। अतः सूचना प्रसारण के क्षेत्र में पुस्तकलयों एवं सूचना केन्द्रों का विशेष महत्व है।

### 1.4.8 व्यक्ति के दैनिक जीवन पर प्रभाव -

एक साधारण व्यक्ति भी आज अपने प्रतिदिन के कार्यों में सूचना की आवश्यकता को अनुभव करता है यह किसी वस्तु की गुणवत्ता अथवा कीमत जानने के लिए भी हो सकती है। किसी को सूचना की आवश्कता फसलों को उगाने, बागवानी, गृह-सज्जा, खाना बनाने, बच्चों के लालन-पालन, एवं गृहस्थी के कार्यों हेतु होती है। सूचना समाज में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के पदार्पण से ऐसी सूचनाओं का अभिगम प्राप्त करना अत्यन्त सरल हो गया है। इस प्रकार पुस्तकालय आवश्यक सूचनाएं देकर व्यक्ति के दैनिक जीवन में भी बदलाव लाते हैं।

## 1.5 सामाजिक परिवर्तन एवं पुस्तकालय

परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन एक बढ़ते हुए समाज का महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में परिवर्तन को हम व्यक्तियों की जीवन शैली, रहन-सहन का वातावरण, काम करने का ढंग, शिक्षा, संस्कृति इत्यादि में हम देख सकते हैं। इतिहास की दृष्टि से हम समाज में परिवर्तन इस प्रकार देख सकते हैं जैसे पहले मनुष्य कृषि, मछली पकड़ने व खानों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था इसको हम औद्योगिक समाज से पहले का समाज कह सकते हैं। फिर औद्योगिक समाज आया जिसमें मनुष्य उत्पादों को कैसे बढ़ाया जाये और कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पाद पैदा किये जायें और उनको बाजार में कैसे उतारा जाये। औद्योगिक क्रान्ति ने मनुष्य का सामाजिक जीवन स्तर ही बदल दिया, और अब औद्योगिक क्रान्ति के बाद का युग जिसे हम सूचना का समाज या सूचना की क्रान्ति भी कह सकते हैं।

आज जो विकसित देश है उनके विकसित होने का कारण उन देशों में सूचना का उन्नत होना ही है और ये सूचनाएं केवल पुस्तकालय और सूचना केन्द्रों से ही मिलती है। जिस देश के पास उन्नत सूचना प्रणाली होगी वही देश शक्तिशाली होगा। सूचना प्रणाली को व्यवस्थापित और सशक्त बनाने में पुस्तकालय और सूचना केन्द्रों का मुख्य योगदान है। किसी राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक विकास में सूचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बदलते हुए समाज में सूचनाओं का संग्रहण करने, उनको फिर से निकालने (सम्बन्धित सूचना को जल्दी से प्राप्त करने), भविष्य के लिए उनको एक ऐसे

प्रारूप (Format) में रखना जो सुरक्षित हो, पर जोर दिया जा रहा है। यह सब सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही सम्भव हो पा रहा है। सूचना प्रोद्योगिकी ने सूचनाओं को कितना आसान बना दिया है। आदि मानव से लेकर आज के उन्नत मनुष्य (सभ्य) तक के काल में सूचनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है सूचना ही समाज को परिवर्तन की ओर अग्रसर करती है। यह सच ही है कि आज जिस उन्नत बदले हुए समाज में हम रहते हैं, यह सब सूचना की ही देन है।

सूचना को आज एक शक्ति के रूप में जाना जाने लगा है। आज के मनुष्य के सभी क्रियाकलाप सूचना के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। जिससे सूचना का समाज में उपयोग बढ़ रहा है। इसलिए विद्वान आज के समाज को सूचना का समाज कहने लगे हैं। सूचना का प्रभाव घर से लेकर कार्यालयों, व्यापार, उद्योग धन्धों, शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है। मनुष्य के जीवन स्तर के विकास में सूचना का महत्वपूर्ण स्थान है। आज मनुष्य की जीवन शैली रहन-सहन बिल्कुल ही बदल गया है। सूचना के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव स्वरूप समाज की दशा बदल गई और जब से प्रौद्योगिकी का साथ मिला है तो इसका विकास तीव्र गति से हुआ है। सूचना की समाज में बढ़ती प्रमुखता और संख्या के कारण हम आज के समाज को सूचना समाज कह सकते हैं और आज का प्रत्येक मनुष्य सूचना समाज के अन्तर्गत ही जी रहा है।

**बोध प्रश्न**

19. सूचना प्रसारण के क्षेत्र में पुस्तकालय की भूमिका पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

.....

.....

.....

.....

20. सामाजिक परिवर्तन एवं पुस्तकालय पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

.....

.....

.....

.....

## 1.6 सारांश

आज पुस्तकालय संग्रहागार न रहकर, उपयोग के माध्यम से जीवित संस्था के रूप में काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में इतनी उन्नति नहीं हुई है। खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता के 63 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश में अधिकांश राज्यों के पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हैं। आज समाज के नेताओं, विचारकों, दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों तथा विशेषकर पुस्तकालय से सम्बन्धित छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों और पुस्तकालय संगठनों को पुस्तकालयों के विकास के लिए आगे आना चाहिए। आधुनिक पुस्तकालय ज्ञान एवं सूचनाप्रद सामग्री का अर्जन कर उसे व्यवस्थित करते हैं। इस सामग्री का संरक्षण करने की अपेक्षा उपभोक्ताओं को उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये पुस्तकालय सम्भावित पाठकों को नियमित रूप से पुस्तकालयों में जाने वाला बनाते हैं जो स्वभावतः पुस्तकालय का उपयोग करते हैं। यही पुस्तकालयों की आधुनिक अवधारणा है। सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु अनेकानेक परामर्शदायक सूचना माध्यम तथा सूचना कम्पनियां स्थापित हुई। विकसित देशों में औद्योगिक रूप से ऐसी सूचना सेवाएं सुव्यवस्थित है तथा सूचना प्रौद्योगिकी इन सेवाओं को कम्प्यूटरों तथा दूर संचार नेटवर्क के द्वारा व्यवस्थित करने में सहयोग देती हैं। इन्टरनेट भी सूचना तथा दूर संचार नेटिंग के लिए वर्ल्ड वाइड बेब उपलब्ध कराकर बहुआयामी माध्यम प्रदान कर रहा है।

## 1.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. राजाराम मोहन राय फाउण्डेशन कोलकाता में स्थित है।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1957 में डा0 एस0 आर0 रंगनाथन की अध्यक्षता में शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए समिति बनाई थी।
3. अंग्रेजों ने कलकत्ता में 1891 में इम्पीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की।
4. चीनी यात्री फाह्यान (399-414 ई0) ने अपने लेख में नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किया है।
5. नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था।
6. इस पुस्तकालय को बखत्यार खिलजी ने 1205 में भारत पर आक्रमण के समय आग लगा दी थी।

7. अकबर के समय तो पुस्तकालयों का अलग महकमा था जिसके निर्देशक को 'नाजिम' कहते थे।

8. कॉनेमारा पुस्तकालय मद्रास में खोला गया था।

9. एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुम्बई में खोली गयी।

10. लाइब्रेरी शब्द रोमन के Liber पुस्तक, लेटिन भाषा के Libraria (House of Book) से बना है।

11. कई देशों में लाइब्रेरी शब्द के लिए bibliothek शब्द का प्रयोग हुआ है।

12. भारत में तेलूगू में पुस्तकालय को ग्रन्थालय और मलयालम में ग्रन्थमाल कहा जाता है।

13. पुस्तकालय के चार मुख्य तत्व होते हैं-

- प्रलेखों/पुस्तकों का भण्डार
- एक उपयुक्त भवन
- योग्य कर्मचारी
- पाठकगण

14. डॉ0 रंगनाथन ने पुस्तकालय की परिभाषा में कहा है, पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या स्थापना है, जिसका कार्य है पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रखरखाव करना तथा उनको पाठकों की आवश्कता के अनुसार उपलब्ध कराना है और अनियमित पाठक को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना है।''

15. डा0 रंगनाथन ने भी पुस्तकालय को एक सार्वजनिक संस्था का रूप दिया है।

16. आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ''पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है, जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल रखना है तथा उनको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना है।

17. शैक्षणिक पुस्तकालय पाठकों में अध्ययन की रूचि को बढ़ाने में सहायक है। शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने में पुस्तकालय का बहुत महत्व है। जैसे ही कोई छात्र विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करता है। उसको अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाने की जिज्ञासा रहती है। यहाँ शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा कक्षा में दी जाती है। शिक्षक श्रेणी कक्ष में एक निश्चित

पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देते हैं। जो विद्यार्थी के समुचित विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती। यहाँ पुस्तकालय की अनिवार्यता बढ़ जाती है। पुस्तकालय ही अपने संसाधनों से उसकी जिज्ञासा को शान्त कर सकता है।

स्वशिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र भी सार्वजनिक पुस्तकालय ही है। इन पुस्तकालयों का उद्देश्य है- प्रत्येक व्यक्ति की अध्ययन एवं सूचना विषयक रूचि का ध्यान रख उसकी पूर्ति करना। स्वशिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा में विद्यार्थी को अध्यापक की सहायता पर न्यूनतम निर्भर रहना पड़ता है उसे स्वाध्याय पर ही अधिक आश्रित होना होता है। ऐसी अवस्था में सार्वजनिक पुस्तकालय ही विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा का एक मात्र माध्यम पुस्तकालय ही है।

18. शोध से बहुत सी नई सूचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जिस किसी भी देश में ज्यादा वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं वह देश प्रगतिशील कहलाता है। उस देश के निवासियों का रहन-सहन ऊंचे स्तर का होता है। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देश के पीछे शोध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शोधों का भण्डारण किया जाता है तथा उस भण्डारण को वर्षों तक जीवित रखने में पुस्तकालय का विशेष योगदान है। आने वाली पीढ़ियों को पुस्तकालय से ही जानकारी मिलती है। अपने देश में हो रहे शोधों के बारे में नहीं बल्कि विदेशों में किसी विशेष क्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है तथा क्या परिणाम मिल रहे हैं यह सब किसी पुस्तकालय से ही ज्ञात हो सकता है।

19. पुस्तकालय अपने संग्रहीत किये हुए संग्रह की सूचना सूची के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाते थे। कुछ समय तक यह समझा जाता रहा था कि पुस्तकालय की सेवाएं सीमित व निष्क्रिय ही रहेंगी। परन्तु सूचना प्रौद्योगिकी ने पुस्तकालयों का स्वरूप एक सक्रिय संस्था के रूप में बदल दिया है। सच तो यह है कि पुस्तकालय को समाज में जीवित रहना है तो सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए अपनी सेवाओं का विस्तार करना ही होगा। प्रलेखों की भौतिक आकृति, पाठकों की असीमित आशाएँ, सीमित धन व संसाधन आदि ने पुस्तकालयों को अपने स्वरूप को बदलने तथा पाठक सेवाओं पर आधारित होने को मजबूर कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी का पुस्तकालयों में लागू करना ही सभी समस्याओं का हल है। उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालयों में सहायता करने के उद्देश्य से, सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए कम्प्यूटर-साफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है।

20. परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन एक बढ़ते हुए समाज का महत्वपूर्ण अंग है। परिवर्तन को हम व्यक्तियों की जीवन शैली, उनके रहन-सहन का वातावरण, काम करने का ढंग, शिक्षा, संस्कृति इत्यादि में देख सकते हैं। इतिहास की दृष्टि से हम समाज में परिवर्तन इस प्रकार देख सकते हैं जैसे पहले मनुष्य कृषि, मछली पकड़ने व खानों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था इसको हम औद्योगिक समाज से पहले का समाज कह सकते हैं। फिर औद्योगिक समाज आया जिसमें मनुष्य उत्पादों को कैसे बढ़ाया जाये और कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पाद पैदा किये जायें और उनको बाजार में कैसे उतारा जाये। औद्योगिक क्रान्ति ने मनुष्य का सामाजिक जीवन स्तर ही बदल दिया, और अब औद्योगिक क्रान्ति के बाद का युग जिसे हम सूचना समाज या सूचना की क्रान्ति भी कह सकते हैं समाज की उन्नति के लिए ज्यादा से ज्यादा सूचना अर्जित करना। सूचना ज्ञान का सम्बन्ध समाज से शुरू से ही रहा है। पुस्तकालय ही समाज की बदलती हुई सूचना आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

## 1.8 सन्दर्भ एवं उत्तर पाठ्य सामग्री


1. Guha, B. Documentation and Information. Calcutta: World Press. 1983
2. Khanna, J.K. Library and Society. Kurukshetra, Research Publication, 1987.
3. मांगे राम व श्रीवास्तव, अजय कुमार, इक्कीसवीं सदी में पुस्तकालय एवं समाज, आगरा, ए0बी0पी0, 2008.
4. माँगेराम, सूचना एवं सूचना समाज, आगरा, एसोशिएटिड पब्लिशिंग हाउस, 2009.
5. Manage Ram. New Dimensions in Library and Information Services. Agra : Associated Publishing House, 2006.
6. Prasher, R. G. Information and its communication. Ludhiana : Medallion Press, 2003.
7. शंकर सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय (Information Technology and Libraries) नई दिल्ली : एस0एस0 पब्लिकेशन, 2003.
8. सैनी, ओम प्रकाश, ग्रन्थालय एवं समाज, आगरा, वाई0 के0 प्रकाशन, 1999.
9. त्रिपाठी, एस0एम0 सन्दर्भ एवं सूचना सेवा के नवीन आयाम, आगरा, वाई0 के0 पब्लिशर्स, 2000.

# इकाई -2 : सूचना समाज की अवधारणा एवं विशेषताएँ

## संरचना


2.0 प्रस्तावना

2.1 उद्देश्य

2.2 सूचना की अवधारणा

- 2.2.1 सूचना की विशेषताएं
- 2.2.2 पुस्तकालय एवं सूचना का प्रावधान
- 2.2.3 सूचना प्रावधान का भविष्य
- 2.2.4 सूचना पद्धति और सेवाओं का अर्थशास्त्र
- 2.2.5 सूचना स्त्रोतों के रूप में संस्थाएं

2.3 सूचना समाज की अवधारणा

- 2.3.1 सूचना समाज का अर्थ
- 2.3.2 सूचना समाज का प्रभाव
- 2.3.3 सूचना समाज की विशेषताएं
- 2.3.4 सूचना उपयोगकर्ता
- 2.3.5 सूचना प्रयोग में अवरोधक तत्व

2.4 सारांश

2.5 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.6 सन्दर्भ एवं पाठ्य सामग्री


## 2.0 प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण वह मानवीय गतिविधियों से सीधा जुड़ा रहता है। आवश्यकता अविष्कार की जननी है, इसलिए जब समाज में किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उस पर शोध होता है, नए विचार मस्तिष्क में आते हैं, नई परिकल्पनाएं जन्म लेती हैं, तथा नये तथ्य उत्पन्न होते हैं, इन्हीं को हम सूचना के नाम से जानते हैं। सूचना एक मानवीय विचार है, कहा जा सकता है कि जब जानने वाले तथा जानकार के बीच कोई अन्तः क्रिया होती है तो सूचना की उत्पत्ति होती है। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु सूचना एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण संसाधन तथा मूल्यवान पदार्थ के रूप में मानी जा रही है क्योंकि आज

समाज में सक्रिय व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सूचना की आवश्यकता होती है। आज के युग में सूचना की उपादेयता के कारण ही उसे शक्ति की संज्ञा दी गई है। जिस देश के पास सूचनाओं का भण्डार होगा और सूचनाओं की पहुँच आम व्यक्ति तक होगी वही देश सर्वशक्तिमान होगा। क्योंकि किसी भी देश के बहुमुखी विकास के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है और अनुसंधान तभी निष्पादित किए जा सकते हैं जब सूचनात्मक पाठ्य-सामग्रियां उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हों। आज के युग में जिन देशों में सूचना की उपलब्धता का बाहुल्य है, वे सभी देश शक्तिशाली, सम्पन्न और पूर्ण विकसित हो चुके हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन जैसे पाश्चात्य देश अधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली है। जिन देशों में सूचना का अभाव है वे सभी देश अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अतः किसी भी राष्ट्र के विकास, उन्नति एवं सम्पन्नता के लिए उस देश की सूचना - प्रणाली का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। आज आधुनिक पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों का प्रमुख कार्य सूचना को समुचित ढंग से उचित समय पर उपयुक्त उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराना और इसकी व्यवस्था करना है। सूचना का समाज के प्रत्येक व्यक्ति के क्रियाकलापों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम जिस युग में रह रहे हैं वह सूचना समाज के नाम से भी जाना जाता है।

आज सूचना जिस अपने महत्वपूर्ण सोपान पर पहुँची है उसमें नवीन प्रौद्योगिकी का बहुत ही योगदान रहा है। सूचना समाज भी एक नवीन पद है। सूचना समाज शब्द का प्रयोग 1970 की अवधि से प्रारम्भ हुआ और 2000 तक आते - आते इसने अत्यधिक लोकप्रियता एवं एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। आज ज्ञान का युग है और सूचना उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा समाज में जो परिवर्तन और क्रान्ति हुई है वह सूचना के कारण ही हुयी है। सूचना ने सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव डाला है। जिस समाज के पास जितनी ज्यादा सूचना और उसके उपयोग करने के जितने उन्नत साधन होंगे वही समाज विकसित और उन्नत कहलाएगा। इसलिए धीरे-धीरे यह शब्द सूचना समाज लोकप्रिय हो गया है।

## 2.1 उद्देश्य

इस इकाई में आप निम्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे-

- सूचना की आवधारणा एवं अर्थ, सूचना की विशेषताओं व सूचना का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव के बारे में;

- सूचना की सामाजिक व्यापकता के बारे में;
- सूचना प्रावधान और प्रसंग के बारे में;
- सूचना के अर्थशास्त्रीय स्वरूप के बारे में;
- सूचना पद्धति एवं सेवाओं के अर्थशास्त्र के बारे में;
- सूचना समाज के अर्थ, प्रभाव एवं विशेषताओं के बारे में; और
- समाज को सूचना समाज में परिवर्तित होने के कारणों के बारे में।

## 2.2 सूचना की अवधारणा

व्यापक अर्थ में सूचना विशेष विषय, तथ्य घटना आदि से सम्बन्धित होती है, साथ ही इसका संचार होना भी आवश्यक है। मनुष्य एक चेतनाशील प्राणी है। चेतनाशील होने के कारण उसका मस्तिष्क हर समय चलता रहता है और तरह-तरह के विचार अर्जित करता रहता है इन्हीं उत्पन्न विचारों को सूचना की संज्ञा दी जाती है। सूचना पद का अर्थ सूचित करना, कहना, समाचार, ज्ञान समझ, बुद्धि जानकारी बताई गई बात, तथ्य आदि से होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से अंग्रेजी का इन्फोंमेशन शब्द जिसका हिन्दी अनुवाद सूचना होता है फोर्मेटिया अथवा फोर्मा शब्द से बना है। दोनों ही शब्द किसी वस्तु को आकार एवं स्वरूप प्रदान करने के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। डाटा सूचना बनाती है सूचना से ज्ञान और ज्ञान से विषय का निर्माण होता है। सूचना वही होती है जो अर्थपूर्ण हो व जिसका उपयोग हो सके।

सूचना पद का प्रयोग Data, Information तथा Knowledge के लिए किया जाता है। लेकिन ये तीनों शब्द पूर्णतः भिन्न है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है तथापि अन्ततः डाटा सूचना को उत्पन्न कर सकता है। सूचना अनेक प्रकार की होती है।

डाटा - सूचना - ज्ञान - विषय

कपास - धागा - कपड़ा - दुकान

### परिभाषाएं

सूचना को परिभाषित करना अत्यन्त कठिन है फिर भी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं।

- **शेरा ( J.H. Sherra ) के अनुसार** - "सूचना का उपयोग जिस रूप में जीव-वैज्ञानिक एवं ग्रन्थालयी करते हैं, उसे तथ्य कहते हैं। यह एक उत्तेजना है जिसे

हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। यह मात्र एक प्रकार का तथ्य हो सकता है अथवा तथ्यों का सम्पूर्ण समूह हो सकता है, तथा यह एक इकाई होता है, यह विचारधारा की एक इकाई होता है।

- **बेनर ( Norbert Wiener ) के अनुसार** - बाह्य जगत के साथ जो विनिमय होता है, तथा जब हम इसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, और अपने सामंजस्य को जिस पर अनुभव करते हैं, उसकी विषय-वस्तु के नाम को सूचना कहते हैं। सक्रियता एवं प्रभावशाली ढंग से जीने का अभिप्राय ही सूचना के साथ जीना है।

सूचना विज्ञान की परिभाषा **बोर्को** ने इस प्रकार दी है - सूचना विज्ञान एक अन्तर्विषयी विज्ञान है जो सूचना की प्रकृति एवं विशेषताओं, सूचना के प्रवाह एवं उपयोग को प्रभावित करने वाली शक्तियों तथा सूचना के अधिकाधिक संग्रह, पुर्नप्राप्ति एवं संचार और सम्प्रेषण करने की श्रमपूर्ण एवं यान्त्रिक विधियों का अन्वेषण करता है।

अतः सूचना विज्ञान एवं सूचना कार्य वस्तुतः प्रलेखन कार्य एवं सेवा के ही रूप हैं, और इसका विकास आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिसमें यन्त्रीकरण की स्थिति में सूचना के प्रसार एवं स्थानान्तरण में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

### 2.2.1 सूचना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है :-

- सूचना का सार निष्कर्ष अथवा संक्षिप्तीकरण किया जा सकता है।
- सूचना का विश्लेषण किया जा सकता है।
- सूचना एक समुचित संरचना होती है।
- सूचना का अनुवाद किया जा सकता है।
- इसको किसी अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
- यह स्मरण रखने, हस्तान्तरण करने, नष्ट करने तथा प्रसार करने वाली हो सकती है।
- यह स्मरण रखने, हस्तान्तरण करने, नष्ट करने तथा प्रसार करने वाली हो सकती है।
- सूचना स्थिर न होकर गतिशील होती है।

- सूचना मूल्यांकन करने योग्य हो सकती है।
- यह अन्य प्रकार के माध्यमों से परिवर्तित की जा सकती है।

**बोध प्रश्न**

1. सूचना को जे0 एच0 शेरा के अनुसार परिभाषित कीजिए।

   .....

   .....

   .....

2. बोर्को के अनुसार सूचना विज्ञान की परिभाषा लिखिए।

   .....

   .....

   .....

3. सूचना की किन्हीं दो मुख्य विशेषताएं लिखिए।

   .....

   .....

   .....

## 2.2.2 पुस्तकालय एवं सूचना प्रावधान -

पुस्तकालय अपने कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा सन्दर्भ एवं सूचना सेवा अपने पाठकों को उपलब्ध कराते हैं। उपयोगकर्ता के लिए सूचना अद्यतन, सर्वाभिगम्य होनी चाहिये। पुस्तकालय कर्मचारी भी अपने पाठकों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं जैसे संसाधनों का ज्ञान, सूचना अधिगम, कौशल आदि। पुस्तकालय परम्परागत तरीकों से अपने पाठकों को संतुष्ट करते आ रहे थे लेकिन अब सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह सम्भव नहीं कि अभी भी सूचना प्रवाधान के परम्परागत तरीकों को रखें। अब पाठकों की अपेक्षाएं पुस्तकालयों के बदलते परिवेश में बढ़ रही हैं। हमें पुस्तकालय में पाठकों के आने से पहले उनके लिए सब कुछ तैयार रखना पड़ता है जिससे वे आएं और अपनी जरूरत की सूचना लें। अब पाठक इन्टरनेट से क्लिक (Click) करके गुगल आदि खोजी इंजन से अपनी पाठ्य सामग्री निकाल रहे हैं। अतः पुस्तकालयों के अस्तित्व पर, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यहीं पर ही हमारा कार्य शुरू होता है। इन्टरनेट पर बहुत सी सामग्री अप्रबन्धात्मक रूप में प्राप्त होती है। हम सूचनाओं

को विषयानुसार डाउनलोड करके अपने पुस्तकालय के वेब पेज पर विषयानुसार लिंक कर सकते हैं, जिस से हमारे पाठक अपनी जरूरत की सूचनाओं को बेब पेज से निकाल सकें उनको कठिनाई न हो, क्योंकि पाठकों को इन्टरनेट पर खोज करते समय बहुत सी बिना जरूरत की सूचनाओं से भी जूझना पडता है और समय भी बर्बाद होता है। यदि हम आज अपने पाठकों के लिए सूचना का ऐसा प्रावधान नहीं कर पाते हैं तो वह दिन दूर नहीं कि पाठक पुस्तकालयों में न आकर साइबर कैफे में जाना पसंद करेगा और हमारा व्यवसाय अन्तिम सांसे गिनेगा।

### 2.2.3 सूचना प्रवाधान का भविष्य -

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि वर्तमान युग सूचना और ज्ञान का युग है जिसमें उन पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों का महत्व बढ़ रहा है, जिन्होंने अपने आपको समय के साथ बदल दिया है। पुस्तकालय के कुछ मुख्य कार्य जैसे सूचनाओं और प्रलेखों का संग्रह करना, प्रबन्ध करना और पुनः प्राप्ति योग्य बनाना है लेकिन अब सूचनाओं का स्वरूप उनके संग्रह करने और प्रबन्ध करने की प्रणाली पूरी तरह से बदल गई है। पुस्तकालयों को अपने पाठकों के लिए एक उत्तम सूचना प्रावधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से लागू करना होगा, और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने पाठकों को सुविधाएं देने के लिए करना होगा। पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना वैज्ञानिकों को नई तकनीकी बेब 2.0, बेब 3.0 आदि क्या है का ज्ञान प्राप्त करना होगा। अब सूचना प्रावधान के नये-नये रूप हमारे सामने आ रहे हैं। अब सीमेन्टिक वेब की बात होने लगी है (इन्टरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों और सूचनाओं को उनके संबंध के आधार, विषयानुसार प्रबन्ध करना)। पुस्तकालयों को सूचना प्रावधान के लिए अपने पाठको, उनकी जरूरतों आदि की भी जानकारी परम आवश्यक है, इसके लिए पुस्तकालयों को योजनाएं बनाकर उनको क्रियान्वित करना चाहिए।

### 2.2.4 सूचना पद्धति और सेवाओं का अर्थशास्त्र -

यहाँ पर सूचना प्रबन्ध की बात हो रही है जो मुख्यतः पुस्तकालयों, सूचना केन्द्रों और सेवाओं से सम्बन्धित है। सार्वजनिक पुस्तकालय हमेशा से जनता की वस्तु (अर्थशास्त्र के माने) समझी जा रही है। क्योंकि इसकी सेवाओं का लाभ पूरे समाज को होता है। इसलिए सरकार भी इसे अनुदान इत्यादि देती है। परन्तु बदलते हुए परिवेश में सार्वजनिक पुस्तकालय भी अपनी सेवाओं को बेचना चाह रहे हैं। इसका मुख्य कारण

अनुदान की कमी है और दूसरा कारण वे अपनी सेवाओं को और उन्नत करना चाहते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय जो किसी अनुसंधान केन्द्र या अपने उद्गम संस्थान से जुड़े हैं उनके लिए अपनी सेवाओं को देते हैं, अब बदलते हुए परिवेश में भी अपनी सेवाओं की मार्केटिंग करने की सोचने लगे हैं। पुस्तकालयों में अब कम से कम कीमत में गुणवत्ता को बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। पुस्तकालय के सभी विभाग अब अर्थशास्त्र के अध्ययन पर जोर दे रहे हैं। अब पुस्तकालयों में जो सूचना प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ है वह सब भविष्य को ध्यान में रखकर पुस्तकालय अर्थशास्त्र के आधार पर हुआ है। पुस्तकालय अब सी0ए0 एस0/एस0डी0आई0 अनुक्रणिका, सार सेवा व नई-नई सेवाओं, इन्टरनेट, ई-जर्नल इत्यादि सब पुस्तकालय अर्थव्यवस्था के कारण ही शुरू कर पा रहे हैं।

### 2.2.5 सूचना स्त्रोतों के रूप में संस्थाएं -

संस्था का अर्थ है किसी कार्यक्रम विशेष या किसी उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित कोई संगठन। समाज इस प्रकार की संस्थाओं से यह अपेक्षा रखता है कि संस्थाएं निर्धारित लक्ष्यों सनिश्चित उद्देश्यों तथा संस्थापित प्राथमिकताओं के लिए सुनिश्चित मानदण्डों का अनुपालन करें, चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहें और विकास के अवसरों का लाभ उठायें। अतः यह आवश्यक है कि उनके सभी कार्य सुपरिभाषित हों और उद्देश्य सुस्पष्ट हों। संस्थाओं के पास अपना कुछ नहीं होता और वे वित्तीय संसाधन के लिए सरकारी अनुदानों पर निर्भर होती है। जैसा पहले संकेत दिया गया है कि संस्थाएं अपनी गतिविधियों का निष्पादन करते हुए विविध प्रकार की सूचनाओं तथा विभिन्न स्तर के ज्ञान का उत्पादन करती हैं। इस प्रकार की सूचनाएं पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों अथवा प्रकाशनों के औपचारिक माध्यमों से प्रसारित हो जाती है, और शेष सूचनाएं संस्था की फाइलों में ही संग्रहीत होती हैं। यह प्रकाशित सामग्री द्वितीयक स्त्रोतों के रूप में उजागर हो जाती है। परन्तु फाइलों में संग्रहीत सूचनाएं प्रायः द्वितीयक स्त्रोतों में प्रतिवेदित नहीं हो पातीं। इस प्रकार प्रकाशित और अप्रकाशित सूचनाओं के फलस्वरूप संस्थाएं भी सूचना स्त्रोत होती हैं। पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों को संस्थाओं के विभिन्न पक्षों का ज्ञान होना चाहिए। यद्यपि संस्थाओं की निर्देशिकाओं में उनकी गतिविधियों प्रकाशनों तथा उनके कार्यों का पूरा विवरण दिया जाता है। तथापि इनकी वस्तुस्थिति जानने के लिए रेफरल केन्द्रों से सम्पर्क स्थापित करना श्रेयस्कर है।

हम इन संस्थाओं को तीन समूहों में रख सकते हैं -

1. ज्ञान का उत्पादन करने वाली संस्थाएं
2. ज्ञान तथा सूचना का प्रक्रियाकरण तथा प्रसार करने वाली संस्थाएं
3. ज्ञान तथा सूचना सेवा में संलग्न संस्थाएं

**बोध प्रश्न**

4. सूचना प्रौद्योगिकी क्या है?

.....

.....

.....

5. सामाजिक सम्पदा (Social Wealth) क्या है?

.....

.....

.....

6. सामाजिक व्यापकता (Social Implications) क्या है?

.....

.....

.....

## 2.3 सूचना समाज की अवधारणा ( The Concept of Information Society ) :

सूचना को आज एक शक्ति के रूप में जाना जाने लगा है। आज के मनुष्य के सभी क्रियाकलाप सूचना के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। जिससे सूचना का समाज में उपयोग बढ़ रहा है। इसलिए विद्वान आज के समाज को सूचना का समाज कहने लगे हैं। सूचना का प्रभाव घर से लेकर कार्यालयों, व्यापार, उद्योग, धन्धों, शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है। मनुष्य के जीवन स्तर के विकास में सूचना का महत्वपूर्ण स्थान है। आज मनुष्य की जीवन शैली, रहन-सहन बिल्कुल ही बदल गयी है। सूचना के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव स्वरूप समाज की दशा बदल

गई और जब से प्रौद्योगिकी का साथ मिला है तो इसका विकास तीव्र गति से हुआ है। सूचना की समाज में बढ़ती प्रमुखता और संख्या के कारण हम आज के समाज को सूचना समाज कह सकते हैं और आज का प्रत्येक मनुष्य सूचना समाज के अन्तर्गत ही जीवन यापन कर रहा है।

### 2.3.1 सूचना समाज का अर्थ ( Meaning of Information Society ) -

सूचना समाज का आज विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। बहुत से विद्वानों ने सूचना को परिभाषित किया है सबके अपने विचार एवं अवधारणाएँ हैं **डब्लू जे0 मार्टिन** के अनुसार सूचना समाज शब्द में सामाजिक एवं सूचना विज्ञान व अर्न्तविषयी पक्ष प्रदर्शित होता है। इस दृष्टि से यह पद उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों ही व्यक्त करता है। मार्टिन ने सूचना को आर्थिक एवं औद्योगिक शक्ति माना है जो सामाजिक क्रम एवं स्तर में परिवर्तन लाने की एक परिघटना का भी कार्य करती है। **मर्डन कोचन** के अनुसार सूचना समाज समुदाय के मस्तिष्क से संसार के मस्तिष्क के विकास का एक स्तर है। **बलेज क्रोनीन** के अनुसार सूचना समाज में श्रम को, बौद्धिकता को प्राथमिकता दी जाती है। जिसमें किसी के लिए रोटी कमाने का भाव रहता है। किसी के पसीने द्वारा। सूचना समाज में सभी तत्व शामिल होते हैं जैसे श्रम, बुद्धि और तकनीकी इत्यादि। सूचना समाज (Information Society) : एक समाज जिसमें सभी गतिविधियाँ एक आधारभूत निवेश के रूप में सूचना पर केन्द्रित रहती है।

### 2.3.2 सूचना समाज का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव ( Impact of Information Society in Different Areas ) -

सूचना का समाज पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह सूचना समाज हो गया है। सूचना का समाज के प्रत्येक व्यक्ति के क्रियाकलापों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमने सूचना का समाज पर प्रभाव का सामान्य तौर पर विचार किया, और सूचना प्रौद्योगिकी को एक औजार के रूप में सूचना के विकास के लिए जोर दिया है। नीचे कुछ विशेष क्षेत्रों पर सूचना का प्रभाव इस प्रकार दिया गया है-

#### 2.3.2.1 शिक्षा पर प्रभाव

शिक्षा सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक पद्धति है। सीखना और शिक्षण प्रत्येक शैक्षिक संस्थान का आधारभूत कार्य है। पाठ्यक्रम के विकास के लिए ये संस्थाएँ अपने शोधों और दूसरे सम्बन्धित साधनों से नया ज्ञान पैदा

करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी नई व्यापकता से इन शैक्षणिक प्रणाली और सिद्धान्तों को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण ही शैक्षणिक प्रक्रियाओं में नवीन आयामों का प्रारम्भ हुआ है। सीखने एवं शिक्षण के आधुनिक उपकरण (सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित) किसी भी व्यक्ति को उसका वांछित ज्ञान प्राप्त करने एवं सीखने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त सूचना संचार क्रांति, इन्टरनेट और अद्यतन सूचना केन्द्रों ने छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया को स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों से विस्थापित कर घरों में स्थापित कर दिया है। सूचना समाज के आगमन के कारण ही शैक्षणिक प्रक्रियाओं, नवीन आयामों का प्रारम्भ हुआ है। शिक्षण मैं आधुनिक उपकरण भी समाज में व्यक्तियों को उनका वांछित ज्ञान प्राप्त करने एवं सीखने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए हैं।

### 2.3.2.2 अनुसंधान एवं विकास का प्रभाव

अनुसंधान एक सृजनात्मक कार्य है जो सूचना एवं समाज के भण्डार को बढ़ाने तथा मानव एवं समाज के लाभ के लिए व्यवस्थित आधारों पर सम्पन्न किया जाता है। आज कई देश समाज के लाभ हेतु नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस क्रियाकलाप (अनुसधान) पर अत्याधिक धन व्यय कर रहे हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में परीक्षण, अनुसंधान विधियों के आगमन, सक्रिय उपकरणों एवं सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, उच्च स्तर की सूचना सेवाओं तथा समस्त रूप से समर्पित एवं बौद्धिक क्षमता से युक्त व्यवसायिक अनुसंधानकर्ताओं के कारण आज अनुसंधान की गुणवत्ता में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है।

### 2.3.2.3 व्यापार एवं उद्योग-धन्धों पर प्रभाव

उद्योग और व्यापार वह पहले थे जिन्होंने सूचना प्रबन्ध पद्धति का, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग किया। पश्चिमी देशों ने अपने प्रतिस्पर्धियों से जीतने के लिए, उद्योग धन्धों को बढ़ाने के लिए अनुसंधानों में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाई चाहे किसी भी राष्ट्र में हो अपना आधुनिकरण करने हेतु विभिन्न नवीनतम उपकरणों एवं नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपना रही है। इस प्रकार व्यापार एवं उद्योग धन्धें भी सूचना के प्रभाव से छूट नहीं पाए हैं।

### 2.3.2.4 सरकारों पर प्रभाव

सभी देशों की सरकारें संसार में सूचनाओं के सबसे बड़े उत्पादक है, उत्पादक के साथ-साथ वे सबसे बड़े उपयोगकर्ता भी हैं। सरकारें अपने सभी क्रियाकलापों पर

सांख्यिकीय डेटा संग्रहीत, व्यवस्थित एवं प्रसारित करती हैं जिससे सरकारी योजनाओं को विशाल मात्रा में सूचना, संसाधन के रूप में प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी योजनाओं हेतु सूचना की आवश्यकता गहन रूप से होती है। भारत में नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर नेटवर्क, कम्प्यूटर आधारित सूचनाओं को विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध करता है। इसी प्रकार नेशनल इनफोरमेटिक्स सेन्टर भी कार्य करता है। अतः आज सूचना प्रौद्योगिकी सरकारी क्रियाकलापों में अत्यन्त व्यापक रूप में उपयोग में लाई जा रही है।

### 2.3.2.5 व्यक्ति के दैनिक जीवन पर प्रभाव -

एक साधारण व्यक्ति भी आज अपने प्रतिदिन के कार्यों में सूचना की आवश्यकता को अनुभव करता है यह किसी वस्तु की गुणवत्ता अथवा कीमत जानने के लिए भी हो सकती है। किसी को सूचना की आवश्कता फसलों को उगाने, बागवानी, गृह-सज्जा, खाना बनाने, बच्चों के लालन-पालन एवं गृहस्थी के कार्यों हेतु होती है। सूचना समाज में सूचना प्रौद्योगिकी के पदार्पण से ऐसी सूचनाओं का अभिगम प्राप्त करना अत्यन्त सरल हो गया है।

### 2.3.2.6 मनोरंजन एवं संस्कृति पर प्रभाव :-

अनेक व्यक्ति अपने मनोरंजन हेतु आधुनिक प्रकार के कम्प्यूटर गेम, वीडियो, डिस्क, डीवीडी इन्टरनेट आदि का उपयोग कर रहे हैं। आजकल सभी देश अपने प्रसारण एवं टेलीविजन नेटवर्कों के माध्यमों से मनोरंजन और आमोद-प्रमोद के दृश्य कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जो विश्व के प्रत्येक स्थान पर पहुँचते हैं। आज हम जिस नवीन जीवन शैली को जी रहे हैं उसकी हमारे पूर्वजों ने कल्पना भी नहीं की थी। हमारा ज्ञान एवं संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थान्तरित होते-होते बदल चुकी है। यह सब सूचना का ही प्रभाव है।

### 2.3.2.7 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव -

पुस्तकालय अपने संग्रहीत किये हुए संग्रह की सूचना सूची के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाते थे। कुछ समय तक यह समझा जाता रहा था कि पुस्तकालय की सेवाएं सीमित व निष्क्रिय ही रहेंगी। परन्तु सूचना प्रौद्योगिकी ने पुस्तकालयों का स्वरूप एक सक्रिय संस्था के रूप में बदल दिया है। सच तो यह है कि यदि पुस्तकालय को समाज में जीवित रहना है तो सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए अपनी सेवाओं का विस्तार

करना ही होगा। प्रलेखों की भौतिक आकृति, पाठकों की असीमित आशाएँ, सीमित धन संसाधन आदि ने पुस्तकालयों को अपने स्वरूप को बदलने तथा पाठक सेवाओं पर आधारित होने को मजबूर कर दिया है।

सूचना संचार प्रौद्योगिकी का पुस्तकालय में अनुप्रयोग करना ही सभी समस्याओं का हल है। उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालयों में सहायता करने के उद्देश्य से, सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए कम्प्यूटर-साफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। पिछली कुछ दशाब्दियों की समयावधि में पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों में प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होने लगा है। आज अनेक संख्याओं और रूपों में पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों में वाङ्मय्यात्मक एवं अवाङ्मय्यात्मक डेटाबेसों के ऑनलाईन अभिगम उपलब्ध हो रहे हैं। पुस्तकालय नेटवर्किंग ने एक क्रन्ति ही ला दी है पुस्तकालयों को घर पर बैठकर या कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों में पाठकों को ई-मेल, फैक्स, प्रिन्टर, सीडी/डीवीडी पर डाटा लेने, इलैक्ट्रोनिक जर्नल्स, ओपेक आदि सुविधाएं मिल रही हैं। यह सब सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है।

### 2.3.3 सूचना समाज की विशेषताएं -

सूचना समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -

- उपयोगकर्ता को उसकी वांछित सूचना त्वरित एवं सही स्वरूप में उपलब्ध होना।
- कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी ने रोजगार के अवसर पैदा किये हैं।
- सामान्य जनता में अब सूचना जागरूकता देखी जा सकती है।
- सूचना का प्रयोग आजकल एक आर्थिक संसाधन के रूप में किया जाता है।
- सूचना सेवाएं दूर संचार पर आधारित होती है।

**ब ध प्रश्न**

6. सूचना संसाधन क्या है?

.....

.....

..... ..... .....

7. सूचना समाज की तीन विशेषताएं बताइये।

.....

.....

.....

## 2.3.4 सूचना उपयोगकर्ता - ( Information Users )

प्रायः सभी देश चाहे वे विकसित हो या विकासशील हों सूचना एवं सामग्रियों का संग्रह, प्रक्रियाबद्धकरण और प्रबन्धन इस प्रकार करता है जिससे उपयोगकर्ता को उसके काम की ज्ञान सामग्री / सूचना सामग्री आसानी से मिल जाये और वह लाभान्वित हो सके। इन ज्ञान सामग्रियों में देश विदेश की सभी सूचनाओं और ज्ञान का मिश्रण होता है। विकासशील देशों में उन्नति का समाधान सूचना ही होती है। विकसित देशों से विकासशील देश सूचनाओं और ज्ञान का अधिग्रहण करते हैं, जिस पर प्रचुर धनराशि व्यय होती है। इस धनराशि को न केवल अनुसन्धान व विकास की सूचना सामग्रियों के अधिग्रहण संग्रह, प्रसार तथा व्यवस्था पर व्यय किया जाता है बल्कि विभिन्न प्रकार एवं स्तरों पर उच्च शिक्षा के लिए भी व्यय किया जाता है। संग्रहीत एवं उपलब्ध वैज्ञानिक सूचना और प्रौद्योगिकी का सार्थक उपयोग अधिकाधिक होने की अपेक्षा कम हो पाता है।

## 2.3.5 सूचना प्रयोग में अवरोधक तत्व -( Factors Preventing from use of Information )

सूचना प्रवाह (उपयोगकर्ता तक पहुँचने की प्रक्रिया) में जो रुकावटें, समस्याऐं और अवरोध आते हैं, उन्हें हम सूचना सम्प्रेषण के अवरोधक तत्व कहते हैं। जो निम्न प्रकार से हैं।

### 2.3.5.1 भाषा ( Language ) -

प्रत्येक देश की भिन्न-भिन्न भाषाएँ होती हैं। कई बार तो एक देश के प्रांतों की भी विभिन्न भाषाएँ पाई जाती है। सभी भाषाओं को जानना किसी एक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं हो सकता है। भाषा के द्वारा ही सूचना सृजनकर्ता से उपयोगकर्ता तक पहुँच सकती है। सूचना के आदान-प्रदान में भाषा सबसे प्रमुख समस्या है। क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत से ज्ञान का सृजन हो रहा है। लेकिन भाषा की समस्या के कारण वह ज्ञान सृजन स्थल पर ही मर जाता है। इस प्रकार सूचना सम्प्रेषण में सर्वाधिक अवरोध उत्पन्न करने वाला तत्व भाषा ही है।

### 2.3.5.2 समय ( Time ) -

समय दो प्रकार से सूचना अवरोधक बनता है। पहले सूचना का उपयोगकर्ता तक समय पर न पहुंचना दूसरा सूचनाओं के प्रकाशन में लगने वाला समय। सूचना समय पर प्रकाशित नहीं हो पाती है, जब प्रकाशित होती भी है तो वह पुरानी हो जाती है, उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। इस प्रकार समय भी सूचना सम्प्रेषण में एक अवरोधक बनकर बाधा उत्पन्न करता है।

### 2.3.5.3 आर्थिक समस्या ( Economic Problem ) -

प्रकाशन (पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि) की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि प्रत्येक पुस्तकालय इनको खरीद नहीं सकता दूसरा कारण पुस्तकालयों को मिलने वाली वित्तीय सहायता बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। विकसित देशों की (विदेशी) पुस्तकों का मूल्य बहुत होता है, उनको खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। सूचना के मूल्यवान होने के कारण बहुत से प्रलेख पुस्तकालय में क्रय नहीं किये जा सकते जिससे उन सूचनाओं का सम्प्रेषण नहीं हो सकता। इस प्रकार सूचनाओं को सम्प्रेषण में आर्थिक समस्या भी बाधा बनती है।

### 2.3.5.4 प्रक्रियात्मक जटिलताएं ( Procedural complexities ) -

विदेशी प्रकाशनों को अर्जन करने में आने वाली कठिनाइयों के साथ-साथ विदेशी विनिमय भी प्रमुख समस्या है, जिससे उपयोगी सूचनाओं से युक्त ये प्रकाशन उपयोगकर्ता के पास समय से नहीं पहुंच पाते। आज कल हम ऑन लाईन सचनाओं, पत्र पत्रिकाओं इत्यादि को देख रहे हैं। लेकिन कई बार ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी ठीक से काम नहीं करती है। दूसरा उपयोगकर्ता व सूचना के सम्प्रेषण करने वाला कई बार सूचना प्रौद्योगिकी का जानकार नहीं होता उससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

### 2.3.5.5 प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव ( Lack of Trained Menpower )

सूचना प्रौद्योगिकी का आगमन प्रत्येक क्षेत्र में धीरे-धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। अब सूचनाएं विभिन्न प्रकार से मशीन पठनीय प्रारूपों में संग्रहीत की जा रही हैं जैसे- सीडी/डीवीडी रोम, मैग्नेटिक टेप, डिस्क, पैन ड्राईव इत्यादि। इसके अलावा सूचनाओं का प्रारूप भी विभिन्न प्रारूपों में आ रहा है जैसे पीडीएफ, वर्ड पेजमेकर इत्यादि। इन सभी से सूचना प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इन सभी से सूचना प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को कम्प्यूटर के साथ उपरोक्त सभी का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे वे इन माध्यमों

में निहित सूचना को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें, परन्तु सभी व्यक्ति कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं रखते।

### 2.3.5.6 सूचना सम्प्रेषण के माध्यमों का अभाव ( Lack of communication media ) -

आजकल सूचना सम्प्रेषण के अनेक नवीन उपकरण एवं संसाधन विकसित हो चुके हैं लेकिन उनमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, अभी वे अव्यवस्थित हैं। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सूचना सम्प्रेषण के माध्यम चाहे कैसे भी हों उनमें कोई सन्तोषजनक सामंजस्य (नेटवर्क) नहीं है। अधिकतर माध्यम मात्र एक ही तरफ से सूचना सम्प्रेषण करते हैं, दूसरी ओर का प्रापकर्ता अपना कोई संकेत स्पष्टीकरण आदि नहीं कर पाता है, जिससे सूचना सम्प्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है है।

### 2.3.5.7 अन्य बाधाएं ( Other hindrances ) -

उपरोक्त बाधाओं के अतिरिक्त सूचना के स्वतंत्र प्रवाह में निम्न कारक भी बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।

- वातावरणीय शोरगुल
- सूचना विस्फोट
- पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों का अव्यवस्थित होना
- पुस्तकालयों में अनुसंधान व विकास की उपेक्षा
- उपयोगकर्ताओं की अभिरूचि में कमी
- अनुवाद सुविधा का अभाव
- समय पर उपयुक्त सामग्रियों का उपलब्ध न होना
- सार्वजनिक पुस्तकालयों का अभाव
- कर्मियों की सेवा के प्रति उदासीनता
- प्रसार एवं प्रोत्साहन का अभाव
- निदानों की अव्यवस्था एवं सूचीकरण पद्धति की त्रुटियां।
- सामग्रियों की सार्वभौमिक सुलभता की कठिनाइयां।
- सूचना की खोज, प्रबन्धन एवं पुनः प्राप्ति की कठिनाइयां।

**बोध प्रश्न**

9. सूचना उपयोगकर्ता से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

10. सूचना प्रयोग में भाषा एक अवरोधक तत्व है वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

11. सूचना प्रयोग में आर्थिक समस्या एक अवरोधक तत्व है वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

12. सूचना प्रयोग में सूचना सम्प्रेषण के माध्यमों का अभाव एक अवरोधक तत्व है वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

## 2.4 सारांश

सूचना और ज्ञान अब सामाजिक सम्पत्ति समझे जा रहे हैं जो समाज के सब सदस्यों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचना सम्पदा और ज्ञान को सबके लिए आसानी और जल्दी से अभिगम होने वाला बना दिया है। औद्योगिक क्रान्ति के बाद का समाज सूचना प्रौद्योगिकी से ज्यादा प्रभावित हुआ है। परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है लेकिन अभी तक बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर परिवर्तन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी ने सबसे बाद में लेकिन ज्यादा प्रभाव पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों पर डाला है। सबसे बाद का अर्थ यह है कि पुस्तकालयों ने इसे बाद में अनुभव किया है सूचना सम्पन्न मनुष्यों और सूचना विहीन मनुष्यों के बीच

की खाई को मिटाने के लिए सरकार, पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों को कड़े कदन उठाने चाहिए।

सूचना प्रावधान कोई नया विचार नहीं है, पुस्तकालय इस पर शुरू से ही काम करते रहे हैं। लेकिन पहले पाठक ज्यादातर पुस्तकालयों पर ही निर्भर रहते थे उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब समय बदल गया है, पाठकों के पास बहुत से दूसरे साधन भी उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर अप्रबन्धात्मक सूचनाओं का अथाह भण्डार है उन सूचनाओं का विषयानुसार वर्गीकरण करके हम पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उनके लिए एक सुव्यवस्थित सूचना प्रावधान का प्रबन्ध कर सकते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना वैज्ञानिकों के लिए वर्गीकरण करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। हमें बदलते परिवेश में अपने आपको सिद्ध करना होगा, और अपने पाठकों के लिए एक अच्छा सूचना का प्रावधान करना होगा।

पुस्तकालय विज्ञान अब सूचना विज्ञान बन गया है और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। सूचना समाज का प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा है जिसके कारण आज के मनुष्य के दैनिक कार्य एवं जीवन शैली बहुत प्रभावित हुई है।

## 2.5 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. **शेरा के अनुसार ( J.H. Sherra )** "सूचना का उपयोग जिस रूप में जीव-वैज्ञानिक एवं ग्रन्थालयी करते हैं, उसे तथ्य कहते हैं। यह एक उत्तेजना है जिसे हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। यह मात्र एक प्रकार का तथ्य हो सकता है अथवा तथ्यों का सम्पूर्ण समूह हो सकता है, तथा यह एक इकाई होता है, यह विचारधारा की एक इकाई होता है।

2. सूचना विज्ञान की परिभाषा **बोर्को** ने इस प्रकार दी है - सूचना विज्ञान एक अन्तर्विषयी विज्ञान है जो सूचना की प्रकृति एवं विशेषताओं, सूचना के प्रवाह एवं उपयोग को प्रभावित करने वाली शक्तियों तथा सूचना के अधिकाधिक संग्रह, पुनर्प्राप्ति एवं संचार और सम्प्रेषण करने की श्रमपूर्ण एवं यान्त्रिक विधियों का अन्वेषण करता है।

3. सूचना की दो मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- सूचना का सार निष्कर्ष अथवा संक्षिप्तीकरण किया जा सकता है।
- सूचना का विश्लेषण किया जा सकता है।

4. सूक्ष्म इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित एवं दूर संचार के द्वारा सूचना का अर्जन, प्रक्रियाबद्धकरण संग्रह, प्रसार तथा सूचना मूलपाठकात्मक एवं संख्यात्मक उपयोग को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं।

5. सामाजिक सम्पदा (Social Wealth) एक सम्पदा जो बिना किसी मूल्य के समाज के सभी सदस्यों को मिले जैसे पार्क, गली में बिजली आदि। सूचना एवं ज्ञान को भी सामाजिक सम्पदा माना गया है।

6. सामाजिक व्यापकता (Social Implications)- किसी भी वस्तु का समाज में विस्तार, प्रभाव, आशय अर्थ इत्यादि जो समाज की जड़ों में व्याप्त हो।

7. सूचना संसाधन वे स्त्रोत हैं जिन्हें इस प्रकार स्थापित किया जाता है जिससे वे पुनः उपयोग में लाए जा सकें। सूचना संसाधन एक एकीकृत करने वाली यंत्र रचना है। यह यंत्र रचना सूचना स्त्रोतों को एकीकृत कर उपयोगकर्ताओं को दी जाती है।

8. सूचना समाज की तीन विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- उपयोगकर्ता को उसकी वांछित सूचना त्वरित एवं सही स्वरूप में उपलब्ध होना चाहिए।
- कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी ने रोजगार के अवसर पैदा किये हैं।
- सामान्य जनता में अब सूचना जागरूकता देखी जा सकती है।

9. प्रायः सभी देश चाहे वे विकसित हो या विकासशील हों सूचना एवं ज्ञान सामग्रियों का संग्रह, प्रक्रियाबद्धकरण और प्रबन्धन इस प्रकार करता है जिससे उपयोगकर्ता को उसके काम की सामग्री सूचना/ज्ञान आसानी से मिल जाये और वह लाभान्वित हो सके। इन ज्ञान सामग्रियों में देश विदेश की सभी सूचनाओं और ज्ञान का मिश्रण होता है। विकासशील देशों में उन्नति का समाधान सूचना ही होती है। विकसित देशों से विकासशील देश सूचनाओं और ज्ञान का अधिग्रहण करते हैं, जिस पर प्रचुर धनराशि व्यय होती है। इस धनराशि को न केवल अनुसन्धान व विकास की सूचना सामग्रियों के अधिग्रहण संग्रह, प्रसार

तथा व्यवस्था पर व्यय किया जाता है बल्कि विभिन्न प्रकार एवं स्तरों पर उच्च शिक्षा के लिए भी व्यय किया जाता है।

10. प्रत्येक देश की अलग भाषा होती है। कई बार तो एक देश के प्रान्तों में भी विभिन्न भाषाएँ पाई जाती है। सभी भाषाओं को जानना किसी एक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं हो सकता है। भाषा के द्वारा ही सूचना सृजनकर्ता से उपयोगकर्ता तक पहुँच सकती है। सूचना के आदान-प्रदान में भाषा सबसे प्रमुख समस्या है। क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत से ज्ञान का सृजन हो रहा है लेकिन भाषा की समस्या के कारण वह ज्ञान सृजन स्थल पर ही मर जाता है। इस प्रकार सूचना सम्प्रेषण में सर्वाधिक अवरोध उत्पन्न करने वाला तत्व भाषा ही है।

11. प्रकाशन (पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि) की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि प्रत्येक पुस्तकालय इनको खरीद नहीं सकता दूसरा कारण पुस्तकालयों को मिलने वाली वित्तीय सहायता बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। विकसित देशों की (विदेशी) पुस्तकों का मूल्य बहुत होता है, उनको खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। सूचना के मूल्यवान होने के कारण बहुत से प्रलेख पुस्तकालय में क्रय नहीं किये जा सकते जिससे उन सूचनाओं का सम्प्रेषण नहीं हो सकता। इस प्रकार सूचनाओं के सम्प्रेषण में आर्थिक समस्या भी बाधा बनती है।

12. आजकल सूचना सम्प्रेषण के अनेक नवीन उपकरण एवं ससांधन विकसित हो चुके हैं लेकिन उनमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, अभी वे अव्यवस्थित हैं। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सूचना सम्प्रेषण के माध्यम चाहे कैसे भी हों उनमें कोई सन्तोषजनक सामंजस्य (नेटवर्क) नहीं है। अधिकतर माध्यम मात्र एक ही तरफ से सूचना सम्प्रेषण करते हैं, दूसरी ओर का प्राप्तकर्ता अपना कोई संकेत स्पष्टीकरण आदि नहीं कर पाता है, जिससे सूचना सम्प्रेषण में बाधा उत्पन्न होती।

## 2.6 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री

1. Bawwden, D. Information systems and the stimulation of creativity (Journal of Information Science), 1986, 12, p. 203-216

2. Guha, B. Documentation and Information. Calcutta : Word Press, 2003.

3. King, D. W. (et. al). Key Papers in economics of Information. New York : Knowledge Industry Publication, 1983

4. Mange Ram. New Dimensions in Library and Information Sergices. Agra : Association Publishing House, 2006

5. Mc. Garry, K. The changing context of Information : an Introductory Analysis. London : Clive Bingley. 1981

6. Prasher, R. G. Information and its communication. Ludhiana : Medallion Press, 2003

7. शंकर सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय, नई दिल्ली : एस0 एस0 पब्लिकेशन, 2003

8. त्रिपाठी एस0एम0 सन्दर्भ एवं सूचना सेवा के नवीन आयाम, आगरा : वाई के पब्लिकेशन, 2000

# इकाई - 3 : बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं सेन्सरशिप

## संरचना


3.0 प्रस्तावना

3.1 उद्देश्य

3.2 बौद्धिक सम्पदा अधिकार

- 3.2.1 प्रतिलिप्याधिकार (Copyright)
- 3.2.2 भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम
- 3.2.3 प्रतिलिप्याधिकार एवं पुस्तकालय सेवाऐं (Copyright and Library Services)
- 3.2.4 न्यायोचित उपयोग (Fair Use)
- 3.2.5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार (International Copyright)

3.3 सेन्सरशिप

- 3.3.1 सेन्सरशिप - अश्लीलता पर रोक
- 3.3.2 पुस्तकालय एवं सेन्सरशिप

3.4 डिलिवरी ऑफ बुक्स - न्यूजपेपर (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम-1954

3.5 सूचना प्रौद्योगिकी के युग में (In the age of Information Technology)

3.6 सारांश

3.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.8 सन्दर्भ तथा इतर पाठ्य सामग्री


## 3.0 प्रस्तावना

प्राचीन काल से भारतीय मनीषियों ने बौद्धिक विचारों का सतत विस्तार करते हुए ज्ञान को जन-साधारण तक बिना किसी भेदभाव व पारिश्रमिक के पहुँचाया है। भारतीय मनीषियों का ध्येय परमार्थ स्वरूप ज्ञान बाँटना रहा है, जिससे प्रत्येक जन, ज्ञान का पूर्ण रूपेण लाभ उठा सकें। पर आज उस ध्येय का कोई औचित्य नहीं रह गया है। वर्तमान भौतिकवादी युग में यह अति आवश्यक हो गया है कि रचनाकार के कृतित्व (प्रतिलिप्याधिकार) और अन्वेशषणात्मक कार्य के स्वामित्व की पूर्ण सुरक्षा हो, फलतः उसे उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। परन्तु जब कतिपय कारणों से ऐसा हो नहीं पाता है, तब आवश्यकता

होती है एक अधिनियम की और वह है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम जो रचनाकार के हितों की रक्षा करता है।

प्रतिलिप्याधिकार मुख्यतः लेखक, प्रकाशक, फिल्मकार, पुस्तकालयाध्यक्ष, संगीत कला आदि से सम्बन्धित है। आजकल बौद्धिक सम्पदा अधिकार शब्द का प्रयोग प्रतिलिप्याधिकार के साथ-साथ हो रहा है। जबकि बौद्धिक सम्पदा अधिकार तो जीवन के सभी पहलुओं से सम्बन्धित है चाहे कृषि क्षेत्र हो या विज्ञान हो या जीव प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय आदि। बौद्धिक सम्पदा अधिकार केवल छपी हुई सामग्री को ही शामिल नहीं करते बल्कि विशिष्ट अधिकार पत्र (patent), ट्रेडमार्क (trademarks) ट्रेड सीक्रेट (Trade Secreats) औद्योगिक नमूने (Industrial design) नई खोजें विभिन्न क्षेत्रों व विषयों में, फिल्में, कैसेट्स (cassettes) ग्रामोफोन रिकार्ड (Gramophone recrords) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (computer software) सूचना के स्रोत व संगीत इत्यादि से भी सम्बन्धित है।

इनके साथ-साथ भारत के संविधान में वर्णित सेन्सरशिप, कानून अश्लीलता को रोकता है। यह प्रेस पर भी साम्प्रदायिकता फैलाने वाली सामग्री पर रोक लगाता है। दूरदर्शन व फिल्में जो अश्लीलता से परिपूर्ण होती हैं उन पर भी सेन्सरशिप कानून लागू होता है। डिलिवरी ऑफ बुक्स · न्यूजपेपर (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1954 में पारित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य - भारत में पुस्तकालयों का विकास करना व विद्धता को प्रोत्साहन देना है।

## 3.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त -

- आप बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे;
- आप प्रतिलिप्याधिकार के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे;
- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सन्दर्भ में राष्ट्रीय सूचना नीति की अवधारणा से अवगत हो सकेंगे;
- भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- प्रतिलिप्याधिकार एवं पुस्तकालय सेवाएं व पाठ्य सामग्री के न्यायोचित उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- सेन्सरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;

- पुस्तकालय एवं सेन्सरशिप के सम्बन्धों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे; और
- डिलिवरी ऑफ बुक्स-न्यूजपेपर (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम-1954 के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

## 3.2 बौद्धिक सम्पदा का अधिकार

पुराने समय में लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों इत्यादि को अपने कार्यों, कृतियों की रचना करने का उद्देश्य प्रसिद्धि पाना होता था न कि पैसा कमाना। तब इस समय प्रतिलिप्याधकार का प्रश्न ही नहीं उठता था और यह एक मंहगा और मेहनत का काम था। उस समय रचनाएँ भी इतनी मात्रा में प्रकाशित नहीं होती थी जो आज हो रही हैं।

मुद्रणकला के अविष्कार के पश्चात् पुस्तकों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। आज का लेखक अपनी कृति से कुछ आमदनी भी चाहता है। लेखक के कार्य का कोई अवैध प्रयोग न करें, न चुराये और चुराकर न बेचे या अपने नाम से न छाप लें, इन सबके लिए प्रतिलिप्याधिकार की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी प्रकार संगीतकार की धुनें, कलाकार की कोई कृति आदि की रक्षा करने के लिए कॉपीराइट की जरूरत है।

प्रतिलिप्याधिकार (copyright) मुख्यतः लेखक, प्रकाशक, फिल्मकार, पुस्तकालयाध्यक्ष, संगीत, कला आदि से सम्बन्धित है। आजकल बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property rights) शब्द का प्रयोग copyright के साथ-साथ हो रहा है। जबकि बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property rights) तो जीवन के सभी पहलुओं से सम्बन्धित है चाहे कृषि क्षेत्र हो या विज्ञान हो या जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) और पुस्तकालय आदि।

प्रतिलिप्याधिकार (copyright) और बौद्धिक सम्पदा अधिकार केवल छपा हुई सामग्री को ही शामिल नहीं करते बल्कि विशिष्ट अधिकार पत्र (patent) ट्रेडमार्क (trademark) ट्रेड सीक्रेट (trade secreats) औद्योगिक नमूने (Industrial design) नई खोजें विभिन्न क्षेत्रों व विषयों में, फिल्में, कैसेट्स (cassettes) ग्रामोफोन रिकार्ड (Gramphone records) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (computer software) सूचना के स्रोत व संगीत इत्यादि से भी सम्बन्धित हैं।

द्रुत गति से विज्ञान के बढ़ते नित नये आविष्कारों के कारण आज सूचना

प्रकीर्णन अत्यंत सहज सरल व सुगम हो गया है, इसके साथ ही प्रतिलिपिकरण के साधनों की उपलब्धता आम हो जाने से उपभोक्ता को बिना किसी रुकावट के प्रतिलिपि प्राप्त हो जाती है जिससे रचनाकार के हितों का हनन होता है, आविष्कारक नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो जाता है, साथ ही देश का व्यापार व विकास भी प्रभावित होता है। रचना किसी व्यक्ति के श्रम, कौशल और पूँजी की उपज होती है, जिसे चोरी करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम व बौद्धिक सम्पदा अधिकार ऐसा होने से रोकता है, रचनाकार / आविष्कार के हितों की सुरक्षा के साथ पूरा देश विकास पथ पर अग्रसर रहता है।

### 3.2.1 प्रतिलिप्याधिकार ( Copyright ) -

प्रतिलिप्याधिकार एक ऐसा निषेधात्मक कानून है जो किसी रचनाकार/आविष्कारक की रचना को उसकी अनुमति के बिना चोरी छिपे पुनरोत्पादन कर व दूसरी विधा में रूपान्तरित कर बेचने से रोकता है। इसके अंतर्गत, संस्करण/रूपान्तरण प्रकाशित करने/ बेचने, धारावाहिक रूप में प्रकाशन, नाट्यरूपान्तरण और फिल्मांकन, अनुवाद करने, संक्षेपन, नाटक व संगीत रचना की मंचीय प्रस्तुति, कम्प्यूटर प्रोग्राम की प्रतिलिपि आदि के अधिकार आते हैं। यह रचनाकार को उसके द्वारा रचित कृति पर यह अधिकार प्रदान करता है कौन उस कार्य का उपयोग कर सकता है, प्रतिलिपि बना सकता है, कृति के सहयोग से नवीन कृति का निर्माण कर सकता है। जब किसी नवीन कृति का सृजन होता है और यह नव सृजन की परिभाषा के अंतर्गत आता है तो कृतिकार को यह अधिकार मिलता है कि कौन और कैसे कोई इसका उपयोग या इसकी प्रतिलिपि कर सकता है, किसी के निमित्त इसका उपयोग कर सकता है। कृतिकार अपने अधिकार को बेच सकता है अथवा किसी के लिये कार्य कर सकता है।

#### 3.2.1.1 प्रतिलिप्याधिकार का प्रादुर्भाव -

प्रारम्भ में बड़ी संख्या में कृति की नकल करना व उसे बेचकर अर्थोपार्जन संभव नहीं था बल्कि यह बहुत मंहगा व अत्यधिक श्रम पूर्ण कार्य था। पंद्रहवीं शताब्दी में मुद्रणकला के आविष्कार के बाद ही यह संभव हो सका। सन 1709 में विश्व का सर्वप्रथम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम इंगलैण्ड में अस्तित्व में आया। सन् 1790 में इंग्लैंड की तर्ज पर अमेरिका में आया। अमेरिकी अधिनियम में विदेशी रचनाकारों की कृतियों के लिये कोई प्रावधान नहीं था, फलतः अमेरिकी बाजार विदेशी कृतियों से भरने

लगा, जिसका सीधा घातक प्रभाव अमेरिकी रचनाकारों और वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तब 1891 में अमेरिका में संशोधित अधिनियम लाया गया।

### 3.2.2 भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम ( Indian Copyright Act )

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 15 दिसम्बर सन् 1847 को प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पास किया। ब्रिटिश प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1911 में पास हुआ। दोनों अधिनियम को मिलाकर 1914 में प्रथम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम बना। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1957 में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 में कुल 79 अनुच्छेद हैं जो 14 अध्यायों में बांटे गये। इस अधिनियम का अनुच्छेद 13 उन कृतियों का विवरण प्रस्तुत करता है जिन पर यह अधिनियम लागू होता है। अनुच्छेद 14 में प्रतिलिप्याधिकार का अर्थ दिया गया है। अनुच्छेद 14(1) में कहा गया है कि प्रतिलिप्याधिकार का अर्थ है : एक मात्र अधिकार किसी साहित्यिक, नाटकीय अथवा संगीतात्मक कृति का कोई भी निम्नलिखित कार्य करने अथवा किसी अन्य को करने के लिए अधिकृत करना है। प्रतिलिप्याधिकार का अर्थ है, साहित्यिक, नाटक, संगीत, कलात्मक कार्य, गतिमान फिल्में और प्रभाव से सम्बन्धित कृति पर पूर्ण अधिकार या स्वामित्व देना।

प्रतिलिप्याधिकार का अर्थ यह भी है - स्वामित्व और कानूनी अधिकार जो मौलिक कार्यों जैसे पुस्तक, नाटक, चित्र, तस्वीर या संगीत कार्य के प्रकाशन के सभी सम्भव तरीकों के नियत्रिंत करता हो।

आक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार "प्रतिलिप्याधिकार रचयिता अथवा उसके उत्तराधिकारी को किसी साहित्यिक, संगीतात्मक, चलचित्र विषयक कृति का पुरूत्पादन तथा प्रतिपादन कुछ निश्चित वर्षों के लिए तथा अन्य को ऐसा करने के लिए अधिकृत करने का दिया गया एकमात्र अधिकार होता है।

प्रतिलिप्याधिकार ऐसा पूर्ण अधिकार है जिसमें अधिनियमान्तर्गत निहित प्रावधानानुसार किसी कृतित्व से संबंधित निम्न कार्यों में से कोई कार्य करना या कार्य करने का अधिकार देना जिसमें कृति का पूर्ण अथवा आंशिक उपयोग होत हो-

**( अ ) साहित्य, संगीत, कला आदि से संबंधित -**

1. किसी भी स्वरूप में कृति का पुनःउत्पादन करना

2. कृति का प्रकाशन

3. कृति को सार्वजनिक करना

4. कृति का अनुवाद करना

5. कृति से संबंधित कोई फिल्म या रिकार्ड बनाना

6. कृति का प्रसारण करना

7. कृति का कोई अनुकूलन करना

8. कृति का अनुवाद या अनुकूलन कर पद 1 व 6 में दिये गये कार्य करना।

**( ब )** अनुच्छेद 15.23 में प्रतिलिप्याधिकार (Copyright) तथा आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (Technology) का उल्लंघन करने पर अवैधानिक आचरणों (अपराधों) जैसे :-

1. कोई ऐसा कार्य करना जो धारा (अ) में दिये गये हैं।

2. कम्प्यूटर प्रोग्राम को बेचना, किराये पर देना आदि

प्रतिलिप्याधिकार किसी के मौखिक विचार अथवा अवधारणा की रक्षा नहीं करता जब तक उसको रिकार्ड या लिखा न जाये। प्रतिलिप्याधिकार उस तरीके की रक्षा करता है जिसमें एक लेखक या कृति का स्वामी अपने विचार अथवा अवधारणा को व्यक्त करता है। उदाहरणतया यदि एक वैज्ञानिक लैब या दवाई कम्पनी कोई लेख प्रकाशित करती है। जिसमें वह एक दवाई बनाने के लिए एक नई प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करता है, ऐसी अवस्था में प्रतिलिप्याधिकार दूसरों को उस लेख के प्रतिलिपि करने से रोकता है, परन्तु यह किसी को दवाई बनाने की उस प्रक्रिया का प्रयोग करने से नहीं रोकता। प्रक्रिया संरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक को पेटेंट प्राप्त करना आवश्यक है।

तत्पश्चात प्रौद्योगिकी के क्षेत्र (मुख्यतः कम्प्यूटर व डिजीटल तकनीकी का क्षेत्र) में नित नये आविष्कारों के चलते एक विस्तृत प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की आवश्यकता को अनुभव किया गया। फलतः 1987 में इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा 1990-91 में एक कार्य दल का गठन किया गया। इस कार्य दल द्वारा किये गये संशोधनों को लोक सभा में रखा गया। 1992 में दोनों सदनों में इसे स्वीकृति मिली। संयुक्त समिति की रिपोर्ट एवं बिल 24 अगस्त 1993 को लोक सभा में पेश किया गया।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम (द्वितीय संशोधन) बिल 1992 को 11 मई 1994 को लोक सभा ने पास किया। 13 मई 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 1999 में पुनः इसमें कुछ संशोधन किये गये। वर्तमान में भारत सरकार का इलैक्ट्रानिक विभाग तथा मानव संसधान एवं विकास मंत्रालय इस अधिनियम में समय-समय पर आवश्यक संशोधनों के लिये मिलकर कार्य कर रहे हैं साथ ही इन विभागों के अधिकारी, (NASSCOM) के अधिकारी, पुलिस आदि अधिनियम को सख्ती से लागू कराने के लिए कटिबद्ध हैं।

**बोध प्रश्न**

1. ईस्ट इंडिया कम्पनी ने कब प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पास किया?

   .....

   .....

   .....

2. स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया?

   .....

   .....

   .....

3. प्रतिलिप्याधिकार (Copyright) मुख्यतः किस से सम्बन्धित है?

   .....

   .....

   .....

4. बौद्धिक सम्पदा अधिकार मुख्यतः किससे सम्बन्धित है?

   .....

   .....

   .....

5. विश्व का सर्वप्रथम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम इंगलैण्ड में कब अस्तित्व में आया?

   .....

   .....

   .....

6. इंगलैड की तर्ज पर अमेरिका में प्रतिलिप्याधिकार कब अस्तित्व में आया?

   .....

   .....

   .....

### 3.2.3 प्रतिलिप्याधिकार एवं पुस्तकालय सेवाऐं ( Copyright and Library Services )

प्रतिलिप्याधिकार एवं पुस्तकालय सेवाओं का परस्पर गहरा संबंध है। पुस्तकालय का कार्य बौद्धिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में सहयोग एवं सहकारिता के माध्यम से ज्ञान का संवर्धन करना, विकास करना, समाज में ज्ञान को व्याप्त करना और ज्ञान को बनाये रखना और विश्व के सभी देशों द्वारा उत्पन्न सभी प्रकार की प्रकाशित / मुद्रित पाठ्य सामग्रियों का पूर्ण अभिगम सभी पाठकों को सुलभ कराना है। साथ ही पुस्तकालय सेवा का यह लक्ष्य है कि कहीं भी कभी भी प्रकाशित सामग्री की मौलिक प्रति अथवा उसकी प्रतिलिपि आवश्यकता पड़ने पर विश्व में किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिये उपलब्ध कराये। प्रतिलिपि की व्यवस्था होने पर पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराना आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया से अधिक सुविधाजनक सिद्ध होता है। इससे स्पष्ट होता है कि पुस्तकालय को सेवा का यह लक्ष्य प्राप्त करना प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का बिना उल्लंघन किये संभव नहीं है। यदि पाठ्य सामग्रियों को प्रदान करना भी सुलभ न किया जा सके और न ही उसकी प्रतिलिपि की व्यवस्था की जा सके तो बौद्धिक, शैक्षिक, अन्वेषणों आदि क्रियाकलापों का कार्य करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जायेगा। आवश्यकता यह है कि पाठक पाठ्य सामग्री और प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के मध्य एक न्याय संगत सामंजस्य बना रहे, न तो प्रातिलिप्याधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो और नहीं बौद्धिक, शैक्षिक, अन्वेषणों आदि क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न हो।

### 3.2.4 न्यायोचित उपयोग ( Fair Use )

न्यायोचित उपयोग (Fair Use) शब्द का प्रयोग मुख्यतः अमेरिका में किया जाता है। ब्रिटेन में इसके लिये Fair Dealing शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यायोचित उपयोग का आशय है कि कृतिकार को बिना हानि पहुँचाये व बिना उसकी आज्ञा के किसी प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त कृति का उपयोग पैरोडी, समाचार, अनुसंधान, मंचन, शिक्षा आदि के लिए किया जाय। पर हमेशा यह संभव नहीं है। अभी तक कोई ऐसी सर्वमान्य संदर्भिका अस्तित्व में नहीं है जो न्यायोचित उपयोग को परिभाषित करने के साथ इसकी सीमायें निर्धारित करे। दिलचस्प बात यह है कि अधिनियम में भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आम विचार यह है कि शैक्षणिक कार्य के लिये उपयोग करना

न्यायोचित है। पर प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त कृति का किसी भी रूप में बिना आज्ञा उपयोग किया जाना प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन ही है।

सामान्यतः इसका निर्णय निम्नानुसार होना चाहिये -

1- प्रतिलिपि का उद्देश्य - शैक्षणिक, शैक्षिक अनुसंधान, व्यापार, व्यापारिक अनुसंधान, व्यक्तिगत आदि,

2- प्रतिलिपि की मात्रा - पूर्ण, आंशिक

3- प्रतिलिपि की संख्या - कितनी संख्या न्याय संगत है

4- बाजार पर इसका असर - मौलिक कृति के बाजार पर इसका प्रभाव

क्या प्रतिलिपि की जा सकती है ?

- किसी पुस्तक, सी0डी0 आदि से एक अध्याय (पूरी पुस्तक कभी नहीं)।
- पत्रिका से एक लेख (पूरी पत्रिका कभी नहीं)।
- किसी व्यक्तिगत मौलिक कृति से एक कंहानी, निबंध अथवा कविता।
- किसी एक पुस्तक, पत्रिका सी0डी0 आदि से एक चार्ट, ग्राफ डाइग्राम, चित्र, कार्टून, तस्वीर आदि।
- अनुपलब्ध पाठ्य सामग्री की संदर्भ में संदर्भ हेतु एक प्रति।
- अध्यापक को शिक्षण कार्य के लिए एक से अधिक प्रतिलिपि दी जा सकती है।

क्या प्रतिलिपि नहीं किया जा सकता है?

- किसी भी पाठ्य सामग्री की पूर्ण और एकाधिक प्रतिलिपि।
- किसी कार्य की बार-बार वर्ष दर वर्ष प्रतिलिपि।
- एक पुस्तक, पत्रिका सी0डी0/डी0वी0डी0 आदि से एक व्यक्ति को बार-बार अंशों में प्रतिलिपि।
- किसी प्रतिबंधित एक पुस्तक, पत्रिका सी0डी0 आदि से प्रतिलिपि।

भारतीय प्रतिलिप्याधिकार कानून लेखक को उसके जीवन काल तथा उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक उसकी कृति का सम्पूर्ण अधिकार देता है। ऐसी स्थिति में क्या

प्रलेखों की फोटोकॉपियाँ की जा सकती है? प्रलेखों की फोटोकापियाँ की जा सकती है परन्तु लाभ के लिये नहीं। सार्वजनिक पुस्तकालयों में जनता के लिए प्रतिलिप्याधिकार के सामने जनता ऋण अधिकार Public Lending right कुछ राहत प्रदान करता है। इसमें कुछ शर्तें फोटोकॉपी के लिए इस प्रकार दी गई हैं -

- विशेष या स्वतन्त्र भाग किसी काम का कॉपी नहीं होगा।
- केवल एक भाग (content page) पत्रिका से कॉपी (copy) किया जा सकता है।
- जो पुस्तकें out of print हो गई हैं उनके स्वामी की अनुमति लेनी चाहिए जब तक कॉपी की जरूरत हो।

### 3.2.5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार ( International Copyright ) -

ऐसा कोई अधिनियम अभी तक नहीं बना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिलिप्याधिकार के सुरक्षा प्रदान कर सके। अधिकतर देश Berne Convention अथवा Universal Copyright Convention (UCC) के सदस्य हैं, जो कि रचनाकार को उन देशों में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं जहाँ का वह नागरिक नहीं हैं। 1863 में Berne (Switzerland) में एक सम्मेलन हुआ। इस (Berne Convention) का उद्देश्य था- विदेशी लेखकों के प्रतिलिप्याधिकार की सुरक्षा करना। सन् 1886 में स्वीटजरलैण्ड में हुई बैठक में सदस्य देशों ने इसे स्वीकार कर लिया। इनके अंतर्गत निम्न प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है-

(1) सदस्य देश के नागरिक का प्रकाशित या अप्रकाशित कार्य

(2) ऐसे रचनाकार का कार्य जो सदस्य देशों में से किसी भी देश का नागरिक नही है, की सहमति से प्रकाशित कार्य जो एक से अधिक देशों मे प्रकाशित हो चुका है।

इसका लाभ लेने के लिये, Berne Convention में केवल कृति पर रचनाकार का नाम ही पर्याप्त है, जबकि Universal Copyright Convention (UGC) में प्रतिलिप्याधिकार नोटिस आवश्यक है।

अब विपो - WIPO (World Intellectual Property Right) जिसकी स्थापना 1967 में यूनाइटेड नेशन में हुई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विपो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। संसार के बहुत से देश अपने बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा के लिए इसके सदस्य बन चुके हैं और बन रहे हैं।

**बोध प्रश्न**

7. प्रतिलिप्याधिकार का क्या अर्थ है?

.....

.....

.....

8. सार्वजनिक पुस्तकालयों में जनता के लिए प्रतिलिप्याधिकार के मामले में कौन सा अधिकार कुछ राहत प्रदान करता है?

.....

.....

.....

9. न्यायोचित उपयोग का क्या आशय है?

.....

.....

.....

10. Berne Convention सर्वप्रथम किस वर्ष और कहाँ पर हुई ?

.....

.....

.....

11. विपो - WIPO (World Intellectual Property Right) की स्थापना कब और कहाँ हुई?

.....

.....

.....

## 3.3 सेन्सरशिप

सेन्सरशिप शब्द लैटिन (Latin) भाषा के 'Censere' से लिया गया है। सेन्सरे का अर्थ है परखना, मूल्याकन करना, व सुनिश्चित करना। यदि हम इतिहास के पन्नों पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि सेन्सरशिप प्रत्येक काल में किसी न किसी रूप में रहा है। पुराने समय में राजाओं के यहाँ धार्मिक अपराध अथवा राजनीतिक राजद्रोह का बाहुल्य रहा है। आज आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संचार के साधनों के विस्तार तथा साक्षरता अभियान के कारण अश्लीलता तथा नग्न चित्रों से सम्बन्धित अपराध अधिक बढ़ गये हैं। इन सबके नियन्त्रण के लिए आज सरकारें सेन्सशिप कानून का सहारा ले रही है। सेन्सशिप की परिभाषा पर विद्वान एकमत नहीं हैं।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विश्वकोष में **बाँज** ने परिभाषा इस प्रकार दी है : सेन्सरशिप सरकार, गैर सरकारी संस्था, समूह अथवा व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा प्रयास है जो लोगों को उस साहित्य को पढ़ने, देखने अथवा सुनने से रोकता है जिसको सरकार अथवा लोक नैतिकता के लिए खरतनाक समझा जाये।

सेन्सरशिप एक ऐसी क्रिया है जो धार्मिक अपराध, राजनीतिक राजद्रोह, अश्लीलता तथा नग्न चित्रों की अभिव्यक्ति, प्रदर्शन अथवा संचार माध्यम पर नियन्त्रण लगाती है। यह जरूरत पढ़ने पर राज्य, पौरोहित्य, गैर सरकारी समूह (जैसे कोई संघ संस्था आदि) तथा किसी व्यक्ति द्वारा भी लगाई जा सकती है।

भारत का संविधान विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान करता है लेकिन कुछ स्थानों पर वह प्रतिबन्ध भी लगाता है। राष्ट्र की धार्मिक साम्प्रदायिकता को बनाये रखने व ऐतिहासिकता सहिष्णुता बनाए रखने के लिए ये प्रतिबन्ध भी जरूरी हैं। सेन्सरशिप अश्लीलता को रोकता है। यह प्रेस पर साम्प्रतायिकता फैलने वाली सामग्री पर रोक लगाता है। दूरदर्शन व फिल्में जो अश्लीलता से परिपूर्ण होती है उन पर भी सेन्सरशिप लागू होता है।

### 3.3.1 सेन्सरशिप - अश्लीलता पर रोक -

यदि कोई भी गतिविधि सार्वजनिक रूप से अश्लीलता दर्शाती है तो उस पर सेन्सरशिप कानून लागू होता है। भारत में फिल्में टी0वी0 शो, वीडियो संगीत, पत्रिकाएं, उपन्यास, अन्य साहित्य आदि यदि किसी भी रूप में अश्लीलता को प्रदर्शित करते हैं तो उनको सेन्सरशिप कानून के अन्तर्गत प्रतिबन्धित किया जाता है। अधिकांश अश्लीलता भारत में बाहर से फिल्में, पत्रिकाओं इत्यादि के माध्यम से पहुँचती है लेकिन यह अवैध है। संगीत के ऊपर भी यह सेन्सरशिप कानून लागू होता है। यदि वह अश्लीलता के अंश प्रदर्शित करता है। भारत सरकार ने फिल्मों के लिए भी सेन्सरशिप बोर्ड बना रखा है। इस बोर्ड से पारित होकर ही कोई भी फिल्म सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देती है तो उस पर भी इस कानून के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगता है। इस सबके अतिरिक्त सेन्सरशिप कानून युद्ध व कत्ल आदि के दृश्यों को बच्चों को दिखाने से भी प्रतिबन्ध करता है।

सेन्सरशिप देशद्रोह के कार्य जैसे देश की गुप्त सूचनाएं लीक करके या किसी भी रूप से सरकार को धोखा देना आदि पर भी लागू होता है।

सेन्सरशिप धर्म द्रोह के कार्य जैसे धार्मिक कट्टरता फैलाना, किसी धार्मिक समुदाय के अधिकृत सिद्धान्तों के विरुद्ध भ्रम फैलाना व परम्परागत आस्था के विरुद्ध भ्रामक प्रचार फैलाना आदि पर भी लागू होता है।

### 3.3.2 पुस्तकालय एवं सेन्सरशिप -

पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों का भी दायित्व बनता है कि पाठकों के लिए ऐसी उपयुक्त पाठ्य सामग्री का ही संग्रह करें जो किसी भी प्रकार से सेन्सरशिप कानून के अन्तर्गत न आती हो। अपने पाठकों को, पाठक शिक्षा प्रोग्राम में सेन्सरशिप कानून के बारे में जानकारी दें और पुस्तकालय में इन्टरनेट का सही रूप से इस्तेमाल करें। पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र सेन्सरशिप कानून के बारे में जनता को जागृत कर सकते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सूत्रों को लागू करने के लिए सेन्सरशिप की समस्या सामने आती है। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं लेकिन पुस्तकों का उपयोग समाज की भलाई में होना चाहिए। जब कोई पुस्तक प्रकाशित हो जाती है तो पाठक उसकी मांग अवश्य ही करेंगे। सरकार सेन्सरशिप कानून के द्वारा केवल ऐसी पुस्तकों/प्रलेखों को नियन्त्रित कर सकती है जो सामाजिक खतरे अथवा राजनीतिक अस्थिरता फैलाने से सम्बन्धित न हों। इसीलिए डा0 रंगनाथन का कहना है कि "पुस्तकालयाध्यक्ष यद्यपि सेन्सरशिप कानून के माहिर नहीं हैं फिर भी उनका कर्तव्य है कि उसे ऐसी पुस्तकों का चयन करने से परहेज करना चाहिए जो समाज विरोधी प्रकृति की हों। प्रकाशकों तथा लेखकों का भी कर्तव्य है कि वे समाज में ऐसी पुस्तकों को लाये जो लोगों के जीवन मूल्यों व नैतिकता को उन्नत करें।

## 3.4 डिलिवरी ऑफ बुक्स-न्यूजपेपर ( सार्वजनिक पुस्तकालय ) अधिनियम - 1954

डिलिवरी ऑफ बुक्स - न्यूजपेपर (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1954 में पारित किया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- भारत में पुस्तकालयों का विकास करना;
- विद्वता को प्रोत्साहन देना;
- अच्छे पुस्तकालय विकसित करने के लिए यह अपेक्षित है कि भारत में प्रकाशित पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों की चार से अधिक प्रतियाँ पुस्तकालय में अर्जित न की जायें; और
- इन अर्जित प्रतियों में से एक प्रति राष्ट्रीय ग्रन्थालय कोलकाता को तथा अन्य तीन प्रतियाँ तीन मुख्य सार्वजनिक पुस्तकालयों में भेजी जायें।

सन् 1956 में इस अधिनियम में संशोधन कर समाचार पत्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इस अधिनियम में पुस्तक शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें प्रत्येक खण्ड और उसके भाग व विभाग, किसी भी भाषा में, तथा संगीत, नक्शे, चार्ट अथवा रेखाचित्र का अलग से मुद्रित अथवा शिलामुद्रित प्रत्येक कागज सम्मिलित है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालयों को वैधानिक निक्षेप का अधिकार प्रदान किया गया :

- पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता
- पश्चिमी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पुस्तकालय मुम्बई
- दक्षिणी क्षेत्र के लिए कोनेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई
- उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली को यह अधिकार प्रदान किया गया है।

प्रत्येक प्रकाशक को डिलिवरी ऑफ बुक्स - न्यूजपेपर अधिनियम के अन्तर्गत अपने प्रकाशन की चार प्रतियाँ 30 दिन के भीतर अपने व्यय पर इन उपरिलिखित पुस्तकालयों को भेजनी होती है। जो प्रकाशक ऐसा नहीं करता उसके लिए अर्थदण्ड की व्यवस्था है।

## 3.5 सूचना प्रौद्योगिकी के युग में ( In the age of Information Technology ) :-

सूचना प्रौद्योगिकी ने तो प्रलेखों की भौतिक प्रकृति (Physical Nature) को ही बदल डाला। आज पुस्तकों के स्थान पर (CD/DVD, Cassettes, Microfilms) आदि आ रहे हैं। दूसरी तरफ इन्टरनेट ने भी सब बदल दिया है। पाठक कहीं से भी अपनी सामग्री निकाल लाता है। इसमें दूरी व समय की कोई सीमा नहीं है। ऐसे में तो किसी article की नकली प्रति बहुत कम समय में कॉपी की जा सकती है और देश-विदेश में कुछ ही seconds में प्रतियाँ भेजी जा सकती है। ऐसे में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम क्या कर सकता है। cyber crime हो रहे हैं जैसे - हैकिंग (hacking) वायरस, पोरनोग्राफी आदि।

जब इतना कुछ हो रहा हो तो इसके लिए कानून/नियम भी बदलने पड़ेगे जो कि भारत सरकार ने किया। यूनियन सरकार (भारत) ने 16 दिसम्बर 1999 को साइबर

लॉ लेजिसलेशन (Cyber Law Legislation) E-commerce को कानूनी आधार देने के लिए पेश किया। यही सूचना प्रौद्योगिकी बिल 16 मई 2000 को कुछ परिवर्तन करके दोबारा से पेश किया गया जिसको 17 मई 2000 को राज्य सभा से भी स्वीकृति मिली और भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये।

यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) ज्यादातर क्षेत्रों को सम्मिलित करता है और सभी को (पाठकों व पुस्तकालयों और जनता) को राहत पहुँचाता है। लेकिन इस अधिनियम में भी कुछ कमियाँ हैं। जैसे कोई अपराध दूसरे देश में कर रहा हो पता नहीं वहाँ के कानून से अपराध न बनता हो। दूसरा यह अधिनियम कुछ सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिकता (Advancement) जैसे डिजिटल सिगनेचर (Digital signature) में बायोमेटिक सिगनेचर जैसे - Water marks, Smart Cards और बैंकों में नेट पर लेनदेन को सम्मिलित नहीं करता। इसको कोर्ट में सिद्ध करने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है कि किसने पासवर्ड आदि चुराया है।

संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी बिल को 23 दिसम्बर 2008 को पेश किया गया जिसको 5 फरवरी 2009 को भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये। इस संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी बिल में वे समस्त कमियां ठीक की गई जो सूचना प्रौद्योगिकी बिल 2000 में रह गई थी।

सरकार को इस अधिनियम को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिये। साथ ही पुस्तकालय व उनके पाठकों का ध्यान रखकर इसे बनाना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह इन सब बारीकियों को जानें व पुस्तकालय नियमों का पालन करते हुए इन अधिनियमों का भी पालन करें।

सेन्सरशिप के सन्दर्भ में यहाँ फिर एक कठिनाई आ जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जब तक सेन्सरशिप कानून अमल में आता है तब तक भ्रामक सामग्री को इन्टरनेट के माध्यम से तुरन्त फैलाया जा सकता है।

**बोध प्रश्न**

12. सूचना प्रौद्योगिकी बिल पर भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किये?

    .....

    .....

13. संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी बिल को कब पेश किया गया और भारत के राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किये?

.....

.....

.....

14. सेन्सरशिप कानून किस पर लागू होता है?

.....

.....

.....

15. डिलिवरी ऑफ बुक्स- न्यूजपेपर (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया और इसके अन्तर्गत क्या-क्या आता है?

.....

.....

.....

## 3.5 सारांश

स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1957 में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। समयानुसार भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम कई बार परिवर्तित हुआ। इसमें 1983, 1984, 1994, और 1999 में बदलाव किये गये। 1984 में कुछ और शब्दों जैसे, शब्द आवाज रिकॉडिंग और फिल्में आदि इसमें जोड़े गये। कानून का उल्लंघन करने पर सजा को बढ़ाया गया। 5000 रुपये की जगह 2 लाख रुपये तक का जुर्माना व 6 महीने की कैद की व्यवस्था की गयी।

पुस्तकालय और प्रतिलिप्याधिकार का आपस में गहरा सम्बन्ध है या कह सकते हैं कि पुस्तकालय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम से प्रभावित होता है। पुस्तकालयाध्यक्ष के सामने समस्या यह है कि उसे पुस्तकालय के नियम डा0 रंगानाथन द्वारा दिये हुए का भी पालन करना है और पाठकों को सन्तुष्ट करना है व दूसरी तरफ डिलिवरी ऑफ बुक्स-न्यूजपेपर (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, सेन्सरशिप कानून, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का भी पालन करना है। कई बार पाठक के सामने समस्या आ जाती है कि उक्त पुस्तक बहुत महंगी है जिसे वह खरीद नहीं सकता। वह तो क्या कई बार पुस्तकालय भी नहीं खरीदते फोटोकॉपी करवा लेते हैं जैसे (DDC, UDC व CC) वर्गीकरण पद्धति आदि की जो कि एक प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में जनता के लिए प्रतिलिप्याधिकार के सामने, जनता उधार अधिकार

(Public Lending Right) कुछ राहत प्रदान करता है।

ऐसे में पुस्तकालयों को सुनिश्चित करना होगा और अपने विवेक से भी काम लेना होगा कि अमुक सामग्री का स्वच्छ प्रयोग हो रहा है या नहीं। अर्थ यह कि जो कॉपी हो रहा है वह लेखक को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा रहा है। बल्कि उसका प्रयोग वह अपने फायदे (ज्ञान को बढ़ाने) व जनता के लाभ के लिए कर रहा है। पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र सेन्सरशिप कानून के बारे में जनता को जाग्रत कर सकते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

## 3.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 15 दिसम्बर सन् 1847 को प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पारित किया।
2. स्वतंत्रत भारत में सर्वप्रथम 1957 में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया।
3. प्रतिलिप्याधिकार (Copyright) मुख्यतः लेखक, प्रकाशक, फिल्मकार, पुस्तकालयाध्यक्ष, संगीत आदि से सम्बन्धित है।
4. बौद्धिक सम्पदा अधिकार केवल मुद्रित हुई सामग्री को ही शामिल नहीं करते बल्कि विशिष्ट अधिकार पत्र (patent) ट्रेडमार्क (trademark) ट्रेड सीक्रेट (trade secreats) औद्योगिक प्रारूप (industrial design) नई खोजें विभिन्न क्षेत्रों व विषयों में, फिल्में, कैसेट्स (cassettes) ग्रामोफोन रिकार्ड (gramophone records) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (computer softwarre) सूचना के स्रोत व संगीत इत्यादि से भी सम्बन्धित है।
5. सन् 1709 में विश्व का सर्वप्रथम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम इंगलैण्ड में वजूद में आया।
6. सन् 1790 में इंगैलण्ड की तर्ज पर अमेरिका में प्रतिलिप्याधिकार वजूद में आया।
7. प्रतिलिप्याधिकार का अर्थ है, साहित्यिक, नाटक, संगत कार्य, कलात्मक कार्य गतिमान फिल्में और प्रभाव से सम्बन्धित कृति पर पूर्ण अधिकार या स्वामित्व देना।

8. सार्वजनिक पुस्तकालयों में जनता के लिये प्रतिलिप्याधिकार के सामने जनता ऋण अधिकार (public lending right) कुछ राहत प्रदान करता है।

9. न्यायोचित उपयोग का आशय है कि कृतिकार को बिना हानि पहुँचाये व बिना उसकी आज्ञा के किसी प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त कृति का उपयोग पैरोडी, समाचार, अनुसंधान, मंचन, शिक्षा आदि के लिए किया जाय।

10. Berne Convention सर्वप्रथम 1886 में स्वीटजरलैण्ड में हुई।

11. विपो - WIPO (World Intellectual Property Right) जिसकी स्थापना 1967 में यूनाइटेड नेशन में हुई।

12. सूचना प्रौद्योगिकी बिल 16 मार्च 2000 को कुछ परिवर्तन करके दुबारा से पेश किया गया जिसको 17 मई 2000 को राज्य सभा से स्वीकृति मिली और भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये।

13. संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी बिल को 23 दिसम्बर 2008 को पेश किया गया जिसको 5 फरवरी 2009 को भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये।

14. यदि कोई भी गतिविधि सार्वजनिक रूप से अश्लीलता दर्शाती है तो उस पर सेन्सरशिप कानून लागू होता है।

15. डिलिवरी ऑफ बुक्स - न्यूजपेपर (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1954 में पारित किया गया। सन 1956 में इस अधिनियम में संशोधन कर समाचार पत्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इस अधिनियम में पुस्तक शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें प्रत्येक खण्ड और उसके भाग व विभाग, किसी भी भाषा में, तथा संगीत, नक्शे, चार्ट अथवा रेखाचित्र का अलग से मुद्रित अथवा शिलामुद्रित प्रत्येक कागज सम्मिलित हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालयों को वैधानिक निक्षेप का अधिकार प्रदान किया गया :

- पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता
- पश्चिमी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पुस्तकालय, मुम्बई
- दक्षिणी क्षेत्र के लिए कोनेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय, चैन्नई
- उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली को यह अधिकार प्रदान किया गया है।

## 3.7 सन्दर्भ एवं पाठ्य सामग्री


1. http://www.wipo.int/treaties/en/general/-WIPO
2. http://copyright.gov.in/-india copyright Act 1957
3. http://www.cyberlawsindia.net/-IT ACT INDIA
4. http://www.dpl.gov.in/dbact.html- Delivery of Books Newspaper Act 1954.
5. {HYPERLINK"http://en.wikipedia.org/wiki/censorship} Censorship
6. {HYPERLINK"http://www.culturopedia.com/cinema/censorship.html"} Censorship Cinema in India.
7. Khanna, J. K.'Library and Society. Kurukshetra, Research Publication, 1987
8. Mange Ram (et.al.) New Dimensions in Library & Information Science. Agra Associated Publishing House, 2008.
9. मॉगे राम, सूचना एवं समाज, आगरा, एसोशिएटिड पब्लिशिंग हाउस, 2009
10. सैनी, ओम प्रकाश, पुस्तकालय एवं समाज, आगरा वाई0 के0 प्रकाशन, 1999

# इकाई -4 : पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र

## संरचना


4.0 प्रस्तावना

4.1 उद्देश्य

4.2 पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र

4.2.1 पुस्तकें उपयोग के लिए (Book are for use)

4.2.2 प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक (Every Reader His/Her book)

4.2.3 प्रत्येक पुस्तक को पाठक (Every Book its Readers)

4.2.4 पाठक का समय बचाएँ (Save the time of reader)

4.2.5 पुस्तकालय एक वर्धनशील (बढ़ती हुई) सस्था है (Library is a growing organism)

4.2.6 वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में पाँच सूत्रों की उपादेयता (Five Laws in the Age of Information Technology)

4.3 सारांश

4.4 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.5 सन्दर्भ एवं पाठ्य सामग्री


## 4.0 प्रस्तावना

भारत में पुस्तकालय आन्दोलन के विकास में डा0 एस0 आर0 रंगानाथन जो भारत में ग्रन्थालय विज्ञान के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं, की भूमिका मुख्य रूप से रही है। डा0 रंगानाथन मद्रास विश्वविद्यालय में गणित के प्रवक्ता थे। विश्वविद्यालय ने डा0 रंगानाथन को 1924 में पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड भेजा। उन्होंने वहां की पुस्तकालयों की कार्यशैली का अध्ययन किया और 1925 में इंग्लैण्ड से प्रशिक्षण लेकर लौटने के बाद उन्होंने द्विबिन्दु वर्गीकरण पद्धति का अविष्कार किया। भारत में तो पुस्तकालयों की दशा सोचनीय थी। इंग्लैण्ड में उनके मस्तिष्क में ऐसा विचार आया कि पुस्तकालय के लिए नियम होने चाहिए, जो 1928 में पूरा हुआ। सन् 1931 में "Five Laws of Library Science" पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुये। आपने ही भारत में पुस्तकालय का नेतृत्व किया जिसके फलस्वरूप उस समय भारत के चार

राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए, तमिलनाडु (1948), आन्ध्र प्रदेश (1960), कर्नाटक (मैसूर) 1965 तथा महाराष्ट्र 1967 में। आप ने ही हर राज्य के लिए मॉडल लाइब्रेरी बिल तथा लाइब्रेरी डेवलपमेन्ट प्लान बनाया था। भारत सरकार ने आपके द्वारा किये गये प्रयासों व योगदान को देखकर आपको सन् 1957 में पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया।

## 4.1 उद्देश्य

इस इकाई में आप निम्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे -

- पहला सूत्र (पुस्तकें उपयोग के लिए हैं);
- द्वितीय सूत्र (प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक);
- तृतीय सूत्र (प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक);
- चतुर्थ सूत्र (पाठकों का समय बचाए)
- पंचम सूत्र (पुस्तकालय एवं वर्धनशील (बढ़ती हुई) सस्था है); और
- वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में पाँच सूत्रों की उपादेयता।

## 4.2 पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र

प्रत्येक विषय के कुछ आधारभूत नियम व सूत्र होते हैं जिन पर वह विषय आधारित होता है। अन्य विषयों की भाँति पुस्तकालय विज्ञान के भी कुछ आधारभूत सूत्र हैं जिनको डॉ0 एस0 आर0 रंगानाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सूत्र भारत में ही नहीं परन्तु पूरे विश्व में प्रचलित व ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। सभी पुस्तकालयों ने इन सूत्रों को मान्यता दी है। यह बात अलग है कि आज पुस्तक की जगह सूचना आदि ने ले ली है लेकिन सूचना भी प्रयोग के लिए है। भारत सरकार ने 2005 सूचना अधिकार अधिनियम भी बना दिया है कि प्रत्येक नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है। यह सूचना अधिकार अधिनियम मेरे विचार से पुस्तकालय के पहले सूत्र 'पुस्तकें उपयोग के लिए हैं' से अलग नहीं है, यहाँ पर अब पुस्तक का स्थान बदलते परिवेश में सूचना ने ले लिया है। डॉ0 एस0 आर0 रंगानाथन द्वारा दिये गये पाँच सूत्र नीचे दिये गये हैं जिनकी विस्तृत व्याख्या आगे की गई है।

1. पुस्तकें उपयोग के लिए हैं (Books are for use)
2. प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक (Every Reader His/Her book)
3. प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक (Every Book its reader)

4. पाठकों का समय बचाएँ (Save the time of reader)

5. पुस्तकालय एक वर्धनशील (बढ़ती हुई) संस्था है (Library is a growing organism)

इन पांच सूत्रों ने विश्व में पुस्तकालय विज्ञान में तहलका मचा दिया। सारी दुनियां के पुस्तकालय विज्ञानवेत्ताओं ने इन सूत्रों की सराहना की। इन सूत्रों को सिद्ध करने के लिए जगह - जगह पर सेमिनार गोष्ठियाँ हुई। पुस्तकालय विज्ञान के इन पाँच सूत्रों में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। बिहारी के दोहों की तरह देखने में छोटे लगते हुए भी इनका अर्थ बहुत विशाल है।

**प्रथम सूत्र**

### 4.2.1 पुस्तकें उपयोग के लिए ( Book are for use ) -

पहले के समय में पुस्तकें उपयोग के लिए नहीं होती थी। शाही पुस्तकालय होते थे। सिर्फ कुछ लोग ही पुस्तकों का उपयोग करते थे। पुस्तकों की सुरक्षा उनके उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण होती थीं। पहले पुस्तकें कम संख्या में भी होती थीं। मुद्रण व प्रकाशन व्यवस्था की खोज होने के बाद ही पुस्तकों की छपाई व प्रकाशन में वृद्धि हुई। इस नियम ने पुस्तकालय की पूरी प्रणाली में परिवर्तन कर दिया। पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो इसके लिए डा0 रंगानाथन ने कुछ उपाय सुझाये हैं।

#### 4.2.1.1 पुस्तकालय की स्थिति ( Library Location )

पुस्तकालय ऐसी जगह स्थित होना चाहिये जहाँ पर पाठक आसानी से आ-जा-सकें। पुस्तकालय पाठकों की पहुँच से दूर नहीं होना चाहिए। यदि वह सार्वजनिक पुस्तकालय है तो शहर के बीच में या शहर के दिल (केन्द्र) में स्थित होना चाहिये जो ऐसी जगह, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते हों। शैक्षणिक पुस्तकालय हैं तो वह शैक्षणिक संस्था के केन्द्र में होना चाहियें परन्तु छात्रावास से भी दूर नहीं होना चाहिए ताकि छात्र सुबह-शाम भी पुस्तकालय में आसानी से आ-जा सकें और पुस्तकों का उपयोग कर सकें। चाहे वह किसी भी प्रकार का पुस्तकालय हो वह पाठकों की पहुँच से दूर नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय ऐसी जगह स्थित होने चाहिए जहाँ पर यातायात का आवागमन न हो। पुस्तकालय के आस-पास प्रदूषण न हो। पुस्तकालय के पास ज्यादा शोर-गुल नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय का स्थान ध्वनि और धुँआ से मुक्त होना चाहिए। विशिष्ट पुस्तकालय कैन्टीन के समीप हो सकते हैं, जिससे उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन आज डिजीटल युग में पाठक घर बैठे भी पुस्तकालय सेवा इन्टरनेट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

### 4.2.1.2 मुक्त प्रवेश प्रणाली ( Open Access System )

प्रथम सूत्र में सबसे सहायक है मुक्त प्रवेश प्रणाली। पाठक अपने आप पुस्तक तक पहुँचे और कोई रूकावट न हो। अलमारी खुली हों जिससे पाठक अपनी पसन्द की पुस्तक छाँट लें। जहाँ पर मुक्त प्रणाली नहीं होती वहाँ पर आमतौर पर पाठक कम पहुँचता है व अपनी पसन्द की पुस्तकें नहीं ले पाता जिससे पुस्तकालय में पुस्तकों का उपयोग कम होता है।

### 4.2.1.3 पुस्तकालय का खुलने का समय ( Library Opening Hrs. )

अपने पाठकों को ज्यादा सुविधाएँ देने के लिए और पुस्तकों के अधिकाधिक उपयोग के लिए जरूरी है कि पुस्तकालय ज्यादा समय के लिए खुले। सुबह व शाम के अलावा, पुस्तकालय रात को भी खुले। पुस्तकालय की कार्यावधि को बढ़ा देना चाहिए। पहले के पुस्तकालय तो चन्द घण्टों के लिए ही खुलते थे। सार्वजनिक पुस्तकालय सुबह-शाम के समय जरूर खुलने चाहिए। जिससे कामगार पाठक भी पुस्तकालय का उपयोग कर सकें।

### 4.2.1.4 पुस्तकों का चयन ( Book Selection )

पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकों का चयन सोच-समझकर अपने पाठकों के स्तर को ध्यान में रख कर करना चाहिए जिससे कि पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा उपयगो हो। ज्यादातर पुस्तकालयों में पुस्तकों का चयन करते समय पाठकों के सुझाव नहीं लिये जाते जिससे पुस्तकों का चयन सही अनुपात में नहीं हो पाता। अपने पाठकों से समय-समय पर सुझाव माँगने चाहिये ताकि पाठकों की पसन्द का पता चल सके और पुस्तकों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सके। सार्वजनिक पुस्तकालयों में तो सभी प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सब प्रकार के पाठक आते हैं। पुस्तकालय संग्रह समय-समय पर अद्यतन भी होना चाहिए।

### 4.2.1.5 पुस्तकालय उपस्कर तथा भवन ( Library Furniture and Building )

पुस्तकालयों में अलमारियों की ऊँचाई का ध्यान रखना चाहिये जिससे कम लम्बाई वाले पाठक भी पुस्तकों का उपयोग आसानी से कर सकें। पुस्तकों को अलमारियों में अच्छी तरह से लगाना चाहिये न कि ठूँस-ठूँस कर भरा जाए। खुले रैकों का प्रयोग करना चाहिये और रैकों के बीच का स्थान भी अच्छा होना चाहिए। जिससे पाठक आसानी से बीच के रास्तों में से आ जा सकें। पुस्तकालय की कुर्सियाँ भी अच्छी होनी चाहिए जिससे पाठक बैठे हुए थकें नहीं तथा पुस्तकालय भवन को भविष्य के बारे

में सोच-समझकर ही निर्मित करना चाहिए। पुस्तकालय भवन में वेंटीलेशन अच्छा हो तथा प्राकृतिक रोशनी की भी व्यवस्था हो। ये सब व्यवस्थायें भी पुस्तकालय में पाठकों को आकर्षित करती हैं और पुस्तकों का उपयोग बढ़ाती हैं। पुस्तकालय भवन, उपस्कर व फर्नीचर पुस्तकालय मानकों के अनुसार ही होने चाहिये। पुस्तकालय में सभी विभाग अलग-अलग होने चाहिए। पुस्तकालय को एक हाल या कमरे में स्थापित नहीं करना चाहिए। पुस्तकालय आकर्षक होना चाहिए। पुस्तकालय में वातावरण के अनुसार उपकरण होने चाहिए जैसे सर्दियों में रूम हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। व गर्मियों में ठण्डे पानी व पंखों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पाठकों को कोई असुविधा न हो।

### 4.2.1.6 पुस्तकालय कर्मचारी ( Library Staff )

पुस्तकालय कर्मचारी तो पुस्तकों व पाठकों के बीच की कड़ी है। एक पाठक को उसकी पसन्द की पुस्तक के पास कर्मचारी सुलभ तरीके से पहुँचा सकता है। पुस्तकालय कर्मचारियों का व्यवहार मृदुल होना चाहिए जिससे पाठक बार-बार पुस्तकालय में आये औरं पुस्तकों का उपयोग करें। जब पहली बार पाठक पुस्तकालय में आता है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि शर्मीले स्वभाव का पाठक किसी से कुछ न पूछे तो ऐसे पाठकों पर विशेष व पूरा ध्यान देकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिये। पुस्तकालय कर्मचारियों को उत्तम सेवा देने के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। जो पुस्तकालय के सभी पाठकों को अच्छी सेवा प्रदान करता है। उसको यदि सम्मानित करेंगे तो दूसरे कर्मचारी भी उसका अनुसरण करेंगे। पुस्तकालय कर्मचारियों को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पुस्तकालय पाठकों के लिए बने हैं। पाठक ही पुस्तकालय के मुख्य तत्व होते हैं और उनकी संतुष्टि किसी भी पुस्तकालय को ऊँचा स्थान दिलाती है।

### 4.2.1.7 निःशुल्क उपलब्धता

पुस्तकालयों में पाठकों से सेवाओं का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। पुस्तकालय में पुस्तकों के बदले में भी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिये यह व्यवस्था बिना शुल्क के होनी चाहिए। ताकि पुस्तकों का उपयोग कम न हो। ज्यादातर पुस्तकालयों में पाठकों से सीधे तौर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

**द्वितीय सूत्र**

## 4.2.2 प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक ( Every Reader His/Her book )

प्रत्येक पाठक को उसकी रूचि की पुस्तक मिले। यह दूसरे सूत्र का अर्थ है। सभी को पुस्तकें मिलें चाहे वह पढ़ा-लिखा या अनपढ़ हो। अनपढ़ों को भी पुस्तक मिले का

अर्थ हुआ कि शिक्षा मिले। पुस्तकें बच्चों को, औरतों को व सभी वर्ग के लोगों को, शहरी तथा ग्रामीण लोगों को, बीमार लोगों को, काम करने वाले लोगों को, कुशल गृहणियों इत्यादि को मिले। द्वितीय सूत्र प्रजातन्त्र को बढ़ावा देता है। सभी को शिक्षा का अवसर व अधिकार मिले। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार, पुस्तकालयध्यक्षों व पुस्तकालय कर्मचारियों को मिलकर कदम उठाने चाहिये।

### 4.2.2.1 सभी वर्गों के लिए पुस्तकें -

पुस्तकालय में सभी वर्ग के लोगों के लिए पुस्तकें होनी चाहिए। सभी आयु के लोगों के लिए पुस्तकें होनी चाहिए। जनसाधारण के लिए भी पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिये जिससे वह अपना तथा साथ वालों का जीवन स्तर ऊँचा उठाकर अच्छा जीवन जी सके। पुस्तकालयों में जब तक सभी वर्गों व आयु के लोगों के लिए पुस्तकें नहीं होगी तब तक उसका उपयोग सही रूप से नहीं हो पाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालयों में गृहणी, बच्चे, बूढ़े, डाक्टर, किसान इत्यादि सभी वर्गों के लिए पुस्तकों का होना जरूरी है।

### 4.2.2.2 ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएँ-

पुस्तकालय जिला-स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक खुलने चाहिये। गाँव के लोगों को भी सेवा पाने का तथा पुस्तक पढ़ने का अधिकार है। गाँव के किसान, महिलाएँ, बच्चे बूढ़े अपनी जरूरत की जैसे किसान खेतों में खाद कब डालना, कौन-कौन सी फसलें उगानी हैं, कीटनाशकों का ज्ञान पुस्तकों से ले सकते हैं। महिलाएँ भी बच्चों का लालन-पालन व घरेलू बातों के बारे में, वृद्ध आदमी धार्मिक साहित्य पढ़कर अपना खाली समय गुजार सकते हैं। बच्चे भी कहानी, उपन्यास पढ़कर ज्ञान व मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सबको अपनी पुस्तकें मिल सकती हैं।

### 4.2.2.3 प्रौढ़ों तथा बच्चों के लिए -

जो समय से स्कूल न जा सके उनको भी पढ़ने का अधिकार है। पुस्तकालय इन लोगों के लिए वरदान सिद्ध होता ही है बल्कि जो पढ़े-लिखे हैं उनकी निरन्तर पढ़ाई मे रूचि बनाये रखने में भीं पुस्तकालय सहायक हैं। बच्चों में पढ़ने की आदत व रूचि बनाने में भी पुस्तकालय का योगदान है।

पुस्तकें बीमारों, कैदियों तथा अन्य कामकर्ताओं के लिये भी हो। द्वितीय सूत्र पुस्तकें सभी के लिए हों बीमारों, जेल में कैदियों के लिए, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों व अन्य कर्मचारियों व अन्य पेशों के लोगों के लिए भी वकालत करता है। इन

सभी को पुस्तकें मिलनी चाहिये। अस्पतालों, जेलों तथा कारखानों में पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिये या साथ में आस-पास कोई सार्वजनिक पुस्तकालय हो जिससे ये लोग अपनी पसन्द की पुस्तकें पढ़ सकें।

### 4.2.2.4 सरकार के कर्तव्य -

सरकार को भी इस कार्य में अपना पूरा योगदान देना चाहिये। सरकार इनमें इस प्रकार सहयोग कर सकती है। जैसे

1. पुस्तकालय अधिनियम पास करके,

2. धन की व्यवस्था करके,

3 नये - नये पुस्तकालय खोलकर उनमें आपस में नेटवर्क व सहयोग स्थापित करके।

प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो जिससे वहाँ पर ज्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय खुल सकें। तथा पुस्तकालयों को चलाने के लिये धन की व्यवस्था भी सरकारी प्रशासन को करनी चाहिये। इन सबके साथ पुस्तकालय का रख-रखाव व उनके आपस में संसाधन सहभागिता की व्यवस्था भी सरकारी प्रशासन को करनी चाहिये। (जिससे पैसा बचे)। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में पुस्तकालय सहयोग पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। पुस्तकालयों में सबसे बड़ी समस्या वित्त की होती है। पुस्तकालयों में निरन्तर वित्त की आवश्यकता होती है। पुस्तकालयों से कम्पनी की तरह धन अर्जन नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि पुस्तकालयों के रख-रखाव के लिए उचित वित्त की व्यवस्था आवर्तक रूप से करे। सार्वजनिक पुस्तकालय भारत में ज्यादातर उपेक्षित पाए जाते हैं क्योंकि धन के अभाव के कारण उनका विकास नहीं हो पाता।

### 4.2.2.5 पुस्तकालयध्यक्ष व कर्मचारियों के कर्तव्य -

पुस्तकालयध्यक्ष का भी कर्तव्य है कि वह पुस्तकें चयन करते समय अपने पाठकों की पसन्द व जरूरतों व उनके स्तर का ध्यान रखें जिससे पाठक ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का उपयोग करें। इसके लिए समय-समय पर पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने पाठकों के कीमती सुझाव लेने चाहिए। दूसरा पुस्तकालय कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वह पाठकों को उनकी पसन्द की पुस्तकों तक पहुँचाए व अच्छा व्यवहार करें व अपने पुस्तकालय का प्रसार जगह-जगह पर करें जिससे अन्य पाठकों को भी उसके बारे में पता चले और वे पुस्तकालय में आएँ और फायदा उठाएँ। पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय की सेवाओं का भी विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए।

### 4.2.2.6 पाठकों के कर्तव्य -

सरकार तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के साथ पाठकों के भी कर्तव्य हैं कि वे पुस्तकों को हानि न पहुँचाए। पुस्तकालय को साफ - सुथरा रखने में सहयोग करें तथा पुस्तकों को यथास्थान रखें छुपाएं नहीं। पुस्तकों की चोरी करना, पन्ने फाड़ना व शोर मचाना इत्यादि इन सब से पाठकों को दूर रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके पुस्तकालय प्रबन्धन में सहयोग करें। पुस्तकालय आपका है इसे बनाए रखिये जिससे आप लोगों को पुस्तकों तथा पुस्तकालय का पूरा सुख मिल सके।

**बोध प्रश्न**

1. डा0 रंगानाथन मद्रास विश्वविद्यालय में किस विषय के प्रवक्ता थे? विश्वविद्यालय ने डा0 रंगनाथन को कब पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा पाने के लिए इग्लैण्ड भेजा?

   .....

   .....

2. पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र कब पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए?

   .....

   .....

3. पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र पुस्तक के रचयिता कौन थे?

   ... .....

   .....

4. पुस्तकालय विज्ञान के पहले सूत्र का नाम लिखिए।

   .....

   .....

5. पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का नाम लिखिए।

   .....

   .....

6. पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र का नाम लिखिए।

   .....

   .....

7. पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का नाम लिखिए।

   .....

   .....

8. पुस्तकालय विज्ञान के पाँचवे सूत्रों के नाम लिखिए।

   .....

   .....

### 4.2.3 प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले ( Every book its Reader )

तृतीय सूत्र में डा0 रंगानाथन ने कहा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिये। पाठकों को पुस्तकों तक पहुँचाने के लिए उनकी जानकारी होना आवश्यक है। पुस्तकों की जानकारी पुस्तकालय सूची, वर्गीकरण, मुक्त प्रवेश प्रणाली, वांग्मय सूची, सन्दर्भ-सेवा, प्रदर्शन, प्रसार सेवा से हो सकती है। जो इस प्रकार है-

#### 4.2.3.1 मुक्त प्रवेश प्रणाली -

मुक्त प्रवेश प्रणाली पाठकों को पुस्तकालय में सीधा निमन्त्रण देती है। पहले पुस्तकों को बन्द अलमारियों में रखा जाता था। उनका पाठकों तक पहुँचाना बहुत मुश्किल था। मुक्त प्रवेश प्रणाली से पाठक अपनी पसन्द की पुस्तक तक पहुँच जाता है जिससे प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल जाता है। लेकिन पुस्तकों की सुरक्षा घट जाती है। इनका चोरी होने का भी खतरा रहता है। परन्तु इस डर से पुस्तकालय में पुस्तकों को अलमारी में बन्द नहीं करना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकों को अलमारी में देखकर खुश नहीं होना बल्कि खाली अलमारी को देखकर खुश होना चाहिये। सभी पुस्तकों का उपयोग हो यही तृतीय नियम है।

#### 4.2.3.2 वर्गीकरण ( Classification ) -

पुस्तकें खरीदने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है जिससे पुस्तकों को उनके वर्ग के अनुसार अलमारियों में लगाया जाता है। पाठक अपनी पसन्द की पुस्तकों तक सूची से वर्ग संख्या लेकर पहुँच जाता है। पुस्तकों पर लेबल लगा होता है जिस पर वर्ग संख्या लिखी होती है। पुस्तकें अपने आपको वर्ग संख्या द्वारा दर्शाती है जिससे पुस्तकों को पाठक मिल जाते हैं और तृतीय सूत्र की पूर्ति होती है। वर्गीकरण का महत्व पुस्तकालयों में कभी भी कम नहीं हो सकता चाहे पुस्तकालय डिजीटल या इससे आगे भी बढ़ जाए। क्योंकि वर्गीकरण से ही हम पुस्तकों को क्रम में लगाते हैं। इन्टनेट पर भी हम उपलब्ध सामग्री को वर्गीकरण के हिसाब से विषयानुसार पुस्तकालय के होमपेज पर डाल सकते हैं। यदि पुस्तकें वर्गीकरण के अनुरूप रैक्स में क्रम में नहीं होगी तो इससे पुस्तकालय कर्मचारियों व पाठकों दोनों को परेशानी होगी।

#### 4.2.3.3 सूचीकरण ( Cataloguing ) -

सूचीकरण वर्गीकरण के बाद किया जाता है जो पुस्तकालय की चाबी है। सूचीकरण से पाठक, लेखक के नाम से, विषय से वर्ग संख्या से अपनी पसन्द की

किताबें ढूँढ सकता है। पुस्तकालय के मुख्य द्वारा के पास ही सूची मंजूषा (Cataloguing Cabinet) व्यवस्थित होते हैं जिनमें सूचीकरण के कार्ड होते हैं जिनकी सहायता से पाठक अपनी पसन्द की पत्रिकाएँ, पुस्तकें खोज सकता है। आज सूची का स्थान पुस्तकालय स्वचालीकरण में ओपेक ने ले लिया है और इससे भी आगे यह वैब ओपेक (Web-Opac) के रूप में सामने आ रहा है। चाहे हमारे पुस्तकालय मैनुअल हो या कम्प्यूटरीकृत दोनों में ही सूची की उपलब्धता और एक्सेस होना चाहिए जिससे पाठकों को अपनी पुस्तक व सूचना खोजने में आसानी हो सके।

### 4.2.3.4 सन्दर्भ सेवा ( Reference Services ) -

सन्दर्भ सेवा का कार्य एक पाठक को सही समय पर उसकी पसन्द की पुस्तक के साथ मिलाना है व पुस्तक को उसके सही पाठक से। सन्दर्भ कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वह पुस्तकों के बारे में पाठकों को बताये उनमें क्या-क्या है तथा इनको कैसे प्रयोग में लाया जाता है। सन्दर्भ ग्रन्थों की प्रकृति, प्रबन्ध, आम सामान्य पुस्तकों से अलग होता है इसलिए उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और तृतीय सूत्र की पूर्ति व पालन हो।

### 4.2.3.5 प्रदर्शन ( Publicity ) -

नई-नई पुस्तकों को बोर्ड पर प्रदर्शित करना, उनकी जैकेट उतारकर लगा देना चाहिये जिससे पाठक पुस्तक की तरफ आकर्षित होंगे। पुस्तक सप्ताह का आयोजन करना। विषयानुसार पुस्तकों का समय-समय पर प्रदर्शन करने से पुस्तकों को उनके पाठक मिलते हैं। प्रदर्शित करने के साथ-साथ हम ऑडियो-वीडियो प्रोग्राम का भी सहारा ले सकते हैं। आजकल पुस्तकालय इस कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भी सहारा ले रहे हैं। पुस्तकालय को सभी तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिये जिनसे पाठक पुस्तकों की तरफ आकर्षित हों।

### 4.2.3.6 प्रसार सेवा ( Extenson Services ) -

पुस्तकालय अपनी प्रसार सेवाओं द्वारा पुस्तकों को पाठकों तक पहुँचाता है। इसके अन्तर्गत चलते-फिरते पुस्तकालयों की भी स्थापना हुई है जो पाठक पुस्तकालय तक नहीं आ सकते हैं, पुस्तकें चलते-फिरते पुस्तकालयों द्वारा स्वयं उनके पास पहुँचती हैं जिससे पुस्तकों को उनके पाठक मिलते हैं। शैक्षिक पुस्तकालयों में भी मुख्य पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालय स्थापित करके पाठकों को सेवा प्रदान करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय भी अपना विस्तार व प्रसार कर सकते हैं। इस प्रकार प्रसार सेवा से पुस्तकों को उनके पाठक मिलते हैं तथा उपयोग बढ़ता है।

#### 4.2.3.7 वांग्मय सूची एवं अनुक्रमणी ( Bibliography & Indexing ) -

पुस्तकालय, विषयों के अनुसार ही वांग्मय सूचियाँ तैयार करते हैं तथा पुस्तकों-पत्रिकाओं की अनुक्रमणी बनाकर उनके प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। कई बार पुस्तकालय पुस्तकों की विषयानुसार साधारण सूचियों को भी तैयार करते हैं जिससे भी पाठकों को पुस्तकों के बारे में पता चलता है और उनका सहयोग बढ़ता है व तृतीय सूत्र की पूर्ति व पालन होता है।

## चतुर्थ सूत्र

### 4.2.4 पाठक के समय की बचत ( Save the time of readers ) -

डा0 रंगानाथन ने बहुत महत्वपूर्ण, चतुर्थ सूत्र, पाठक के समय की बचत दिया। एक पुस्तकालय के पास सभी संसाधनों के होते हुए भी यदि पाठक को उसकी पसन्द की सामग्री के लिये बहुत इन्तजार करना पड़े या खोजने में बहुत समय लगे तो उस पुस्तकालय का कोई औचित्य नहीं है और ऐसे पुस्तकालय से पाठक भी सन्तुष्ट नहीं होगा और वह दूसरा कोई साधन खोजेगा। पाठक का कीमती समय कैसे बचाया जा सकता है। कुछ उपाय नीचे दिये गये हैं-

#### 4.2.4.1 मुक्त प्रवेश प्रणाली ( Open Access System ) -

इस बारे में पहले भी लिखा जा चुका है कि यह मुक्त प्रवेश प्रणाली चतुर्थ सूत्र में किस प्रकार सहायक है। यदि हम बन्द प्रणाली रखेंगे तो पाठकों की कतारें बढ़ेंगी उनको, कर्मचारी किताबें निकाल-निकाल कर देगा जिससे उनका भी कीमती समय नष्ट होगा। कई पाठक मुक्त प्रणाली में एक साथ पुस्तकें खोज सकते हैं। मुक्त प्रणाली में पाठक अभ्यस्त हो जाता है और वह सीधे अलमारी पर जाता है, अपनी पसन्द की पुस्तक लेकर तुरन्त आ जाता है। इससे पाठक के समय के साथ-साथ कर्मचारियों के समय की भी बचत होती है। व चतुर्थ सूत्र की पूर्ति व पालन होता है।

#### 4.2.4.2 वर्गीकरण तथा सूचीकरण ( Classification & Cataloguing ) -

ये दोनों वर्गीकरण व सूचीकरण पाठकों को उनकी पसन्द की पुस्तकों तक पहुँचाने में सहायता करते हैं। उनकी सहायता से पाठक कम से कम समय में अपने मनपसन्द विषय की पुस्तकों के पास पहुँच जाता है जिससे उनके समय की बचत होती है।

#### 4.2.4.3 आदान-प्रदान प्रणाली ( Issue Return System ) -

पुस्तकों को आदान-प्रदान करने में कम से कम समय लगना चाहिये। पुस्तकें

आदान-प्रदान करने में ब्राउन व नेवार्क पद्धति का अनुसरण करना चाहिये। रजिस्टर के द्वारा बहुत समय लगता है। आजकल तो कम्प्यूटर द्वारा (बार-कोड प्रणाली) से बहुत ही कम समय लगता है। ज्यादातर पुस्तकालय अब कम्प्यूटरीकृत हो गये हैं और वे बार-कोड प्रणाली का प्रयोग पुस्तकालय में इस कार्य के लिए कर रहे हैं जिससे कुछ सैकेण्ड में ही आदान-प्रदान हो जाता है। बार-कोड प्रणाली के साथ-साथ पुस्तकालय पुस्तकों की सुरक्षा के लिए RFID तकनीक का भी प्रयोग पुस्तकालय में कर रहा है।

### 4.2.4.4 पुस्तकालय की स्थिति ( Location of Library ) -

जब पाठक के समय बचाने पर ही बात आ गयी तो शुरू में ही सोच-समझकर पुस्तकालय की स्थापना ऐसे स्थल पर करनी चाहिये जहाँ पर पाठकों को आने में कम से कम समय लगे व उनके समय की बचत हो।

### 4.2.4.5 सन्दर्भ सेवा ( Reference Service ) -

सन्दर्भ सेवा भी पाठकों का समय बचाने का कार्य करती है। सन्दर्भ सेवा विभाग के कर्मचारी पाठकों को निर्देश देते हैं व उनकी सहायता करते हैं व पुस्तकों व पाठकों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं पाठकों को इधर-उधर घूमने से बचाकर उनकी पसन्द की पुस्तकों तक पहुँचाकर उनके कीमती समय की बचत करते हैं।

### 4.2.4.6 प्रलेखन सेवाएँ ( Docmentation Services ) -

पुस्तकालय कर्मचारी पर्दे के पीछे बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं जो पाठकों का समय बचाने के लिये की जाती है। (Current Awareness Services) सी0ए0एस0 तथा एस0डी0आई0 (Selective Dissemination of Information) सेवाएँ पाठकों का समय बचाने का कार्य करती हैं। एस0डी0आई0 तो ऐसी सेवा है जहाँ पाठक को पूरी पुस्तक देखने की जरूरत नहीं होती है बल्कि उसके पसन्द की सामग्री कोई टोपिक इस सेवा से अपने आप मिल जाता है।

### 4.2.4.7 अलमारियों की व्यवस्था ( Shelf Arrangement ) -

पुस्तकालय में अलमारियों की व्यवस्था क्रमानुसार होनी चाहिये पाठक जहाँ भी जाना चाहे जा सके, पाठक को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए व आकर्षित करने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। पाठकों को किसी प्रकार की दुविधा इस व्यवस्था में नहीं होनी चाहिए।

### 4.2.4.8 निर्देशों का प्रयोग ( Use of Stake Guides ) -

पाठकों के निर्देशन के लिए जगह-जगह पर गाइड निर्देशों को लगाना चाहिये जैसे कौन का सैक्शन व विभाग कहाँ पर स्थित हैं, पुस्तकों का क्रम क्या है, कहाँ पर कौन-कौन सी पुस्तकें तथा विभाग हैं। वर्ग संख्या व विषय के भी निर्देश होना चाहिए जिससे अन्य सामग्री तक जल्दी पहुँचा जा सके। इसके पाठकों के समय की बचत होती है व चतुर्थ सूत्र की पूर्ति व पालन होता है। आजकल पुस्तकालय डिजिटल युग में अपने होमपेज में एफ0ए0क्यू (FAQ) द्वारा भी इस कार्य को पूरा कर रहे हैं।

**बोध प्रश्न**

9. पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का नाम लिखिए।

.....

.....

10. पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र के सम्बन्ध में पुस्तकालय की स्थिति क्या प्रभाव डालती है?

.....

.....

## चतुर्थ सूत्र

## 4.2.5 पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है ( Library is a growing organisation ) -

पुस्तकालय एक निरन्तर बढ़ने वाली संस्था है समय के साथ पुस्तकालय के संग्रह, पाठक, भवन व कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। जैसे शिशु के जन्म से लेकर उसके वयस्क होने तक आकार (डील-डौल) में वृद्धि होती है साथ में उसकी बुद्धि का विकास भी होता है व पुरानी चीजों का स्थान नई चीजें लेती हैं। इसी प्रकार पुस्तकालय का आकार निरन्तर बढ़ता है साथ में नई-नई तकनीकों का भी विकास समयानुसार होता है। जब शिशु वयस्क हो जाता है तो फिर विकास रूक जाता है। लेकिन पुस्तकालय में ऐसा नहीं होता यदि ऐसा तो वह नाश की तरफ बढ़ रही होती। किसी भी पुस्तकालय में निम्न प्रकार से वृद्धि होती है-

### 4.2.5.1 पुस्तकालय के संग्रह में वृद्धि -

पुस्तकालय में हर वर्ष पुस्तकें बढ़ती हैं पुरानी पुस्तकों के साथ-साथ नये-नये

संस्करण पुस्तकों के आते रहते हैं। पुस्तकालय अपने आप में सबको समा लेता है। पत्र-पत्रिकाओं की भी संख्या साथ में बढ़ती है। इसलिए पुस्तकालय का भवन बनाते समय इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।

### 4.2.5.2 पाठकों की वृद्धि -

पुस्तकालय का पाँचवा सूत्र कहता है कि अच्छे पुस्तकालय में हर वर्ष पाठकों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। जब पुस्तकालय में वृद्धि होगी तो उनके बैठने के लिए स्थान, पढ़ने के लिए पुस्तकें तथा सेवा देने के लिए कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। शैक्षणिक संस्थाओं में समय-समय पर नये-नये कोर्स खुलने से भी उनके पुस्तकालयों में पाठकों की वृद्धि होती है।

### 4.2.5.3 पुस्तकालय आकार में वृद्धि -

पुस्तकों के संग्रह बढ़ने के साथ-साथ और पाठकों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पुस्तकालय का आकार भी बढ़ता है। इसलिए पुस्तकालय भवन बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में आकार बढ़ने में कोई परेशानी न हो व बिना परेशानी के आसानी से आकार में वृद्धि की जा सके।

### 4.2.5.4 पुस्तकालय कर्मचारी -

जब पुस्तकालय का आकार बढ़ेगा तो उसका बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। यहाँ इसका अर्थ कर्मचारियों की संख्या का नई-नई सूचना प्रौद्योगिकीओं के साथ बढ़ने से है। हमें नये प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करने होंगे जिससे पुस्तकालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

### 4.2.5.5 अन्य क्षेत्रों में वृद्धि -

पुस्तकालय के सभी विभाग चाहे पत्रिका विभाग हो, चाहे पुस्तक संग्रह और तकनीकी विभाग, सभी में वृद्धि होती है। पुस्तकालय में पुस्तकें बढ़ने से नई प्रविष्टियाँ बनती हैं जिससे सूची में वृद्धि होती है, उसके लिए भी स्थान चाहिये। अतः पहले से ही स्थान की व्यवस्था रखनी चाहिये। जब पुस्तकालय के पाठकों में वृद्धि होगी तो पुस्तकों की सुरक्षा भी बढ़ानी पड़ेगी। जब संग्रह और पाठक बढ़ेगे तो पुस्तकों का आदान-प्रदान व्यवस्था भी बढ़ेगी। हमें ऐसी आदान-प्रदान प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ज्यादा समय न लगे और चतुर्थ सूत्र की पूर्ति हो।

**बोध प्रश्न**

11. पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र का नाम लिखिए।

.....

.....

12. पुस्तकालय के संग्रह का पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र से क्या सम्बन्ध है?

.....

.....

### 4.2.6 वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में पाँच सूत्रों की उपादेयता ( Five Laws in the Age of Information Technology ) -

आज सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने पुस्तकालय का पूरा वातावरण ही बदल दिया है। पुस्तकों की भौतिक प्रकृति बदल गई है। आज सन्दर्भ ग्रन्थ व पुस्तकें सी0डी0/ डी0वी0डी0 में आ रही है। पाठकों की उम्मीदें भी बढ़ गयी हैं। आज शोध भी जटिल विषयों पर हो रहे हैं। पुस्तकालय की सेवाओं का दायरा भी बढ़ गया है। आज का पुस्तकालय तो पाठकों को घर बैठे भी सेवा इन्टरनेट व नेटवर्किंग के साथ प्रदान कर रहा है। आज के युग में इन पाँच सूत्रों की महत्ता और भी बढ़ गयी है। आज कोई भी पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर इन पाँच सूत्रों की पूर्ति पहले से बेहतर रूप में कर सकता है। आज पाठक के पास इतना समय नहीं है कि वे पूरी पुस्तक को पढ़ें व अपना टोपिक निकालें उसे Pin-Pointly सूचना चाहिए।

#### 4.2.6.1 पहला सूत्र - पुस्तकें उपयोग के लिए हैं -

सूचना उपयोग के लिए है - आज हमने अपने पुस्तकालय के दरवाजे उनके लिए ही नहीं खोले हैं जो पुस्तकालय में आते हैं बल्कि आज के पुस्तकालय तो घर पर बैठे हुए पाठकों को ज्ञान उपलब्ध करा रहे हैं व पुस्तकालय में भी कम्प्यूटर व साफ्टवेयर की सहायता से पुस्तकालय की पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ एक बटन से देखे जा सकते हैं।

#### 4.2.6.2 दूसरा सूत्र - प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक/सूचना चाहिए -

प्रत्येक पाठक को उसकी सूचना चाहिए - आज सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से हम पाठक को पुस्तकालय की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। यदि आज पुस्तकालय समय

के साथ नहीं चलेगा व नई प्रौद्योगिकी को नहीं अपनायेगा तो वह अपने पाठकों को सन्तुष्ट नहीं कर पायेगा जिससे पाठक दूसरा उपाय ढूढ़ेगे व पुस्तकालयों की महत्ता कम होगी। जिससे पुस्तकालय जीवित नहीं रह पाएगा।

### 4.2.6.3 तृतीय सूत्र - प्रत्येक पुस्तक / सूचना को उसका पाठक चाहिए -

सूचना को उसका पाठक चाहिए - आज पुस्तकालय द्वारा एक अच्छे क्रमानुसार प्रबन्ध के साथ-साथ कम्प्यूटर की सहायता से ओन लाइन एक्सेस कैटालोगिंग (OPAC) की व्यवस्था कर ली गयी है जिससे पाठक को सूची कार्ड देखने की जरूरत नहीं। अब तो वह सब कम्प्यूटर पर ही देख लेगा कि अमुक पुस्तक की क्या स्थिति हैं, कहाँ रखी है, आदान-प्रदान में तो नहीं, बाईडिंग में तो नहीं। सी0ए0एस0 व एस0डी0आई0 सेवाओं को अब पाठकों को अच्छे व आसान तरीकों से दिया जा सकता है।

### 4.2.6.4 चतुर्थ सूत्र - पाठक का समय बचना चाहिये -

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो मुख्यतः इसी के लिए किया जाता है। आज की जिन्दगी की दौड़ में आदमी दौड़ा जा रहा है, उसके पास समय बहुत कम है उसके कीमती समय को बचाने के लिए ही पुस्तकालयों ने नई-नई पद्धतियाँ अपनायी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इन्टरनेट, नेटवर्किंग से अपने आपको जोड़ा है। आज का पाठक यदि कोई सन्दर्भ ग्रन्थ भी खण्डों में प्रकाशित रूप से देखेगा तो बहुत समय लगेगा। यदि वही सन्दर्भ ग्रन्थ (CD/DVD) में है तो कम्प्यूटर पर लगातार वह बहुत कम समय में अपना टोपिक खोज लेगा व अपनी जरूरतों को कम समय में पूरा कर लेगा।

### 4.2.6.5 पाँचवाँ सूत्र - पुस्तकालय एक बर्द्धनशील संस्था है-

आज पुस्तकालय का संग्रह बदल रहा है। जिससे स्थान की समस्या तो हल हो रही है क्योंकि यदि पुस्तकें (CD/DVD) में होगी तो स्थान कम लगेगा लेकिन हमें भवन में बदलाव जरूर करना चाहिये। कम्प्यूटर रखने के लिए वातानुकूलित कमरे आदि सब पहले ही दिमाग में रखकर निर्माण करना चाहिए। दूसरा पुस्तकालय के विकास के लिए कर्मचारियों को नयी-नयी तकनीकों का प्रशिक्षण समय-समय पर देना चाहिये तथा पुस्तकालय को जीवित रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए समय के साथ चलना चाहिये।

**बोध प्रश्न**

12. चतुर्थ सूत्र पाठक का समय बचना चाहिये की सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।

.....

.....

.....

13. पाँचवे सूत्र 'पुस्तकालय एक बर्द्धनशील संस्था है' की सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।

.....

.....

.....

## 4.3 सारांश

पुस्तकालय के पाँच सूत्र पुस्तकालयों के लिए आधारभूत स्तम्भ है। इनका महत्व प्राचीन समय से (जब से ये बनाए गये) रहा है और भविष्य में भी रहेगा। संसार के सभी पुस्तकालय विज्ञान के विद्वानों ने इनको महत्व व मान्यता दी है। पुस्तकालय संग्रह सामग्री में बदलाव आ रहे हैं जो समय के अनुसार जरूरी भी है। पुस्तकों का स्थान प्रलेखों, सूचनाओं व वैव साईट्स ने ले लिया है लेकिन ये सब भी पुस्तकों की तरह प्रयोग के लिए है या अब हम यह भी कह सकते हैं कि उचित प्रयोग के लिए है। आज पुस्तकालय का संग्रह बदल रहा है जिससे स्थान की समस्या तो हल हो रही है क्योंकि यदि पुस्तकें (CD/DVD) में होगी तो स्थान कम लगेगा लेकिन हमें भवन में बदलाव जरूर करना चाहिये। कम्प्यूटर रखने के लिए वातानुकूलित कमरे आदि सब पहले से ही दिमाग में रखकर ही पुस्तकालय भवन का निर्माण करना चाहिए। प्रौद्योगिकी के जितने फायदे हैं उतना उसके अनुचित प्रयोग पर नुकसान भी। आजकल पुस्तकालय में इन्टरनेट आ चुका है जो समय की मांग है। पाठक सूचना प्राप्त करने के लिए या अपनी शोध सामग्री के लिए इन्टरनेट पर सर्च करते हैं जिससे उनको ज्यादा सामग्री कम समय में उपलब्ध होती है। लेकिन पाठक यदि इसका प्रयोग सिर्फ चैट, मेल व अनुचित साईट देखने के लिए करेंगे तो वे अपने लक्ष्य से भटक जायेंगे। यहाँ पर भी पुस्तकालयाध्यक्षों का कर्तव्य बनता है कि पाठकों को इन्टरनेट के विषय में दिशा-निर्देश दे।

चाहे हमारे पुस्तकालय कितनी भी उन्नति कर लें लेकिन डा0 एस0 आर0 रंगानाथन द्वारा दिये गये सूत्र कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते। उनके पीछे जो आधारभूत सिद्धान्त है वह भविष्य में भी जीवित रहेगा और पुस्तकालय व्यवसायियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

## 4.4 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. डा0 रंगानाथन मद्रास विश्वविद्यालय में गणित के प्रवक्ता थे। विश्वविद्यालय ने डा0 रंगानाथन को 1924 में पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा पाने के लिए इंग्लैण्ड भेजा।
2. सन् 1931 में पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए।
3. डा0 रंगानाथन पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र पुस्तक के रचयिता थे।
4. पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र है - पुस्तकें उपयोग के लिए हैं।
5. पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र है- प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक।
6. पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है - प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक।
7. पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र इस प्रकार है-
   - क. पहला सूत्र (पुस्तकें उपयोग के लिए)
   - ख. द्वितीय सूत्र (प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक)
   - ग. तृतीय सूत्र (प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक)
   - घ. चतुर्थ (पाठकों का समय बचाएँ)
   - ङ. पंचम सूत्र (पुस्तकालय एक वर्धनशील (बढ़ती हुई) संस्था है)
8. पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र - पाठकों का समय बचाएँ।
9. पाठक के समय बचाने के लिये सोच-समझकर ही पुस्तकालय की स्थापना ऐसे स्थल पर करनी चाहिये जहाँ पर पाठकों को आने में कम से कम समय लगे उनके समय की बर्बादी न हो।
10. पुस्तकालय विज्ञान का पंचन सूत्र है - पुस्तकालय एक वर्धनशील (बढ़ती हुयी) संस्था है।
11. पुस्तकालय में हर वर्ष पुस्तकें बढ़ती हैं पुरानी पुस्तकें भी होती हैं नये-नये संस्करण पुस्तकों के आते रहते हैं। पुस्तकालय सबको अपने में समा लेता है। पत्र-पत्रिकाएँ भी अन्य संग्रह के साथ बढ़ती है। इसलिए पुस्तकालय के संग्रह का भी पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र पर प्रभाव पड़ता है।

12. सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मुख्यतः पाठक का समय बचाने के लिए किया जाता है। आज की जिन्दगी की दौड़ में आदमी दौड़ा जा रहा है, उसके पास समय बहुत कम है उसके कीमती समय को बचाने के लिए ही पुस्तकालयों ने नई-नई पद्धतियाँ अपनायी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इन्टरनेट, नेटवर्किंग से अपने आपको जोड़ा है। आज का पाठक यदि कोई सन्दर्भ ग्रन्थ भी खण्डों में प्रकाशित रूप से देखेगा तो बहुत समय लगेगा। यदि वही सन्दर्भ ग्रन्थ (CD/DVD) में है तो कम्प्यूटर पर लगाकर वह बहुत कम समय में अपना टोपिक खोज लेगा व अपनी जरूरतों को कम समय में पूरा कर लेगा।

13. आज पुस्तकालय का संग्रह बदल रहा है जिससे स्थान की समस्या तो हल हो रही है क्योंकि यदि पुस्तकें (CD/DVD) में होगी तो स्थान कम लगेगा लेकिन हमें इसके साथ - साथ भवन में बदलाव जरूर करना चाहिये। कम्प्यूटर रखने के लिए वातानुकूलित कमरे आदि सब पहले ही दिमाग में रखकर निर्माण करना चाहिए। दूसरा पुस्तकालय का बौद्धिक विकास भी कर्मचारियों को नयी-नयी तकनीकों का प्रशिक्षण समय-समय पर देकर करना चाहिये तथा पुस्तकालय को जीवित रखने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए समय के साथ चलना चाहिये।

## 4.5 सन्दर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री


1. Agarwal, S. D. Library and Society. Jaipur, RBS A Publishers, 1996.
2. Khanna, J. K. Library and Society. Kurukshetra, Research Publication, 1987.
3. Kumar P. S. G. Foundations of Library and Information Science : Delhi, B.R. Pub. 2003
4. मॉगे राम, सूचना एवं सूचना समाज, आगरा, एसोशिएटिड पब्लिसिंग हाउस, 2009
5. Mange Ram (et.al). New Dimensions in Library & Information Science. Agra Associated Publishing House, 2008.
6. Parasher, R. G. Ed University Libraries in India 1980s and Beyond. New Delhi, Medallion Press, 1991
7. सैनी, ओम प्रकाश, ग्रन्थालय एवं समाज, आगरा वाई0 के0 प्रकाशन, 1999.

# NOTES

# खण्ड

# 2

# पुस्तकालय विकास एवं प्रकार

इकाई - 5 5
भारत में पुस्तकालयों के विकास में आयोग एवं समितियों का योगदान

इकाई - 6 29
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति ( एन.पी.एल. आई.एस. ) तथा ज्ञान आयोग के प्रमुख प्रावधान

इकाई - 7 48
पुस्तकालयों के प्रकार : राष्ट्रीय, सार्वजनिक, शैक्षणिक एवं विशिष्ट पुस्तकालय

## विशेषज्ञ समिति - पाठ्यक्रम अभिकल्पन

| | |
|---|---|
| **डॉ0 पाण्डेय एस0 के0 शर्मा** | अवकाश प्राप्त मुख्य ग्रंथालयी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, |
| **डॉ0 ए0 पी0 गक्खर** | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इला0 |
| **डॉ0 यू0 सी0 शर्मा** | एसोसियेट प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष, बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |
| **डॉ0 सोनल सिंह** | एसोसिएट प्रोफेसर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन |
| **डॉ0 ए0 पी0 सिंह** | एसोसिएट प्रोफेसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| **डॉ0संजीव सर्राफ** | उपपुस्तकालयाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| **डॉ0 टी0एन0 दुबे** (सदस्य सचिव) | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |

## सम्पादक मण्डल

| | |
|---|---|
| **डॉ0 टी0 एन0 दुबे** | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| **श्री आर0 जे0 मौर्य** | सहायक ग्रन्थालयी, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| **श्री राजेश गौतम** | प्रवक्ता, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |

## लेखक

| | |
|---|---|
| **डॉ0 माँगेराम** | उपपुस्तकालयाध्यक्ष, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, आगरा |

## परिमापक

| | |
|---|---|
| **डॉ0 बी0 के0 शर्मा** | पूर्व विभागाध्यक्ष, डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |

प्रस्तुत पाठ्य सामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के स्वयं के हैं।

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य-सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

**उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से**
**कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित,** सितम्बर, 2016

मुद्रक : चन्द्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद

## खण्ड-2 : पुस्तकालय विकास एवं प्रकार

### प्रस्तावना

खण्ड 1 में दी गई पठन सामग्री के अध्ययन के पश्चात् आप आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका, सूचना समाज की अवधारणा, बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं सेन्सरशिप के गुण एवं दोषों से परिचित होने के साथ-साथ डॉ. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पाँच सूत्रों का अध्ययन आधुनिक सूचना समाज के परिप्रेक्ष्य में कर चुके होंगे।

इस खण्ड की इकाई 5 में भारत में पुस्तकालयों के विकास हेतु समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों और समितियों के योगदान पर चर्चा की गई है। इकाई 6 में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा का अध्ययन कर सकेंगे। इकाई 7 में पाठकों की श्रेणियों, उपलब्ध सुविधाओं तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर समाज़ में विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय विकसित हुए जैसे- राष्ट्रीय, सार्वजनिक, शैक्षिक तथा विशिष्ट पुस्तकालय। इन सभी का परिचय इसमें कराया गया है।

# इकाई -5 : भारत में पुस्तकालयों के विकास में आयोग एवं समितियों का योगदान

## इकाई की रूपरेखा


5.0 प्रस्तावना

5.1 उद्देश्य

5.2 पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न आयोगों, समितियों का योगदान

5.2.1 स्वतंत्रता से पहले समितियों व आयोगों का योगदान

5.2.1.1 भारतीय शिक्षा आयोग (1882)

5.2.1.2 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902)

5.2.1.3 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917)

5.2.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गठित समितियाँ एवं आयोग

5.2.2.1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49)

5.2.2.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

5.2.2.3 यू.जी.सी.पुस्तकालय समिति (1957)

5.2.2.4 भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति।

5.2.2.5 शिक्षा आयोग (1964-66)

5.2.2.6 राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

5.2.2.7 पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय नीति

5.2.2.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

5.2.2.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधन (1992)

5.2.2.10 राष्ट्रीय योजनाएं

5.2.2.11 आयुर्विज्ञान पुस्तकालय

5.3 सारांश

5.4 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.5 संदर्भ एवं पाठ्य सामग्री


## 5.0 प्रस्तावना

भारत में प्राचीन काल से ही पुस्तकालय विद्यमान रहे है। प्राचीन काल से ही पुस्तकालयों का महत्व भारत में रहा है। विदेशों से आए विभिन्न विद्वानों ने अपने लेखों

में इनका वर्णन किया है। राजा, पूँजीपति आदि पुस्तकालयों के शौकीन थे। वैदिक काल, बौद्धकाल व मुगल काल में भी पुस्तकालयों की स्थापना हुई। देशी रियासतों के शासकों ने भी पुस्तकालयों के विकास पर बल दिया। परन्तु विदेशी शासकों के बार-बार आक्रमण से भारत के बहुमूल्य पुस्तकालय नष्ट होते रहे।

अंग्रेजों के भारत आगमन से पुस्तकालयों को फिर से नवजीवन मिला। जैसा कि विदित है कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का विकास सस्ते क्लर्क इत्यादि पैदा करने के लिए प्रारम्भ किया, और इस शिक्षा से पुस्तकालयों को फिर से बल मिला। अंग्रेजों ने बम्बई कलकत्ता और मद्रास में पुस्तकालयों की स्थापना की। सन 1784 में बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने अपना पुस्तकालय स्थापित किया। 1835 में कलकत्ता के जे.एस. स्टाकेलर के प्रयत्नों से सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई इस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में ही विभिन्न समितियों ने पुस्तकालयों के विकास में बहुत योगदान दिया। भारत की आजादी के बाद सिन्हा समिति, व अन्य विभिन्न आयोगों व यू.जी.सी. ने विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के विकास के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए व योगदान दिया। पुस्तकालयों का समुचित विकास भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न समितियों व आयोगों की देन है।

## 5.1 उद्देश्य

इस इकाई में आप निम्नांकित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

- स्वतंत्रता पूर्व भारत में पुस्तकालयों का विकास;
- स्वतंत्रता पूर्व भारत में पुस्तकालयों के विकास में समितियों व आयोगों का योगदान;
- स्वातन्त्रयोत्तर काल में भारत में पुस्तकालयों के विकास में समितियों व आयोगों का योगदान; और
- स्वातन्त्रयोत्तरकाल में पुस्तकालयों का समग्र विकास, इत्यादि।

## 5.2 पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न समितियों का योगदान

यह बात बिल्कुल सत्य है कि भारत में पुस्तकालयों का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। पहले राजा लोग पुस्तकालयों के विकास के लिए अपने मंत्रियों की एक समिति बना दिया करते थे जो पुस्तकालयों व शिक्षा विद्वानों को बढ़ावा दें। लेकिन

पुस्तकालयों ने सही में विकास का रूप अंग्रेजों के आगमन के बाद ही लिया। स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत में समय-समय पर पुस्तकालयों के विकास के लिए विभिन्न समितियाँ एवं आयोगों का गठन किया गया। इन समितियों ने शिक्षा के विकास में पुस्तकालयों के महत्व से अवगत कराया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जैसे पुस्तकालयों में एकदम से विकास की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। लेकिन पुस्तकालयों के विकास में समितियों व आयोगों का योगदान ही महत्वपूर्ण था। नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई शिक्षा में पुस्तकालयों के योगदान का महत्व समझा गया और पुस्तकालयों को उच्च शिक्षा एवं शोध की धुरी भी माना गया। वैसे तो स्वतंत्रता से पूर्व भी बहुत से आयोग व समितियां बनी और इन समितियों एवं आयोगों ने अपने सुझाव एवं संस्तुतियां दी लेकिन इन पर ज्यादा अमल नहीं हुआ। इसका प्रभाव पुस्तकालयों की गुणवत्ता पर भी पड़ा। पुस्तकालयों के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो समितियां एवं आयोग बने उनकी संस्तुतियों को मूर्तरूप दिया गया। प्रमुख समितियों एवं आयोगों के योगदान का वर्णन निम्नलिखित है।

## 5.2.1 स्वतन्त्रता से पहले समितियों व आयोगों का योगदान

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि स्वतंत्रता से पूर्व पुस्तकालयों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत में शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत से आयोग व समितियाँ बनी। इन सभी समितियों व आयोगों ने पुस्तकालयों के विकास के लिए सुझाव एवं संस्तुतियाँ दीं क्योंकि इन समितियों व आयोग के विद्वान अच्छी तरह जानते थे कि पुस्तकालयों के विकास के बिना शिक्षा का उत्थान नहीं हो सकता। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित समितियाँ व आयोग बने जिन्होंने पुस्तकालयों के विकास में योगदान दिया।

### 5.2.1.1 भारतीय शिक्षा आयोग ( 1882 )

लार्ड मैकाले को भारत में शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है उन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरूआत की योजना 1833 में बनाई। उसके बाद 1854 में बुड घोषणा पत्र जारी हुआ। इस घोषणा पत्र में शिक्षा और शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास की बात कही गई थी। 1854 के बुड घोषणा पत्र को कार्यान्वित किया गया था या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए 1882 में वाइसराय लार्ड रिपन ने सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की। इस आयोग को हण्टर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने कुछ सुझाव दिये व उपाय बताये जिससे

कि बुड घोषणा पत्र को निपुणता से लागू किया जा सके। इस आयोग ने पुस्तकालयों के सम्बन्ध में केवल यह टिप्पणी की कि पुस्तकालयों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस आयोग की संस्तुतियों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने आदि पर ज्यादा बल दिया।

### 5.2.1.2 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ( 1902 )

उस समय लार्ड कर्जन वाइसराय बन कर भारत आये। लार्ड कर्जन की शिक्षा में बहुत रूचि थी इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किये। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रणाली व शिक्षा की गुणवत्ता दोनों को सुधारने को प्राथमिकता दी। अपने मिशन को पूरा करने के लिए लार्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इसको रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग का मुख्य कार्य शिक्षा का सुधारीकरण करना व विश्वविद्यालयों की दशा सुधारना था। ब्रिटिश भारत में पहले से स्थापित शिक्षा प्रणाली का सुधार करके दृढ़ बनाना व उसकी भावी उन्नति के लिए प्रयास करना भी इस आयोग का उद्देश्य था। इस आयोग ने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए व विश्वविद्यालय स्तर को परिष्कृत करने के लिए पुस्तकालयों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियों को प्रस्तुत किया। इस आयोग ने जोरदार संस्तुति की कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में अच्छी गुणवत्ता युक्त पुस्तकालय स्थापित होने चाहिए। जिस शैक्षणिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय न हो उसे मान्यता बिल्कुल न दी जाय। दूसरी संस्तुति पुस्तकालयों के सम्बन्ध में इस आयोग ने दी कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में अच्छे सन्दर्भ ग्रन्थ भी होने चाहिए। विषयवार ग्रन्थों के साथ सामान्य अध्ययन की अच्छी सन्दर्भ पाठ्य सामग्री भी प्रत्येक पुस्तकालय को अर्जित करनी चाहिए। ये संस्तुतियां पुस्तकालयों के सम्बन्ध में एक सराहनीय कदम था।

### 5.2.1.3 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ( 1917 )

भारत सरकार ने 14 सितम्बर 1917 को डा. माइकेल सैंडलर की अध्यक्षा में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इसको हम सैंडलर कमीशन भी कहते हैं। इस आयोग ने विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर शिक्षा की वकालत की। सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना की। सरकार ने विश्वविद्यालय

में स्नातकोत्तर विभाग की वैधता के लिए इस कमीशन की स्थापना की इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षा दी जा सकती है या नहीं। इस आयोग को ये अधिकार भी दिये गये थे कि वह अन्य विश्वविद्यालयों की भी जांच कर सकते हैं व कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ अन्य विश्वविद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय व अन्य विश्वविद्यालयों की समस्याओं का एक गहन अध्ययन किया और शिक्षकों की नियुक्ति, विभागों की स्थापना, पाठ्यक्रमों में सुधार, शिक्षा सम्बन्धित कार्यों, परीक्षा कार्य, आन्तरिक प्रशासन, उपाधि वितरण और व्यवसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव एवं संस्तुतियों को अपने प्रतिवेदन में दिया है।

पुस्तकालयों के विकास के लिए इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव एवं संस्तुतियां दी हैं -

(अ) पुस्तकालयाध्यक्ष को विश्वविद्यालय में सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया जाये।

(ब) विश्वविद्यालयों के प्रख्यात विद्वानों के निर्देशन में अच्छे पुस्तकालय एवं शोधशालाएं स्थापित की जायें और उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता भी सुचारू रूप से दी जाये।

बोध प्रश्न -

1. भारत में शिक्षा का अग्रदूत किसको माना जाता है ?

---

---

2. बुड घोषणा पत्र कब जारी हुआ ?

---

---

3. भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है?

---

---

बोध प्रश्न -

4. भारतीय शिक्षा आयोग की किस वर्ष में स्थापना की गई ?

---

---

5. भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

---

---

6. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई ?

---

---

7. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को किस नाम से जाना जाता है?

---

---

8. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई?

---

---

9. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के समय भारत के वाइसराय कौन थे?

---

---

10. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई?

---

---

11. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को किस नाम से जाना जाता है?

---

---

12. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई?

---

---

## 5.2.2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् गठित समितियां एवं आयोग

यह सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुस्तकालयों के विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। शैक्षणिक एवं विशिष्ट पुस्तकालयों का सार्वजनिक पुस्तकालयों की अपेक्षा अधिक विकास हुआ। उनका मुख्य कारण भारत में शोधों को बढ़ावा देकर देश को विकास की ओर उन्मुख करना था। आजादी के समय भारत साक्षरता की समस्या से जूझ रहा था। सिर्फ 12 से 15 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर थी। परतंत्र भारत में शिक्षा का उद्देश्य (जो अंग्रेजी की देन थी) मात्र क्लर्क पैदा करना या नौकरी का पाना ही था, लेकिन स्वतंत्र भारत में शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा का सर्वोन्मुखी उत्थान व अनुसन्धानों को बढ़ावा देकर देश का विकास करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बहुत सी समितियाँ एवं आयोग गठित हुए, जिन्होंने शिक्षा प्रणाली को सही रूप दिया जिसमें पुस्तकालयों का विकास प्रमुख था। इन समितियों एवं आयोगों का विवरण इस प्रकार है।

### 5.2.2.1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ( 1948-49 )

भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत में डा. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सन 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की। इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह पहला शिक्षा आयोग था। इस आयोग ने शिक्षा एवं शिक्षण पद्धति को नया आयाम देने की कोशिश की व आधुनिक शिक्षण पद्धति और शिक्षा में पुस्तकालय को महत्वपूर्ण आधार बताया। इस आयोग ने पुस्तकालयों के सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव एवं संस्तुतियां दी जो इस प्रकार हैं-

(क) प्रत्येक विशवविद्यालय में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय एवं शोधशाला का होना बहुत ही आवश्यक है।

(ख) इस आयोग ने सबसे अच्छी संस्तुति यह दी कि पुस्तकालयों के लिए संस्था या विश्वविद्यालय के पूरे बजट का 6 प्रतिशत या 40 रूपये प्रति छात्र के हिसाब से अनुदान प्राप्त होना चाहिए। अमुद्रित साहित्य के लिए अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए। सन्दर्भ ग्रन्थों, सामान्य ग्रन्थों एवं अच्छे प्रकाशनों के लिए प्रत्येक पांच वर्ष पर विशिष्ट या अनावर्तक अनुदान पुस्तकालय को प्राप्त होना चाहिए।

(ग) पुस्तकालय को छात्रों के लिए कम से कम 12 घण्टे खुलना चाहिए जिससे छात्र छात्राएं पुस्तकालय का उपयोग पूर्ण रूप से कर सकें।

(घ) केन्द्रीय पुस्तकालय में, विभागीय पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री की सूची भी होनी चाहिए।

(ङ) प्रत्येक पुस्तकालय में ओपन एक्सेस पद्धति का होना अनिवार्य है जैसा कि पहले पुस्तकालय क्लोज सिस्टम होते थे। साथ ही पाठकों के लिए पाठक शिक्षा (पुस्तकालय कैसे प्रयोग करें।) का भी होना अनिवार्य बताया गया।

(च) पुस्तकालयों में प्रशिक्षित व पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए।

(छ) अध्यापकों को छात्रों को पुस्तकालय उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

(ज) पुस्तकालयध्यक्ष को छात्र-छात्राओं में पढ़ने की रूचि पैदा करने के लिए प्रोग्राम करने चाहिए।

(झ) प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए हर प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की व्यवस्था की जाये।

### 5.2.2.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग ( 1952-53 )

माध्यमिक शिक्षा को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1952 को डा. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को आधुनिक राष्ट्र की आवश्यकतानुसार एक उचित प्रणाली में निरूपित करने का प्रयत्न किया।

इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया और 29 अगस्त 1953 को अपना 240पृष्ठों का प्रतिवेदन विभिन्न संस्तुतियों के साथ भारत सरकार को सौंप दिया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता बताई और कृषि शिक्षा,सह-शिक्षा, आवासीय विद्यालयों की स्थापना, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, पाठ्य पुस्तकें एवं सांस्कृतिक गतिविधियों इत्यादि पर अपना परामर्श एवं संस्तुतियां दी।इन सब के साथ-साथ इस आयोग ने पुस्तकालयों के विकास के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियां दी

(क) प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक पुस्तकालय का होना अनिवार्य है।

(ख) पुस्तकालय को विद्यालय का आकर्षक स्थान बनाने पर बल दिया जाए।

(ग) पहले से स्थापित पुस्तकालयों के अद्यतन पर बल दिया जाए।

(घ) शिक्षक समिति द्वारा पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चयन किया जाये।

(ङ) प्रत्येक पुस्तकालय में एक प्रशिक्षित पुस्तकालयध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए।

(च) शिक्षकों एंव छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकों का लेखा रखा जाये।

**बोध प्रश्न -**

13. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आयोग कौन सा था?

---

---

14. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किस वर्ष में गठित हुआ और उसे किस नाम से भी जाना जाता है?

---

---

15. माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई?

---

---

16. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

---

---

17. राधाकृष्णन आयोग ने पुस्तकालयों के लिए विश्वविद्यालय के पूरे बजट में से किसने प्रतिशत की संस्तुति की?

---

---

### 5.2.2.3 यू.जी.सी. पुस्तकालय समिति ( 1967 )

राधाकृष्णन आयोग 1948 ने अपनी संस्तुतियों में साफ-साफ लिख दिया था कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के विकास एवं सुधार के लिए एक आयोग या समिति का होना आवश्यक है जो इन संस्थानों को विकसित करने के लिए आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान की व्यवस्था करें। इस आयोग की संस्तुति के अनुसार भारत सरकार ने सन् 1953में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। सन् 1956 में भारत सरकार की संसद ने एक विधेयक पारित किया और उसे वैधानिक रूप दिया। उस समय

के प्रख्यात अर्थशास्त्री व प्रशासक और विद्वान डा. सी.डी.देशमुख को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग ने शिक्षा सुधार एवं आधुनिक बनाने में बहुत ही योगदान दिया। इसके साथ-साथ विशेष रूप से शैक्षणिक पुस्तकालयों को विकास की ओर उन्मुख किया। डा. सी.डी.देशमुख के नेतृत्व में यू.जी.सी. ने राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में पुस्तकालयों के सुधार एवं मानक इत्यादि लागू करने के लिए यू.जी.सी. ने डा.एस.आर.रंगानाथन की अध्यक्षता में एक पुस्तकालय समिति गठित की। डा.एस.आर.रंगानाथन पुस्तकालय विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान और अग्रदूत थे इसलिए यह समिति पुस्तकालयों के विकास के लिए अहम बन गई। इस समिति ने पुस्तकालयों का निरीक्षण महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्ण निपुणता से किया और निम्न महत्वपूर्ण सुझाव एवं संस्तुतियां दीं -

(क) नए विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को पुस्तकें संग्रह हेतु कम से कम तीन लाख रूपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाना चाहिए।

(ख) प्रत्येक छात्र पर 15 रूपये और शिक्षक पर 200रूपये के हिसाब से पुस्तकालयों के अनुदान का आकलन किया जाना चाहिए और समय-समय पर इस आंकलन को समयानुसार व स्थिति के अनुसार बदल देना चाहिए।

(ग) अनुदान का पुस्तकालयों में अप्रैल माह में पहुँचना आवश्यक है।

(ध) पुस्तकालयों के ग्रन्थों की प्रक्रियाकरण करके पाठकों के पास जल्दी पहुँचाना होता है जिसमें अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए अनुदान का 10 प्रतिशत कर्मचारियों पर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

(ङ) पुस्तकों का क्रय पुस्तकालयों में विषयानुसार एवं न्याय संगत होना चाहिए।

(च) नये विषयों के स्नातकोत्तर प्रोग्राम शुरू करने के लिए यू.जी.सी. को अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए।

(छ) विदेशी पुस्तकों को क्रय हेतु ग्रन्थ अनुदान का आधा भाग विदेशी मुद्रा या कूपन रूप में उपलब्ध होना चाहिए।

(ज) कीमती पुस्तकें व सन्दर्भ ग्रन्थों के सन्दर्भ में एक संघ सूची होनी चाहिए जिससे

पुस्तकालय आपस में अन्तर-पुस्तकालय आदान कर सके और बेवजह के खर्च में कटौती हो सके।

(झ) कर्मचारी परिसूत्र के अनुसार ही कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण होना चाहिए।

(ञ) मानद पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति बन्द की जानी चाहिए।

(ट) पुस्तकालय प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए पुस्तकालय विज्ञान के प्रमाण पत्र स्तर की शिक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालयों में शुरू होनी चाहिए। पुस्तकालय संघ इसमें सहायता कर सकते हैं।

(ठ) पुस्तकालय भवन का निर्माण, पुस्तकालय उपस्कर व उपकरण निर्धारित मानकों के अनुसार ही होने चाहिए और पुस्तकालयाध्यक्ष को इन समितियों में शामिल किया जाना चाहिए।

(ड) अनुपयोगी पुस्तकों को समिति द्वारा समय-समय पर अपलिखित किया जाना चाहिए।

(ढ) ओपन एक्सेस में पुस्तकों का खोना तो स्वभाविक है इसलिए एक हजार पुस्तकों पर एक पुस्तक का खोना अपलिखित माना जाना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष व कर्मचारियों को पुस्तकों के खोने का दोषी नहीं माना जाना चाहिए।

(ण) पुस्तकालय विज्ञान का अध्यापन का कार्य पुस्तकालय के व्यवसायिक कर्मचारियों पर नहीं सौंपा जाना चाहिए उनके पास पहले से ही काम की अधिकता होती है।

(त) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संस्तुत योग्यताओं वाले व्यवसायिक कर्मचारी को शिक्षकों के समान ही वेतन मिलना चाहिए।

(थ) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए वित्त का भार 1/5 एवं 4/5 के अनुपात से प्रादेशिक शासन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वहन करना चाहिए।

उपरोक्त सुझावों एवं संस्तुतियों के अतिरिक्त भी इस समिति ने बहुत सी संस्तुतियां दी हैं। यहाँ पर केवल प्रमुख सस्तुति दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रंगानाथन समिति को स्वीकार किया और उनको क्रियान्वित करना शुरू कर दिया।

**बोध प्रश्न -**

18. विशवविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई ?

---

---

19. सन 1956 में विशवविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई?

---

---

20. पुस्तकालय समिति (यू.जी.सी.) का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया?

---

---

21. पुस्तकालय समिति ने पुस्तकालय के अनुदान के आंकलन के लिए प्रति छात्र एवं शिक्षक कितने रूपये की संस्तुति की?

---

---

### 5.2.2.4 भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति

डा. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विकास योजना का 30वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसको 1950 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया यद्यपि यह अधिकृत लेख नहीं था फिर भी यह सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए योजना बनाते समय महत्वपूर्ण लेख साबित हुआ।

भारत सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति को जानने के लिए और उनके विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक समिति डा. ए.पी.सिन्हा की अध्यक्षता में सन 1957 में गठित की। इस समिति को सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने अपना अध्ययन करने के बाद 12 नवम्बर 1958 को भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति की संस्तुतियां इस प्रकार हैं-

(क) प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित होना चाहिए।

(ख) भारत के प्रत्येक नागरिक को पुस्तकालय सेवा निशुल्क मिलनी चाहिए।

(ग) देश की पुस्तकालय संरचना इस प्रकार दी - राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय निक्षेपागार, राज्यों के केन्द्रीय पुस्तकालय, मण्डल पुस्तकालय, नगर पुस्तकालय, ब्लाक पुस्तकालय तथा पंचायत पुस्तकालयों की स्थापना होनी चाहिए।

(घ) पच्चीस वर्षीय पुस्तकालय योजना केन्द्र एवं राज्यों के लिए होनी चाहिए।

(ङ) पुस्तकालय वित्त की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा पुस्तकालय कर के रूप में की जानी चाहिए।

(च) स्थानीय निकायों द्वारा सम्पत्ति कर के रूप में एक रूपये पर 6 पैसे इकट्ठे किये जायें जिससे पुस्तकालय वित्त की व्यवस्था हो। पुस्तकालयों को अद्यतन बनाने के लिए सरकार यू.जी.सी. और राजाराम मोहन राय फाउन्डेशन द्वारा धन की व्यवस्था कर रही है। अब दूरवर्ती शिक्षा पद्धति में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारी भी अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। बहुत से संघ एवं संगठन जैसे IASLIC, ILA, NISCAIR, DESIDOC, UNESCO आदि पुस्तकालयों के विकास एवं प्रशिक्षण हेतु सेमिनार संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं।

इस समिति की संस्तुतियों के कारण ही भारत के ज्यादातर राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है।

फैजी समिति ने पुस्तकालय विकास के विस्तृत क्षेत्र को अपनी सीमान्तर्गत सम्मिलित कर बम्बई प्रान्त में पुस्तकालयों को विकसित करने की एक योजना प्रस्तुत की जिसमें राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय की 6 श्रेणियों मे स्थापित एवं विकसित करने की संस्तुति की गयी थी, तथा 1000 जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना पर जोर दिया। फैजी समिति 1939 ए. ए. ए. फैजी की अध्यक्षता में बनी थी।

आन्ध्र प्रदेश में 1976 में एक समिति का गठन न्यायमूर्ति गोपालाराव की अध्यक्षता में किया गया इस समिति को आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1980 की कार्य पद्धति की समीक्षा करने व इसके सक्रिय बनाने के लिए सुझाव देने थे। इस प्रतिवेदन की अधिकांश संस्तुतियों को 1982 में मान्य कर लिया गया।

तमिलनाडु सरकार ने 1974 में पुस्तकालय पुनर्गठन समिति का गठन किया और बी.एम. सुब्रामनियन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया इस समिति ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को सुव्यवस्थित करने हेतु महत्वपूर्ण संस्तुतियों को प्रस्तुत किया जिसके

परिणामस्वरूप प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय अधिकारी का पद सृजित किया गया।

### 5.2.2.5 शिक्षा आयोग ( 1964-66 )

सन् 1964 में भारत सरकार ने डा. डी.सी. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना की। इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने शिक्षा का आधुनिकीकरण करने पर बल दिया। इस आयोग ने पुस्तकालयों के विकास (विश्वविद्यालय स्तर) के लिए व्यापक सुझाव एवं संस्तुतियां दी जिनका विवरण इस प्रकार है -

(क) इस आयोग ने संस्तुति दी की पुस्तकालय अनुदान का आंकलन प्रत्येक छात्र पर 200 रूपये और शिक्षक पर 300 रूपये के आधार पर करना चाहिए।

(ख) योजना की पूरी अवधि में पुस्तकालय अनुदानों का विनियोग उपयुक्त रूप से होना चाहिए।

(ग) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को पुस्तकालय द्वारा समय-समय पर उनके विषयानुसार आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए।

(घ) पाठ्यक्रमों की सफलता के लिए पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था होना चाहिए।

(ङ) विश्वविद्यालय के अनुसन्धान व शोधों में पुस्तकालयों को संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।

(च) पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान जगत के द्वार खोलने के प्रयास किये जाने चाहिए।

(छ) पुस्तकों, छात्रों एवं अध्यापकों में पुस्तकालय के द्वारा सामन्जस्य स्थापित करने चाहिए जिससे बौद्धिक जिज्ञासा शान्त हो और छात्रों एवं अध्यापकों को आगे अध्ययन करने की प्रेरणा मिले।

(ज) छात्रों को उत्साही अध्यापकों द्वारा पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तकों के अध्ययन में रूचि जागृत करनी चाहिए और पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय को एक कार्यशाला में बदल देना चाहिए जिससे छात्रों को उनकी उपयुक्त सामग्री समय पर मिले। पुस्तकों का सही चयन होना चाहिए जिससे उनका उपयोग भी हों। यदि छात्रों को अच्छी पुस्तकें मिलेंगी (चयनित) तो वे अपना अध्ययन अच्छे व रूचिपूर्ण तरीके से करेंगें।

(झ) किसी भी संस्था, महाविद्यालय, मान्य विश्वविद्यालय व विभाग की स्थापना

तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक वहां एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय की स्थापना न हो। यहाँ सुव्यवस्थित पुस्तकालय का अर्थ एक अच्छा चयनित संग्रह, एक उपयुक्त भवन (मूलभूत सुविधाओं सहित) और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ उपयुक्त उपस्कर व उपकरण हों।

(ञ) पुस्तकालयों के क्रिया कलाप सेवाओं आदि को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा समय और छात्रों एवं अध्यापकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

कोठारी आयोग की यहाँ पर केवल मुख्य संस्तुतियां दी गई। कोठारी आयोग ने पुस्तकालय को किसी भी शैक्षणिक संस्था का एक अभिन्न अंग माना है। पुस्तकालय की प्रगति के बिना किसी भी शैक्षणिक संस्था चाहे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हो, उत्थान नहीं हो सकता। पुस्तकालय किसी भी ऐसी संस्था का धड़कता हुआ दिल है।

**बोध प्रश्न -**

21. पुस्तकालय समिति ने पुस्तकालय के अनुदान के आंकलन के लिए प्रति छात्र एवं शिक्षक कितने रूपये की संस्तुति की ?

---

---

22. शिक्षा आयोग की स्थापना भारत सरकार ने कब की?

---

---

23. शिक्षा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई और इस आयोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?

---

---

24. पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई?

---

---

25. पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है और

इसके अध्यक्ष कौन थे?

---

---

26. सिन्हा समिति ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा?

---

---

### 5.2.2.6 राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना भारत सरकार द्वारा मई 1972 में की गई । इसकी स्थापना राजा राममोहन राय की स्मृति में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इस प्रतिष्ठान की स्थापना के उद्देश्य निम्न हैं -

क) पुस्तकालय अधिनियम सभी राज्यों में पारित कराना।

ख) पुस्तकालय विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

ग) राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति निर्माण और उसको लागू कराने के लिए प्रयास करना।

घ) पुस्तकालयों के विकास के लिए उन संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना जो पुस्तकालयों के विकास से जुड़ी हुई है।

ङ) सभी पुस्तकालय केन्द्रीय, राष्ट्रीय व जिला की सेवाओं को एकीकृत करना और मानक निर्धारण करके राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली विकसित करना।

च) ऐसी सभी गतिविधियों और क्रिया-कलापों का संचालन करना जिससे पुस्तकालयों का विकास हो सके।

इनके अतिरिक्त यह प्रतिष्ठान पुस्तकालय आन्दोलन को गांव-गांव में ले जाना चाहता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों, चल पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय व जिला ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय खोलने व संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह प्रतिष्ठान समय-समय पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और पुस्तक प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है।यह प्रतिष्ठान सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए पिछले 38 वर्षों से कार्यरत है।भारत के ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय स्थापित करके जन चेतना व ज्ञान का प्रसार करना इस प्रतिष्ठान का उद्देश्य रहा है और अब तक बहुत से ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना के लिए इसने वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह प्रतिष्ठान

पुस्तकालयों से सम्बन्धित बहुत से प्रकाशन भी प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिष्ठान पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी प्रयासरत है इस दिशा में इसने नेशनल इनफारमेशन सेन्टर से अनुबन्ध भी किया है। इस प्रकार यह प्रतिष्ठान सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक सराहनीय कार्य कर रहा है।

### 5.2.2.7 पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय नीति

भारत में पुस्तकालयों का विकास थोड़ी देरी से शुरू हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में पुस्तकालय कम थे। नालन्दा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भारत की बहुत बड़ी धरोहर थी जिसमें 900 कमरे बने हुए थे। किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन दायित्वों एवं आश्वासनों के वक्तव्य को नीति कहते हैं, जिसमें उन आवश्यक कार्य प्रणाली योजना तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जाता है जो वांछित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसलिए पुस्तकालयों के लिए भी नीतियों की आवश्यकता महसूस की गई। ये नीतियां किसी भी देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण पर आधारित होती हैं। किसी देश की आर्थिक नीति वहाँ की पुस्तकालय नीति को भी प्रभावित करती है।

पुस्तकालय राष्ट्रीय नीति देर से बनने के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी पुस्तकालयों में विकास प्रक्रिया देर से आई। भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग (मानव संसाधन मंत्रालय) ने सन 1985 में वरिष्ठ प्रोफेसर डी.पी.चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु एक समिति का गठन किया इस समिति ने लगभग एक वर्ष तक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर राष्ट्रीय नीति बनाने का कार्य किया और समिति ने प्रतिवेदन 31 मई 1986 को सरकार को सौंप दिया। इस प्रतिवेदन को 10 अध्यायों में बांटा गया था जैसे (1) भूमिका (2) उद्देश्य (3) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली (4) शैक्षिक पुस्तकालय प्रणाली (5) विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली (6) राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली और वांग्मय सूची सेवाएं (7) पुस्तकालय मानव संसाधन विकास एवं व्यवसायिक स्तर (8) पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण (9) सामान्य व्यवसायिक पक्ष (10) योग्य प्राधिकरण एवं वित्त व्यवस्था। इस समिति ने सूचना नीति के निम्नलिखित उद्देश्य रखे थे-

- सूचना को उन्नत बनाना और संगठनों को उपलब्ध कराना। सूचना का उपयोग सभी राष्ट्रीय स्तर के सेक्टरों में सुनिश्चित करना।

- पहले से स्थापित पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली को आधुनिक बनाना और राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करके उसका लाभ लेना।
- पुस्तकालय कर्मचारियों, व्यवसायियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना और उनको उत्साहित करना। उनके कार्य को पहचान देना, उनके सेलरी भत्तों आदि का भी ध्यान रखना।
- ऐसी प्रणाली स्थापित करना जो पुस्तकालयों एवं सूचना सुविधाओं को पाठकों की जरूरत के मुताबिक प्रदान करें।
- प्रत्येक व्यक्ति को नये ज्ञान की खोज हेतु प्रोत्साहित करना जो ज्ञान को संग्रहण करे और पुनः प्रसारण भी करे।
- सामान्य रूप से देश के सभी नागरिकों के लाभ के लिए ज्ञान का संग्रहण करना और उसके यथोचित स्थान पर प्रयोग करना।
- राष्ट्रीय स्तर की धरोहरों (विभिन्न रूप में) का संरक्षण करना।

भारत सरकार ने फिर 1986 में इस नीति के विभिन्न प्रावधानों के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की और अपनी संस्तुतियां शीघ्र सौपने को कहा। यह समिति भी प्रो. डी.पी.चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में ही गठित की थीं। इस समिति ने अपना कार्य मार्च 1988 में पूरा किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस समिति की मुख्य संस्तुतियां इस प्रकार हैं -

- अखिल भारतीय पुस्तकालय सेवा की स्थापना करना।
- पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना जो पुस्तकालय नीति और उनके विकास के लिए कार्य कर सकें।
- केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने में राज्य सरकार को समर्थन देकर अपनी भागीदारी बढ़ाना।
- संस्थाएं जो सामाजिक शिक्षा और ग्रामीण विकास में लगी हुई हैं उनको सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में भी योगदान देना चाहिए। सामाजिक शिक्षा और ग्राम स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालयों में सहयोग एवं विकास करना। और अखिल भारतीय पुस्तकालय सेवा का सृजन करना।
- राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली का विकास करना।

- पुस्तकालय को विशवविद्यालय, कालेजों में एक महत्वपूर्ण यूनिट मानना चाहिए और वरिष्ठ पुस्तकालय कर्मी को विभिन्न समितियों का सदस्य बनाना चाहिए।

### 5.3.2.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( 1986 )

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी श्री राजीव गाँधी जी की नीतियों की ही देन है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में बहुत सी नीतियों को पारित एवं लागू किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी सन 1985 में नई शिक्षा नीति तैयार करने की घोषणा की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा सम्बन्धी चुनौतियों से निपटने व शिक्षा को आवश्यकतानुसार बदलना था। यह नीति 1986 में तैयार हुई इसका आधार पुरानी शिक्षा नीति थी। सूचना प्रौद्योगिकी को शिक्षा नीति में समाहित किया गया और नवोदय विद्यालय आदि स्थापित करके ग्रामीण परिवेश में शिक्षा के विस्तार की बात इस नीति में कही गयी। इन सब के साथ-साथ नई शिक्षा नीति में पुस्तकालयों के विकास के लिए भी सुझाव दिये है जो इस प्रकार है -

क) पुस्तकालयों के समुचित विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करना।

ख) छात्रों व शिक्षकों के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री का समुचित संकलन करना।

ग) सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालयों की अनिवार्यता सिद्ध करना व उत्तम पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रयास करना।

घ) पुस्तकालयों को अपना संग्रह विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ङ) पुस्तकालयों में नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जिस से पाठकों को उत्तम सेवाएं कम से कम समय में मिल सकें।

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने पुस्तकालयों के विकास में योगदान दिया।

### 5.2.2.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( 1992 )

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पांच वर्ष तक कार्यान्वयन करने के बाद और उसकी समीक्षा करने के बाद बहुत सी नई-नई कमियाँ निकल कर आई जिसके फलस्वरूप कुछ संशोधन करके 7 मई 1992 के बाद संशोधित शिक्षा नीति संसद के दोनों सदनों में रखी गई तथा संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया। इस नीति में भी पुस्तकालयों के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है। इसने महसूस किया कि जब तक

पुस्तकालय विकसित नहीं होंगे तब तक शिक्षा नीति अधूरी रहेगी। इस नीति में पुस्तकालयों को नवीन सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने की वकालत की गई है।पुस्तकालयों के समुचित विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करने की भी वकालत इस राष्ट्रीय शिक्षा संशोधित नीति में की गई।

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा संशोधित नीति 1992 ने पुस्तकालयों के विकास में योगदान दिया।

### 5.2.2.10 राष्ट्रीय योजनाएं

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के लिये समय समय पर अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा प्रयास किये गये हैं जो इस प्रकार हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 के अंतर्गत एक करोड़ रूपये से भी अधिक का प्रावधान सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए सुनिश्चित किया गया। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों में नेटवर्क स्थापित करके केन्द्रीय पुस्तकालयों को जनपदीय पुस्तकालयों से जोड़ना था। ग्रामीण पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करना भी इसमें शामिल था। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही महत्वपूर्ण अधिनियम ग्रन्थ निक्षेप डिलीवरी बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 पारित एवं लागू किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के अंतर्गत केन्द्रीय, राज्य एवं जनपद पुस्तकालयों की स्थापना की योजना बनाई गयी लेकिन इसमें सन्तोषजनक प्रगति देखने को नहीं मिली।

तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 के अन्तर्गत पुरानी दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। 203 जिलों में पुस्तकालयों की स्थापना की गई और 27 प्रतिशत ब्लॉक पुस्तकालयों की भी स्थापना की गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966-71 के अंतर्गत पुस्तकालयों के विकास के लिए एक कार्यदल बनाया गया इस कार्य दल ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार की।

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 में पुस्तकालयों के विकास के लिए 1942 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया। इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के पुस्तकालयों के विकास की रूपरेखा तैयार की गई। सूचना प्रणाली को विकसित

करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा।

नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 के अंतर्गत पुस्तकालयों की अनुवर्ती अनुसूची एवं विषय मानने, सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने, पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण, नेटवर्क, राष्ट्रीय एवं नगरीय डेटाबेस, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग आदि की व्यवस्था की गई। इस योजना की सम्पूर्ण आवंटित राशि 2444 करोड़ रूपये थी। इसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए 400 करोड़, शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए 700 करोड़ ,विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के लिए 525 करोड़ रूपये का प्रावधान तथा सूचना विज्ञान, निसात, निकनेट इनफ़िलबनेट डेलनेट, दुर्लभ पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों के लिए 310 करोड़ रूपये और सूचना प्रणालियों की शीर्षस्थ निकाय के गठन एवं विकास हेतु 5 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2002-2007 में भी पुस्तकालयों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई। पुस्तकालयों को अद्यतन करने और सूचना प्रणाली के विकास पर जोर दिया गया है। इसी योजना के दौरान ज्ञान आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। ज्ञान आयोग ने पुस्तकालयों एवं पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा और कर्मचारियों के शिक्षण के लिए बहुत सी संस्तुतियां की हैं। इन संस्तुतियों में पुस्तकालयों के लिए धन की व्यवस्था की भी योजनाएं तैयार की गई हैं। अभी ज्ञान आयोग की संस्तुतिं लागू नहीं हो पाई हैं। यदि ये लागू हो जाती हैं तो पुस्तकालयों के विकास के लिए यह एक बहुत ही अच्छा समय होगा।

### 5.2.2.11 आयुर्विज्ञान पुस्तकालय

भारत में आयुर्विज्ञान के पुस्तकालयों को उन्नत बनाने एवं उपयोगी सूचना प्रणाली को विकसित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियों को हेल्थ सर्वे एण्ड डेवलपमेंट कमेटी के प्रतिवेदन खण्ड 2 में 1946 में प्रकाशित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डा. लोरे थे। भारत में कार्यरत सभी आयुर्विज्ञान पुस्तकालयों की स्थिति का अध्ययन कर एक केन्द्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना की संस्तुति की। इस समिति ने इस सच्चाई का भी उल्लेख किया कि भारत सरकार के डायरेक्ट्रेट जनरल हेल्थ सर्विसेज के पुस्तकालय के अतिरिक्त किसी भी पुस्तकालय में 1000 से अधिक पुस्तकों की संख्या नही थी। लोरे समिति के 35 वर्ष बाद एक समिति जिसे संकरणन समिति के नाम से जाना जाता है का खण्डन किया गया। इस समिति का प्रतिवेदन 1981 ई में

प्रस्तुत किया गया जिसने देश में इस क्षेत्र की सूचना सेवा के लिए सशक्त पुस्तकालय एवं सूचना सेवा नेटवर्क की स्थापना हेतु संस्तुति की थी जिसके परिणामस्वरूप हैल्थ लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन सर्विस नेटवर्क की स्थापना की गई।

## 5.3 सारांश

अंग्रेजों के भारत आगमन से पुस्तकालयों को फिर से नवजीवन मिला। जैसा कि विदित है कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा सस्ते क्लर्क इत्यादि पैदा करने के लिए शुरू की लेकिन इस शिक्षा से पुस्तकालयों को फिर से बल मिला अंग्रेजों ने बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास में पुस्तकालयों की स्थापना की। सन् 1784 में बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने अपना पुस्तकालय स्थापित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जैसे पुस्तकालयों में एकदम से विकास की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। लेकिन पुस्तकालयों के विकास में समितियों व आयोगों का योगदान ही महत्वपूर्ण था। नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई शिक्षा में पुस्तकालयों के योगदान का महत्व समझा गया और पुस्तकालयों को उच्च शिक्षा एवं शोध की धुरी भी माना गया। वैसे तो स्वतंत्रता से पूर्व भी बहुत से आयोग व समितियाँ बनी और इन समितियों एवं आयोगों ने अपने सुझाव एवं संस्तुतियां दी लेकिन इन पर ज्यादा अमल नहीं हुआ। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान भी सार्वजनिक पुस्तकालयों, चल पुस्तकालय, बाल ग्रन्थालय व जिला ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय खोलने व संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह प्रतिष्ठान समय-समय पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और पुस्तक प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है।

भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग (मानव संसाधन मंत्रालय) ने सन 1985 में वरिष्ठ प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु एक समिति का गठन किया। इस समिति ने लगभग एक वर्ष तक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर राष्ट्रीय नीति बनाने का कार्य किया और समिति ने प्रतिवेदन 31 मई 1986 को सरकार को सौंप दिया। इस नीति में पुस्तकालयों के विकास के लिए सुझाव दिये। इस प्रकार विभिन्न समितियों, संगठन एवं आयोगों ने पुस्तकालयों के विकास के लिए अपनी संस्तुतियां एवं सुझाव दिये, जिनके फलस्वरूप भारतीय पुस्तकालय विकास की ओर अग्रसर है।

## 5.4 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. लार्ड मैकाले को भारत में शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है।

2. बुड घोषणा पत्र सन् 1854 में जारी हुआ।

3. भारतीय शिक्षा आयोग को हण्टर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है।

4. भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना सन् 1882 में हुई।

5. भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हण्टर थे।

6. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना सन् 1902 में हुई।

7. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को रैले कमीशन के नाम से भी जानते हैं।

8. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में हुई।

9. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के समय भारत में लार्ड कर्जन वाइसराय थे।

10. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना सन 1917 में हुई।

11. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है।

12. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना सर डा0 माइकल सैडलर की अध्यक्षता में हुई।

13. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पहला आयोग था।

14. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग सन 1948 में गठित हुआ और इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है।

15. माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 23 सितम्बर 1952 को हुई।

16. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डा. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर थे।

17. राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय के पूरे बजट में से 6 प्रतिशत बजट पुस्तकालयों के लिए संस्तुति की।

18. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सन् 1956 में हुई।

19. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना डा. सी.डी. देशमुख की अध्यक्षता में की गई।

20. इस समिति का गठन 1957 में डा. एस.आर. रंगानाथन की अध्यक्षता में किया गया।

21. पुस्तकालय समिति (डा. एस.आर.रंगानाथन) ने अनुदान का आंकलन 15

रूपये प्रति छात्र एवं 200 रूपये प्रति शिक्षक के हिसाब से संस्तुत किया।

22. शिक्षा आयोग की स्थापना भारत सरकार ने सन 1964 में की।

23. शिक्षा आयोग की स्थापना डा. डी.सी.कोठारी की अध्यक्षता में की गई। इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है।

24. पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति की स्थापना सन 1957 में हुई।

25. पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति को सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है।

26. सिन्हा समिति ने अपना प्रतिवेदन 12 नवम्बर 1958 को सौंपा।

27. जैसा कि नाम से ही विदित है कि इस प्रतिष्ठान की स्थापना राजा राममोहन राय की स्मृति में की गई।

28. उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गाँधी जी थे।

29. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू हुई और सन 1992 में इसे संशोधित किया गया।

30. राजा राममोहन राय प्रतिष्ठान सार्वजनिक पुस्तकालयों के योगदान में सहायता प्रदान करता है।

## 5.5 सन्दर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री


1. Agarwal, S.D. Library and Society, Jaipur, RBSA Publishers, 1996.
2. Khanna, J.K. Library and Society. Kurukshetra, Research Publication, 1987.
3. Kumar, P.S.G. Foundations of Library and Information Science, Delhi, B.R. Pub. 2003.
4. मांगे राम, सूचना एवं समाज, आगरा, एसोशिएट पब्लिशिंग हाउस, 2009.
5. Mange Ram (et.al.), New Dimensions in Library & Information Science, Agra, Associate Publishing House, 2008.
6. Parasher, R.G. (Ed) University Libraries in India 1980s and Beyond, New Delhi, Medallion Press, 1991.
7. सैनी, ओम प्रकाश, ग्रन्थालय एवं समाज, आगरा, वाई.के.प्रकाशन, 1999.

# इकाई -6 : पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति ( एन.पी.एल.आई.एस. ) तथा ज्ञान आयोग के प्रमुख प्रावधान

## इकाई की रूपरेखा


6.0 प्रस्तावना

6.1 उद्देश्य

6.2 राष्ट्रीय सूचना नीति

6.2.1 विभिन्न सूचना नीतियाँ

6.2.2 पुस्तकालय एवं सूचना की राष्ट्रीय नीति

6.3 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

6.3.1 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एवं पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली

6.3.2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की पुस्तकालयों पर संस्तुतियां

6.4 सारांश

6.5 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.6 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री


## 6.0 प्रस्तावना

विगत कई वर्षों से सूचना ने विशेष रूप से विदेशों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत में भी इस शब्द ने अपने पैर पसार लिये हैं। जिस देश का सूचना तन्त्र (ज्ञान) जितना सशक्त होता है वह देश उतना ही उन्नत होता है। सूचना को परिभाषित करना भी कठिन है। कई बार इसको ज्ञान माना जाता है- जो मनुष्य द्वारा अपने अनुभवों, विचारों और प्रयोगों इत्यादि से प्राप्त हुआ है। और जिसको किसी भी प्रकार से रिकॉर्ड किया गया है। राष्ट्रीय विकास के लिए सूचना को एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। सही सूचना का सही आदमी के पास और सही समय पर पहुँचना जरूरी है।प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह सूचना प्राप्त करें। पुस्तकालय सूचनाओं का भण्डारण करता है और उनको प्रक्रिया द्वारा वितरण योग्य बनाते हैं। सूचना सभी क्षेत्रों को विकसित करके राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है।

"किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन दायित्वों एवं आश्वासनों के वक्तव्य को

नीति कहते हैं। जिसमें उन आवश्यक कार्य प्रणाली योजना तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जाता है जो वांछित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं।''

सूचना के समुचित विकास के लिए जिस नीति का निर्धारण किया जाता है उसे हम सूचना नीति कह सकते हैं। भारत में सांस्कृतिक विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने अक्टूबर 1985 में वरिष्ठ पुस्तकालय विद्वानों की एक समिति प्रो. डी.पी.चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित की, जिसको पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति पर ड्राफ्ट तैयार करना था। इस समिति ने 31 मई 1986 में अपना प्रलेख भारत सरकार को सौंपा। यूनेस्को ने निसात द्वारा इस प्रकार की राष्ट्रीय नीति के विकास की ओर ध्यान दिया और इसकी जोरदार वकालत भी की।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई। प्रधानमंत्री की सलाह पर इस आयोग की स्थापना ज्ञान को बढ़ावा देने, प्रबन्ध करने और ज्ञान संस्थाओं के विकास के लिए की गई। इस आयोग ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विकास के लिए विभिन्न संस्तुतियां दी। यह राष्ट्रीय सूचना नीति, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का एक उन्नत रूप है।

## 6.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त -

- आप राष्ट्रीय सूचना नीति के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे;
- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सन्दर्भ में राष्ट्रीय सूचना नीति की अवधारणा से अवगत हो सकेंगे;
- विभिन्न सूचना नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की पुस्तकालय सम्बन्धित संस्तुतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

## 6.2 राष्ट्रीय सूचना नीति

राष्ट्रीय सूचना नीति किसी भी राष्ट्र द्वारा सूचनाओं को व्यवस्थित करने, उपयोग योग्य बनाने हेतु, सूचनाओं के विकास हेतु और सूचनाओं की आवश्यकता हेतु जो

नियम व सिद्धान्त बनाये जाते हैं इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर सरकार नीतिगत निर्णय लेती है।

प्रत्येक राष्ट्र अनुसंधानों पर बहुत सा धन खर्च करता है ताकि नए-नए अनुसंधानों से राष्ट्र का विकास हो और ये अनुसंधान रिपोर्ट प्रत्येक आम व्यक्ति तक पहुँचे। यह सब सूचनाओं के बिना असम्भव है। सूचना को हम ज्ञान भी कह सकते हैं। जब तक सूचनाओं को आम व्यक्ति तक नहीं पहुँचाया जायेगा तब तक किसी राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। पुस्तकालय को हम सूचना केन्द्र भी कह सकते हैं इसलिए पुस्तकालय का सूचनाओं के संग्रहण, प्रसारण और सम्प्रेषण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सूचना केन्द्रों का भी दायित्व है कि सूचनाओं का संग्रहण, सम्प्रेषण और प्रसारण सही -सही करें लेकिन बिना नियमों एवं नीति निर्धारण के यह सम्भव नहीं है। इस प्रकार सूचनाओं के संग्रहण, सम्प्रेषण और प्रसारण से सम्बन्धित नीतियों का समूह ही राष्ट्रीय सूचना नीति का निर्माण करता है। आजकल कम्प्यूटर प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और सूचनाओं के संग्रहण एवं सम्प्रेषण और प्रसारण में कम्प्यूटर ने एक क्रान्ति ला दी है। पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों के विकास के लिए नीतियों का होना आवश्यक है। इन नीतियों का राष्ट्रीय स्तर पर होना आवश्यक है। विभिन्न संगठन एवं समितियाँ विगत कई वर्षों से पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों के विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं। भारत सरकार सूचना को एक महत्वपूर्ण संसाधन मानती रही है। और समय समय पर पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए भी प्रयासरत है।

भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करके सूचनाओं को जनसूचनाएं बनाने पर जोर दिया है। इस सूचना के अधिकार के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। यह अधिनियम सूचना के समुचित उपयोग पर ही आधारित हैं।

### 6.2.1 विभिन्न प्रमुख सूचना नीतियाँ

विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक राष्ट्र की भिन्न-भिन्न सूचना नीतियाँ होती हैं। राष्ट्रीय सूचना नीति अनेकों विषयों की नीति और अवयवों का एक मिश्रित स्वरूप है। सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचना नीति को पूरी तरह से बदल दिया है।भारत सरकार की जनवरी 1983 में स्थापित प्रौद्योगिकी नीति से साफ पता चलता है कि अब प्रौद्योगिकी पर आधारित सूचना प्रणाली ही चल सकती है और जिसे स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। भारतीय राष्ट्रीय

विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ स्थापित की है। और सूचना के महत्व का भी उल्लेख किया है। कुछ नीतियाँ इस प्रकार हैं -

### 6.2.1.1 कृषि नीति

भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। ब्रिटिश शासन ने इसको ध्यान में रखते हुए इसके विकास पर जोर दिया। 1889 में रॉयल एग्रीकल्चरल सोसाइटी इंग्लैण्ड के कृषि वैज्ञानिक वॉयलेकन ने भारत सरकार को कृषि विज्ञान के शिक्षण को तत्काल प्रारम्भ करने का परामर्श दिया। इस संकल्प के आधार पर भारत सरकार ने अन्य विज्ञानों की तरह कृषि विज्ञान में भी डिप्लोमा आदि प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये। 1904 ई. में कृषि विज्ञान शिक्षा नीति निर्धारित की गई। 1929 ई. में इम्पीरियल एग्रीकल्चर काउन्सिल की स्थापना की गई जो भारत में अब कृषि विज्ञान अनुसंधान परिषद के रूप में कार्य कर रही है। कृषि क्षेत्र व पशुपालन के समुचित विकास के लिए आई.सी.ए.आर. (इण्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) की स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई। आई.सी.ए.आर.का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं पशुपालन में विकास एवं अनुसंधान करना है। इस संगठन ने अपनी नीतियाँ बनाई हैं और बहुत से संगठन सूचना नेटवर्क प्रणाली द्वारा स्थापित किये हैं।सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी को इस संगठन ने बहुत ही महत्व दिया है।

सन 1957 ई. में अमेरिका के डा. रैल्व शॉ की कृषि विज्ञान के शिक्षण एवं शोध के क्रिया कलापों के लिए एवं पुस्तकालय में वांग्मयात्मक सेवाओं की आवश्यकताओं तथा विधियों का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया था। डा. रैल्व शॉ और डा.डी.वी. कृष्णाराव ने पुस्तकालय एवं वांगमयात्मक सेवाओं पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1959 ई में प्रकाशित किया था।

### 6.2.1.2 भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति

शिक्षा नीति का विकास भारत में अंग्रेजों की देन है। आधुनिक शिक्षा के जनक अंग्रेज ही हैं। भारत में शिक्षा सार्वजनिक उपक्रम के अन्तर्गत आती है। भारत की केन्द्र सरकार ने आजादी के बाद सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। सरकार ने जिला शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरूआत की।

इस नीति में भारत सरकार ने शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए पुस्तकालयों को

भी उन्नत बनाने का प्रावधान किया। पुस्तकालयों में नवीन प्रौद्योगिकी, संस्थाओं में पुस्तकालयों की अनिवार्यता पर बल दिया। शिक्षा प्रणाली को समाज की आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिकी से परिपूर्ण किया। 1986 की शिक्षा नीति, शिक्षा के सुधार एवं क्रान्ति लाने और शिक्षा क्षेत्र में नई-नई नीतियां बनाने में कारगर सिद्ध हुई। इस शिक्षा नीति में शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान एवं शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया । हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी पास किया है। इस नीति का अर्थ है कि शिक्षा का अधिकार सब को है और शिक्षा सबको प्राप्त हो।

### 6.2.1.3 राष्ट्रीय विज्ञान नीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया। इस प्रक्रिया की शुरूआत सन 1958 से मानी जाती है। भारत सरकार ने 1958 में वैज्ञानिक नीति को पारित किया। इस नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास करना, प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिकों की उपलब्धियों व कार्यों को मान्यता देन था। वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए अच्छे वैज्ञानिक उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य रखा गया। विशिष्ट वैज्ञानिकों को नीतियों के निर्धारण कार्य में सम्मिलित किया गया इन नीतियों के फलस्वरूप ही भारत एक विश्व शक्ति बनता जा रहा है।

### 6.2.1.4 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति

कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से प्रत्येक क्षेत्र में (चाहे वह किसी भी विषय से सम्बन्धित हो) आशातीत परिवर्तन हुए हैं। प्रौद्योगिकी को और अधिक उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 1983 में प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य की घोषणा की। जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी को आत्मनिर्भर बनाना, संसाधनों का विकास, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धात्मक बनाना, शोध संस्थानों व ज्ञान केन्द्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना व सूचना केन्द्रों को उन्नत करना रहा है। इस नीति के फलस्वरूप भारत में निरन्तर शोध संस्थानों और सूचना केन्द्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो प्रयोगकर्ताओं की सूचना जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं।

बोध प्रश्न -

1. नीति की परिभाषा दीजिए।

---

---

2. इण्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब की गई?

---

---

3. भारत में प्रौद्योगिकी नीति की स्थापना कब की गई?

---

---

4. वैज्ञानिक नीति संकल्प की स्थापना कब की गई?

---

---

5. भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ?

---

---

6. राष्ट्रीय विज्ञान नीति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

---

---

---

---

---

### 6.2.1.5 पुस्तक नीति

राष्ट्रीय पुस्तक नीति का निर्धारण भी सन् 1986 में किया गया। इस नीति का उद्देश्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, पुस्तकों को कम मूल्य पर उपलब्ध कराना। विशिष्ट श्रेणियों (बच्चों, वृद्ध, महिला) के लिए पुस्तकें तैयार कराना। पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में मुद्रण कराना ही रहा है। यह नीति पुस्तकालयों के संग्रह के विकास में भी योगदान देती है। विभिन्न श्रेणी के पाठकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करती है।

## 6.2.2 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति

भारत में पुस्तकालयों का विकास थोड़ी देरी से शुरू हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में पुस्तकालय कम थे। नालन्दा विशवविद्यालय का पुस्तकालय भारत की इतनी बड़ी धरोहर थी जिसमें 900 कमरे बने हुए थे। पुस्तकालय राष्ट्रीय नीति देर से बनी जिसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी, पुस्तकालयों में देर से आई। भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग (मानव संसाधन मंत्रालय) ने सन 1985 में वरिष्ठ प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु एक समिति का गठन किया। इस समिति ने लगभग एक वर्ष तक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर राष्ट्रीय नीति बनाने का कार्य किया और समिति ने अपना प्रतिवेदन 31 मई 1986 को सरकार को सौंप दिया। इस प्रतिवेदन को निम्न दस अध्यायों में बांटा गया।

(1) भूमिका

(2) उद्देश्य

(3) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली

(4) शैक्षिक पुस्तकालय प्रणाली

(5) विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली

(6) राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली और वांग्मय सूची सेवाएँ

(7) पुस्तकालय मानव संसाधन विकास एवं व्यवसायिक स्तर

(8) पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण

(9) सामान्य व्यवसायिक पक्ष

(10) योग्य प्राधिकरण एवं वित्त व्यवस्था।

इस समिति ने सूचना नीति के निम्नलिखित उद्देश्य रखे थे -

- सूचना को उन्नत बनाकर संगठनों को उपलब्ध कराना। सूचना का उपयोग सभी राष्ट्रीय स्तर के सेक्टरों में सुनिश्चित करना।
- पहले से स्थापित पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली को आधुनिक बनाना और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करके उसका लाभ लेना।

- पुस्तकालय कर्मचारियों, व्यवसायियों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित करना और उसको उत्साहित करना। उनके कार्य को पहचान देना, उनके वेतन, भत्तों आदि का भी ध्यान रखना।
- ऐसी प्रणाली स्थापित करना जो पुस्तकालयों एवं सूचना सुविधाओं को पाठकों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान करें।
- नये ज्ञान की खोज में प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित करना जो ज्ञान का संग्रहण करे और पुनः प्रसारण भी करें।
- सामान्य रूप से देश के सभी नागरिकों के लाभ के लिए ज्ञान का संग्रहण करना और उसके यथोचित स्थान पर प्रयोग करना।
- राष्ट्रीय स्तर की धरोहरों का संरक्षण (विभिन्न रूप में) करना।

भारत सरकार ने फिर 1986 में इस नीति के विभिन्न प्रावधानों के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की और अपनी संस्तुतियां शीघ्र सौंपने को कहा। यह समिति भी प्रो. डी.पी.चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में ही गठित की थी। इस समिति ने अपना कार्य मार्च 1988 में पूरा किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस समिति की मुख्य संस्तुतियां इस प्रकार हैं -

- अखिल भारतीय पुस्तकालय सेवा की स्थापना करना।
- पुस्तकालयो के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना जो पुस्तकालय नीति और उनके विकास के लिए कार्य कर सके।
- केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने में राज्य सरकार को समर्थन देकर अपनी भागीदारी बढ़ाना।
- संस्थायें जो सामाजिक शिक्षा और ग्रामीण विकास में लगी हुई हैं उनको सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में भी योगदान देना चाहिए।
- राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली का विकास करना।
- पुस्तकालय को विश्वविद्यालय, कालेजों में एक महत्वपूर्ण इकाई मानना चाहिए और वरिष्ठ पुस्तकालय कर्मी को विभिन्न समितियों का सदस्य बनाना चाहिए।

यूनेस्को ने राष्ट्रीय सूचना नीति की वकालत की है। यूनेस्को ने सभी देशों के लिए कार्यक्रम तैयार किये हैं। भारत में यूनेस्को ने निसात (NISSAT) - (National

Information System for Science & Technology) के द्वारा सूचना नीति में रूचि ली। निसात ने राष्ट्रीय सूचना नीति बनाने में योगदान दिया है। भारत सरकार ने विज्ञान और औद्योगिक अनुसन्धान विभाग जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, द्वारा प्रौद्योगिकी सूचना सुविधा प्रोग्राम (Technology Information Facilitation Programme)शुरू किये हैं जो सूचना के उपयोग पर बल देते हैं और सूचना नीति को सुदृढ़ बनाते हैं।

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन ने भारतीय पुस्तकालय संघ के साथ मिलकर राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत सभी पक्षों को सम्मिलित किया। इन संगठनों ने पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं उसके विकास के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय सूचना नीति निर्धारण की आवश्यकता पर बल दिया।इन दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से नीति सम्बन्धी प्रलेख सन 1984 में भारत सरकार को सौंप दिये। पुस्तकालय संघ का यह सुझाव था कि भारतीय राष्ट्रीय नीति को मान्य किया जाना चाहिए और अन्य क्षेत्रों की नीतियों की भांति इसे भी संविधान में स्थान मिलना चाहिए।

राजाराम मोहनराय लाइब्रेरी फाउन्डेशन तथा भारतीय पुस्तकालय संघ ने इस प्रकार पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति पर एक विस्तृत लेख प्रस्तुत किया। इस प्रलेख में मुख्य रूप से 30 बिन्दु थे। कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार थे -

क) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

ख) विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

ग) सूचना की पूर्ति के लिए संस्थानों और सूचना केन्द्रों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

घ) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को सूचना को समाज के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन मानकर पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की व्यवस्था करनी चाहिए।

ङ) सूचना केन्द्रों और पुस्तकालयों का एक नेटवर्क स्थापित करना चाहिए जिससे सूचनाओं का संग्रहण और सम्प्रेषण आसानी से हो सके।

च) सूचना पुनः प्राप्ति के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र में बौद्धिक उत्पादन हो सके।

छ) विषयानुसार पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए जैसे कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान तथा अन्य विशिष्ट विषयों आदि पर।

ज) विशिष्ट पुस्तकालयों के विकास एवं समुचित उपयोग के लिए नेटवर्कों को स्थापित किया जाना चाहिए।

झ) पुस्तकालय कर्मियों के लिए उचित वेतनमान एवं उनका समुचित स्तर होना चाहिए।

ञ) पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों को उन्नत बनाने के लिए पुस्तकालय कर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए।

ट) पुस्तकालय एवं सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं के निर्देशन हेतु समय-समय पर शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।

ठ) पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के भवन उपयुक्त एवं उपयोगी होने चाहिए।

ड) विशिष्ट पाठकों एवं उपयोगकर्ताओं के लिए उचित श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का संकलन किया जाना चाहिए।

ढ) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

ण) सूचना सम्प्रेषण एवं प्रसार के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क स्थापित किये जाने चाहिए जिससे सहयोग एवं सम्पर्क बढ़ाया जा सके।

त) पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने हेतु प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सभी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

थ) सभी प्रकार के पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के लिए मानक निर्धारित किये जाने चाहिए जिससे सेवाओं में समरूपता बनी रहे।

द) राष्ट्रीय पुस्तकालय को विकसित एवं उन्नत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

ध) पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों में संसाधनों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए।

पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों को आधुनिकतम एवं उन्नत बनाने के लिए योजना आयोग ने भी डा. एन.शेषागिरि,इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता

में एक कार्यदल का गठन किया। इस कार्यदल ने पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण एवं नेटवर्कों से जोड़ने पर बल दिया। इस कार्यदल ने पुस्तकालयों को सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत बताया और मान्यता दी। सभी प्रकार के पुस्तकालयों की आवश्यकता एवं उनके विस्तार पर जोर दिया है। इस कार्यदल ने कम्प्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए भी जोर दिया है।

विभिन्न संगठनों ने पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया जिससे इनका विकास हो सके और आम व्यक्ति तक सूचना पहुँचे और उसका उपयोग हो। फिर भी ऐसा लगता है कि उद्देश्य अभी पूरा नहीं हो पाया है और पुस्तकालयों को वह स्थान अभी तक नहीं मिल सका है जिसका वह हकदार है। अभी तक कोई सुदृढ़ नीति कार्यान्वित नहीं हो सकी है। परन्तु फिर भी आज के पुस्तकालय डिजीटल पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शीघ्र ही पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे और उनका समुचित विकास होगा।

बोध प्रश्न -

7. राष्ट्रीय पुस्तक नीति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

---

---

---

---

---

---

8. मानव संसाधन मंत्रालय ने प्रो. डी.पी.चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु समिति का गठन कब किया?

---

---

9. प्रो. डी.पी. चट्टोपाध्याय समिति के प्रतिवेदन में कितने अध्याय थे?

---

---

10. यूनेस्को ने किस संगठन द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों को विकसित करने का कार्य किया?

---

---

11. राजाराम मोहनराय लाइब्रेरी फाउन्डेशन और भारतीय पुस्तकालय संघ ने राष्ट्रीय नीति निर्माण सम्बन्धित प्रलेख भारत सरकार को कब सौंपे?

---

---

## 6.3 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

### 6.3.1 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तथा पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारतीय प्रधानमंत्री की सलाह पर 13 जून 2005 को गठित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विशाल ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण करना रखा गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्न पांच मुख्य बिन्दु रखे-

- पहुँच (Access)
- विचार (Concept)
- उत्पन्न करना (Creation)
- लागू करना (application)
- ज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं (Services in the knowledge sector)

ज्ञान आयोग ने इन्हीं पांच बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ज्ञान आधारित समाज बनाने का उद्देश्य रखा है। ज्ञान आयोग के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

(1) ज्ञान का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निर्माण करना

(2) ज्ञान का कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना।

(3) जो संस्थाएं बौधिक सम्पदा अधिकार में लगी हुई हैं उनके प्रबन्ध में सुधार करना।

ज्ञान की उपयोगिता को बढ़ावा, उसका प्रसार एवं सम्प्रेषण करना जिससे आम जनता को लाभ पहुँच सके। ज्ञान आयोग ने प्रारम्भ में ही निम्नलिखित विषयों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है -

1) शिक्षा का अधिकार
2) व्यवसायिक शिक्षा
3) उच्च शिक्षा
4) पुस्तकालय
5) अनुवाद
6) भाषा
7) ज्ञान का नेटवर्क
8) राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान
9) ई-गवर्नेन्स

पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का निर्माण, प्रसार, उपयुक्त उपयोग और ज्ञान को संरक्षित रखना है। इस प्रकार पुस्तकालय और सूचना प्रणाली ज्ञान का प्रमुख सम्बन्धित हिस्सा है। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने पुस्तकालयों को इस योग्य बना दिया है जो सबकी पहुँच में जा सके और क्षेत्रीय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दायरा भी कम कर दिया है। इसके बावजूद भी भारत में पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया है। यह सब पुस्तकालयों के लिए आवश्यक है कि वे अपने विकास की गति को बढ़ायें।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इसलिए सबसे पहले यथा स्थिति (इस समय पुस्तकालयों का स्तर क्या है) का पता लगाने का निर्णय लिया है जिससे उनके लिए आगे विकास का रास्ता बनाया जा सके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कहना है कि पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं की एक ऐसी प्रणाली तैयार हो सके जिससे अधिक सूचना प्राप्त करने वाले और कम सूचना प्राप्त करने वालों का दायरा कम हो सके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एक ढांचा तैयार करने की जरूरत समझी जो पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों व सेवाओं के मामलों में उपयुक्त रूप से और अच्छे ढंग से प्रस्तुत की जा सके। एक राष्ट्रीय उद्देश्य बनाने की बात की, जो कम से कम 3 वर्ष तक लगातार वित्त की व्यवस्था पुस्तकालयों एवं सूचना सेवाओं के विकास के लिए करें। ज्ञान आयोग ने इसलिए पुस्तकालयों पर काम करने वाले समूह की स्थापना की। इस समूह में वरिष्ठ पुस्तकालय विद्वान, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी रखे गये। यह समूह पुस्तकालयों की यथास्थिति का पता लगायेगा और पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं में बदलाव, सुधार की संस्तुति करेगा। इसके अलावा उनकी तत्कालीन सम्बन्धित जरूरतों का पता भी लगाएगा। पुस्तकालयों एवं सूचना सेवाओं, कर्मचारियों को उन्नत बनाने के लिए काम करेगा। पुस्तकालय अब

सिर्फ पुस्तकों को ही सम्भाल कर रखने योग्य नहीं रह गये हैं बल्कि वे सूचनाओं के स्रोत हैं और नये ज्ञान का निर्माण करने में सहायक हैं। पुस्तकालयों पर कार्य करने वाले समूह ने कुछ निम्नलिखित सन्दर्भ शर्तें पुस्तकालयों के सम्बन्ध में दी हैं :-

(क) देश के पुस्तकालयों के उद्देश्यों को पुनः निर्धारित करना।

(ख) अवरोध, समस्याएं एवं आने वाली चुनौतियाँ जो पुस्तकालय के क्षेत्र में हैं, उनको पहचानना।

(ग) सुधारों एवं बदलाव की संस्तुति करना।

(घ) यथावत पुस्तकालयों को आधुनिक बनाना और सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का लाभ लेना।

(ङ) नये कार्यक्रम जो राष्ट्र की जरूरत हो उनकी सम्भावनाएं तलासना और सूचनाओं के बीच का दायरा कम करना।

(च) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के लिए नये मानक निर्धारित करना और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में गुणवत्ता लाना और पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(छ) राष्ट्रीय स्तर के प्रलेखों को संरक्षित करने में सहायता देना।

(ज) ऐसा मैकेनिजम तैयार करना जिससे वहीं ज्ञान संग्रहित हो जो राष्ट्र के लोगों के काम आये।

(झ) दूसरे विषयों का निरीक्षण करना जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र से सम्बन्धित हो।

डब्ल्यू.जी.एल. (काम करने वाला समूह) ने पुस्तकालयों पर अप्रैल 2006से अपना काम शुरू कर दिया और बहुत बार विचार विमर्श किया व पुस्तकालयों की यथास्थिति, पूर्व स्थिति, उपलब्ध मानक, सुविधाएं, पुस्तकालयों की सेवाएं, उद्देश्य आदि को समझा। इस समूह का कहना है कि पुस्तकालय ही एक ऐसा साधन व गतिविधि है जो सूचना निर्भरता को जीत सकता है। इस समूह ने यह भी अनुभव किया कि पुस्तकालय एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को सेवा देने को एक समाजिक कार्य समझना चाहिए और समाज को सम्बन्धित सूचनाएं समय पर देकर एक ज्ञान समाज की स्थापना करनी चाहिए।

### 6.3.2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की पुस्तकालयों पर संस्तुतियाँ

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल ने कहा कि यदि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को अपना उद्देश्य पूरा करना है तो उन्हें पुस्तकालय सूचना सेवाओं को उन्नत और उनका विकास करना होगा। इसलिए ज्ञान आयोग के इस समूह ने निम्नलिखित संस्तुतियां दी हैं -

(क) पुस्तकालयों पर एक आयोग का गठन करना;

(ख) सभी पुस्तकालयों की जनगणना करना;

(ग) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध सुविधाओं का पुनः निरीक्षण करना;

(घ) पुस्तकालय कर्मचारियों का पुनःनिर्धारण;

(ङ) केन्द्रीय पुस्तकालय वित्त की स्थापना करना;

(च) पुस्तकालय प्रबन्ध का आधुनिकीकरण करना;

(छ) दीर्घ समूह/समाज को पुस्तकालय प्रबन्धन के लिए प्रेरित करना;

(ज) सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी को सभी पुस्तकालयों में लागू करना;

(झ) निजी संग्रह के रख-रखाव व दान की व्यवस्था करना; और

(ञ) पुस्तकालयों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी सहभागिता को प्रोत्साहन देना।

बोध प्रश्न -

12. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी संस्तुति पर हुआ?

(क) प्रधानमंत्री

(ख) राष्ट्रपति

(ग) शिक्षा मन्त्री

---

---

13. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

---

---

14. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस समूह की स्थापना पुस्तकालयों एवं सूचना प्रणाली को विकसित करने के लिए की?

---

---

15. पुस्तकालयों के कार्यदल (WCL) ने अपना कार्य कब शुरू किया?

---

---

सन 2007 के अन्तर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न स्तरों पर बहुत सी बैठक पुस्तकालय व्यवसायियों के साथ व विभिन्न अन्य व्यवसायियों (वरिष्ठ शिक्षा विद, निर्माणकर्ता, सरकारी पदाधिकारी और सिविल सोसाइटी इत्यादि) के साथ की गई। ये सभी बैठक व विचार विमर्श ज्ञान आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में किये गये। इनके उपरान्त बहुत से निर्णय लिये गये। यह भी विचार विमर्श किया गया कि राष्ट्रीय सूचना नीति 1980 के आस-पास बनाई गई थी लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बैठक एवं सम्मेलन मिजोरम विशवविद्यालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान परिषद, संस्कृति विभाग, दिल्ली एवं केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि में आयोजित की गई। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय केलिवर प्रोग्राम में भी विभिन्न व्यवसायिक समूहों को सम्बोधित किया है। महत्वपूर्ण सुझावों को इन सम्मेलनों एवं बैठकों से इकट्ठा किया गया। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के व्यवसायी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को पुस्तकालयों के विकास में एक बहुत बड़ा स्तम्भ मान रहे हैं वे आशातीत हैं कि पुस्तकालयों के विकास के दिन ज्यादा दूर नहीं हैं।

## 6.4 सारांश

पुस्तकालयों एवं सूचना ज्ञान केन्द्रों का विकास भारत पें वह गति नहीं पकड़ सका है जो विदेशों में पकड़ चुका है। सूचना का महत्व बढ़ने से अब इस ओर ध्यान आकर्षित हो रहा है। पुस्तकालयों व अन्य विषयों पर राष्ट्रीय सूचना नीति बनी है परन्तु राष्ट्रीय सूचना नीति और विभिन्न संगठनों की संस्तुति जो पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर हुई है उसको लागू नहीं किया गया है। अन्य विषयों की लगभग सभी नीतियां लागू हो चुकी हैं। सच बात तो यह है कि पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली को अपना सही स्थान नहीं मिल पाया है जिसकी वह हकदार है। जब तक किसी भी देश का सूचना तन्त्र मज़बूत नहीं होगा वह देश विकसित नहीं हो पाएगा। अब ज्ञान सूचना की लड़ाई संसार में शुरू हो चुकी है। इन सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने 23 जून

2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने पुस्तकालयों के महत्व को जाना और कहा जब तक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण नहीं होगा और जब तक उनमें व्यापक सुधार नहीं होंगे तब तक हम सूचना ज्ञान के क्षेत्र में पीछे रहेंगें। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में पुस्तकालयों पर काम करने वाले समूह की स्थापना की। जिसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को अब पूरे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विकासकर्ता एक स्तम्भ के रूप में देखने लगे हैं। पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों से जुड़े व्यवसायियों को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और इसके पुस्तकालयों पर काम करने वाले समूह से बहुत उम्मीदें हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संस्तुतियां यदि पुस्तकालयों पर लागू हो जाती हैं तो यह पुस्तकालयों के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा और देश में सूचना / ज्ञान जन-जन तक पहुँचेगा जिससे देश का विकास और गति पकड़ेगा।

## 6.5 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन दायित्वों एवं आशवासनों के वक्तव्य को नीति कहते हैं, जिसमें आवश्यक कार्य प्रणाली योजना तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जाता है जो वांछित उद्देश्यं की प्राप्ति में सहायक होते हैं।
2. इण्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई।
3. भारत में प्रौद्योगिकी नीति की स्थापना सन् 1983 में हुई।
4. वैज्ञानिक नीति संकल्प की स्थापना सन् 1958 में हुई।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ।
6. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया। इस प्रक्रिया की शुरूआत सन 1958 से मानी जाती है। भारत सरकार ने 1958 में वैज्ञानिक नीति को पास किया। इस नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसन्धान का विकास करना, प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिकों की उपलब्धियों व कार्यों को मान्यता देना था। वैज्ञानिक अनुसन्धानों के लिए अच्छे वैज्ञानिक उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य रखा गया। विशिष्ट वैज्ञानिकों को नीतियों के निर्धारण कार्य में सम्मिलित किया गया । इन नीतियों के फलस्वरूप ही भारत एक विश्व शक्ति बनता जा रहा है।

7. राष्ट्रीय पुस्तक नीति का निर्धारण भी सन 1986 में किया गया। इस नीति का उद्देश्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, पुस्तकों को कम मूल्य पर उपलब्ध कराना, विशिष्ट श्रेणियों (बच्चों, वृद्ध, महिलाओं) के लिए पुस्तकें तैयार कराना। पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में मुद्रण कराना ही रहे हैं। यह नीति पुस्तकालयों के संग्रह के विकास में भी योगदान देती है। विभिन्न श्रेणी के पाठकों की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करती हैं।

8. इस समिति का गठन सन 1985 में किया गया।

9. इस प्रतिवेदन में दस अध्याय थे।

10. यूनेस्को ने भारत में यह कार्य निसात (NISSAT- National Information Systems for Science & Technology) द्वारा किया।

11. ये प्रलेख दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से सन 1984 में भारत सरकार को सौंप दिये।

12. प्रधानमंत्री

13. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारतीय प्रधानमंत्री की सलाह पर 13 जून 2005 को गठित किया गया। मुख्य उद्देश्य विशाल ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण करना रखा गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 5 मुख्य बिन्दु रखे 'पहुँच (access), विचार (concept), उत्पन्न करना (creation),लागू करना (appalication), और ज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं (services in the knowledge sector) ज्ञान आयोग ने इन्हीं पांच बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ज्ञान आधारित समाज बनाने का उद्देश्य रखा है। पुस्तकालयों पर काम करने वाला समूह (Working Group on Libraries)

14. पुस्तकालयों पर काम करने वाला (WGL)

15. अप्रैल 2006 में इस समूह ने अपना कार्य शुरू कर दिया।

## 6.6 सन्दर्भ तथा इतर पाठ्य सामग्री

1. Agarwal, S.D. Library and Society, Jaipur : RBSA Publishers, 1996.

2. दास गुप्ता, कल्पना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग - भविष्य के लिए लक्ष्य (इन्टरनेट

पर)।

3. Khanna, J.K. Library and Society. Kurukshetra, Research Publication, 1987.

4. Kumar, P.S.G. Foundations of Library and Information Science, Delhi, B.R. Pub. 2003.

5. मांगेराम, सूचना एवं समाज, आगरा, एसोशिएटिड पब्लिशिंग हाउस, 2009.

6. Mange Ram (et.al.), New Dimensions in Library & Information Science, Agra, Associated Publishing House, 2008.

7. Parasher, R.G. (ed.) University Libraries in India 1980s and Beyond, New Delhi, Medallion Press, 1991.

8. सैनी, ओम प्रकाश, ग्रन्थालय एवं समाज, आगरा, वाई.के.प्रकाशन, 1999.

# इकाई - 7 : पुस्तकालयों के प्रकार : राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक, शैक्षणिक एवं विशिष्ट पुस्तकालय

## इकाई की रूपरेखा


7.0 प्रस्तावना

7.1 उद्देश्य

7.2 पुस्तकालयों के प्रकार

7.2.1 राष्ट्रीय पुस्तकालय

7.2.1.1 राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य

7.2.1.2 भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय

7.2.2 सार्वजनिक पुस्तकालय

7.2.2.1 सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य

7.2.2.2 सार्वजनिक पुस्तकालयों की भारत में स्थिति

7.2.3 शैक्षणिक पुस्तकालय

7.2.3.1 आवश्यकता

7.2.3.2 विश्वविद्यालय पुस्तकालय

7.2.3.2.1 विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य

7.2.3.3 महाविद्यालय पुस्तकालय

7.2.3.3.1 आवश्यकता

7.2.3.3.2 महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्य

7.2.3.4 विद्यालय पुस्तकालय

7.2.3.4.1 विद्यालय पुस्तकालय के कार्य

7.2.3.4.2 विद्यालय पुस्तकालयों का स्तर

7.2.4 विशिष्ट पुस्तकालय

7.2.4.1 विशिष्ट पुस्तकालयों के लक्षण

7.2.4.2 विशिष्ट पुस्तकालयों के कार्य

7.3 सारांश

7.4 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.5 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री

## 7.0 प्रस्तावना

भारतीय इतिहास में आरम्भिक काल के पुस्तकालयों की अधिक जानकारी नहीं मिलती परन्तु सिन्धु घाटी सभ्यता से अनेक मुद्राओं, ग्रन्थों व शिलालेखों के भण्डार मिलते हैं। जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भी इन ग्रन्थों, शिलालेखों को एक जगह (पुस्तकालय) इकट्ठा किया जाता था। चीनी यात्री फाह्यान (399-414 ई) तथा ह्वेनसांग (7वीं शताब्दी) में भारत आये व यहां का पूरा विवरण अपनी पुस्तकों में लिखा। उन पुस्तकों में भी उन्होंने पुस्तकालयों का वर्णन किया है। नालन्दा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगंज उस समय का एक विशाल व प्रसिद्ध पुस्तकालय था जिसमें कुल मिलाकर तीन भागों में 900 कमरे थे। इसके अतिरिक्त तक्षशिला और विक्रम विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय भी विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केन्द्र थे, या राजाओं के अपने निजी होते थे। आम जनता के लिए पुस्तकालय उपयोग का कोई महत्व नहीं था।

पुराने समय के अनुसार पुस्तकालय, पुस्तकों, अभिलेखों का भण्डारण था जिसे राजा या शाही परिवार के लोग सिर्फ अपने लिए बनवाते थें आज के युग में पुस्तकालय प्रणाली का पूरा आदर्श ही बदल गया है। समय के अनुसार पुस्तकालय की पूरी परिभाषा व अवधारणा भी बदल गई है। पुस्तकालय क्या है- इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है। कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। पुस्तकालय के चार मुख्य तत्व होते हैं-

- प्रलेखों/पुस्तकों का भण्डार
- एक उपयुक्त भवन
- योग्य कर्मचारी
- पाठकगण

इस प्रकार पुस्तकालय जहाँ पुस्तकों, प्रलेखों का संग्रह एक उपयुक्त भवन में हो, जिनका रखरखाव योग्य कर्मचारियों द्वारा पाठकगण के लिए किया जाता है। सबसे मुख्य तत्व पुस्तकालय का पाठक है जिसके लिए समस्त गतिविधियाँ होती है। पाठकों को सन्तुष्ट करना पुस्तकालय का मुख्य कार्य है।

## 7.1 उद्देश्य

इस इकाई आप निम्न तथ्यों से अवगत हो सकेंगे -

- राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा, कार्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;

- सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा, कार्य व उनके स्तर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- शैक्षणिक पुस्तकालय - विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय व विद्यालय पुस्तकालय के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा, कार्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे; और
- व्यक्तिगत पुस्तकालय के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

## 7.2 पुस्तकालयों के प्रकार

पुस्तकालयों के विविध रूप -

विशेष रूप से पुस्तकालय चार प्रकार के होते हैं -

7.2.1 राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Library)

7.2.2 सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Library)

7.2.3 शैक्षणिक पुस्तकालय (Academic Library)

7.2.4 विशिष्ट पुस्तकालय (Special Library)

### 7.2.1 राष्ट्रीय पुस्तकालय

देश की साहित्यिक सम्पदा को संग्रह करना, उसको सुरक्षित रखना, राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची प्रकाशित करना, पुस्तकालय सहयोग एवं आपसी लेन-देन की व्यवस्था करना अन्य नेटवर्क से जुड़ना तथा अन्य पुस्तकालयों को जोड़ना आदि यह सब कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय के होते हैं। कहा जाय तो राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी देश का सर्वोच्च पुस्तकालय होता है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर होती है।

डा.एस.आर. रंगनाथन ने इस बारे में कहा है - ऐसा पुस्तकालय जिसका कर्तव्य देश के साहित्य को सग्रह करना, और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना। यह एक केन्द्रीय स्थान भी है जहां देश के साहित्य को संग्रह करके उसका रख-रखाव करके उसे देश में कहीं भी प्रसारित करने में सक्षम होता है।

अमेरिकन लाइब्रेरी संघ ने कहा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है

जिसका रख रखाव राष्ट्र द्वारा किया जाता है।

यूनेस्को के अनुसार जो पुस्तकालय देश में प्रकाशित अच्छे शानदार महत्व के प्रकाशन की नकलों को रखने, प्राप्त करने का जिम्मेदार हो और संग्रहक पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है जिसकी स्थापना किसी कानून के अन्तर्गत या अन्य किसी प्रणाली के अन्तर्गत हुई है।

### 7.2.1.1 राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य

राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों का विवरण इस प्रकार है -

**क) संग्रह करना** - राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम कार्य देश में हुए तमाम मुख्य प्रकाशनों की प्रतिलिपियों को प्राप्त करना, उनका प्रबन्ध करना व रख-रखाव करना। एक देश का सर्वोच्च पुस्तकालय होने के नाते अपने देश के नहीं दूसरे देशों के प्रकाशनों का भी संग्रह राष्ट्रीय पुस्तकालय करते हैं। दुर्लभ ग्रन्थों को भी यहां पर संग्रह किया जाता है। यहाँ का संग्रह विभाग बहुत ही व्यवस्थित होता है।

**ख) प्रबन्ध करना** - देश में प्रकाशित व विदेशों के मुख्य ग्रन्थों की प्रतियां संग्रहित करके उनका वर्गीकरण, सूचीकरण किया जाता है। उनको अलमारियों में स्थान दिया जाता है। ग्रन्थों की विषयानुसार वांग्मय सूचियां तैयार करना भी इसका कार्य होता है।

**ग) सेवाएँ प्रदान करना** - देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय होने के नाते यह देश के सभी नागरिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सभी जातियों, वर्गों, व्यवसायों आदि के मनुष्य यहाँ से सेवाएँ ले सकते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर आकर पुस्तकों का आदान-प्रदान करते हैं। डाक द्वारा बाहर के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। आजकल इन्टरनेट से ई-मेल भेजकर भी अपनी जरूरत की पूर्ति इस पुस्तकालय से की जा सकती है।

**घ) फोटोकॉपी तथा अन्य सेवाएँ** - राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा अनुक्रमणी और सार सेवाएँ भी दी जाती हैं। देश के लिए राष्ट्रीय वांग्मय सूची भी तैयार करता है। देश के अन्य पुस्तकालयों के साथ ILL (Inter Library Loan) और आपसी सहयोग से अपने संसाधनों का उपयोग करता है। नई सूचना प्रौद्योगिकी/तकनीकी अन्य पुस्तकालयों को प्रदान कर उनको उन्नत भी राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा किया जाता है।संयुक्त सूची तैयार करके उसको अन्य पुस्तकालयों को उपलब्ध कराया जाता है। देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय

होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करना भी इसका कार्य है। विदेशों के अन्य पुस्तकालयों के साथ भी नेटवर्क पद्धति द्वारा आपसी सहयोग इसके द्वारा स्थापित किया जाता है।

ङ) **अन्य कार्य** - यूनेस्को ने 1970 में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य वर्णित किये हैं -

- दूसरे देशों के साहित्यिक प्रकाशनों (पुस्तकों) का संग्रह करना व देश का प्रतिनिधित्व करना।
- राष्ट्रीय वांग्मय सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- संयुक्त सूची तैयार करना।
- राष्ट्रीय अनुदर्शनात्मक वांग्मय सूची प्रकाशित करना।

### 7.2.1.2 भारत का राष्ट्रीय ग्रन्थालय

सन 1935में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता में हुई, 21 मार्च 1836 को यह पुस्तकालय औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया। 1 जून 1844 में इसे मेटकाफ हाल में स्थानान्तरित कर दिया गया। 1902 में इसे इम्पीरियल पुस्तकालय के साथ मिलाया गया जो बाद में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बन गया। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अब कोलकाता में स्थित है।

**डिलिवरी आफ बुक्स** - न्यूजपेपर (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1954 में पारित किया गया। जिसके तहत प्रत्येक प्रकाशक के लिए उसकी हर पुस्तक की एक प्रति पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पुस्तकालय मुम्बई, दक्षिणी क्षेत्र के लिए कानेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली को यह अधिकार प्रदान किया गया है। सन 1956 में इस अधिनियम में संशोधन कर समाचार पत्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इस अधिनियम में पुस्तक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें प्रत्येक वॉल्यूम और उसके भाग व विभाग, किसी भी भाषा में, तथा संगीत, नक्शे, चार्ट अथवा रेखाचित्र का अलग से मुद्रित अथवा शिलामुद्रित प्रत्येक कागज सम्मिलित हैं। प्रत्येक प्रकाशक को डिलीवरी आफ बुक्स-न्यूजपेपर अधिनियम के अन्तर्गत अपने प्रकाशन की चार प्रतियां 30 दिन के भीतर अपने व्यय पर इन उपरिलिखित पुस्तकालयो को भेजनी होती है जो प्रकाशक ऐसा नहीं

करता उसके लिए अर्थदण्ड की व्यवस्था है।

बोध प्रश्न -

1. नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम क्या था?

---

2. नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में कितने कमरे थे?

---

3. पुस्तकालय के चार मुख्य तत्वों के नाम लिखिए।

---

---

---

4. मुख्यतः पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकारों के नाम लिखिए?

---

---

---

---

5. यूनेस्को के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा लिखिए।

---

---

---

6. यूनेस्को ने 1970 में राष्ट्रीय पुस्तकालय के कौन से कार्य वर्णित किये हैं?

---

---

---

---

7. डिलिवरी आफ बुक्स - न्यूजपेपर (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया?

---

---

---

8. डिलिवरी आफ बुक्स अधिनियम में कब संशोधन कर समाचार पत्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया?

---

---

## 7.2.2 सार्वजनिक पुस्तकालय

जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के, जाति के, रंग के और व्यवसाय के सभी के लिए खुला हो उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। जो आम जनता के लिए खुला हो। पहले राजा लोग व शाही परिवार के अपने निजी पुस्तकालय होते थे जो सिर्फ उनके लिए ही खुलते थे। अब समय बदल गया है कल्याणकारी व प्रजातांत्रिक राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय का महत्व बढ़ गया है। पुस्तकालय अधिनियम ने भी इस क्षेत्र में अपूर्व योगदान दिया है। जिसके अन्तर्गत गांव से लेकर ब्लाक तक और फिर जिला स्तर पर भी सार्वजनिक पुस्तकालय खोले गये हैं। जो सभी वर्गों के लोगों को सेवाएं देते हैं। हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या अब भी गाँव में निवास कर रही है। यदि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खुल जाय तो कितना अच्छा हो क्योंकि पुस्तकालय केवल पढ़े लिखे लोगों को ही नहीं बल्कि अनपढ़ लोगों को भी पढ़ने (प्रौढ़ शिक्षा) में सार्वजनिक पुस्तकालय बहुत योगदान देते हैं।

यूनेस्को ने अपने घोषणा पत्र 1972 में सार्वजनिक पुस्तकालयों के बारे में कहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय वह है जिसकी -

- स्थापना कानून के आधार पर हो
- वित्त-व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित हो।
- किसी भी सेवा के लिए शुल्क न लिया जाता हो।

- जो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए बिना किसी जाति, भेदभाव, धर्म, समाज, आयु, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा और शिक्षा के स्तर के लिए खुली है। और ये सभी इसका उपयोग बिना किसी रूकावट के और निःशुल्क करते हो।

उपर्युक्त दर्शाये गये लक्षण सार्वजनिक पुस्तकालय की पूरी परिभाषा को लक्षित करते हैं। डा. एस.आर.रंगानाथन ने भी सार्वजनिक पुस्तकालयों को सामाजिक संस्था माना है।

### 7.2.2.1 सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य

**क ) संग्रह करना** - सार्वजनिक पुस्तकालयों को जन-पुस्तकालय भी कहा जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में सभी वर्गों के लोग, सभी व्यवसाय के लोग आते हैं। बच्चे, बूढ़े तथा औरतें भी जनपुस्तकालय के सदस्य होते हैं। जन-पुस्तकालय सबके अनुरूप सामान्य पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, सन्दर्भ ग्रन्थ, कहानी-उपन्यास तथा आडियो-वीडियो, डिस्क आदि का संग्रह करते हैं।

**ख ) प्रबन्ध करना-** सार्वजनिक पुस्तकालय क्रय किए हुए, संग्रह किये हुए संसाधनों का वर्गीकरण तथा सूचीकरण आदि प्रक्रिया करके उनको पाठकों के अनुरूप बनाता है। जन पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए वांग्मय सूचियाँ, नवीन संग्रह की सूची व अनुक्रमणी भी तैयार करते हैं।

**ग ) प्रौढ़ शिक्षा में सहायक** - जो मनुष्य लगातार शिक्षा प्राप्त न कर सके, स्कूलों मे न जा सके उन सब के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा में ही नहीं बल्कि आस-पास के स्कूली छात्रों को उनके शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर सहायता करते हैं।

**घ ) मनोरंजन का साधन -** सार्वजनिक पुस्तकालय खाली समय में ज्ञानवर्धक मनोरंजन का साधन है। आदमी जब थका हारा, काम करके आता है तो पुस्तकालय उसको मनोरंजक कहानी, उपन्यास आदि उपलब्ध करा उनकी थकान को दूर करने में सहायता करते हैं। वृद्ध व्यक्ति, रिटायर्ड आदमी, डाक्टर, इन्जीनियर्स सभी के लिए जन-पुस्तकालय एक ज्ञानवर्धक समय गुजारने का साधन है।

**ङ ) प्रजातन्त्र में सहायक** - सार्वजनिक पुस्तकालय सभी वर्गों, जातियों, व्यवसायियों आदि के लोगों को सेवा प्रदान करता है। लोग यहाँ पर सभी प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं।

प्रजातंत्र की भावना का विकास होता है। व ज्ञानवर्धक जानकारी भी मिलती है। आपसी सहयोग की भावना भी बढ़ती है।

**च) सूचना का स्त्रोत** - जन पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए सूचना का स्त्रोत भी है। नित्य नई-नई सूचनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना भी जन पुस्तकालय का कार्य है। देश-विदेश के हर क्षेत्र में क्या क्या घटित हो रहा है इन सबकी जानकारी सार्वजनिक पुस्तकालय में मिलती है।

**छ) सांस्कृतिक केन्द्र** - जन पुस्तकालय अपने सभी पाठकों को विभिन्न देशों की संस्कृति, उनके रहन-सहन, शासन व्यवस्था व पूर्वजों के बारे में जानकारी देता है। इतिहास में घटित घटनाओं की जानकारी भी सार्वजनिक पुस्तकालय अपने संसाधनों से अपने पाठकों को उपलब्ध कराते हैं जिससे हमें अपनी संस्कृति के साथ-साथ विभिन्न संस्कृतियों की भी जानकारी मिलती है।

**ज) अन्य सेवायें** - जन पुस्तकालय अपने पाठकों को अपने पुस्तकालयों के संसाधनों से ही नहीं बल्कि अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों से भी नेटवर्क के माध्यम से जुड़कर अन्तर्पुस्तकालय ऋण के द्वारा अपने पाठकों को उनकी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। फोटोकॉपी सेवा, पुस्तकों का आदान-प्रदान, वांग्मय सूची, पुस्तकों की समीक्षा, सी.ए.एस., एस.डी.आई. तथा इन्टरनेट आदि सेवाओं को भी सार्वजनिक पुस्तकालय अपने पाठकों को उपलब्ध कराते हैं।

### 7.2.2.2 भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति

आजादी के 63 वर्ष बीत जाने पर भी भारत के सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो सका है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति भी अच्छी नहीं है।छोटे कस्बों व गाँवों में तो पुस्तकालय ही नहीं है। सरकार को इन क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के लिए और प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। जिन राज्यों में अधिनियम पारित नहीं हुआ है वहाँ अधिनियम पारित करने के लिए और प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। पहले से स्थापित पुस्तकालयों के रख-रखाव और उनके अद्यतन के लिए नई सूचना तकनीकों व प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। नये-नये पुस्तकालय खोलने चाहिए तथा योग्यता से परिपूर्ण कर्मचारियों की ही इन पुस्तकालयों में नियुक्ति करनी चाहिए।

बोध प्रश्न -

9. यूनेस्को ने अपने घोषणा पत्र 1972 में सार्वजनिक पुस्तकालयों के बारे में क्या कहा है?

---

---

---

---

10. सार्वजनिक पुस्तकालयों को ------- भी कहा जाता है।

## 7.2.3 शैक्षणिक पुस्तकालय ( Academic Library )

शैक्षणिक पुस्तकालय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय व विद्यालय पुस्तकालय आते हैं, शैक्षिक पुस्तकालय शैक्षणिक संस्था से जुड़े रहते हैं। जिस स्तर की संस्था होती है उसी स्तर के पाठकों को सेवा प्रदान करना शैक्षिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय पाठकों के साथ संस्था के अध्यापक अन्य कर्मचारियों की सूचना आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं। पढ़ाए जाने वाले विषयों की सामग्री के साथ साथ शोध में सहायक अतिरिक्त सन्दर्भ ग्रन्थ भी अपने पाठकों को उपलब्ध कराते हैं। आज के कम्प्यूटर युग में तो शैक्षिणिक पुस्तकालय अब इन्टरनेट व अपनी कम्प्यूटरीकृत सेवाओं द्वारा भी अपने पाठकों को सन्तुष्ट कर रहे हैं।

### 7.3.3.1 आवश्यकता -

पुराने समय में तो गुरू ही पुस्तकालय होते थे बाद मे धीरे धीरे समय के बदलाव के साथ-साथ पुस्तकालयों की आवश्यकता अनुभव की गई। प्रकाशनों की संख्या में वृद्धि, जटिल विषयों पर शोध व नये-नये पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ और प्रकाशनों के मूल्यों में वृद्धि ही इन पुस्तकालयों के उदय के मुख्य कारण हैं। आजकल जो शोध जटिल विषयों पर हो रहे हैं बिना पुस्तकालयों की सहायता के इनको पूरा करना आसान नहीं है। एक शोधकर्ता इतनी संख्या के प्रकाशनों में अपना विशिष्ट टॉपिक और विषय नहीं ढूँढ सकता। पुस्तकालय ही अपनी सेवाओं द्वारा उसकी सहायता कर सकता है। पुस्तकालय अपने संसाधनों से ही नहीं बल्कि दूसरे पुस्तकालयों के संसाधनों से भी नेटवर्क द्वारा जुड़कर अपने पाठकों को सेवाओं को उपलब्ध कराता है। स्कूल पुस्तकालय

भी अपने पाठकों में पढ़ने की आदत डालते हैं व बच्चों के स्तर की मनोरंजन व ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं जैसे सुमन सौरभ, चन्दामामा, चम्पक, लोट-पोट , जूनियर साइंस पत्रिकाएं इत्यादि उपलब्ध कराते हैं।

### 7.2.3.2 विश्वविद्यालय पुस्तकालय

विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राएं शोधों में लगे रहते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय एक प्रकार का शोध पुस्तकालय ही है जो अपने पाठकों, शोधकर्ताओं को उनकी रूचिनुसार, विषयानुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अपने संग्रह का विकास इस प्रकार करना चाहिए जो पाठकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ दे सके। इसी के साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को नई-नई तकनीकों को भी अपनाना चाहिए, अपने परम्परागत तरीकों पर ही नहीं चलना चाहिए। इनका कम से कम समय में अपने पाठकों को सन्तुष्ट करना ही मुख्य उद्देश्य है।

#### 7.2.3.2.1 विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य -

क) ज्ञान का परीक्षण (Conversation of knowledge)

ख) शिक्षण (Teaching)

ग) शोध (Research)

घ) प्रकाशन (Publication)

ङ) शिक्षा विस्तार (Extension)

च) ज्ञान की व्याख्या (Interpretation)

विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निम्न कार्य हैं -

**क) ज्ञान का भण्डारण** - विशवविद्यालय पुस्तकालय पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, वीडियो-आडियो, टेप, सीडी, डीवीडी, का संग्रह करता है। अपने पाठकों की आवश्यकता व उनके स्तर के अनुसार अपने संसाधनों का विकास करता है। पाठकों को उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ सहायक पुस्तकों तथा शोधकर्ताओं कोउनके विषय पर सन्दर्भ व अन्य ग्रन्थ विश्वविद्यालय पुस्तकालय उपलब्ध कराता है। कालेज पुस्तकालय भी अपने पाठकों को उनकी विषयों की पुस्तकों के साथ मनोरंजन ज्ञानवर्धक पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराते हैं। अध्यापकों को भी उनके स्तर के विषयों की पुस्तकों को उपलब्ध कराते हैं इस प्रकार शैक्षणिक पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्था के सम्पूर्ण

विकास के लिए अति आवश्यक है।

**ख ) वर्गीकरण, सूचीकरण व वांग्मय सूची तैयार करना (Classification, Cataloguing and Bibliography)**- विश्वविद्यालय पुस्तकालय अपने पाठकों की सुविधाओं के लिए क्रय किये हुए संसाधनों का वर्गीकरण कर उनको अलमारियों में वर्गीकृत तरीके से लगता है तथा पाठकों के लिए सूची तैयार करता है। जो पाठकों को पुस्तकें खोजने के लिए एक चाबी का काम करती है। दूसरा विश्वविद्यालय विषयानुसार वांग्मय सूचियों को भी तैयार करता है। जिससे पाठक जान सकें कि उनके विषय पर क्या-क्या छप रहा है। कम्प्यूटरीकृत विश्वविद्यालय पुस्तकालय अपने पाठकों को ओपेक (OPAC) और वैब ओपेक (Web-OPAC) की सहायता से अपने संग्रह व अन्य पुस्तकालयों के संग्रंह की भी सूची उपलब्ध करा रहे हैं।

**ग ) अन्तर्पुस्तकालय ऋण ( Inter Library Loan )** - विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पास यदि कोई पुस्तक या अन्य प्रलेख नहीं है जो पाठक द्वारा मांगा गया है तो वह दूसरे पुस्तकालयों से अन्तर्पुस्तकालय ऋण के अन्तर्गत मंगवाकर उसको देता है। आजकल तो इन्टरनेट की सहायता से यह समस्या और आसानी से और जल्दी ही हल हो जाती है।

**घ ) सी.ए.एस./एस.डी.आई. (Current Awareness Services/Selective Disemination of Information)** - इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय पुस्तकालय अपने पाठकों को पुस्तकालय में क्या-क्या नया आया है उनको प्रदर्शन (Display) करता है तथा एस.डी.आई. के अन्तर्गत पुस्तकालय पाठकों की रूचि के प्रोफाइल या लिस्ट बनाता है तथा पुस्तकालयों के पास उपलब्ध उस विषय से सम्बन्धित क्या है का मिलान करता है और पाठकों को प्रदान करता है।

**ङ ) पाठक शिक्षा सप्ताह का आयोजन करना ( Orientation Week )** - पुस्तकालय अपने नये पाठकों के लिए हर वर्ष के शुरू में पाठक शिक्षा सप्ताह का आयोजन करता है जिसके अन्तर्गत पाठकों की सहायता के लिए विभिन्न प्रोग्रामों का आयोजन करता है जिसमें पाठकों को पुस्तकालयों के संसाधनों, सेवाओं तथा नियम-कायदों के बारे में बताया जाता है।कौन से तल पर किस विषय का भण्डारण है तथा अन्य स्थितियाँ जैसे काउन्टर फोटोकापी सेवा विभाग, सन्दर्भ ग्रन्थ विभाग व उनके प्रयोग इत्यादि के बारे में बताया जाता है। पुस्तकालय इसके लिए व्याख्यानों का, वीडियो फिल्म का भी आयोजन करते हैं। आजकल तो कम्प्यूटर की सहायता से यह प्रोग्राम आसानी से और प्रभावशाली तरीके से किया जाता है।

**च) पाठकों की अन्य सेवाएँ** - जैसे फोटोकापी, प्रिन्टिंग सर्विस, इन्टरनेट व अनुवाद आदि सेवाएं भी उपलब्ध कराना विशवविद्यालय पुस्तकालय के कार्यों के अन्तर्गत आता है पुस्तकालय अपने प्रकाशन भी निकालता है जैसे वांग्मय सूची व वार्षिक रिपोर्ट आदि। समय-समय पर पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए पुस्तक सप्ताह, प्रदर्शन आदि का भी आयोजन करता है।

विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के कार्य व कार्यक्रम, उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे - पाठकों का स्तर कैसा है? विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? अनुदान कितना मिलता है आदि के आधार पर कोई भी विश्वविद्यालय पुस्तकालय अपनी सेवाओं को देता है।

### 7.2.3.3 महाविद्यालय पुस्तकालय

महाविद्यालय के छात्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकें तथा अध्यापकों को सन्दर्भ ग्रन्थों तथा पत्र पत्रिकाओं का संग्रह तथा आदान-प्रदान सेवाएं महाविद्यालय पुस्तकालय में दी जाती हैं। लायल ने इस सम्बन्ध में कहा है कि कॉलेज पुस्तकालय सेवा, पुस्तक संग्रह तथा संचारण जैसे मान्य कार्यों से भी आगे बढ़ती जाती है। कॉलेज पुस्तकालय केवल मात्र पुस्तकों के संग्रह व संचारण के लिए नहीं हैं अपितु सन्दर्भ सेवा द्वारा शैक्षणिक कार्यों में सहायता देने एवं सम्बन्धित शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के लिए विभागीय सदस्यों को पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने एवं विद्यार्थियों को अच्छी व अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती है।

किसी महाविद्यालय का पुस्तकालय देखकर उस महाविद्यालय के बारे में जाना जा सकता है। कॉलेज पुस्तकालय का उद्देश्य छात्रों को निर्देशन व सहायता देने के साथ-साथ अध्यापकों को भी आगे बढ़ाने में सहायक होना है। अतः महाविद्यालय पुस्तकालय का गठन वैज्ञानिक ढंग से अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए होना चाहिए तथा महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए हर वर्ष पर्याप्त धन की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे पुस्तकालय समय के साथ-साथ चल सके और अपने छात्रों के नित्य बदल रहे पाठ्यक्रमों की पुस्तकें उपलब्ध करा सकें।

#### 7.2.3.3.1 आवश्यकता

आज के युग में महाविद्यालय पुस्तकालयों की ज्यादा जरूरत महसूस की गई है। नित्य नवीन पाठ्यक्रमों का आगमन, प्रकाशन मूल्यों में बढ़ोत्तरी, जटिल विषयों पर

शोध कार्य तथा प्रकाशन सामग्री में तीव्रता के कारण पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस की गई है। आज एक छात्र, अध्यापक या शोधकर्ता के लिए यह जान सकना सम्भव नहीं है कि उनके विषय पर क्या-क्या मुद्रित हो रहा है। पुस्तकालय ही इस सम्बन्ध में अपने पाठकों की सहायता सूची, वांग्मय सूची आदि तैयार करके तथा सी.ए.एस. व एस.डी.आई. सेवाओं द्वारा कर सकते हैं। इसलिए आज पुस्तकालय का महत्व बढ़ गया है। आज महाविद्यालय पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपनी सेवाओं को अपने पाठकों तक कम समय में तथा अच्छे वैज्ञानिक तरीकों से प्रदान कर रहा है।

### 7.2.3.3.2 महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्य

वैसे तो कालेज पुस्तकालय के कार्य विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों जैसे ही हैं परन्तु विश्वविद्यालय में शोध पर ज्यादा जोर दिया जाता है व बड़े स्तर पर पुस्तकालय का गठन किया जाता है। महाविद्यालय पुस्तकालय के निम्न कार्य हैं -

**क ) संग्रह करना** - महाविद्यालय पुस्तकालयों का सर्वप्रथम कार्य अपने पाठकों के स्तर पर विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों तथा सन्दर्भ ग्रन्थों का संग्रह करना। पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य नोट-बुक सामग्री जैसे सी.डी, डी.वी.डी., ऑडियो, वीडियो, का संग्रह करना है। महाविद्यालय यह संग्रह छात्रों के सुझावों व मुख्य रूप से अध्यापकों के सुझावों के आधार पर संग्रह करता हैं ।

**ख ) प्रबन्ध करना -** दूसरा कार्य खरीदे हुए संग्रह किये हुए सामग्री का प्रबन्ध करना है। वर्गीकरण करना, सूचीकरण करना इसके अन्तर्गत आते है आजकल तो महाविद्यालय पुस्तकालय कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को अपना कर यह काम बड़ी आसानी से व अच्छी तरह से कर रहे हैं जिससे पुस्तकालय कर्मचारियों के साथ छात्रों का भी लाभ हो रहा है।

**ग ) प्रदर्शन करना** - महाविद्यालय पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए पुस्तक सप्ताह का भी आयोजन करते हैं। नई-नई पुस्तकों की जैकेट लगाना तथा अन्य ऐसे आयोजन करना जिससे पाठकों को लाभ व जानकारी हो।

**घ ) पाठक सप्ताह** - महाविद्यालय अपने नये पाठकों के लिए शुरू शुरू में पाठक सप्ताह का आयोजन करते हैं जिससे पुस्तकालय कर्मचारी छात्रों को पुस्तकालय द्वारा दी जा रही सेवाओं, पुस्तकालय का भौतिक स्वरूप तथा कायदे-कानून के बारे में बताते हैं। इसके लिए व्याख्यानों, पुस्तकालय टूर (परिक्रमा), ऑडियो-वीडियो कैसेट आदि का

प्रयोग किया जाता है। आजकल पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से भी ऐसे कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं।

ङ) **अन्य कार्य/सेवाएँ** - इनके साथ-साथ महाविद्यालय पुस्तकालय फोटो कापी सेवा प्रदान करता है। तथा अपने पाठकों के लिए विभिन्न विषयों पर वांग्मय सूची तैयार करता है। सी.ए.एस./सी.डी.आई. सेवाओं को भी पुस्तकालय देता है। सेवाएँ तो बहुत हैं किन्तु यह सब महाविद्यालय किस स्तर का है? उसकी वित्त व्यवस्था कैसी है? तथा पाठकों की संख्या व स्तर आदि पर निर्भर करता है।

### 7.2.3.4 विद्यालय पुस्तकालय

बच्चे देश के कर्णधार होते हैं आज के बच्चे कल के नेता। यदि उनका, सर्वांगीण विकास नहीं होता तो यह बातें सच नहीं हो पाएँगी। विद्यालय पुस्तकालय विविध प्रकार से बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। पाठ्यक्रमों के साथ-साथ बच्चों की मनोरंजक, ज्ञानवर्धक सामग्री प्रदान करना स्कूल पुस्तकालय का कार्य है। स्कूल पुस्तकालय का मुख्य कार्य बच्चों में पढ़ने की रूचि पैदाकरना ओर पुस्तकालय का उपयोग कैसे करना सिखाता है। बच्चों के सामने चित्र युक्त ज्ञानवर्धक कहानियाँ, पत्र पत्रिकाएं आदि रखनी चाहिए। बच्चे रंगीन चित्रों वाली कहानियां अधिक पढ़ते है। जिससे उनमें पढ़ने की आदत का विकास होता है। यह उम्र बच्चों की ऐसी होती है जिस तरफ ढालेंगे, ढल जायेगा। बच्चों में अच्छा चरित्र निर्माण करना शिक्षा व पुस्तकालय दोनों का ही कर्तव्य है। देश-भक्ति की भावना, वीरता, खेलकूद में प्रवीणता के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान की भी जानकारी कराना विद्यालय पुस्तकालय का कार्य हैं ।

#### 7.2.3.4.1 विद्यालय पुस्तकालय के कार्य

विद्यालय पुस्तकालय के कार्य निम्न हैं -

- पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य पाठ्य सामग्री कहानियाँ, छोटे सन्दर्भ ग्रन्थ आदि का संग्रह करना।
- पाठ्यक्रमों की पुस्तकें तथा सहायक पुस्तकों को छात्रों को जुटाना और पुस्तकालय में संग्रह करना।
- पाठ्य पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री का वर्गीकरण तथा सूचीकरण करना और बच्चों को पुस्तकें खोजने के बारे में सिखाना जिससे बच्चे स्वयं पुस्तकालय का

उपयोग करना सीखें।

- बच्चों के लिए पुस्तकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करना तथा पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था करना
- बच्चों को मनोरंजक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें व पत्रिकाएं,कहानियां देकर उनमें पढ़ने की रूचि पैदा करना।
- समय-समय पर होने वाले प्रतियोगिता सम्बन्धी प्रोग्रामों के बारे में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर बच्चों का मार्गदर्शन करना।
- नये बच्चो को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शनी लगाना तथा पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन करना जिससे बच्चों को पुस्तकालय के बारे में पूरी जानकारी हो सके।

### 7.2.3.4.2 विद्यालय पुस्तकालयों का स्तर -

विद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति बहुत अच्छी नही है। भारत में तो बहुत से विद्यालयों में पुस्तकालय केवल कागजों में है वास्तविकता कुछ और ही है। जिनमें पुस्तकालय है भी तो वहाँ पुस्तकें एक कमरे में कुछ अलमारियों में सिमटी हुई रखी होती हैं। प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में तो पुस्तकालय ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल की मान्यता लेने के लिए कागजों में पुस्तकालय दिखाते हैं वास्तविकता में कोई पुस्तकालय नहीं होता। पुस्तकालय भवन ही नहीं है। सबसे बुरी स्थिति यह है कि जिन अच्छे स्कूलों में पुस्तकालय हैं उनमें कुछ में तो पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त ही नहीं किये गये हैं वहाँ पर एक अध्यापक को पुस्तकालय का प्रभार सौंप दिया जाता है जो पुस्तकों को आलमारी में बन्द रखता है और पुस्तकें धूल चाटती रहती है।वह बस कुछ चहेतों को पुस्तकें दे देता है उसके पास पुस्तकालय के रख-रखाव के लिए न तो समय है न ही ज्ञान है। जिन विद्यालयों में अच्छे पुस्तकालय हैं उनकी फीस / शुल्क इतना ज्यादा होता है कि आम आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता। 60 प्रतिशत बच्चे पुस्तकालय सुविधा से वंचित रह जाते हैं। भारत को आजाद हुए लगभग 65 वर्ष हो चुके हैं फिर भी विद्यालय पुस्तकालयों की दयनीय अवस्था है। सरकार व NCERT/CBSE आदि सभी शिक्षा बोर्डों को स्कूलों को मान्यता देने से पहले पूरी तरह जाँच करनी चाहिए कि विद्यालय में पुस्तकालय भवन है भी कि नहीं। औचक निरीक्षण भी बार-बार करना चाहिए सरकार को सरकारी विद्यालयों में भी पुस्तकालय कोएक जरूरी अंग कर देना

चाहिए। नई शिक्षा नीति (1986) के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कुछ सुधार की आशा की जा सकती है। परन्तु पूर्ण रूप से सुधारने के लिए बच्चों के अभिभावकों को आगे आना होगा।

बोध प्रश्न -

11. शैक्षणिक पुस्तकालय में कौन से पुस्तकालय आते हैं?

---

---

12. विल्सन और टोबर ने विश्वविद्यालय के कौन से कार्य बताए हैं?

---

---

13. भारत में विद्यालय पुस्तकालयों के स्तर पर प्रकाश डालिए?

---

---

### 7.2.4 विशिष्ट पुस्तकालय

कई बार विशिष्ट पुस्तकालय और शैक्षिक पुस्तकालय में भेद करना मुश्किल हो जाता है। कई पुस्तकालय ऐसे होते हैं जिन्हें हम विशिष्ट पुस्तकालय तथा शैक्षिक पुस्तकालय भी कह सकते हैं जिस पुस्तकालय के पाठक विशेष होते हैं तथा संग्रह भी विशेष प्रकार का होता है वह विशिष्ट पुस्तकालय की श्रेणी में आता है। जैसे विभागीय पुस्तकालय किसी विषय के होते हैं और इन्जीनियरिंग पुस्तकालय में पुस्तकालय दोनों वर्गों में माने जा सकते हैं, परन्तु शोध केन्द्रों के पुस्तकालय, सरकारी विभागों के पुस्तकालय (योजना आयोग, अर्थशास्त्र विभाग, लोक सभा पुस्तकालय, National Physical Laboratory Library आदि) व्यवसायिक पुस्तकालय, औद्योगिक पुस्तकालय (इस्पात, तांबा, अभ्रक, तेल शोध कारखाना, पटसन, चीनी, फिल्म आदि के पुस्तकालय) अस्पताल पुस्तकालय (मरीजों तथा डाक्टर के लिए), विकलांगों तथा अंधों के लिए पुस्तकालय, जेल पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय। ये सभी उपर्युक्त पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालयों की श्रेणी में आते हैं।

**परिभाषाएँ -**

विशिष्ट पुस्तकालय वे पुस्तकालय होते हैं जिसका उद्देश्य किसी विशेष पाठक की विशिष्ट सूचना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

डा. एस.आर. रंगानाथन ने कहा है, "मैं उस पुस्तकालय को विशिष्ट पुस्तकलाय कहूँगा जो व्याख्यात्मक सूचना कुछ विषयों पर जैसे वैज्ञानिक, तकनीकी, और अन्य जिसके संसाधन विशिष्ट हों और पाठक भी विशिष्ट हों।

## 7.2.4.1 विशिष्ट पुस्तकालयों के लक्षण

उपरोक्त परिभाषाओं से विशिष्ट पुस्तकालयों के लक्षणों का पता चलता है। जो इस प्रकार हैं -

**( क ) विशिष्ट संग्रह -** जैसा कि उपरोक्त परिभाषाओं में बताया गया है कि विशिष्ट पुस्तकालय का संग्रह विशेष प्रकार का होता है। जहाँ पाठक विशेष होंगे तो वहाँ का संग्रह भी उन्हीं के अनुरूप विशेष ही होगा। यहाँ के प्रलेख सूचनाओं से ओत-प्रोत होते हैं। विशिष्ट पुस्तकालयों के पाठकों के पास समय कम होता है इसी को ध्यान में रखकर ही यहाँ का संग्रह और सेवाओं का व्यवस्थापन किया जाता है।

**( ख ) विशिष्ट पाठक तथा सेवाएँ** - यहाँ के पाठक विशेष होते हैं जैसे - वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जीनियर्स आदि इनके पास समय का अभाव रहता है। इनके पास समय ही नहीं होता है कि पूरा पुस्तकालय घूम-घूम कर देखें व अपनी रूचि की सूचना खोजे। ये अपनी जरूरतों को कर्मचारियों को देते हैं वे तुरन्त सूचना प्रदान कराते हैं । इनको विशिष्ट सेवाएँ दी जाती हैं जिनकी तैयारी पुस्तकालय कर्मचारियों को पर्दे के पीछे पहले से ही करनी होती है।

**( ग ) विशिष्ट कर्मचारी -** यहाँ के कर्मचारी बड़े ही योग्य प्रशिक्षित तथा विषयों के जानकार होते हैं। इनको नई-नई सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकों की जानकारी होती है। जिससे वे पाठकों को विशेष सेवाएँ देकर संतुष्ट करते हैं।

## 7.2.4.2 विशिष्ट पुस्तकालयों के कार्य

**( क ) संग्रह** - सभी पुस्तकालयों की तरह विशिष्ट पुस्तकालय का प्रथम कार्य संग्रह करना है। परन्तु इसका संग्रह विशेष प्रकार का होता है जो पाठकों तथा संस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट पुस्तकालयों में सन्दर्भ ग्रन्थ सूचनाओं से ओत-प्रोत, पत्र

पत्रिकाओं देश तथा विदेश के Patents, Reports आदि का संग्रह किया जाता है।

**( ख ) प्रबन्ध** - विशिष्ट पुस्तकालयों में वर्गीकरण और सूचीकरण पर ही बात खत्म नहीं होती है। यहाँ पाठक Pin pointely सूचनाओं को चाहता है पूरा ग्रन्थ देखने के बजाए। इसलिए यहाँ पर विशेष कार्य करने होते हैं, सूचनाओं का विषयानुसार प्रबन्ध करना होता है। आजकल तो कम्प्यूटर व पुस्तकालय स्वचालीकरण साफ्टवेयर की सहायता से विशिष्ट पुस्तकालयों के कर्मचारी यह कार्य कर रहे हैं।

**( ग ) सेवाएँ** - विशिष्ट पुस्तकालयों में पुस्तकों के आदान-प्रदान के साथ-साथ पत्र-पत्रिकाओं की भी सेवाएँ दी जाती हैं। C.A.S.(Current Awareness Services) दी जाती हैं। यहाँ पर S.D.I. (Selective Dissemitation of Information) जिसमें प्रलेख प्रोफाइल तथा पाठकों की जरूरतों को क्रमानुसार करके पाठक प्रोफाइल बनायी जाती है। फिर मिलान किया जाता है तथा पाठकों को अवगत कराया जाता है। फोटोकॉपी सेवाएं भी विशिष्ट पुस्तकालय प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इन्टरनेट सेवाएँ अन्तर्पुस्तकालय ऋण (Inter Library Loan) के अन्तर्गत दूसरे पुस्तकालयों से भी जरूरत के प्रलेखों को मँगवाकर पाठकों की जरूरत को पूरा किया जाता है। वांग्मय सूचियों को भी विषयानुसार पाठकों के लिए तैयार किया जाता है। पाठकों के आने से पहले ही विशिष्ट पुस्तकालयों में सारी तैयारियाँ पर्दे के पीछे की जाती हैं।

### 7.2.4 व्यक्तिगत पुस्तकालय

उपरोक्त चार प्रकार के पुस्तकालयों (शैक्षिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा विशिष्ट पुस्तकालय) के अतिरिक्त व्यक्तिगत पुस्तकालय भी होते हैं। जिनको पुस्तकालय में विशेष रूचि होती है वे लोग अपने नाम से भी पुस्तकालय खुलवाते हैं । वे अपनी जगह पर तथा अपने पैसे से धर्मार्थ हेतु या अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए पुस्तकालय खुलवाते हैं। इनमें से कुछ पुस्तकालय तो सार्वजनिक पुस्तकालयों की तरह से काम करते हैं और कुछ निजी की तरह से, यह सब पुस्तकालय खुलवाने वाले पर भी निर्भर करता है कि वह उक्त पुस्तकालय का उपयोग किसके लिए चाहता है अपने लिए या जनता के लिए ।

बोध प्रश्न -

14. विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा दीजिए।

---

---

15. डा. एस.आर. रंगनाथन ने विशिष्ट पुस्तकालय किसको कहा है?

---

---

16. विशिष्ट पुस्तकालयों के लक्षणों और उसके संग्रह के बारे में लिखिए।

---

---

17. व्यक्तिगत पुस्तकालयों पर एक नोट लिखिए।

---

---

## 7.3 सारांश

पुराने समय के अनुसार पुस्तकालय, पुस्तकों, अभिलेखों का भण्डारण था जिसे राजा या शाही परिवार के लोग सिर्फ अपने लिए बनवाते थे। आज के युग में पुस्तकालय का पूरा आदर्श ही बदल गया है। समय के अनुसार पुस्तकालय की पूरी परिभाषा व अवधारणा भी बदल गयी है। वर्तमान समय में तो पुस्तकालयों के विकास के लिए बहुत सा धन व्यय किया जा रहा है। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालयों को लागू किया गया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना गाँव स्तर से लेकर जिला स्तर तक की जा रही है। अनेक समितियों और आयोगों की संस्तुतियों को लागू किया जा रहा है। सभी पुस्तकालयों को अद्यतन बनाना, उनका कम्प्यूटराइजेशन करना उनको क्षेत्रीय राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क सूचना प्रणालियों से जोड़ना यह सब भविष्य में होने जा रहा है। डिजिटल पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए नए-नए कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितनी संरतुतियाँ पुस्तकालयों के विकास के लिए की गई हैं उनको ईमानदारी से अमल में लाना। ज्ञान आयोग की संस्तुतियों को लागू करना हाल ही में ज्ञान

आयोग ने पुस्तकालयों के सम्पूर्ण विकास एवं उनकी पूर्ण उपयोगिता के लिए महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित होने चाहिए जिससे पुस्तकालय कर्मचारी अच्छी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी के जानकार हो जाये।

आज पुस्तकालय अपने में ही सिमट कर नहीं रह गये हैं बल्कि वे नई सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए एक दूसरे से सहयोग करके उपयोगकर्ता की सारी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। भारत में पुस्तकालय विकास व शिक्षा के जनक डा. एस.आर. रंगानाथन का महत्वपूर्ण योगदान है। जो आज हम काट रहे हैं वह सब उनका ही बोया हुआ है नहीं तो पहले समय में किसी भी अध्यापक या प्राध्यापक को पुस्तकालय सौंप दिया जाता था।

## 7.4 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था।

2. नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 900 कमरे थे।

3. पुस्तकालय के चार मुख्य तत्व होते हैं -

   - प्रलेखों/पुस्तकों का भण्डार
   - एक उपयुक्त भवन
   - योग्य कर्मचारी
   - पाठकगण

4. विशेष रूप से पुस्तकालय चार प्रकार के होते हैं -

   - राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Library)
   - सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Library)
   - शैक्षणिक पुस्तकालय (Academic Library)
   - विशिष्ट पुस्तकालय (Special Library)

5. यूनेस्को के अनुसार जो पुस्तकालय देश में प्रकाशित अच्छे शानदार महत्व के प्रकाशन की नकलों को रखने, प्राप्त करने का जिम्मेदार हो और संग्रहक पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है जिसकी स्थापना किसी कानून के तहत या अन्य किसी प्रणाली के अन्तर्गत हुई है।

6. यूनेस्को ने 1970 में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य वर्णित किये हैं।

- राष्ट्रीय वांग्मय सूची प्रकाशित करना।
- दूसरे देशों के साहित्यिक प्रकाशनों (पुस्तकों) का संग्रह करना व देश का प्रतिनिधित्व करना।
- राष्ट्रीय वांग्मय सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- संयुक्त सूची तैयार करना।
- राष्ट्रीय अनुदर्शनात्मक वांग्मय सूची प्रकाशित करना।

7. डिलिवरी आफ बुक्स - न्यूजपेपर (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1954 में पारित किया गया।

8. डिलिवरी आफ बुक्स अधिनियम में सन 1956 में संशोधन कर समाचार पत्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया।

9. यूनेस्को ने अपने घोषणा पत्र 1972 में सार्वजनिक पुस्तकालयों के बारे में कहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय वह है जिसकी -

- स्थापना कानून के आधार पर हो;
- वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित हो;
- किसी की सेवा के लिए शुल्क न लिया जाता हो; और
- जो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए बिना किसी जाति, भेदभाव धर्म, समाज, आयु, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा और शिक्षा के स्तर के लिए खुली हो। और ये सभी इसका उपयोग बिना किसी रूकावट के और निःशुल्क करते हों।

10. सार्वजनिक पुस्तकालयों को जन-पुस्तकालय भी कहा जाता है।

11. शैक्षणिक पुस्तकालय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय पुस्तकालय व विद्यालय पुस्तकालय आते हैं।

12. विल्सन और टोबर ने विश्वविद्यालय के लिए निम्न छः कार्य बताए हैं -

- ज्ञान का परिरक्षण (Conservation of knowledge)
- शिक्षण (Teaching)

- शोध (Research)
- प्रकाशन (Publication)
- शिक्षा विस्तार (Extension)
- ज्ञान की व्याख्या (Interpretation)

13. भारत में विद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत में बहुत से विद्यालयों में पुस्तकालय सिर्फ कागजों में हैं वास्तविकता कुछ और ही है। जिनमें पुस्तकालय है भी तो वहाँ पुस्तकें एक कमरे में कुछ अलमारियों में सिमटी हुई रखी होती हैं। प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में तो पुस्तकालय ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल की मान्यता लेने के लिए कागजों में पुस्तकालय दिखाते हैं असल में कोई पुस्तकालय नहीं होता। पुस्तकालय भवन ही नहीं है। सबसे बुरी स्थिति यह है कि जिन अच्छे स्कूलों में पुस्तकालय हैं उनमें कुछ तो पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं की गई है वहां पर एक अध्यापक को पुस्तकालय का अधिभार सौप दिया जाता है।

14. विशिष्ट पुस्तकालय ऐसी सूचनात्मक सुविधा है जिसका उद्देश्य किसी विशेष पाठक की विशिष्ट सूचना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

15. डा. एस.आर. रंगानाथन ने कहा है, "मैं उस पुस्तकालय को विशिष्ट पुस्तकालय कहूँगा जो व्याख्यात्मक सूचना कुछ विषयों पर जैसे वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य जिसके संसाधन विशिष्ट हों और पाठक भी विशिष्ट हों।

16. विशिष्ट पुस्तकालय का संग्रह विशेष प्रकार का होता है। जहाँ पाठक विशेष होंगे तो वहाँ का संग्रह भी उन्हीं के अनुरूप विशेष ही होगा। यहाँ के प्रलेख सूचनाओं

से ओत-प्रोत होते हैं। विशिष्ट पुस्तकालयों के पाठकों के पास समय कम होता है इसी को ध्यान में रखकर ही यहाँ के संग्रह और सेवाओं का व्यवस्थापन किया जाता है।

17. चार प्रकार के पुस्तकालयों (शैक्षिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा विशिष्ट पुस्तकालय) के अतिरिक्त व्यक्तिगत पुस्तकालय भी होते हैं। जिनको पुस्तकालय में विशेष रूचि होती है वे लोग अपने नाम से

भी पुस्तकालय खुलवाते हैं। वे अपनी जगह पर तथा अपने पैसे से धर्मार्थ हेतु या अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए पुस्तकालय खुलवाते हैं।

## 7.5 सन्दर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री


1. Guha, B. Documentation and Information, Calcutta, World Press, 1983.
2. Khanna, J.K. Library and Society, Kurukshetra, Research Publication, 1987.
3. मांगे राम व श्रीवास्तव, अजय कुमार, इक्कीसवीं सदी में पुस्तकालय एवं समाज, आगरा, ए.बी.पी., 2008
4. मांगे राम, सूचना एवं समाज, आगरा, एसोशिएटिड पब्लिशिंग हाउस, 2009.
5. Mange Ram, New Dimensions in Library & Information Services. Agra: Associated Publishing House, 2006.
7. Parasher, R.G. Information and its communication, Ludhiana, Medallion Press, 2003.
8. सैनी, ओम प्रकाश, ग्रन्थालय एवं समाज, आगरा, वाई.के.प्रकाशन, 1999
9. त्रिपाठी एस.एम. सन्दर्भ एवं सूचना सेवा के नवीन आयाम, आगरा, वाई के पब्लिशर्स, 2000.

# NOTES

# खण्ड

# 3

# पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय संघ एवं संगठन

इकाई - 8 5

भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमः तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में

इकाई - 9 35

पुस्तकालयों के विकास में पुस्तकालय संघों की भूमिका : इफ्ला, आई. एल. ए., आइसलिक के विशेष सन्दर्भ में

इकाई - 10 57

पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न भारतीय संस्थानों का योगदान : यू0जी0सी0, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, निसकेयर एवं नासडॉक

## विशेषज्ञ समिति - पाठ्यक्रम अभिकल्पन

| | |
|---|---|
| **डॉ0 पाण्डेय एस0 के0 शर्मा** | अवकाश प्राप्त मुख्य ग्रंथालयी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, |
| **डॉ0 ए0 पी0 गक्खर** | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इला0 |
| **डॉ0 यू0 सी0 शर्मा** | एसोसियेट प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष, बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |
| **डॉ0 सोनल सिंह** | एसोसिएट प्रोफेसर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन |
| **डॉ0 ए0 पी0 सिंह** | एसोसिएट प्रोफेसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| **डॉ0संजीव सर्राफ** | उपपुस्तकालयाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| **डॉ0 टी0एन0 दुबे** (सदस्य सचिव) | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |

## सम्पादक मण्डल

| | |
|---|---|
| **डॉ0 टी0 एन0 दुबे** | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| **श्री आर0 जे0 मौर्य** | सहायक ग्रन्थालयी, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| **श्री राजेश गौतम** | प्रवक्ता, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |

## लेखक

| | |
|---|---|
| **डॉ0 निरंजन सिंह** | पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा |

## परिमापक

| | |
|---|---|
| **डॉ0 बी0 के0 शर्मा** | पूर्व विभागाध्यक्ष, डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |

प्रस्तुत पाठ्य सामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के स्वयं के हैं।



© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य-सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।



**उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से** डॉ0 आर0के0 पाण्डेय **कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित,** सितम्बर, 2016

मुद्रक : चन्द्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद

# खण्ड-3 : पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय संघ एवं संगठन

## प्रस्तावना

देश में सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए और पुस्तकालयों का देश के अन्तर्गत नेटवर्क स्थापित करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम पारित होना अत्यन्त आवश्यक है। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का सम्बन्ध सार्वजनिक पुस्तकालयों, उनकी संरचना, स्थापना, अभिशासन, रख-रखाव, कार्मिक व्यवस्था, वित्त व्यवस्था तथा नियम-परिनियम बनाने आदि से है।

संघ किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया गया व्यक्तियों का एक संगठन होता है। हर व्यवसाय के अपने संघ होते हैं। पुस्तकालय व्यवसाय भी इसका अपवाद नहीं है।पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के विकास एवं पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के हित संरक्षण के लिए पुस्तकालय संघ आवश्यक है।

भारत में पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्र स्तर पर कई संगठन एवं संस्थाएं कार्यरत हैं। ये अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोन्नयन समन्वय और विकास आदि कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं।

इस खण्ड में तीन इकाइयाँ हैं। इकाई 8 में पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता और उसके घटक, आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम एवं भारत के विभिन्न राज्यों में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

इकाई 9 में पुस्तकालय के विकास में पुस्तकालय संघों के क्रियाकलापों की विवेचना की गई है।

इकाई 10 में राष्ट्र स्तर पर स्थापित विभिन्न संगठनों की स्थापना, भूमिका, उद्देश्य, गतिविधियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की विवेचना की गई है।

## इकाई -8 : भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम: तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में (Public Library Legislation in India : In Special Reference to Tamilnadu, Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Uttar Pradesh)

### इकाई की रूपरेखा


8.0 प्रस्तावना

8.1 उद्देश्य

8.2 पुस्तकालय अधिनियम : तात्पर्य

8.2.1 पुस्तकालय अधिनियम के उद्देश्य

8.2.2 पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता

8.2.3 पुस्तकालय अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

8.2.4 अच्छे पुस्तकालय अधिनियम के तत्व

8.3 भारत में पुस्तकालय अधिनियम

8.3.1 सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम

8.4 मद्रास (तमिलनाडु) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948

8.5 आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960

8.6 महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1967

8.7 पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979

8.8 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006

8.9 सारांश

8.10 अभ्यास कार्य

8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.12 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री


## 8.0 प्रस्तावना (Introduction)

किसी क्षेत्र एवं राष्ट्र की सभ्यता तथा संस्कृति उसके पुस्तकालयों में संग्रहीत एवं सुरक्षित रहती हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय सामुदायिक अध्ययन तथा सूचना केन्द्र एवं

सार्वजनिक शिक्षा के जीवन शक्ति है। शिक्षा देश की शक्ति और पुस्तकालय उसका शक्ति स्रोत होता है। पुस्तकालय ही एक ऐसा माध्यम है जिससे ज्ञान का दीपक प्रज्जवलित हो सकता है। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सीमित लोगों को था। आज शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने ज्ञान को विकसित करने पर कोई अंकुश नहीं है। सरकार शिक्षा का अधिकार (Right to Education) को कानून के रूप में लागू करना चाहती है। देश में सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए और देश में पुस्तकालयों का जाल बिछाने के लिए पुस्तकालय अधिनियमों की अत्यन्त आवश्यकता है। पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालयों की स्थापना, विकास और व्यवस्था हेतु जिम्मेदार है तथा पुस्तकालयों का कार्य तय करके जनता के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। पुस्तकालय अधिकारी, पुस्तकालय कर्मचारियों की संख्या, संवर्ग, वेतनमान, प्रशिक्षण तथा राष्ट्र में पुस्तकालयों के विकास, स्थापना तथा संचालन हेतु उत्तरदायी होते हैं। पुस्तकालय अधिनियम एक आदर्श संरचना के अन्तर्गत पुस्तकालय विकास को सुनिश्चित करता है तथा पुस्तकालय के विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था करता है। इससे मानक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने में सहायता तो मिलती ही है साथ ही यह सार्वजनिक पुस्तकालय नियोजन में सहायक भी होता है।

## 8.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप -

- पुस्तकालय अधिनियम, इसकी आवश्यकता एवं विशेषताओं को जान सकेंगे;
- भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की स्थिति के बारे में जान सकेंगे;
- आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे; और
- पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के बारे में जान सकेंगे।

सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो ज्ञान और सूचना उपलब्ध कराकर जनजीवन को उन्नतशील बनाने में सहयोग करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों की वृद्धि एवं विकास का सीधा प्रभाव समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास पर पड़ता है। विभिन्न देशों ने इन पुस्तकालयों

हेतु वैधानिक आधार भी निश्चित किये हैं अर्थात पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी होने के पश्चात ही पुस्तकालयों के अभूतपूर्व विकास हुए हैं। भारत में पुस्तकालय अधिनियम पारित करने का प्रयास सर्वप्रथम डा. रंगनाथन द्वारा किया गया। उन्होंने सन 1930 में ऑल एशिया एजूकेशन कान्फ्रेन्स, वाराणसी में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया था।

2 नवम्बर 1789 में विश्व का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम फ्रांस में पारित हुआ। इसके बाद 14 अगस्त, 1850 में संयुक्त गणराज्य में श्री एडवर्ड एडवर्ड्स के प्रयत्नों से पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। इस पुस्तकालय अधिनियम से इंग्लैण्ड तथा वेल्स के सार्वजनिक पुस्तकालयों और संग्रहागारों हेतु अधिनियम 1850 के नाम से जाना गया। इसी प्रकार जापान में 1899, मैक्सिको में 1917, चेकोस्लोवाकिया में 1919, डेनमार्क में 1920, रूस, बेल्जियम एवं फिनलैण्ड में 1921, बल्गेरियाएवं दक्षिण अफ्रीका में 1928, स्वीडन में 1930, पोलैण्ड में 1932 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किये गये।

## 8.2 पुस्तकालय अधिनियम : तात्पर्य (Library Legislation : Meaning)

पुस्तकालय अधिनियम राष्ट्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय स्वशासन स्तर पर सक्षम सत्ता के द्वारा बनाए गए कानूनी मान्यता प्राप्त नियम-विनियम हैं। दूसरे शब्दों में एक ऐसा विधान, अधिनियम, विधि या कानून तैयार करना है जो पुस्तकालयों के संबंध में सरकार के अधीन एक अच्छी पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना तथा उसका रख-रखाव, सेवाओं, कार्यों, अधिकारों एवं प्रबंध को एक वैधानिक स्वरूप प्रदान करता है।किसी भी संस्था को कारगर एवं सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी सुव्यवस्थित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रन्थालय अधिनियम पारित एवं क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

### 8.2.1 पुस्तकालय अधिनियम के उद्देश्य (Objectives of the Library Legislation)

सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) पुस्तकालय सामग्री की ऐसी व्यवस्था करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग हो सके।

(2) अपाठकों को पाठक तथा पाठकों को पूर्ण पाठक एवं सकारात्मक विद्यार्थी बनने के लिए प्रेरित करना।

(3) विश्वसनीय सूचना तथा स्वस्थ मनोरंजन सामग्री का संग्रह करना; तथा

(4) निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था करना, आदि।

## 8.2.2 पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता ( Need of Library Legislation )

सार्वजनिक पुस्तकालयों को सरकार द्वारा स्थापित करने तथा उनको सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता होती है। कुछ मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं -

- निःशुल्क पुस्तकालय सेवा।
- मानक पुस्तकालय सेवा।
- पुस्तकालय सेवा महगी है।
- पुस्तकालय अधिनियम जनता एवं सरकार दोनों को उत्तरदायी ठहराता है।
- पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय योजना में सहायक होता है।
- पुस्तकालय अधिनियम से सार्वजनिक पुस्तकालयें को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित एवं विकसित किया जा सकता है।

## 8.2.3 पुस्तकालय अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ ( Main Features of Library Legislation )

यूनेस्को रीजनल सेमिनार आन लाइब्रेरी डेवलपमेन्ट इन साउथ एशिया, दिल्ली (अक्टू. 3-14) में पुस्तकालय अधिनियम निर्माण की अनुशंसित विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) अधिनियम में सार्वज़निक पुस्तकालय के विषय में सरकार का उत्तरदायित्व स्पष्ट शब्दों में वर्णित होना चाहिए।

(2) विधि निर्माण में राष्ट्रीय, जिला स्तरों पर पुस्तकालय प्राधिकरण का संविधान तथा कार्यों का वर्णन होना चाहिए।

(3) विधि निर्माण में पुस्तकालय वित्त के सुनिश्चित आधार होने चाहिए - (अ) एक

विशेष पुस्तकालय उपकर (ब) शैक्षणिक बजट के कुछ प्रतिशत का आरक्षण।

(4) अधिनियम में सार्वजनिक तन्त्र के ढांचें की रूपरेखा का विवरण होना चाहिए।

(5) अधिनियम में प्रावधान होना चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यों में प्रत्येक स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी हो।

डॉ. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय अधिनियम की निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहिए -

**( 1 ) उत्तम व्यवस्था** - अधिनियम में राज्य पुस्तकालय समिति, स्थानीय पुस्तकालय समिति आदि के गठन का प्रावधान होना चाहिए। इनके कार्यों, अधिकारों व उत्तरदायित्वों का पूर्ण विवरण होना चाहिए।

**( 2 ) वित्त** - अधिनियम में स्थानीय तथा राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण को पुस्तकालय उपकर की दर में वृद्धि का अधिकार और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान में वृद्धि करने का प्रावधान होना चाहिए।

**( 3 ) प्रशासन** - अधिनियम में निम्नलिखित प्रशासनिक प्रावधान होने चाहिए।

(अ) पुस्तकालय विज्ञान का गठन तथा पृथक राज्य पुस्तकालय सेवा।

(ब) राज्य पुस्तकालय के ग्रंथालयी पुस्तकालय सेवा के प्रधान हों।

(स) ग्रंथालयी की योग्यता, कार्य तथा अधिकारों का पूर्ण विवरण होना चाहिए।

(द) पुस्तकालय के सभी विभागों के लिए पृथक कर्मचारी होने चाहिए।

**( 4 ) दायित्व** - पुस्तक चयन में सामंजस्य, अन्तः पुस्तकालय सहयोग, पठन सामग्री का आदान प्रदान, कम्प्यूटर सेवा का उपयोग आदि का प्रावधान होना चाहिए।

कुशल एवं कारगर पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि देश में केन्द्रीय पुस्तकालय अधिनियम तथा राज्यों में पृथक पृथक पुस्तकालय अधिनियम होने चाहिए। इन अधिनियमों द्वारा पुस्तकालयों को राजकीय शिक्षण संस्थान घोषित किया जाना चाहिए और इनकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।

## 8.2.4 अच्छे पुस्तकालय अधिनियम के तत्व ( Factors of a Good Library Legislation )

पुस्तकालय के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। इन तत्वों को इफला के सार्वजनिक

पुस्तकालय अनुभाग द्वारा तैयार किये गये एक वर्किंग पेपर The Development of Public Libraries में प्रस्तुत किया गया है।

(1) उपयुक्त स्थानीय प्राधिकरणों को सार्वजनिक पुस्तकालय कार्यों के लिए सार्वजनिक वित्त को खर्च करने की शक्ति प्रदान होनी चाहिए।

(2) खर्च करने की राशि सीमित नहीं होनी चहिए।

(3) सार्वजनिक पुस्तकालय कार्य जिनके लिए धन खर्च करना है ऐसे वर्णित होने चाहिए जिससे पुस्तकालय के विकास में बाधा न पड़े।

(4) स्थानीय प्राधिकरणों को अधिकार होना चाहिए कि वे अन्य प्राधिकरणों के साथ पुस्तकालय सेवाओं में सहयोग प्रदान कर सकें।

(5) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को एक पुस्तकालय समिति नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए जो स्थानीय परिषद के प्रति सीधी उत्तरदायी हो।

(6) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को पुस्तकालय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमानुसार करने का अधिकार होना चाहिए।

(7) पुस्तकालय की सभी सेवाएँ नागरिकों को निःशुल्क होनी चाहिए।

(8) सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों में निर्बाध प्रवेश्य प्रणाली होनी चाहिए।

(9) पुस्तकालय कर्मचारी सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षित व्यक्तियों में से नियुक्त किये जाने चाहिए।

(10) पुस्तकालय कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए।

(11) पुस्तकालय तंन्त्र में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान उनके उत्तरदायित्व, विशिष्टीकरण तथा अनुभव के आधार पर होने चाहिए। प्रोन्नति तथा व्यक्तिगत प्रगति के लिए अवसर होने चाहिए।

(12) पर्याप्त तथा सन्तोषजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए पुस्तकालय प्राधिकरण को पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए।

(13) पुस्तकालय विज्ञान से सम्बन्धित संस्थाएँ होनी चाहिए।

## 8.3 भारत में पुस्तकालय अधिनियम ( Library Legislation in India )

डॉ. एस.आर.रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय आन्दोलन का जनक कहा जाता है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 1956 में भारत सरकार ने के.पी.सिन्हा की

अध्यक्षता में पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन किया जिसने यह अनुशंसा की कि केन्द्र व राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू होने चाहिए। डॉ. रंगनाथन के प्रयासों से भारत में सन 1948 में सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास राज्य से भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। सन 1948 में ही केन्द्र सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसमें कलकत्ता स्थित इम्पीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। 1954 में भारत सरकार ने 'द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट' पारित किया जिसको 1956 में संशोधित कर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इसके अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रकाशक अपने प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता तथा एक-एक प्रति अन्य तीन सार्वजनिक पुस्तकालयों-कोत्रेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय तथा रॉयल एशियाटिक पुस्तकालय मुम्बई को अपने व्यय पर निःशुल्क भेजेंगे।

### 8.3.1 सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम ( Public Library Legislation Act )

भारत में निम्नलिखित राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं -

(1) मद्रास (अब तमिलनाडु) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948

(2) आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960

(3) कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1965

(4) महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1967

(5) पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979

(6) मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1988

(7) केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989

(8) हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989

(9) गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993

(10) मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993

(11) गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2000

(12) उड़ीसा (अब ओडिसा) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2000

(13) उत्तराखण्ड सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2005

(14) राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006

(15) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006

(16) पाण्डिचेरी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993

(17) अरूणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2009

अब तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का विवरण दिया जा रहा है -

बोध प्रश्न -

1. विश्व का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पारित हुआ ?

---

---

2. किन देशों में 1850 में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था?

---

---

3. द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब पारित हुआ था?

---

---

4. भारत में अब तक कितने राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं ?

---

---

## 8.4 मद्रास ( तमिलनाडु ) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948 [Madras (Tamilnadu) Public Library Letislation, 1948]

यह अधिनियम 1 अप्रैल 1950 को लागू हुआ। मद्रास का नाम जनवरी 1

1969 को परिवर्तित कर तमिलनाडु कर दिया गया जिससे अब मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का नाम तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम हो गया है।

**उद्देश्य (Objectives) -**

इस अधिनियम का उद्देश्य मद्रास राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में करना है।

**मुख्य विशेषताएँ (Main features) -**

इस अधिनियम के अनुच्छेद 3 में प्रान्तीय पुस्तकालय समिति (Provincial Library Committee) के निर्माण का प्रावधान इस प्रकार दिया है।

1. शिक्षा मंत्री, पदेन अध्यक्ष
2. स्थानीय प्रशासन मंत्री,
3. स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सचिव,
4. सार्वजनिक पुस्तकालय संचालक,
5. विशेष अधिकारी, संचालक (जो कि समिति का सचिव होगा) के सहायक के रूप में,
6. दो व्यक्ति राज्य विधान सभा से (प्रत्येक सदन द्वारा एक निर्वाचित),
7. मद्रास तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालयों के सिन्डीकेट्स द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य,
8. मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति,
9. सरकार द्वारा मनोनीत एक पुस्तकालय विशेषज्ञ,
10. मद्रास नगर के स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों में से मंत्री द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति,
11. जिलों में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों के सदस्यों में से मन्त्री द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति।

प्रान्तीय पुस्तकालय प्राधिकरण परामर्शदात्री प्रकार का होता है। अधिनियम में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रान्तीय पुस्तकालय समिति और सरकार में से कौन राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण है।

अनुच्छेद 4 में सार्वजनिक पुस्तकालय संचालक के कर्तव्य इस प्रकार वर्णित है-

1. केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रबन्ध करना,
2. सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित समस्त विषयों का निरीक्षण और निर्देशन करना,
3. यह घोषित करना कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कौन कौन से पुस्तकालय सरकार से सहायता प्राप्त करने योग्य हैं और इन पुस्तकालयों से संबंधित समस्त प्रकरणों का निरीक्षण तथा निर्देशन करना।
4. समस्त स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों के कार्य का निरीक्षण और नियंत्रण करना,
5. प्रति वर्ष पुस्तकालयों के कार्य पर सरकार को प्रतिवेदन भेजना,
6. ऐसे अन्य कार्य तथा शक्तियों का उपयोग करना जो इस अधिनियम द्वारा लागू होती है या दी गई है या उनके अन्तर्गत नियमों का निर्माण हुआ है।

अनुच्छेद 5 में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है जिसमें एक मद्रास शहर में लिए तथा एक-एक राज्य के प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण होगा। ये प्राधिकरण अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 6 में पुस्तकालय प्राधिकरण की शक्तियाँ दी गयी हैं। अनुच्छेद 7 में कार्यकारी समिति तथा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों की उपसमितियाँ नियुक्त करने की प्रक्रिया तथा उनकी शक्तियों का वर्णन है।

अनुच्छेद 6 में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना एवं पुस्तकालय सेवा को फैलाने के लिए योजनाओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का प्रावधान हैं । अनुच्छेद 12(1) (ए) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों को उपकर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। (सम्पत्ति कर अथवा गृह कर पर छः पाई (3 पैसे) की दर से सम्पत्ति कर अथवा गृह कर प्रत्येक पूर्ण रूपये पर उपकर के रूप में) अनुच्छेद 12(1)(बी) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण सरकार की पूर्व अनुमति से और यदि उन्होंने ऐसा निर्देश कर दिया है तो धारा (ए) में अंकित दर को बढ़ा सकता हैं

अनुच्छेद 15 किसी भी पुस्तकालय प्राधिकरण को पुनर्गठित करने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत करता है। अनुच्छेद 17 पुस्तकालय के निरीक्षण से संबंधित है।

अनुच्छेद 18 अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार को अधिकृत करता है। अनुच्छेद 19 में विविध प्रावधान दिये गये हैं जैसे Press Registration of Books Act, 1867 में संशोधन करना तथा इसको राज्य में लागू करना आदि।

**वर्तमान स्थिति (Present Status)**

सन 1972 से सार्वजनिक पुस्तकालयों का पूर्णकालिक संचालक पुस्तकालयों का संचालन कर रहा है। कोनेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय को राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया है। मद्रास नगर के लिये स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण तथा कुछ राजस्व जिलों में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों का गठन हो चुका है। स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण सम्पत्ति कर अथवा गृहकर पर 5 पैसे प्रति रूपये की दर से पुस्तकालय उपकर लगाती है। राज्य सरकार स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण को समतुल्य अनुदान (Matching Grant) भी देता है। प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण एक जिला केन्द्रीय पुस्तकालय और विभिन्न शाखा पुस्तकालयों की स्थापना तथा उनकी अनुरक्षा करता है। तमिलनाडु राज्य में एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, 17 जिला केन्द्रीय पुस्तकालय, 1511 शाखा पुस्तकालय और गाँवों में लगभग 2620 प्रदाय केन्द्र (Delivery stations) पुस्तकालय सेवा में लगे हुये हैं। Delivery of Books Act, 1954 (Amended, 1956) के अन्तर्गत देश का प्रत्येक प्रकाशक, प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति निःशुल्क कोनेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय को भेजता है।

## 8.5 आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960 ( Andhra Pradesh Public Library Legislation, 1960 )

यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1960 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 1964 तथा 1969 में संशोधन किये गये।

**उद्देश्य (Objectives)-**

आन्ध्र प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और अनुरक्षण इस अधिनियम का उद्देश्य है।

आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम तथा मद्रास (तमिलनाडु) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में समानताएं -

(1) राज्य पुस्तकालय समिति, (2) स्थानीय पुस्तकालय समिति का गठन, (3) पुस्तकालय उपकर का प्रावधान (4) सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए पृथक निदेशालय

(5) लाइब्रेरी उपकर (Library eass) के समतुल्य अनुदान राज्य के द्वारा प्रदान किया जाना।

पुस्तकालयों की उन्नति एवं विकास के लिए अधिनियम में निम्नलिखित सुधार किये गये-

(1) राज्य पुस्तकालय का पुस्तकालयी पुस्तकालय समिति का सदस्य है।

(2) पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए जिला पुस्तकालय समिति को पुस्तकालय प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(3) पुस्तकालय उपकर की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा निर्धारित की गई हैं ।

अधिनियम के अनुच्छेद 2 में समिति (Committee)2(2) में पुस्तकालय उपकर 2(6) में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय (State Central Library) की परिभाषाएं दी गई हैं।

अनुच्छेद 3 राज्य पुस्तकालय समिति के गठन तथा उसके कार्यों का वर्णन करता है। राज्य पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री और सचिव सार्वजनिक पुस्तकालयों का संचालक होगा। समिति के कुल 27 सदस्य हैं।

अनुच्छेद 8 में सार्वजनिक पुस्तकालयों के गठन तथा उनके निदेशक की नियुक्ति और उसके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 9 स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों से संबंधित है। राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय संगठित तथा प्रशासित करने के लिए जिला पुस्तकालय संस्थानों का गठन किया जायेगा। अनुच्छेद 10में राज्य में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 10 (अ) में वित्त का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिला पुस्तकालय संस्था अपने क्षेत्र में सम्पत्ति कर अथवा गृह कर अधिभार (Surcharge) के रूप में 4 पैसे प्रति रूपये की दर से पुस्तकालय उपकर लगायेगी।

अनुच्छेद 20(ब) में प्रावधान है कि कोई जिला पुस्तकालय संस्था सरकार की पूर्व स्वीकृति से और यदि ऐसा निर्देशित किया गया हो तो 20 (अ) में अंकित दर को 8 पैसे रूपये तक बढ़ा सकती है।

अनुच्छेद 21(3) में सरकार द्वारा समतुल्य अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 27 Press and Registration Act, 1967 के संशोधन से संबंधित है इसके अन्तर्गत प्रकाशक पुस्तक की तीन प्रतियाँ जमा करवाता है जबकि मद्रास

(तमिलनाडु) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत 5 प्रतियाँ देनी होती हैं।

इस अधिनियम का पुनर्विचार करने के लिए राज्य सरकार ने एक 'पुनर्विचार समिति' का 1979 में गठन किया। इस समिति का सबसे महत्वपूर्ण अनुमोदन था कि पुस्तकालयों का प्रभारी मन्त्री राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण होना चाहिए जो इस अधिनियम को लागू करेगा। राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रशासन की देखभाल सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक करेगा। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय केवल एक संदर्भ तथा अनुसंधान पुस्तकालय के रूप में विकसित होना चाहिए।

**वर्तमान स्थिति (Present Status) -**

आन्ध्र प्रदेश में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय हैदराबाद शहर में एक शीर्ष पुस्तकालय (Apex Library) के रूप में है। छः क्षेत्रीय पुस्तकालय, एक चल पुस्तकालय (Mobile Library), 23 जिला पुस्तकालय, 796 शाखा पुस्तकालय, 1550 पंचायत पुस्तकालय, 67 पुस्तकालय सहकारी समाजों द्वारा प्रबन्धित तथा 730 पुस्तकालय निजी संस्थाओं द्वारा प्रबन्धित पुस्तकालय हैं । 610 पुस्तक प्रदाय केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

## 8.6 महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1967 (Maharashtra Public Library Legislation, 1967).

यह अधिनियम 1 मई 1968 को लागू हुआ।

**उद्देश्य (Objectives)-**

इस अधिनियम का उद्देश्य 'महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित अनुरक्षित, संगठित तथा विकसित करना है।

अधिनियम के अनुच्छेद 2(11) में सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा इस प्रकार दी गई है।

(अ) एक पुस्तकालय जो जनता के उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा संस्थापित तथा अनुरक्षित हो,

(ब) पुस्तकालय वित्त से अनुदान देने के लिए निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त एक पुस्तकालय।

(स) कोई भी अन्य पुस्तकालय जिसे राज्य सरकार अपने शासकीय गजट में

अधिसूचना जारी कर उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत एक सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित करती है।

अनुच्छेद 3 में राज्य पुस्तकालय परिषद के गठन का प्रावधान है। जो परामर्शक का कार्य करती है। शिक्षा मंत्री परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा पुस्तकालयों का निदेशक पदेन सचिव होता है। परिषद में 16 मनोनीत / पदेन सदस्य तथा तीन निर्वाचित सदस्य होते हैं।

अनुच्छेद 8 पुस्तकालयों का एक विभाग बनाने से संबंधित है जिसका अध्यक्ष पुस्तकालयों का निदेशक होगा और उसकी योग्यताएँ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगी।

अनुच्छेद 9 में दिया गया है कि इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए निदेशक उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 10 महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय सेवा की स्थापना करता है जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय के समस्त कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे।

अनुच्छेद 11 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिए एक राज्य प्रान्तीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित कर सकती है। यह प्रावधान सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 11 (2) सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक को ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में, सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित तथा अनुरक्षित करने का अधिकार देता है जहाँ पर Societies Registration Act, 1860 के अन्तर्गत कोई सोसाइटी पंजीकृत हो अथवा कोई ट्रस्ट Bombay Public Trusts Act, 1950 के अन्तर्गत पंजीकृत हो और वह लोगों को संतोषजनक एवं मानक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने में सफल हो।

अनुच्छेद 13 में जिला पुस्तकालय समिति के संगठन से संबंधित है। मुम्बई के लिए पुस्तकालय समिति के गठन का अलग से प्रावधान है। इन समितियों के सचिव पुस्तकालयाध्यक्षों को बनाना चाहिए था जिसका इस अनुच्छेद में प्रावधान नहीं है।

अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए कम से कम वार्षिक 25 लाख रूपये का प्रबन्ध करे। प्रान्तीय स्तर तक में पुस्तकालय का वित्त पूर्णतया सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रान्तीय स्तर से नीचे के पुस्तकालय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं।

वास्तव में मद्रास (तमिलनाडु), आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर (कर्नाटक) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों की भाँति इस अधिनियम में पुस्तकालय उपकर लगाकर पुस्तकालय वित्त संग्रह करने का प्रावधान नहीं है, जिससे पुस्तकालयों की स्थापना तथा

उनके विकास में बहुत बाधा आती है। क्योंकि आधुनिक, मानक तथा संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करने के लिए नियमित वित्त की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

**वर्तमान स्थिति (Present Status) -**

इस समय महाराष्ट्र में 5 प्रान्तीय पुस्तकालय, 34 जिला पुस्तकालय, 275 तालुका पुस्तकालय तथा 2470 अन्य प्रकार के पुस्तकालय जैसे ग्रामीण, चल तथा परिसंचरण पुस्तकालय हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक जो पुस्तकालय विभाग का अध्यक्ष होता है वह एक वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ सूची प्रकाशित करता है; जिसमें राज्य में प्रकाशित सभी पुस्तकें सम्मिलित की जाती हैं। वह सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुरानी तथा दुर्लभ पुस्तकों, सामयिक प्रकाशनों, हस्तलिखित ग्रन्थों तथा अन्य शैक्षणिक महत्व के प्रलेखों का अर्जन तथा संग्रह करता है। वह पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

## 8.7 पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979 (West Bengal Public Library Legislation, 1979)

यह अधिनियम 7 जनवरी 1980 को लागू किया गया।

**उद्देश्य (Objectives)-**

इस अधिनियम का उद्देश्य 'पश्चिम बंगाल' राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, राज्य में विद्यमान पुस्तकालयों का संचालन, मार्गदर्शन, निरीक्षण तथा मान्यता प्रदान करना और इसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल राज्य में व्यापक ग्रामीण एवं नगरीय पुस्तकालय सेवा प्रदान करना है।

महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की भाँति इस अधिनियम में भी पुस्तकालय उपकर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

अनुच्छेद 3 में राज्य पुस्तकालय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें पुस्तकालय सेवा का मंत्री प्रभारी (Minister Incharge) उसका अध्यक्ष होगा। यह परिषद सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक परामर्शदात्री समिति होगी जो सरकार को पुस्तकालय प्रणाली के विकास तथा संगठन से संबंधित सभी विषयों पर सलाह देगी।

अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि राज्य पुस्तकालय परिषद में अधिकांशतः मनोनीत सदस्य होंगे।

अनुच्छेद 6 में पुस्तकालयों के निदेशक के कार्यों का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 7 में पुस्तकालयों के निदेशालय का प्रावधान है। निदेशक के लिए व्यावसायिक योग्यताएं रखना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 8, प्रत्येक राजस्व जिला में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन से संबंधित है। इस प्राधिकरण का जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, पुस्तकालय अधिकारी (यावसायिक योग्यता प्राप्त) सचिव होगा।

अनुच्छेद 16(1) में प्रत्येक जिले में जिला पुस्तकालय अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

इस अधिनियम ने Press and Registration Act, 1867 में संशोधन इस विचार से किया गया कि प्रकाशक अपने प्रकाशन की एक प्रति निःशुल्क राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय में जमा करवायेंगे। इस अधिनियम में योजनाबद्ध नियम है।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करने का उत्तरदायित्व लिया है, यह इस अधिनियम की अपनी विशेषता है।

इस अधिनियम में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों को पुस्तकालय उपकर लगाने का अधिकार नहीं है। सरकारी पुस्तकालय राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित, व्यवस्थित तथा प्रबंधित है। प्रायोजित (Sponsored) तथा सहायता प्राप्त (Aided)पुस्तकालयों को अनुदान दिये जाते हैं।

**वर्तमान स्थिति (Present Status)**

पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पहले प्रायोजित पुस्तकालयों की संख्या केवल 750 थी। अधिनियम के पारित होने के बाद ही संख्या लगभग चौगुनी हो गई है। कलकत्ता महानगर का उद्घाटन भी अधिनियम पारित होने के बाद ही दिसम्बर 20, 1980 को हुआ।

**बोध प्रश्न -**

5. तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था?

---

---

6. सन 1960 में भारत के किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम

पारित हुआ था?

---

---

7. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था?

---

---

## 8.8 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006 (Uttar Pradesh Public Library Legislation, 2006)

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू कराने का प्रयास 1930 से ही प्रारम्भ हो गया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ. सम्पूर्णानन्द के कहने पर सन 1947 में डॉ. रंगनाथन ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था जिसे 1949 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद सन 1959, 1960 तथा 1964 में उ.प्र. पुस्तकालय संघ द्वारा भी अनेंक प्रयास किये गये। संघ द्वारा प्रो. एस. बसीरूद्दीन की अध्यक्षता में 1969 में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया। विधेयक की प्रतियाँ शिक्षा मन्त्री तथा विधि मंत्री आदि को प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात् सन 1970 में संघ के एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेश के शिक्षा मन्त्री तथा विधान सभा के उपाध्यक्ष से मिलकर विधेयक पारित करने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1971 में तत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्री राधाकृष्ण गोस्वामी की अध्यक्षता में सार्वजनिक पुस्तकालय जाँच समिति का गठन किया। उपल (UPLA) के प्रयास के फलस्वरूप शासन द्वारा 1972 में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय समिति का गठन किया गया जिसका प्रमुख कार्य प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का आलेख्य प्रस्तुत करना था। समिति ने औपचारिक कार्यवाही करके विधेयक को विधान सभा में पारित करने हेतु विशेष कार्याधिकारी (सार्वजनिक पुस्तकालय) की संस्तुति की जिसके आधार पर शासन ने शिक्षा के अन्तर्गत पुस्तकालय प्रकोष्ठ को स्थापित कर एक विशेष कार्य समिति की 1980 में नियुक्त की। शासन द्वारा पुनः सन् 1982 में प्रोफेसर सी.जी. विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

इस समिति द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रतिवेदन पुनः तैयार

किया गया तथा अपनी प्रबल संस्तुतियों के साथ इसे सन 1983 में राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त 1989 में प्रधानमंत्री को भी एक ज्ञापन प्रेषित किया गया जिसे उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। संघ द्वारा 1990 में मुख्यमंत्री को जनता द्वारा हस्ताक्षरित अपील एवं समाचार पत्रों की कटिंग देकर शीघ्र कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया। इसके पश्चात सन 1992 में संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मिला तथा इस संबंध में एक ज्ञापन दिया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिनांक 28.7.1992 को संघ को पत्र प्रेषित करते हुए लिखा था कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उ.प्र. में अभी तक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था।

अनेक राजनीतिक कारणों से इस दिशा में विलम्ब होता रहा। इसी बीच विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने 6 अगस्त, 2004 को पुस्तकालय अधिनियम लागू करने हेतु - तत्कालीन प्रमुख शिक्षा सचिव श्रीमती नीरा यादव से बात की। श्रीमती यादव ने महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न उठाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। अनेक प्रयासों के फलस्वरूप आखिर वह दिन आ गया जब यह विधेयक 2006 राज्य सरकार द्वारा पारित कर महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उ.प्र. विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक 2006 पर दिनांक 1 सितम्बर 2006 को अनुमति प्रदान की जो उ.प्र.अधिनियम संख्या 21 सन 2006 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 के रूप मे पारित हुआ अब इसे क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का संक्षिप्त एवं प्रमुख विवरण इस प्रकार है -

"भारत का संविधान" अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदश विधान मण्डल द्वारा पारित उ.प्र. सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 को 1 सितम्बर 2006 को अनुमति प्रदान की तथा अभिसूचना के पश्चात उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006, सितम्बर 2006 से प्रभावी हुआ।

**अधिनियम के उद्देश्य (Objectives of the Legislation)**

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(1) ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर पुस्तकालयों को स्थापित कर उनका संगठन एवं

व्यवस्थापन तथा विकास सुनिश्चित करना; तथा

(2) उ.प्र. में ग्रामीण एवं शहरों में निःशुल्क और प्रभावी ढंग से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना।

राज्य पुस्तकालय परिषद (State Library Council)- इस अधिनियम के अनुच्छेद 3(1) में राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन निम्नलिखित पदाधिकारियों के साथ करने की व्यवस्था दी गई है -

| | | |
|---|---|---|
| (1) | मन्त्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग | अध्यक्ष |
| (2) | प्रमुख सचिव अथवा सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग | उपाध्यक्ष |
| (3). | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा उसके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का व्यक्ति | सदस्य |
| (4) | प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, अथवा उसके द्वारा नामित विशेष सचिव | सदस्य |
| (5) | प्रमुख सचिव, योजना विभाग अथवा उसके द्वारा नामित विशेष सचिव | सदस्य |
| (6) | विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिसे सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जाएगा। | सदस्य |
| (7) | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| (8) | पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय | सदस्य |
| (9) | उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ द्वारा नामित एक व्यक्ति | सदस्य |
| (10) | राज्य सरकार द्वारा नामित एक पुस्तकालय अधिकारी | सदस्य |
| (11) | अध्यक्ष, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता द्वारा नामित एक व्यक्ति। | सदस्य |
| (12) | विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा विभाग | सदस्य/सचिव |

**राज्य स्थायी समिति (State Standing Committee)**

राज्य स्थायी समिति का गठन अधिनियम के अनुच्छेद 4(1) के अन्तर्गत इस प्रकार किया जाएगा -

| | | |
|---|---|---|
| (1) | प्रमुख सचिव अथवा सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग | अध्यक्ष |
| (2) | प्रमुख सचिव,वित्त विभाग अथवा उसके द्वारा नामित विशेष सचिव | सदस्य |
| (3) | प्रमुख सचिव,योजना विभाग अथवा उसके द्वारा नामित विशेष सचिव | सदस्य |
| (4) | विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित होगा | सदस्य |
| (5) | निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग | सदस्य |
| (6) | विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय कोष्ठक), माध्यमिक शिक्षा सचिव विभाग | सदस्य/ |

राज्य स्थायी समिति राज्य पुस्तकालय परिषद (State Library Council) द्वारा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के संबंध में दिए गए निर्णयों और सुझावों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। समिति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, संस्कृति विभाग, राज्य पुस्तकालय परिषद अथवा सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग से संबंधित किसी अन्य बाह्य अभिकरण द्वारा सौंपे गए पुस्तकालय संबंधी कार्यों की देखभाल करेगी।

**राज्य स्थायी समिति के कार्य (Functions of State Standing Committee)-**

अधिनियम के अनुच्छेद 4(3) उपधारा (2)में राज्य स्थायी समिति के कार्य इस प्रकार हैं -

(1) सार्वजनिक पुस्तकालय नीति और प्रणाली का निरूपण और संवर्धन करना,

(2) सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के संबंध में बजट और अन्य वित्तीय प्रस्तावों को प्रक्रिया में लेना और योजना बनाकर क्रियान्वित करना,

(3) सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय प्रणाली के विकास का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना,

(4) पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का केन्द्रीय स्तर पर अधिग्रहण और वितरण का नियोजन, पर्यवेक्षण और समन्वय करना,

(5) स्वयंसेवी सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय संघों को मान्यता प्रदान करना;

(6) राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्रियाकलापों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना,

(7) पुस्तकालय परिषद और स्थायी समिति से संबंधित सभी मामलों को प्रक्रिया में लाना;

(8) अन्य विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली पुस्तकालय संबंधी सेवाओं में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के सभी उपाय अपनाना,

(9) शिक्षा विभाग के अधीन अन्य पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित मामलों को प्रक्रिया में लाना,

(10) राज्य के भीतर और बाहर व्यावसायिक निकायों और संघों से संपर्क स्थापित करना,

(11) राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधीन पुस्तकालयों से संबंधित मामलों पर परामर्श देना,

(12) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए 'अनवरत शिक्षा कार्यक्रम' यथा पुनश्चर्या आदि का आयोजन करना ,

(13) ऐसे अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किए जाए।

**जिला पुस्तकालय समिति का गठन (Composition of District Library Committee)-**

अधिनियम 5(1) के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय समिति का गठन किए जाने का प्रावधान हैं जिसमें अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होंगे -

| | | |
|---|---|---|
| (1) | जिला मजिस्ट्रेट | अध्यक्ष |
| (2) | मुख्य विकास अधिकारी | उपाध्यक्ष |
| (3) | प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य |
| (4) | पुस्तकालयाध्यक्ष, जिला राजकीय पुस्तकालय | सदस्य/सचिव |
| (5) | समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र | सदस्य |
| (6) | जिला पुस्तकालय संघ का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| (7) | महिला मंडल दल का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| (8) | राजकीय इण्टर कालेज का प्राचार्य, जिसे जिला मजिस्ट्रेट | |

द्वारा नामित किया जाएगा। सदस्य

(9) जिले के किसी महाविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष जिसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जायेगा सदस्य

(10) अध्यक्ष, नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य

(11) अध्यक्ष, जिला पंचायत अथवा उसे द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य

(12) जिला सूचना अधिकारी या सहायक निदेशक सूचना सदस्य

(13) जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य

(14) पेंशन भोगी संघ द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति सदस्य

(15) जिला युवा कल्याण अधिकारी सदस्य

(16) सचिव, जिला साक्षरता समिति सदस्य

जिस जिले में जिला राजकीय पुस्तकालय का कोई पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं हो उस स्थिति में राजकीय इण्टर कालेज का प्राचार्य सदस्य/सचिव होगा। जिला पुस्तकालय समिति जिले में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगी और उसकी प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

अधिनियम के अध्याय 2 के अनुच्छेद 6 में वर्णित है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक होगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के उचित प्रशासन और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा।

**निदेशक के कार्य (Functions of the Director)-**

अधिनियम के अनुच्छेद 3(7) के अनुसार राज्य सरकार के अधीन रहते हुए निदेशक के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किये गये हैं -

(1) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के विकास के लिए राज्य सरकार को वार्षिक बजट, वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार कर प्रस्तुत करना;

(2) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों जिनके अन्तर्गत सरकारी सहायता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालय भी हैं, के कार्यों पर विवरणात्मक और सांख्यिकीय रिपोर्ट एवं आँकड़े एकत्र करना;

(3) विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयों की सूचना सेवाओं का न्यूनतम मानक निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक पुस्तकालय मानकों को पूरी तरह

लागू करते हुए उनका पालन करें;

(4) विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय कार्मिकों के उनके सेवा में रहते हुए, प्रशिक्षण को सुनिश्चित, आयोजित और सहयोग प्रदान करना।

(5) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अथवा समनुदेशित किए जाएँ।

(6) सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के विकास के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करना,

(7) जिला स्तर पर पुस्तकालय समितियों के समुचित कार्य संचालन को सुनिश्चित करना,

(8) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य का पर्यवेक्षण और समन्वय करना,

(9) राज्य में समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों का समय-समय पर समुचित निरीक्षण करना,

**राज्य स्तरीय पुस्तकालयों की स्थापना (Establishment of State Level Libraries)-**

अधिनियम के अध्याय 4 के अनुच्छेद 8 में वर्णित है कि राज्य में दो राज्य स्तर के पुस्तकालय होंगे जिनमें एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय इलाहाबाद होगा। यह सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का शीर्ष संस्थान होगा। दूसरा राज्य संदर्भ पुस्तकालय लखनऊ में होगा जो सार्वजनिक पुस्तकालयों के स्वचालीकरण तथा कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय नेटवर्क के साथ समन्वय स्थापित कर संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देगा।

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद के निम्नलिखित प्रमुख कार्य निर्धारित किए गए हैं -

(1) जन सामान्य हेतु उपयोगी समस्त अध्ययन सामग्री प्राप्त करना एवं व्यवस्था करना।

(2) राज्य के अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक अनुपूरक के रूप में कार्य करना।

(3) पुस्तक प्रदर्शिनियों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों और इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर आयोजन करना।

(4) अन्तर्पुस्तकालय-ऋण सेवा सहित राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के मध्य

सहयोग की योजना बनाना और उसमें समन्वय स्थापित करना।

(5) राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों, कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित सूचना का प्रचार और प्रसार करने हेतु एक अभिकरण के रूप में कार्य करना।

(6) राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

(7) राज्य के विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सहायक प्रणाली के रूप में नव साक्षरों के लिए उपयुक्त साहित्य प्राप्त कर उपलब्ध कराना।

(8) विकलांगों हेतु विशेष अध्ययन सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करना।

(9) ऐसे अन्य कार्य जो उसे राज्य पुस्तकालय परिषद अथवा निदेशक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकास और सेवाएँ द्वारा सौंपे जाएँ उन्हें करना, तथा

(10) राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों में कम्प्यूटरीकरण को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, आदि।

**राज्य संदर्भ पुस्तकालय के कार्य (Functions of State Reference Library)-**

अधिनियम के अनुच्छेद 10में राज्य संदर्भ पुस्तकालय के निम्नलिखित प्रमुख कार्य दिये गये हैं -

(1) उपयोगकर्ताओं हेतु विभिन्न विद्यमान कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय नेटवर्क यथा 'डेलनेट' आदि के साथ सहयोग और समन्वय स्थापित करना।

(2) विभिन्न अभिलेखीकरण क्रियाकलापों और समाचार पत्रों की कतरनों के संग्रह को व्यवस्थित करना।

(3) राज्य के विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों की संयुक्त सूची संकलित करना।

(4) रासायनिक उपचार अथवा माइक्रोफिल्म की सहायता से दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संरक्षण एवं परिरक्षण करना।

(5) राज्य मे विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हस्तलिखित दुर्लभ पाण्डुलिपियों को प्राप्त करना और इनकी सूचियों का संकलन तथा प्रकाशन करना।

(6) विशेषज्ञों और अनुसंधानकर्ताओं की सुविधा के लिए विशेष रूप से 'मानविकी' और 'समाज-विज्ञान' के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर व्यापक संदर्भ सूचियाँ संकलित करना और प्रकाशित करना।

(7) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की कम्प्यूटरीकृत संयुक्त सूचियों का संकलन करना, तथा

(8) राज्य में प्रकाशित समस्त उपयोगी सामग्रियों को प्राप्त करना, आदि।

**राजकीय जिला पुस्तकालयों की स्थापना (Establishment of Government District Libraries)-**

अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक जिले में एक राजकीय जिला पुस्तकालय होगा। जिला पुस्तकालय पूरे जिले के लिए प्रदाय और संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त जिला पुस्तकालय प्रणाली के लिए शीर्ष पुस्तकालय के रूप में कार्य करेगा। जिला पुस्तकालय के मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य होंगे -

(1) जिला पुस्तकालय प्रणाली हेतु विकास योजनाएँ तैयार करने में जिला पुस्तकालय समिति को सहायता उपलब्ध कराना।

(2) चल पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था करना और जहाँ आवश्यक हो वहाँ पुस्तक आदान-प्रदान केन्द्र स्थापित करना।

(3) जिले में अन्तर्पुस्तकालय सहयोग को प्रोत्साहित करना और उसका पर्यवेक्षण करना।

(4) शाखा/तहसील/खण्ड/ग्राम पुस्तकालय तथा अन्य अभिकरणों द्वारा संचालित पुस्तकालयों को संग्रह की अनुपूर्ति करना।

(5) समस्त प्रकार की संदर्भ, सूचना और पुस्तक प्रदाय सेवाएँ उपलब्ध कराना और पठन-पाठन की आदत को बढ़ावा देना तथा उसके विस्तार में सहायता करना।

(6) जनता के उपयोग हेतु उपयोगी और मानक साहित्य और अन्य संदर्भ सामग्री, श्रव्य-दृश्य उपस्कर आदि का संग्रह करना, तथा

(7) ऐसे अन्य कार्य जो जिला पुस्तकालय समिति द्वारा सौंपे जाएँ उन्हें करना, आदि।

**सार्वजनिक पुस्तकालय वित्त (Public Library Finance)-**

अधिनियम के अनुच्छेद 12 में पुस्तकालय हेतु वित्त के प्रावधान के संबंध में कहा गया है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन हेतु किसी प्रकार का कोई अधिकर नहीं लगाया जाएगा। पुस्तकालय विकास योजना राज्य के केन्द्रीयित और अकेन्द्रीयित वार्षिक और पंचवर्षीय योजनागत और आयोजनागत बजट का समग्र भाग होगा।

**सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं पुस्तकालय संघों को मान्यता (Recognition of Public Libraries and Library Associations)-**

अधिनियम के अध्याय-6 अनुच्छेद 13-(1) एवं (2) के अन्तर्गत उल्लिखित है कि राज्य सरकार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित पुस्तकालय जो जनता के उपयोग के लिए खोले गये हैं अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी पुस्तकालय को सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ, मान्यता प्रदान कर सकती है।

राज्य सरकार, नियमों के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत पुस्तकालय संघ को भी मान्यता प्रदान कर सकती है, साथ ही उसे अनुदान अथवा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा सकती है।

**प्रतिवेदन एवं निरीक्षण (Report and Inspection )-**

अधिनियम के अध्याय-7 अनुच्छेद 14-(1) में उल्लिखित है कि, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबन्धन का प्रभारी हो अथवा जो व्यक्ति किसी पुस्तकालय संघ का प्रभारी हो वह संबंधित पुस्तकालय अथवा संघ की वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुसार सभी सूचना समय-समय पर उपलब्ध कराएगा।

अधिनियम 14(2) के अनुसार निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ज्ञात करने के लिए किसी अधिनियम और उसकी नियमावली का सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय संघों द्वारा अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं तथा किसी संस्था या वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली पुस्तकालय एवं सूचना में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने वाली किसी संस्था के निरीक्षण करने की शक्तियाँ होंगी।

**विविध (Miscellaneous)-**

अधिनियम के अध्याय 8 में अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत निर्दिष्ट है कि परिषद के

समस्त सदस्यों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत निर्दिष्ट है कि अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गये कार्यों के लिए परिषद या उसके किसी सदस्य या सेवक के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

## उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की संरचना

## (Structure of the U.P. Public Library System)

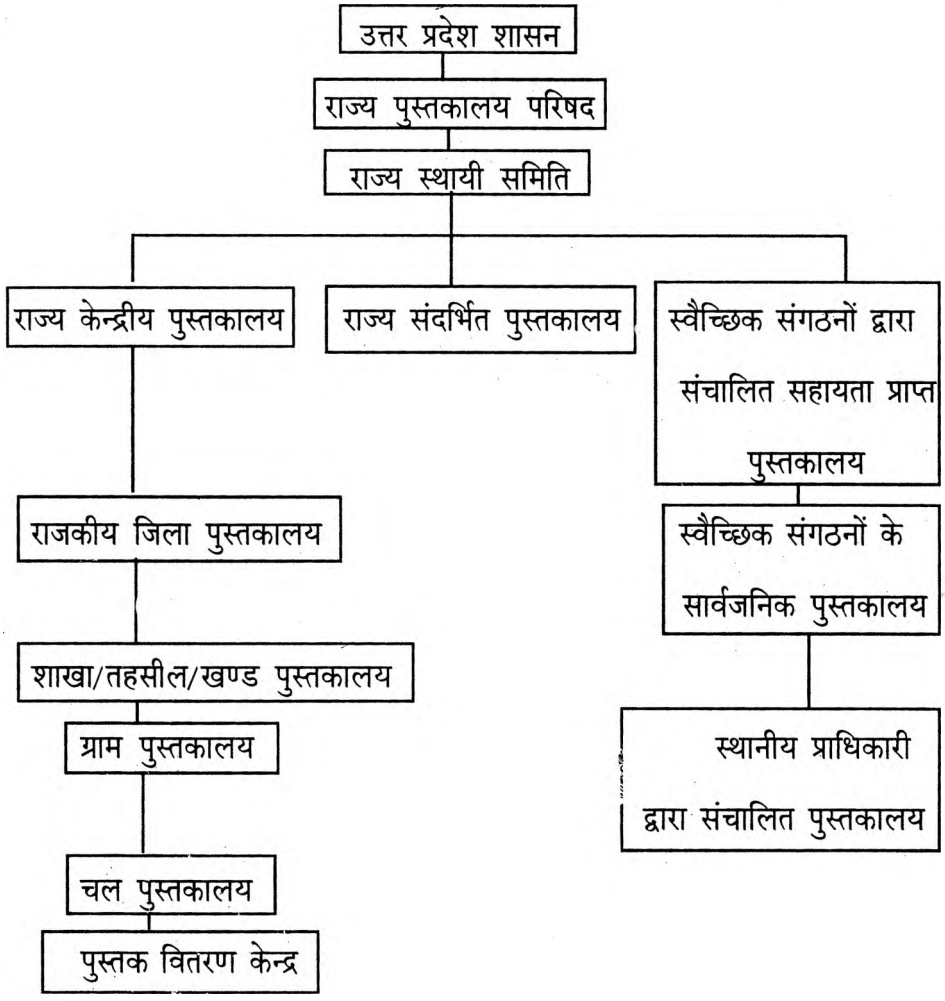


**बोध प्रश्न -**

8. उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने का प्रयास किस वर्ष से प्रारम्भ हुआ था?

---

---

9. उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?

---

---

10. उ.प्र. में प्रत्येक जिले में एक राजकीय पुस्तकालय की स्थापना की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है?

---

---

11. अधिनियम के अनुच्छेद 10 में क्या विवरण दिया गया है?

---

---

## 8.9 सारांश ( Summary )

देश को प्रभावशाली एवं तत्परतापूर्ण पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक आधार की आवश्यकता होती है जिससे पुस्तकालयों का प्रसार एवं विकास सम्भव हो सके। इसके साथ ही पुस्तकालयों के संचालन एवं व्यवस्था के लिए वित्त की व्यवस्था भी करना आवश्यक है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब किसी देश/राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया हो। अतः हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय अधिनियम सरकार द्वारा पारित एक विधान है जिसके अनुसार उस सरकार के समस्त क्षेत्र में पुस्तकालयों की स्थापना, उनका विकास एवं रख-रखाव करने के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाती है। अभी तक भारत के सभी राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो पाये हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ अधिनियम पारित हो चुके हैं लेकिन इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। जबकि सरकारों को इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक विचार कर इसे अमल में लाना चाहिए वरना सिर्फ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से जन समुदाय को कोई लाभ नहीं होगा।

## 8.10 अभ्यास कार्य ( Exercise )

1. उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने संबंधी विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए।

2. किसी देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय अधिनियम आवश्यक है, इस कथन की समीक्षा करते हुए उन घटकों का वर्णन कीजिए जिन्हें आप सम्मिलित करेंगे।

3. पुस्तकालय अधिनियम के उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

4. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए -

   - भारत में पुस्तकालय अधिनियम
   - महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम
   - राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद के कार्य

## 8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर ( Answer of Sense Questions )

1. विश्व का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम फ्रांस में पारित हुआ था।
2. ग्रेट ब्रिटेन तथा वेल्स
3. द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में पारित हुआ।
4. भारत में अब तक 17 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं।
5. तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सन 1948में पारित हुआ था।
6. सन 1960 में आन्ध्र प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ।
7. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1979 में पारित हुआ था।
8. उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्ताकलय अधिनियम पारित करने का प्रयास 1930 से प्रारम्भ हुआ था।
9. उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सन 2006 में पारित हुआ।
10. अनुच्छेद 11
11. उत्तर प्रदेश राज्य संदर्भ पुस्तकालय का विवरण दिया गया है।

## 8.12 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री ( Reference and other Reading Materials )

1. Andhra Pradesh : Andhra Pradesh Public Libraries Act, 1960.

2. IGNOU : Study Materials, 1989. BLS-I Part 3.

3. Kaula, P.N., ed. Library Movement in India, Delhi : Lib. Assoc., 1958.

4. Khanna, J.K., Library and Society, Research Publications : Kurukshetra, 1987.

5. Ranganathan, S.R., Library Legislation : Handbook of Madras Library Act, Madras : Madras Library Associations, 1953.

6. Rout, R.K., ed. Library Legislation in India Reliance Pub. House: New Delhi, 1991.

7. Saini, Om Prakash, Granthalaya Evam Samaj, Agra : Y.K. Publishers.

8. Sharma, B.K. and Sharma, Hemant. 2007. Uttar Pradesh Sarvajanik Pustakalaya Pranali evam U.P. Sarvajanik Pustakalaya Àdhiniyam : Samikshatmak Mulyankan, Agra : Y.K. Publishers, 2006.

## इकाई - 9 : पुस्तकालयों के विकास में पुस्तकालय संघों की भूमिका : इफ्ला, आईएलए, आइसलिक के विशेष संदर्भ में (Role of Library Associations in the Development of Libraries : with special reference to IFLA, ILA, IASLIC)

### इकाई की रूपरेखा


9.0 प्रस्तावना

9.1 उद्देश्य

9.2 इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन्स एण्ड इन्स्टीट्यूशन (इफ्ला)

- 9.2.1 इफ्ला के उद्देश्य
- 9.2.2 इफ्ला का संगठनात्मक स्वरूप
- 9.2.3 व्यावसायिक केन्द्र
- 9.2.4 मीडियम टर्म प्रोग्राम
- 9.2.5 इफ्ला के प्रमुख सार्वभौमिक कार्यक्रम
- 9.2.6 भारत में इफ्ला के सम्मेलन तथा कार्यक्रम
- 9.2.7 प्रकाशन

9.3 भारतीय पुस्तकालय संघ (आईएलए)

- 9.3.1 आई एल ए के उद्देश्य
- 9.3.2 संगठन एवं संविधान
- 9.3.3 सदस्यता
- 9.3.4 आय
- 9.3.5 गतिविधियाँ
- 9.3.6 प्रकाशन

9.4 इण्डियन एसोसिऐशन आफॅ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड इनफार्मेशन सेन्टर्स (आएसलिक)

- 9.4.1 आएसलिक के उद्देश्य
- 9.4.2 आएसलिक के कार्य
- 9.4.3 सदस्यता

9.4.4 संगठन एवं संविधान

9.4.5 आय

9.4.6 प्रकाशन

9.5 सारांश

9.6 अभ्यास कार्य

9.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.8 संदर्भ एवं इतर पाठ्यसामग्री

## 6.0 प्रस्तावना (Introduction)

पुस्तकालयों की स्थापना का इतिहास काफी प्राचीन है। हाँ ये जरूर है कि पहले पुस्तकालयों को उपयोग करने की सुविधा सबको नहीं थी। पुस्तकालयों का विकास, स्वरूप एवं गतिविधियों में निरन्तर परिवर्तन होते रहे इनका कार्यक्षेत्र, इनकी सूचना सेवाएँ जन समुदाय तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रयास किये गये। पुस्तकालयों के पर्याप्त विकास के उपरान्त इनके राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के पुस्तकालय संघ बनाने पर विचार विमर्श हुआ। पुस्तकालय संघ जिला स्तर पर भी बनाए गए हैं। पुस्तकालय संघ एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से पुस्तकालय व्यावसायियों को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त होता है। इस मंच के माध्यम से पुस्तकालय की समस्याओं पर भी विचार विमर्श कर समाधान निकाले जाते हैं। पुस्तकालय संघ पुस्तकालयों के विकास हेतु प्रयत्नशील रहते हैं तथा समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों से संपर्क कर पुस्तकालय एवं पुस्तकालय व्यावसायियों की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं । इस इकाई में इफ्ला, आईएलए तथ आएसलिक से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा की गई है।

## 9.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आपको ज्ञात होगा कि -

- पुस्तकालय संघ की क्या आवश्यकता है;
- इफ्ला की गतिविधियाँ एवं प्रकाशन कौन-कौन से है; और
- आईएलए एवं आएसलिक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी आदि।

## 9.2 इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन्स एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स (International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA)

पुस्तकालयों, सूचना तथा प्रलेखन के सभी क्षेत्रों एवं क्रियाकलापों में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ लाइब्रेरी एसोसिएशन्स एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स (IFLA) की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण रही है। बहुत समय से यह माँग की जा रही थी कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय संघों का एक संगठन होना चाहिए। इन्टरनेशनल लाइब्रेरी कांग्रेस की एक बैठक ब्रुसेल्स में 1910 में सम्पन्न हुई जिसमें पुस्तकालय संघों का अन्तर्राष्ट्रीय संघ बनाने पर जोर दिया गया। यूरोप के शहर प्राग में जुलाई 1926 में इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्स आफ लाइब्रेरियन्स एण्ड बुक लवर्स का आयोजन किया गया। गब्रैल हेनरायट जो इस संगठन के अध्यक्ष थे, ने राष्ट्रीय पुस्तकालय संघों की एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन का प्रस्ताव रखा जिसे मान्य कर लिया गया। इस समिति का लक्ष्य समय-समय पर सम्मेलनों का आयोजन करना, इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फार इन्टेलेक्चुअल को-आपरेशन तथा लीग आफ नेशन्स तथा इन्टरनेशनल कमीशन फार इन्टेलेक्चुअल को-आपरेशन के कार्यकारी विभागों से संपर्क स्थापित करना, सदस्य संघों की सदस्यता शुल्क को निर्धारित करना, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पुस्तकालयों की भूमिका और अभिरूचि को सूत्रबद्ध करना अन्तर्राष्ट्रीय वांगमयसूचियों का संकलन तथा प्रकाशन करना आदि निर्धारित किये गये थे।

इफ्ला की स्थापना 1927 में की गई उस समय इसका फ्रेंच नाम फेडरेशन इन्टरनेशनल डेवो बिब्लियोग्राफी (FIAB) था जो बाद में इफला के रूप में परिवर्तित हो गया। सन 1928 में फ्लोरेंस व वेनिस में हुई बैठक में इसका संविधान स्वीकार कर लिया गया। सन 1964 में इसके संविधान में फेर बदल किया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय हेग में है। सन 1976 में इसमें एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स (and Institutions) भी जोड़ दिया गया।

### 9.2.1 इफ्ला के उद्देश्य (Objectives of IFLA)

इफ्ला अशासकीय संघों का एक स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ एवं संगठन है। इसके सदस्य विशेष रूप से पुस्तकालय संघ, सम्बन्धित संघ तथा पुस्तकालय एवं अन्य सादृश्य संस्थाएँ हैं। एक संस्थागत संघ के रूप में जिनका पंजीयन नीदरलैण्ड

(Netherland) में किया है।

**इफ्ला के मूल उद्देश्य निम्नांकित हैं -**

(1) पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं के क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों के विकास, अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान, सहयोग, विचार-विमर्श, तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना,

(2) कर्मियों की सतत् शिक्षा को प्रोत्साहित करना,

(3) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र एवं अभिरूचि से सम्बन्धित विषयों में ग्रन्थालयी कला एवं विज्ञान (Librarianship) के प्रतिनिधित्व के लिए एक संगठन/निकाय/मंच प्रदान करना।

(4) अनेक प्रकार के पुस्तकालय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित एवं विकसित करना तथा उनकी मार्गदर्शिका तैयार करना, सांख्यिकीय विवरण संकलित करना, वाङ्मयात्मक आधार-सामग्रियों को अभिलेखबद्ध करना और सम्प्रेषित करना आदि।

(5) पुस्तकालय के क्रियाकलापों व गतिविधियों में समन्वय बनाए रखना।

## 9.2.2 इफ्ला का संगठनात्मक स्वरूप (Organizational Structure of IFLA)

लासाने द्वारा सन 1976 में इफ्ला का नवीन संगठनात्मक स्वरूप निर्धारित किया गया। इसके अनुसार इसकी दो इकाइयाँ गठित की गयी हैं : विभाग तथा सेक्शन्स (Divisions and Sections), राउन्ड टेबिल्स (Round Tables)एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय तथा कार्यक्रम (International Office and Programmes) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इफ्ला अन्य अन्तर्राष्ट्रीय (Interogovernmental) तथा अराजकीय (Non-Governmental) तथा अन्य संगठनों के साथ सहयोग प्रदान करता है। साथ ही इफ्ला अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए यूनेस्को, इन्टरनेशनल फेडरेशन फार इनफार्मेशन एण्ड डाकूमेन्टेशन (FID), इन्टरनेशनल काउन्सिल आफ आर्काइब्ज (ICA), इन्टरनेशनल काउन्सिल आफ साइन्टिफिक यूनियन्स (ICSU) तथा इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड्स आर्गनाइजेशन (ISO)के साथ भी सहयोग प्रदान करता है। 1947 में यूनेस्को तथा इफ्ला में पारस्परिक रूप से एक दूसरे को मान्यता प्रदान करने का अनुबन्ध स्थापित हुआ है जिसमें

अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय क्रियाकलापों में प्रत्येक के महत्व को स्वीकार किया गया। यूनेस्को तथा इसके पुस्तकालयों के विकास तथा संरचना के कार्यक्रमों में एफ आई डी (FID) की भाँति इफ्ला ने प्रमुख सहयोग एवं भूमिका अदा की है। एफ.आई.डी. में इनफार्मेशन शब्द बाद में जोड़ा गया है।

इफ्ला की मूल व्यावसायिक इकाइयाँ 27 सेक्शनों (Sections) में विभक्त है। इसके अतिरिक्त सात राउन्ड टेबल्स (Round Tables) है। इन्हें सात विभागों में संगठित किया गया है। कुछ विभागों का समूहीकरण पुस्तकालयों अथवा संस्थाओं के प्रकारों के अनुसार अथवा क्षेत्रीयता के अनुसार जो विकासशील देशों से सम्बन्धित होते हैं, किया गया है। कार्यक्रमों का नियोजन मीडियम टर्म प्रोग्राम - 1976-80 (Medium Term Programme 1976-1980) के व्यापक स्वरूप के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रोग्राम डेवलपमेन्ट ग्रुप द्वारा किया जाता है जो व्यावसायिक परिषद का प्रतिनिधित्व करते है। इन्हें सफल बनाने हेंतु इफ्ला अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग प्राप्त करता है। जैसे - एफ आई डी, आई सी ए, आई सी एस यू, आई एस ओ (FID, ICA, ICSU, ISO) आदि। विकासशील देशों के लिए पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के प्रोत्साहन हेतु इफ्ला का क्षेत्रीय क्रियाकलाप विभाग संगठित किया गया है।

प्रारम्भ में इफ्ला का क्षेत्र मात्र यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों तक सीमित था और विश्व के सभी क्षेत्रों तक पहुँचने के साधनों से यह अभावग्रस्त था। लेकिन 1960-1970 के दशक में वस्तुतः इफ्ला का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय हो गया। इसकी व्यावसायिकता (Professionalisation) भी महत्वपूर्ण होती गयी जिसका श्रेय इसके पूर्व अध्यक्षों-सर फ्रैन्क फ्रैन्सिस (Sir Frank Francis, 1964-69) तथा हेरमैन लेबायर्स (Herman Liebaers, 1970-74) को है। इफ्ला क्रियाकलापों में ब्रिटिश म्युजियम के निदशेक सर फ्रैन्क फ्रैन्सिस (Sir Frank Francis) की अध्यक्षता की अवधि में पूर्वी यूरोप के देशों ने अधिक भाग लेना प्रारम्भ किया और बेल्जियम के रायल लाइब्रेरी अलबर्ट (Royal Library Albert) ब्रूसल्स के निदेशक लेबायर्स की अध्यक्षता की अवधि में इफ्ला के क्रियाकलापों में तृतीय विश्व के देशों (Countries of Third World) ने अत्यधिक भाग लेना प्रारम्भ किया।

### 9.2.3 व्यावसायिक केन्द्र (Professional Units)

इफ्ला के प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं उन्हें सफल बनाने

हेतु दो व्यावसायिक इकाइयों का गठन किया गया है। इफ्ला के सार्वभौमिक वाङ्मयात्मक नियंत्रण (Universal Bibliographical Control) के क्रियान्वयन के लिए इफ्ला इन्टरनेशनल आफिस फार यूबीसी (IFLA International Office for UBC) सक्रिय रहता है। इफ्ला के इस कार्यक्रम को एक प्रमुख परियोजना के रूप में साकार करने का प्रमुख श्रेय इसके पूर्व अध्यक्ष हरमैन लेबायर्स को है। इन्टरनेशनल कानफ्रेन्स आन कैटाल्गिंग प्रिन्सिपिल्स (International Conference on Cataloguing Principles - ICCP) जिसका आयोजन यूनेस्को द्वारा 1960में पेरिस में किया गया था, उसके निष्कर्षों से ही यूबीसी (UBC) का आविर्भाव हुआ था। इफ्ला के स्थायी सचिवालय की स्थापना के लिए तो काउन्सिल आन लाइब्रेरी रिसोर्सेज (Council on Library Resources) अनुदान प्रदान करता है और इसके अतिरिक्त लन्दन में इफ्ला इन्टरनेशनल आफिस फार यूबीसी को भी यह अनुदान प्रदान करता है इस कार्यालय को 1974 में लन्दन में संस्थापित किया गया है। हेग (The Hague) में भी व्यावसायिक यूनिट के सचिवालय की स्थापना हेतु सी.एल.आर. ने 1974 में अनुदान प्रदान किया है।

इफ्ला के प्रकाशनों की सार्वभौमिक सुलभता (Universal Availability of Publications) के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा समन्वय इफ्ला आफिस फार यूएपी के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इफ्ला आफिस फार इन्टरनेशनल लेन्डिंग (IFLA Office for International Lending) इसकी अन्य व्यावसायिक यूनिट है जो इस दिशा में प्रयत्नशील रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामग्रियों को आदान प्रदान करने में प्रोत्साहन प्रदान करने के अतिरिक्त प्रकाशनों की सार्वभौमिक सुलभता को भी यह प्रोत्साहित करता है।

### 9.2.4 मीडियम टर्म प्रोग्राम (Medium Term Programme)

इफ्ला की व्यावसायिक गतिविधियों (Professional Activities) की एक मार्गदर्शिका के रूप में 1963 में इसका दीर्घकालीन कार्यक्रम, (Long Term Programme), "लाइब्रेरीज इन दी वर्ल्ड" (Libraries in the world) की आख्या से तैयार किया गया था। जिसके अनुसार इफ्ला की गतिविधियाँ 1975 तक क्रियान्वित एवं संचालित की जाती रही हैं।

लेकिन इस दिशा में दूसरा कार्यक्रम मीडियम टर्म प्रोग्राम (Medium Term Programme (1976-1980)सूत्रबद्ध किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रोग्राम डेवलपमेन्ट

ग्रुप (Programme Development Group) अनेक परामर्श एवं सुझाव एकत्रित करता है। इसमें व्यावसायिक विशेषज्ञ कार्यक्रमों को वास्तविक रूप प्रदान करने की रूप रेखा तैयार करते हैं।

पंचवर्षीय कार्यक्रम की अपेक्षाकृत दीर्घकालीन कार्यक्रमों को इफ्ला के अन्तर्गत व्यावसायिक कार्यक्रमों की सफलता एवं प्रभावशीलता के लिए उपयोगी पाया गया। अतः प्रोग्राम डेवलपमेन्ट ग्रुप द्वारा मीडियम टर्म प्रोग्राम को तैयार किया गया हैं

1975 में इसे स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात तदनुसार कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किया जाता था। द्वितीय मीडियम टर्म प्रोग्राम को इफ्ला द्वारा 1980 में स्वीकृति भी प्रदान की गयी। जिसके अनुसार आवश्यक एवं उपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है।

## 9.2.5 इफ्ला के प्रमुख सार्वभौमिक कार्यक्रम (IFLA's Universal Programme)

इफ्ला के सार्वभौमिक कार्यक्रमों का तिवरण इस प्रकार है -

### 9.2.5.1 सार्वभौमिक वाङ्मयात्मक नियंत्रण (Universal Bibliographical Control UBC) -

इफ्ला ने एक प्रमुख उद्देश्यात्मक नीति के रूप में सार्वभौमिक वांग्मयात्मक नियंत्रण को कार्यन्वित करने का कार्यक्रम 1971 में प्रारम्भ किया। इसकी सफलता के लिए इफ्ला ने यूनेस्को के साथ सक्रिय कार्यक्रम अपनाया।

इस प्रकार "IFLA/UNESCO Programme of UBC" का लक्ष्य वांग्मयात्मक नियंत्रण (Bibliographical Control) के माध्यम से अभिलेखों/प्रकाशनों के सार्वभौमिक उपयोग एवं विनिमय को प्रोत्साहित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानक ग्रन्थात्मक विवरण (Standard Bibliographic description) तथा विषय शीर्षकों का वरण तथा स्वरूप को निर्धारित एवं सूत्रबद्ध करने की दिशा में इफ्ला का योगदान रहा है।

इफ्ला के सार्वभौमिक वाङ्मयात्मक नियंत्रण (IFLA - UBC) कार्यक्रम की सफलता के लिए किये गए चार प्रमुख प्रयास निम्नांकित हैं-

(1) (1) अन्तर्राष्ट्रीय मानक ग्रन्थात्मक विवरण (International Standard Bib-

liographical Description), (2) विषय शीर्षकों का मानकीकरण (Standardization of Forms of Headings), (3) राष्ट्रीय वाङ्मयसूचियों को उन्नत बनाना (4) यंत्रेण पठनीय वाङ्मयात्मक अभिलेखों का मानकीकरण (Standardization of Machine-Readable Bibliographic Records) 'मीडियम टर्म' कार्यक्रम के अन्तर्गत इफ्ला के प्रमुख कार्यक्षेत्र के रूप में इस दिशा में प्रयास किया जाता रहेगा।

(2) **प्रकाशनों की सार्वभौमिक सुलभता (Universal Availability of Publications - UAP) -**

इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रकाशित सामग्रियों को चाहे वे जिस किसी भाषा, स्वरूप, देश एवं काल की हों, उनको व्यापक एवं पर्याप्त रूप से सुलभ किया जाये जिससे उनका उपयोग किया जा सके। इसे आर्थिक, शैक्षणिक तथा व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक माना गया है। प्रकाशित सामग्रियों के अन्तर्गत - श्रव्य-दृश्य सामग्रियों (Audio-Visual materials), मुद्रित सामग्रियों, प्रतिवेदनात्मक साहित्य तथा पत्रिकाओं के आलेखों को सम्मिलित किया गया है। इस दृष्टि से इफ्ला के अन्तर्गत प्रलेखों के संरक्षण एवं सुरक्षा, संग्रह विकास एवं प्रचार प्रसार, सभी प्रकार की सूचना का प्रसार तथा ग्रन्थालय एवं पुरासंग्रहालय सेवाओं से सम्बन्धित सभी संगठनों एवं संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है।

प्रकाशनों की सार्वभौमिक सुलभता के उद्देश्य प्राप्ति एवं क्रियाकलापों में यूनेस्को, एफ आई डी, आई सी ए भी अपनी भूमिका अदा करते हैं और इफ्ला इनके साथ सहयोग करता है। यूएपी (UAP) का लक्ष्य स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रकाशनों को उपलब्ध कराने की जितनी बाधाएँ हैं, उन्हें दूर करना है। इस धारणा को इफ्ला के अन्तर्गत 1973 में सिद्धान्तबद्ध किया गया था। 1977 में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया जिसका उद्देश्य व्यापक कार्यक्रम तथा प्रयत्नों को सुनिश्चित किया जाना था।

(3) **अन्तर्राष्ट्रीय मार्क कार्यक्रम एवं इफ्ला का योगदान (International MARC Programme and IFLA's Role) -**

अन्तर्राष्ट्रीय मार्क कार्यक्रम की उपयोगिता एवं प्रचलन को महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मान्य करते हुए इफ्ला कार्य परिषद (IFLA Executive Board)

ने इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोग्राम मैनेजमेन्ट कमेटी की स्थापना 1979 में की थी। इन्टरनेशनल मार्क प्रोग्राम के संचालन के दायित्व को इफ्ला ने स्वीकार किया है। इस कार्यक्षेत्र को क्रियान्वित एवं साकार बनाने के लिए इन्टरनेशनल मार्क आफिस की स्थापना करने पर जोर देता रहा है।

**( 4 ) इफ्ला के क्षेत्रीय क्रियाकलाप (Regional Programmes of IFLA) -**

विकासशील देशों के पुस्तकालयों तथा सूचना सेवाओं की प्रगति एवं प्रोत्साहन के लिए इफ्ला के अन्तर्गत एक विशिष्ट विभाग क्षेत्रीय क्रियाकलाप विभाग (Division of Regional Activities) स्थापित किया गया है। इसके तीन अन्य उपविभाग भी अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका आदि देशों में इफ्ला के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु स्थापित किए गये हैं।

यूनेस्को तथा अन्य आर्थिक अनुदान प्रदान करने वाले संगठनों से इफ्ला संबंध स्थापित करता है। 1950 में इफ्ला तथा एफ.आई.डी. के पारस्परिक संबंध बड़े ही अच्छे रहे हैं। जिससे अशासकीय संगठनों (Non-Governmental Organisations) के क्रियाकलापों एवं यूनेस्को के कार्यक्रमों के समन्वयन में इसकी भूमिका प्रशंसनीय रही है।

1955 में एफ. आई. डी, इफ्ला एवं इन्टरनेशनल एसोसिएशन आफ म्यूजिक लाइब्रेरीज को वर्ल्ड कांग्रेस के आयोजन हेतु अनुदान प्राप्त हुआ था। इसका लक्ष्य "Tasks and Responsibilities of Libraries and Documentation Centres in Modern Life" के ग्रन्थालयों तथा प्रलेखन केन्द्रों की भूमिका तथा उपयोगिता को अधिकाधिक प्रोत्साहन प्रदान करना था।

इफ्ला के मीडियम टर्म प्रोग्राम 1976-89 में अनेक परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को द्वारा आयोजित "Intergovernmental Conference on the Planning of National Documentation, Library and Archives Infrastructure" को इफ्ला ही ने प्रायोजित किया था जिसे नेटिस (NATIS) के अन्तर्गत सम्पन्न किया गया था। पुस्तकालय भवनों की उपयोगिता को महत्व प्रदान करने की दृष्टि से इफ्ला द्वारा बैठकों एवं विचार विमर्शों का आयोजन किया जाता रहा है। जिसमें कमेटी आन लाइब्रेरी बिल्डिंग ने विशवविद्यालयीय पुस्तकालय भवन तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय भवन पर दो संगोष्ठियों का आयोजन 1971 तथा 1974 में क्रमशः किया है।

### 9.2.6 भारत में इफ्ला के सम्मेलन तथा इसके कार्यक्रम (Conference and Programmes of IFLA's in India)

इफ्ला का 58वॉ महाअधिवेशन (58th General Conference) भारत में नई दिल्ली में सितम्बर 1992में सम्पन्न हुआ। जिसमें मुख्य विचार विमर्श एवं चर्चा का विषय पुस्तकालय एवं सूचना नीति एक दृष्टिकोण (Library and Information Policy Perspectives) रहा है। इसके अतिरिक्त प्रमुखतः निम्नांकित प्रकरणों पर विशद चर्चा की गयी : यूरोपीय समुदाय के पुस्तकालयों में दक्षिणी एशियाई संकलन (South Asian Collection in Libraries of the European Community), अफ्रीकी देशों की पुस्तकालय तथा सूचना नीति (Library and Information Policy in Africa), दक्षिणी एवं दक्षिणी-पूर्वी एशिया के विशेष संदर्भ में कलाकृतियों के संकलन का विकास, राष्ट्रीय वाङ्मयसूची तथा संस्कृति एवं पूर्वव्यापी वाङ्मयसूची में सहकारिता, सूचीकार तथा उपयोगकर्ता की आवश्यकता (Cataloguers and Users Need), वर्गीकरण एवं अनुक्रमणिकाकरण, भारत में वर्गीकरण एवं अनुक्रमणिकाकरण विकासशील देशों में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का शिक्षण एवं प्रशिक्षण, मानचित्रावली पुस्तकालय तथा भारतीय मानचित्रावली पुस्तकालय, सीडी-रॉम में शासकीय सूचना, सूचना प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय इतिहास, भारतीय पुस्तकालय इतिहास, पिछड़े लोगों की सेवाओं के पुस्तकालय, विकासशील देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालय, संसदीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, अलभ्य पुस्तकें तथा पाण्डुलिपियाँ, स्कूल पुस्तकालय, विश्वविद्यालयीय पुस्तकालयों की भूमिका आदि विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इफ्ला निरन्तर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अगस्त, 2010 तक 76 सम्मेलन आयोजित हो चुका है।

### 9.2.7 प्रकाशन (Publications)

(1) IFLA Directory, (2) International Cataloguing and ISBD, (3) Bibliographic Control (UBCIM) (4) IFLA Public Library Service guide lines. (5) International Cataloguing and Bibliographic Control (ICBC) Journal (6) IFLA Medium Term Programme (7) Divisional and Sectional Newsletters, (8) National and International Library Planning/ed, by R. Vosper, 1974, (9) Reading in Changing World/ed. by F.E. Kohrhardt, 1972 (10) The organisation of the Library Profession/ed. by A.H. Chaplin, 1971,

(11) IFLA : Annual, (12) ABHB : Annual Bibliography on the History of the Printed Book and Libraries/ed. by H.D.L. Vervliet, (13) IFLA Journal, (14) IFLA Publications to date.

इसके द्वारा Guide lines, Menifestos, Newsletter, Reports, Statements and Strategic Planes आदि प्रकाशित किये जाते हैं। इफ्ला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वाधिक सक्रिय पुस्तकालय संघ है।

**बोध प्रश्न -**

1. इफ्ला का फ्रेंच नाम क्या था?

---

---

2. इफ्ला का मुख्यालय कहाँ पर है?

---

---

3. इफ्ला में पूर्व नाम के साथ एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स कब जोड़ा गया?

---

---

4. यू.बी.सी. का पूरा नाम क्या है?

---

---

5. यू.ए.पी. से क्या समझते हैं?

---

---

## 9.3 भारतीय पुस्तकालय संघ

प्रत्येक देश में पुस्तकालय संघों की स्थापना पृथक पृथक रूप में हुई लेकिन भारत में पुस्तकालय संघ की स्थापना का इतिहास अन्य देशों से भिन्न है। अन्य विभिन्न

देशों में पुस्तकालय संघों की स्थापना मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर पर की गई जबकि भारत में राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघ की स्थापना के पूर्व ही बड़ौदा पुस्तकालय संघ 1910, पंजाब पुस्तकालय संघ 1915, मद्रास पुस्तकालय संघ 1928 आदि की स्थापना हो चुकी थी। प्रथम भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 12 सितम्बर 1933 को एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता में शुरू हुआ। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की घोषणा एम.ओ.थामस की अध्यक्षता में 13 सितम्बर 1933 में की गई। पंजाब विशवविद्यालय के तत्कालीन कुलपति ए.सी.बूलनर को भारतीय पुस्तकालय संध के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। डॉ0 रंगनाथन का योगदान इस संघ की स्थापना में रहा। उन्होंने अपने प्रयासों से इस पुस्तकालय संघ को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के अथक प्रयास किये थे। डॉ0 रंगनाथन सन 1946 से सन 1953 तक इसके अध्यक्ष रहे। डॉ0 रंगनाथन ने अपने प्रयासों से भारतीय पुस्तकालय संघ को इफ्ला, यूनेस्को तथा एफआईडी के साथ जोड़ा व इनके साथ अच्छे संबंध बनाने का कार्य किया।

### 9.3.1 आई एल ए के उद्देश्य (Objectives of ILA)

भारतीय पुस्तकालय संघ के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. भारत में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहित करना एवं गति प्रदान करना।
2. भारत में पुस्तकालय संघों को प्रोत्साहित करना।
3. पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा को अधिक बढ़ावा देना।
4. सम्मेलन, सेमिनार एवं बैठकों का आयोजन करना।
5. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण, शिक्षा एवं शोध को प्रोत्साहित करना।
6. पुस्तकालय व्यवसाय के सेवा स्तर एवं शर्तों में सुधार तथा उनको उन्नत करना।
7. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान साहित्य का प्रकाशन करना।

   देश व राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को स्थापित एव प्रदान करने हेतु पुस्तकालय अधिनियम पारित कराना।
9. समान उद्देश्यों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से पारस्परिक सहयोग करना।
10. पुस्तकालय सेवा में सुधार हेतु ठोस कार्य प्रणाली का निर्माण करना।

11. पुस्तकालय एवं पुस्तकालय व्यावसायियों के मध्य सहकारिता विकसित करना।

### 9.3.2 संगठन एवं संविधान (Organisation and Constitution)

अन्य संगठनों की सदस्यता की भाँति ही इस संघ की सदस्यता के लिए भी कुछ नियमों का निर्धारण किया गया है। आई एल ए के आजीवन सदस्य, अस्थाई सदस्य, संस्थागत सदस्य तथा पुस्तकालय संघ सदस्य होते हैं। पुस्तकालय संघ में सदस्यों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथापि इसकी सदस्यता बढ़ाने के लिए और भी प्रयासों की आवश्यकता है। इसकी कार्यकारिणी का चुनाव सामान्य सभा (General Body) द्वारा पोस्टल बैलेट पेपर द्वारा किया जाता है। संघ की कार्यकारिणी का कार्यकाल सामान्यतः दो साल का होता है। संघ में एक अध्यक्ष, छः उपाध्यक्ष तथा 20 सदस्य होते हैं। एक महासचिव होता है। संघ की लगभग 11 विभागीय समितियाँ हैं इन समितियों के सदस्य राज्य पुस्तकालय संघों के अध्यक्ष और एक प्रतिनिधि, कार्यकारी परिषद के सदस्य होते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए संघ का अध्यक्ष. एक उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, दो सचिव, लोक संपर्क अधिकारी व तीन परिषद सदस्यों की एक कार्यकारिणी होती है। सामान्यतया सामान्य सभा की बैठक वर्ष में एक बार वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर होती है। परिषद की बैठक वर्ष में चार बार तथा कार्यकारिणी की बैठक आवश्यकतानसार की जाती है। सामान्य सभा संघ का वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) तथा लेखा जोखा का अनुमोदन करती है।

उपर्युक्त सदस्य और पदाधिकारी मण्डल कार्य समितियाँ जहाँ एक ओर पुस्तकालय संघ को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करती है वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने से पुस्तकालय से जुड़े सभी पुस्तकालयाध्यक्षों को संघ के माध्यम से अपनी समस्याओं तथा पुस्तकालयों के विकास के लिए विचार व्यक्त करने का मंच भी प्राप्त हो जाता है।

### 9.3.3 सदस्यता (Membership)

भारतीय पुस्तकालय संघ की सदस्यता कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता हैं। यह जरूरी नहीं है कि वह पुस्तकालय एवं सचूना विज्ञान का अध्यापक व छात्र हो। पुस्तकालय संघ की सदस्यता निम्न प्रकार होती है -

1. संरक्षक सदस्यता

2. आजीवन सदस्यता

3. मानद सदस्यता

4. संस्थागत सदस्यता

5. साधारण सदस्यता

6. पुस्तकालय संघ सदस्यता

7. एसोशिएट सदस्यता

8. विदेशी सदस्यता

### 9.3.4 आय (Income)

किसी भी संघ की गतिविधियों के संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय संघ की आय का मुख्य स्रोत केन्द्रीय व राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान है। दूसरा आय का स्रोत सदस्यता से प्राप्त शुल्क है। इस शुल्क के बदले संघ सदस्यों को न्यूज लेटर व जर्नल की प्रतियाँ भेजता है। जर्नल में प्रकाशित विज्ञापन एवं अन्य प्रकाशन की बिक्री से भी आय प्राप्त होती है।

### 9.3.5 गतिविधियाँ (Acticities)

आई.एल.ए. भारत में विभिन्न भागों में सेमिनार, सभा एवं सम्मेलन का आयोजन करता है। समय-समय पर संघ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी आयोजित करता है। यह संघ अन्य समकक्ष संघों के साथ तालमेल बनाए रखता है। संघ ने सन 1985मे डॉ0रंगनाथन के दर्शन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अयोजन किया था जिसमें देश-विदेश के वरिष्ठ पुस्तकालय विज्ञान से सम्बन्धित विद्वानों ने भाग लिया। अभी तक कुल 55 वार्षिक सम्मेलन आयोजित किये जा चुके हैं।

यूजीसी द्वारा गठित समितियों, जिनमें कालेज तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के संचालन तथा उनकी भावी प्रोन्नति पर विचार विमर्श किया जाता है, में भी आई एल ए का प्रतिनिधि होता है। संघ द्वारा अपने सदस्यों की व्यावसायिक योग्यता को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें श्रेय के लिए अनेक प्रकार की शोध वृत्तियाँ,पुरस्कार व मैडल्स प्रदान करता है। जैसे -

Prof. P.N. Kaula award

- Aburi Shiyali Research award
- Dr. C.D. Sharma award
- Best Research paper award
- ILA Promoter award

### 9.3.6 प्रकाशन (Publications)

आई.एल.ए. के प्रकाशन निम्नलिखित है -

(i) Directory of Indian Libraries
(ii) ILA Bulletin (Quarterly)
(iii) ILA Newsletter

अन्य (Other)

आई.एल.ए. द्वारा कुछ ग्रंथ तथा सम्मेलन की कार्यवाहियाँ (Conference Proceedings) भी प्रकाशित की जाती हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ को स्थापित हुए 77 साल होने के बावजूद भी इसके सदस्यों की संख्या बहुत अच्छी नहीं है।

बोध प्रश्न -

6. आई.एल.ए. का पूरा नाम क्या है?

---

---

7. डॉ. रंगनाथन कब से कब तक आई.एल.ए. के अध्यक्ष रहे?

---

---

8. आई.एल.ए. की स्थापना कब हुई थी?

---

---

## 9.4 इण्डियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड इन्फॉर्मेशन सेन्टर्स (Indian Association of Special Libraries and Information Centres (IASLIC)

इस संघ की स्थापना 3 सितम्बर 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों का भारतीय संघ है। द्वितीय महायुद्ध

के बाद अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पुर्ननिर्माण तथा मुख्यतः आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध तथा नियोजित विकास की आवश्यकता ने विशिष्ट प्रकृति के पुस्तकालयों की अपेक्षा की। इसके फलस्वरूप ही श्री ए.के. मुखर्जी, श्री जी.बी. घोष तथा एस.एस.होरा के प्रयत्नों के उपरान्त आएसलिक की स्थापना हुई।

### 9.4.1 आएसलिक के उद्देश्य (Objectives of IASLIC)

आएसलिक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. ज्ञान एवं सूचना के अर्जन, व्यवस्थापन तथा प्रसारण को बढ़ावा देना।
2. पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं तथा प्रलेखन की गुणवत्ता को उन्नत बनाना।
3. पुस्तकालयों, सूचना ब्यूरो, प्रलेखन केन्द्रों, वैज्ञानिकों, शोधार्थी एवं विशेषज्ञों के लिए सक्रिय सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
4. वैज्ञानिक, तकनीकी व सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में सूचनाओं के केन्द्रों के रूप में कार्य करना।
5. विशिष्ट पुस्तकालयों के कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण आदि का आयोजन कर तकनीकी क्षमता बढ़ाना।
6. विशिष्ट पुस्तकालयों के मध्य सूचना एवं सेवा प्रसार के लिए परस्पर सहयोग में वृद्धि करना।
7. वैज्ञानिक तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों में सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना।
8. विशिष्ट पुस्तकालयों तथा प्रलेखन तकनीकी में शोध केन्द्र के रूप में कार्य करना।
9. संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वांछित कार्य करना।
10. राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर सेमिनार, सम्मेलन तथा कार्यशाला आयोजित करना, तथा
11. प्रकाशन कार्य आदि।

### 9.4.2 आएसलिक के कार्य (Functions of IASLIC)

उपयुर्क्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आएसलिक द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जाते हैं -

1. आएसलिक मांग प्राप्त होने पर सूचना प्रदान करता है।
2. छायाप्रति सेवा एवं अनुवाद सेवा प्रदान करता है।
3. संघ के प्रकाशन वितरित करता है।
4. पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु अल्पकालीन प्रशिक्षण कोर्स आदि की व्यवस्था करता है।
5. अन्तः- पुस्तकालय सहयोग तथा अन्तः पुस्तकालय ऋण को प्रोत्साहित करता है।
6. सेमिनार, सम्मेलन आदि को नियमित रूप से आयोजित करता है।
7. पुस्तकालय विज्ञान से सम्बद्ध साहित्य के संग्रह के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करता है।
8. आएसलिक बुलेटिन में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेखक को प्रोत्साहन देता हैं ।
9. पुस्तकालय व्यवसायियों के वेतनमानों, उनकी सेवा शर्तों और सामाजिक स्तर में सुधार का कार्य करता हैं ।
10. स्टडी सर्कल का आयोजन करता है जिसमें व्याख्यान दिये जाते हैं।
11. निसात (NISSAT) के सहयोग से विशेष योजनाओं पर कार्य कर रहा हैं।
12. इफ्ला यूनेस्को तथा एफ आई डी के साथ सम्बन्ध स्थापित कर समन्वय बनाए रखना।

विस्तृत विवरण इस प्रकार है -

1. प्रलेख पुनर्प्रतिलिपिकरण एवं अनुवाद सेवा (Reprographic and Trans lation Service) - यह सेवा आएसलिक द्वारा 1958 से दी जा रही है। इसके अन्तर्गत समस्त यूरोपीयन भाषाओं से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की व्यवस्था की जाती है। प्रलेखों की माइक्रोफिल्म एवं फोटोकॉपी तैयार करने की भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ये सेवाएं व्यक्तिगत अनुसंधानकर्त्ताओं शोध संस्थाओं एवं विद्वत परिषदों को प्रदान की जाती है।

2. **शिक्षण-सेवा (Education Service)-** इस सेवा के अन्तर्गत कुछ वर्षों तक फ्रेंच , जर्मन,रूसी भाषा तथा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर स्पेशल लाइब्रियिनशिप एण्ड डॉकुमेण्टेशन में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये,

किन्तु अनपेक्षित कारणों से शिक्षण विभाग को इन्हें बन्द कर देना पड़ा है। 1976 में ब्रिटिश काउन्सिल कलकत्ता के सहयोग से अनुक्रमणीकरण पद्धतियों (Indexing Systems) पर छः सप्ताह का एक पाठ्यक्रम चलाया गया । 1981 में एक सप्ताह का पुर्नप्रतिलिपिकरण (Reprography) पाठ्यक्रम भी चलाया गया।

3. **संगोष्ठियाँ एवं सम्मेलन (Seminars and Conferences)** - आएसिलक हर दो वर्ष बाद एक संगोष्ठी और एक सम्मेलन क्रमशः आयोजित करती है। 2010 तक कुल 24 राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किये जा चुके हैं।

4. **अध्ययन मंडल (Study Circle)** - आएसिलक के मुख्यालय कोलकाता में चंद उत्साही कार्यकर्ताओं के सत्प्रयास से अध्ययनमंडल की स्थापना की गयी है। इसकी बैठक हर महीने हुआ करती है, जिसमें विशिष्ट ग्रन्थालययित्व एवं सूचना विज्ञान के नये आयामों पर विचार-विमर्श होते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार के अध्ययन मंडल नई दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, रूड़की, लखनऊ, धनबाद, मुम्बई तथा जमशेदपुर में भी खोले जा चुके हैं।

**व्यावसायिक स्थिति (Professional Status)**

आएसलिक भारत में कार्यरत अत्यधिक गतिशील संघों में से एक है। यह इफ्ला (IFLA) तथा फिड (FID) जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संघों से सम्बद्ध हैं। यह भारतीय मानक संस्थान (Indian Standards Institution) की प्रलेखन उपसमिति एवं नेशनल कमीशन फॉर को-आपरेशन विथ यूनेस्को (National Commission for Co-operation with UNESCO) का भी सदस्य है। इसका इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ILA) निस्केयर (NISCAIR), ऐस्लिब (ASLIB) तथा एस.एल.ए.(SLA)के साथ सहयोगात्मक सम्बन्ध है।

## 9.4.3 सदस्यता (Membership)

आएसलिक तीन प्रकार की सदस्यता प्रदान करता है -

1. मानद (Nominated), संस्थागत (Institutional), तथा व्यक्तिगत (Individual) सदस्य।
2. आजीवन सदस्य (Life Member)
3. साधारण सदस्य (Ordinary Member)

### 9.4.4 संगठन एवं संविधान (Organization and Constitution)

इसकी सामान्य सभा में उपरोक्त सभी सदस्य होते हैं। सामान्य सभा, परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करती है। जिसमें कुल 34 सदस्य होते हैं। परिषद अपने सदस्यों में से कार्यकारिणी वित्त समिति का गठन करती है। संघ का प्रति दूसरे वर्ष सम्मेलन होता है, जिसमें इन पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। सुचारू ढंग से कार्य संचालन के लिए आएसलिक को निम्नलिखित 6 विभागों में बांटा गया है -

(1) प्रलेखन विभाग (Documentation Division)

(2) शिक्षा विभाग (Education Division)

(3) प्रलेख पुनरूत्पादन तथा अनुवाद विभाग (Document Reproduction and Translation Division)

(4) प्रकाशन तथा प्रचार विभाग (Publication and Publicity Division)

(5) पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग (Library and Information Service Division)

(6) अन्तः पुस्तकालय सहयोग तथा समन्वय विभाग (Inter Library Cooperation and Co-ordination Division)

इसके अतिरिक्त संघ के विभिन्न विषयों के समूह इस प्रकार हैं -

(1) औद्योगिक सूचना

(2) सामाजिक विज्ञान

(3) कम्प्यूटर प्रयोग तथा

(4) मानविकी समूह

जिस समय वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है तब ये समूह (SIG) आपस में मिलकर अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। संघ ने कोलकाता, चण्डीगढ़, धनबाद, मुम्बई, जयपुर, जमशेदपुर, हैदराबाद तथा रूड़की आदि शहरों में अध्ययन वृत्त (Study Circle) बना रखे हैं। इनकी बैठक प्रतिमाह होती है।

### 9.4.5 आय (Income)

आएसलिक की आय का मुख्य स्रोत सदस्यता राशि एवं प्रकाशनों की बिक्री है। इसके अतिरिक्त सेमिनार, सम्मेलन तथा विशिष्ट परियोजनाओं के लिए केन्द्र, राज्य

सरकारों, राजा राममोहन राय प्रतिष्ठान, सीएसआईआर आदि से भी अनुदान प्राप्त होता है। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापन से भी आय प्राप्त होती है।

### 9.4.6 प्रकाशन (Publications)

आएसलिक के मुख्य प्रकाशन निम्नलिखित हैं -

(i) IASLIC Bulletin (Quarterly)
(ii) IASLIC Newsletter (Monthly)
(iii) Indian Library Science Abstract (ILSA) (Quarterly)
(iv) Directory of Special and Research Libraries
(v) Annual Report
(vi) Conference Proceedings
(vii) Fundamentals of Special Librarianship and Documentation.

उपर्युक्त प्रकाशनों के अतिरिक्त संघ के निम्नलिखित प्रकाशन भी हैं -

(1) सूचना एवं वैज्ञानिक सम्प्रेषण की विधियाँ

(2) पुस्तकालय प्रशिक्षण की शिक्षा

(3) मेडिकल सोसायटी एवं पत्रिकाओं का भारत में विकास।

(4) पुस्तकालय एवं सूचनातंत्र में व्यवस्थापन तकनीक के उपयोग।

(5) तकनीकी सूचना के स्थानान्तरण में सूचना केन्द्रों का सहयोग।

बोध प्रश्न -

9. आएसलिक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी?

---

---

10. ISLA का पूरा नाम क्या है ?

---

---

11. SIG क्या है?

---

---

12. आएसलिक बुलेटिन की आवधिकता (Periodicity)क्या है?

---

---

## 9.5 सारांश (Summary)

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त यह स्पष्ट हो रहा है कि पुस्तकालय संघों का उद्देश्य अपने विषय क्षेत्र के विकास हेतु प्रयास करना है। ये सभी संघ नियमित सम्मेलन एवं कार्यशाला का आयोजन करते हैं। प्रोसीडिंग, न्यूजलेटर, जर्नल आदि का प्रकाशन करते हैं। लेकिन इन्हें और भी सक्रिय होने की आवश्यकता है। इफ्ला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इसके प्रकाशन अद्वितीय हैं। पुस्तकालय संघों के प्रयास से पुस्तकालय एवं पुस्तकालय व्यवसाय को उन्नत बनाने में काफी मदद मिलती है। विशेषज्ञ इन मंचों के माध्यम से ही पुस्तकालय की समस्याओं को प्रकाश में लाते हैं तथा समाधान हेतु प्रयास करते हैं।

आएसलिक विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों के विकास हेतु निरन्तर प्रयासरत हैं यह नियमित रूप से सेमिनार एवं सम्मेलनों का आयोजन करता है। भारत के सभी पुस्तकालय संघों के क्रियाकलापों को और भी उन्नत एवं सक्रिय बनाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी के तकनीकी पहलुओं की जानकारी एवं इसके अनुप्रयोग से सम्बन्धित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना चाहिए ताकि पुस्तकालय सदस्य अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकेंगे तथा अपनी भूमिका का निर्वाह और भी ठीक ढंग से कर सकेंगे।

## 9.6 अभ्यास कार्य (Exercise)

1. इफ्ला के प्रकाशनों के नाम बताइये।
2. भारतीय पुस्तकालय संघ के उद्देश्यों की चर्चा करें।
3. आएसलिक के मुख्य विभागों का वर्णन करें।
4. आईएलए एवं आएसलिक के प्रकाशनों को संक्षेप में बताएं।
5. आएसलिक के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करें।

## 9.7 बोध प्रश्नों के उत्तर (Answer of Sense Questions)

1. इफ्ला का फ्रेंच नाम 'फेडरेशन इन्टरनेशनल डेवो बिब्लियोग्राफी' था।
2. इफ्ला का मुख्यालय हेग में स्थित है।

3. सन 1976 में

4. यूनीवर्सल बिब्लियोग्राफिक कन्ट्रोल

5. यूनीवर्सल एवेलेबेल्टी ऑफ पब्लिकेशन्स।

6. आई.एल.ए. का पूरानाम Indian Library Association है।

7. सन 1946 से1953 तक।

8. आई.एल.ए. की स्थापना 13 सितम्बर 1933 में हुई थी।

9. आएसलिक की स्थापना 1955 में कलकत्ता में हुई थी।

10. ILSA का पूरा नाम Indian Library Science Abstract है।

11. SIG, Special Interest Group है।

12. त्रैमासिक।

## 9.8 सन्दर्भ तथा इतर पाठ्य सामग्री ( Reference and other Reading Materials )

1. IGNOU Study Materials, BLS-1, Part-5.

2. Kaula, P.N. Library Movement in India, Delhi : Delhi Library Association, 1958.

3. Mukherjee, A.K. Fundamentals of Special Librarianship and Documentation, Calcutta : IASLIC, 1969

4. Munford, W.A. History of the Library Association, London : The Library Association, 1976.

5. Saini, Om Prakash, Granthalaya evam Samaj, Agra: Y.K. Publishers.

6. Tripathi, S.M. Pralekhan evam Suchana Sevayen tatha Networks, Vol. 1, Agra : Y.K. Publishers, 1996.

# इकाई - 10 : पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न भारतीय संस्थानों का योगदान : यूजीसी, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, निस्केयर एवं नासडॉक (Contribution of Various Indian Institutes in Development of Libraries:UGC, RRRLF, NISCAIR and NASSDOC)

## इकाई की रूपरेखा


10.0 प्रस्तावना

10.1 उद्देश्य

10.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- 10.2.1 यू.जी.सी. के प्रमुख क्रियाकलाप
- 10.2.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकालय समिति
- 10.2.3 यू.जी.सी. द्वारा नियुक्त प्रमुख आयोग एवं समितियाँ
- 10.2.4 पुस्तकालयों के विकास हेतु यू.जी.सी. के क्रियाकलाप

10.3 राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

- 10.3.1 संगठन
- 10.3.2 उद्देश्य
- 10.3.3 गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम
- 10.3.4 अन्य कार्यक्रम
- 10.3.5 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
- 10.3.6 प्रकाशन

10.4 निस्केयर

- 10.4.1 संगठनात्मक संरचना
- 10.4.2 उद्देश्य
- 10.4.3 गतिविधियाँ
- 10.4.4 सेवाएँ
- 10.4.5 राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल पुस्तकालय
- 10.4.6 प्रकाशन

10.5 नासडॉक

10.5.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

10.5.2 उद्देश्य

10.5.3 नासडॉक के क्रियाकलाप

10.5.4 नासडॉक की सेवाएँ

10.5.5 परिषद द्वारा सम्पन्न की जाने वाली परियोजनाएँ

10.5.6 विनियम कार्यक्रम

10.5.7 नासडॉक का पुस्तकालय

10.5.8 नासडॉक के प्रमुख प्रकाशन

10.6 सारांश

10.7 अभ्यास कार्य

10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.9 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री

## 10.0 प्रस्तावना (Introduction)

भारत में पुस्तकालयों का महत्व प्राचीनकाल से ही रहा है। प्राचीन लेखों एवं अभिलेखों में पुस्तकालयों का वर्णन मिलता है। मुद्रण कला के आविष्कार के साथ ही पुस्तकों, समाचार पत्रों में तीव्र वृद्धि हुई। धीरे-धीरे प्रकाशन के स्तर एवं स्वरूप में भी सुधार होता गया जो अब इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन का स्वरूप ले चुका है। वर्तमान में पुस्तकालयों के उन्नयन एवं विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पुस्तकालयों के विकास में अनेक संस्थाएँ एवं संगठन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें यूजीसी, निस्केयर, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन एवं नासडॉक आदि प्रमुख संस्थाएँ हैं। विशवविद्यालय अनुदान आयोग ने 1857 में डॉ. एस.आर.रंगनाथन की अध्यक्षता में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय समिति की स्थापना की। इसके बाद अनेक समितियाँ गठित की गई। पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के विकास मे अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एवं क्रियाशील संस्थाएं निरन्तर प्रयासरत रहते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

## 10.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के उपरान्त आपको यह ज्ञात होगा कि -

- पुस्तकालय के विकास में यूजीसी की क्या भूमिका है?

- सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान क्या भूमिका अदा कर रहा है ।
- निस्केयर के क्रिया-कलाप एवं सेवाएँ क्या हैं?
- नासडॉक सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध को किस प्रकार प्रोत्साहित कर रहा है, तथा
- ई-कन्सोर्सिया की क्या उपयोगिता है, आदि ।

## 10.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC)

राधाकृष्णन आयोग 1948 की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की तत्पश्चात 1956 में एक विधेयक पारित कर संसद ने इसे वैधानिक मान्यता प्रदान की। आयोग उच्चशिक्षा हेतु मानक निर्धारित करने के साथ-साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार के शिक्षा संस्थानों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी एवं समन्वय का कार्य करता है। यूजीसी द्वारा गठित पुस्तकालय समिति का प्रतिवेदन महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों से संबंधित आज तक का सर्वाधिक व्यापक प्रलेख है। इस समिति के अध्यक्ष डॉ.रंगनाथन थे। यूजीसी ने 1959 में इस प्रतिवेदन को यूनिवर्सिटी एण्ड कॉलेज लाइब्रेरीज' आख्यान्तर्गत प्रकाशित किया था। इस प्रतिवेदन द्वारा पुस्तकालयों को अपने साधनों एवं वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वार्षिक बजट का प्रावधान करने और यूजीसी से विकास अनुदान प्राप्त करने के आधार की स्थापना की। इस समिति ने कर्मचारी परिसूत्र को भी सम्मिलित किया है। लेकिन वर्तमान में यह परिसूत्र उतना प्रासंगिक नहीं रहा, जितना पहले था।

यूजीसी पुस्तकालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।इसके द्वारा समय-समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालयों एवं अन्य शोध संस्थानों के पुस्तकालयों को नियमित एवं विशेष अनुदान भी प्रदान किया जाता है। इस अनुदान से पुस्तकालय अपनी सूचना-सामग्री आदि क्रय करते हैं। यूजीसे ने 1991 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इनफ्लिबनेट (INFLIBNET)की स्थापना की जिसका उद्देश्य शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास है। इनफ्लिबनेट ने पुस्तकालयों के

स्वचालन हेतु 'सोल' सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है तथा राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की दिशा में कार्यरत है। 'यूजीसी इन्फोनेट' नाम से कन्सोर्सिया स्थापित एवं विकसित किया है। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक जर्नल उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इससे ग्रन्थों के क्रय में पुनरावृत्ति पर रोक लगी है तथा व्यय राशि की बचत हो रही है।

### 10.2.1 यू.जी.सी. के प्रमुख क्रियाकलाप (Activities of UGC)

- केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य समकक्ष उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान उपलब्ध कराना।
- उच्च शिक्षा में आवश्यक सुधारों हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को सुझाव देना।
- शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योजनाएँ निर्धारित करना।
- उच्च शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का परिपालन और निर्धारण ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अस्तित्व में आने के साथ ही महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विकास के साथ उनके पुस्तकालयों के विकास पर भी ध्यान दिया। पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के विकास हेतु उनसे संबंधित अन्य अवयवों जैसे- भवन, अध्ययन सामग्री उपकरण और कर्मचारी वर्ग आदि सभी की ओर समय-समय पर ध्यान दिया है। इसके साथ ही आयोग ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कई स्तरीय पुस्तकालय सूचना केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और समितियाँ स्थापित एवं गठित की हैं।

### 10.2.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकालय समिति (UGC Library Committee)

यू.जी.सी.के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. सी.डी.देशमुख ने पुस्तकालयों में संबंध में राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित पुस्तकालयों के विकास हेतु परामर्श देने के लिए 1957 में डॉ. एस.आर.रंगनाथन की अध्यक्षता में एक पुस्तकालय समिति का गठन किया। इस समिति ने देश के विभिन्न

विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का निरीक्षण एवं अवलोकन किया और अपना प्रतिवेदन 1959 में यू.जी.सी. को सौंप दिया।

रंगनाथन समिति की विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के संबंध में कुछ प्रमुख संस्तुतियाँ इस प्रकार हैं -

(i) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए पूरे वित्त का भार क्रमशः 80 और 20 के अनुपात में वि.वि. अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए और भविष्य में इसमें संशोधन का प्रावधान भी होना चाहिए।

(ii) नवीन विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में प्रारम्भिक ग्रन्थ संग्रह हेतु आयोग द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जाना चाहिए।

(iii) स्नातकोत्तर विभागों के नवीन विकासात्मक प्रस्तावों को स्वीकार करने पर सम्बद्ध विषयों में ग्रन्थ क्रय करने हेतु अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान होना चाहिए।

(iv) अध्ययन के प्रति रूचि तथा पुस्तकालय चेतना जागृत करने हेतु पुस्तकालयोंन्मुखी शिक्षण पद्धति, संदर्भ सेवा आदि को क्रियात्मक रूप देने का प्रयास होना चाहिए।

(v) शोध शक्ति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में प्रलेखन के समस्त पक्षों का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।

(vi) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के समकक्ष ही पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतनमान एवं स्तर प्राप्त होना चाहिए।

(vii) कर्मचारी परिसूत्र के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यक संख्या का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(viii) पुस्तकालय भवन निर्माण एवं उपकरण और उपस्कर निर्धारित मानकों के अनुसार होने चाहिए।

रंगनाथन ने पुस्तकालयों के विकास हेतु अच्छे सुझाव आयोग को प्रस्तुत किए। ये संस्तुतियाँ वर्तमान में भी उपयुक्त और उचित प्रतीत होती हैं। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में इनको विस्तारित करने और वर्तमान परिदृश्य के अनुकूल बनाने हेतु इनकी समीक्षा की जानी आवश्यक है।

## 10.2.3 यूजीसी द्वारा नियुक्त प्रमुख आयोग एवं समितियाँ (Main Commissions and Committees appointed by UGC)

शिक्षा सरकार का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने कई आयोग एवं समितियों का गठन किया कि वे भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास एवं सुधार के लिए अनुशंसाएँ करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में एक ऐसी महत्वपूर्ण वैधानिक, सलाहकार और कार्यकारी निकाय है जिसकी स्थापना सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में संवैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु उसे सलाह देना है। यह अपनी इस प्रदत्त भूमिका को उच्च शिक्षा के साथ-साथ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों के विकास एवं उन्नयन हेतु भूमिका को निभा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समय-समय में उच्च शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों की स्थिति उनके विकास एवं उन्नयन हेतु कई समितियों और आयोगों का गठन किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त प्रमुख आयोग एवं समितियाँ निम्नलिखित हैं -

(i) पुस्तकालय समिति (1957)

(ii) पुस्तकालय विज्ञान पर समीक्षा समिति (1961)

(iii) शिक्षा आयोग (1964-66)

(iv) पाल समिति (1970)

(v) मेहरोत्रा समिति (1983)

(vi) विश्वविद्यालयों/पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति (इनफ्लिबनेट) (1983)

(vii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर पाठ्यक्रम विकास समिति (1990-93)

(viii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर पाठ्यक्रम विकास समिति (2001)

**यू.जी.सी. की शक्तियाँ और कार्य (Powers & Function of UGC)** - विश्वविद्यालय में अध्यापन, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों को सुनिश्चित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए और विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन और समन्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिनियम द्वारा अधिकार प्राप्त है कि वह

हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। इन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग -

- वित्तीय आवश्यकताओं की पूछताछ कर सकता है और विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित कर सकता है।
- सामान्य सेवाएँ एवं सुविधाएँ स्थापित कर उन्हें व्यवस्थित रख सकता है।
- विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास और उन्नयन के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा कर सकता है।
- अनुदान के आवंटन में तथा नये विश्वविद्यालयों की स्थापना में सलाह दे सकता है।

## 10.2.4 पुस्तकालयों के विकास हेतु यू.जी.सी. के क्रियाकलाप (Activities of UGC for Development of Libraries)

सुसंगठित एवं सुसज्जित पुस्तकालय और इसकी उच्च शिक्षा में भूमिका के मूल्य एवं महत्व को अनुभव करके, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ आयोगों और समितियों की अधिकांश अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। यह संग्रह विकास, पुस्तकों एवं विषय पत्रिकाओं के अधिग्रहण, फर्नीचर एवं उपकरणों के क्रय और नये पुस्तकालय भवन के निर्माण आदि में वित्तीय सहायता प्रदान कर एक अद्वितीय विकासात्मक भूमिका का निर्वाह करती है। केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पर्याप्त एवं समुचित अनुदान प्रदान करती है। विभिन्न परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं जिनके माध्यम से आयोग अपने पुस्तकालयों के विकास से सक्रिय योगदान दे रहा है -

- गेहूँ देय शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम (1951-61)
- पुस्तक बैंक (1963-64)
- क्षेत्रीय पुस्तकालय केन्द्र (1976)
- अध्ययन केन्द्र
- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एवं अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र
- क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

- संग्रह विकास
- पुस्तकालय भवन, उपकरण एवं फर्नीचर।

इन योजनाओं ने विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को विगत पाँच दशकों में तीव्र विकास करने में सहायता प्रदान की है। प्रत्येक योजना का निम्नलिखित संक्षिप्त परिचय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवीन योजनाओं से प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास के लिए आयामों का पता चलता है।

**गेहूँ देय शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम (Academic Exchange Programme with wheat) (1951-61)**

यह परियोजना 1951 में अस्तित्व में आई जब अमेरिकन कांग्रेस ने सार्वजनिक कानून 480 (पी.एल.480) को पारित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत को $ 190,000,00 का ऋण प्रदान किया गया जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूँ खरीदकर स्वतंत्रोत्तर भारत के खाद्य अभाव को समाप्त कर सके।

अधिनियम में आगे निर्दिष्ट किया गया है कि देय धन के ब्याज के रूप में प्राप्त $ 5,000,00 की राशि का उपयोग उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के क्रय में, वैज्ञानिक उपकरणों के क्रय में तथा भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शिक्षा शास्त्रियों तथा विद्वानों के विनिमय में किया जाना चाहिए।

गेहूँ देय राशि का उपयोग लुधियाना, मदुराई तथा उदयपुर के महाविद्यालय की तीन विस्तार पुस्तकालयों की स्थापना एवं सुसज्जित करने में भी हुआ। किप (kipp) ने अपनी रिपोर्ट भारतीय पुस्तकालय और भारतीय गेहूँ देय शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम में लिखा है कि इस धन से इन महाविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों को बहुत ही लाभ हुआ। इस अनुदान ने विश्वविद्यालय और अनुसंधान पुस्तकालयों के 33 पुस्तकालयाध्यक्षों को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के भ्रमण और वहाँ अध्ययन में सहायता प्रदान की। कुछ अमेरिकन पुस्तकालयाध्यक्ष भी भारत भ्रमण पर आये जिससे दोनों देशों के बीच में परस्पर व्यावसायिक संबंध स्थापित किया जा सके।

इस प्रकार गेहूँ देय अनुदान और विनिमय कार्यक्रम ने पुस्तकालय व्यवसाय के उन्नयन में तथा विश्वविद्यालय और अनुसंधान के पुस्तकालयों के विकास में सहायता प्रदान की।

## पुस्तक बैंक (Book Bank) (1963-64)

1963-64 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुस्तक बैंक नामक एक नयी योजना को क्रियान्वित किया और सभी विषयों की मंहगी पाठ्य पुस्तकों की अनेक प्रतियों को रखने के लिए अनुदान प्रदान करने की अनुशंसा की। इस योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद तथा योग्य छात्रों को घर पर अध्ययन के लिए लम्बी अवधि के लिए नाम मात्र की जमा राशि लेकर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना था। प्रारम्भ में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को रूपया 15,000 तथा स्नातक महाविद्यालयों को रू.10,000 पुस्तक बैंक की स्थापना हेतु उपलब्ध कराए गये। 1975 के पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन महाविद्यालयों को 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जो महाविद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर 25 प्रतिशत समतुल्य अनुदान देने पर सहमत थे।

छात्र संख्या के आधार पर आवंटित अनुदान

| आवंटित अनुदान | छात्रों की संख्या |
|---|---|
| रू. 8,000 | 1 से 250 तक |
| रू. 10,000 | 251 से 500 तक |
| रू. 15,000 | 501 से 1000 तक |
| रू. 20,000 | 1001 से 1500 तक |
| रू. 25,000 | 1501 से 2000 तक |
| रू. 30,000 | 2000 से ऊपर |

1975 के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना अवधि में एक महाविद्यालय में प्रति छात्र रू.60 की सहायता जो अधिकतम रू. 50,000 हो, प्रदान की। इसमें पुस्तकालय अनुदान के 30 प्रतिशत तक पुस्तक बैंक के उपयोग के लिए स्वीकृत किए गये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समीक्षा समिति ने 1981 में अनुभव किया कि पुस्तक बैंक योजना के क्रियान्वयन में एकरूपता नहीं है और यह एक प्रकार से सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकी। अतः इसे बन्द कर दिया।

## अध्ययन केन्द्र (Study Centre)

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नई योजना बनाई और प्रभावी पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करने के लिए अध्ययन केन्द्रों की

स्थापना की। कुछ चुने हुए अध्ययन केन्द्रों को विभिन्न मदों में व्यय हेतु आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान उपलब्ध कराया गया।

1. **आवर्ती अनुदान**

(अ) कर्मचारी वेतन रू. 10,000

(ब) आकस्मिक वेतन रू. 3,000

2. **अनावर्ती अनुदान**

(अ) स्थापित केन्द्रों हेतु पुस्तकों के लिए रू. 20,000

(ब) नए केन्द्रों हेतु पुस्तकों के लिए रू. 30,000

(स) कर्मचारी एवं फर्नीचर के लिए रू. 10,000

1977-78 में, 44.91 लाख रू. 23 विश्वविद्यालय को तथा 1979-80 के दौरान 16 विश्वविद्यालयों को 5.60 लाख रू. प्रदान किये गये।

## क्षेत्रीय पुस्तकालय केन्द्र (Regional Library Centre( (1976)

1976, में कुलपतियों के सम्मेलन में, देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ-साथ पुस्तकालय सुविधाओं की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्षेत्रवार केन्द्रीय पुस्तकालय सुंविधाओं को प्रदान करने की व्यवहारिता की राय दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति ने 1976 में दिल्ली में एक राष्ट्रीय केन्द्र और चार केन्द्र कोलकाता, मुम्बई, बंगलूरू और बनारस विश्वविद्यालयों में स्थापित करने की अनुशंसा की। क्षेत्रीय पुस्तकालय केन्द्रों को स्थापित करने का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रभावी सूचना सेवाएँ यथा प्रतिलिपिकरण, माइक्रोफिल्म एवं अन्य यंत्रीकृत सेवाएं प्रदान करना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाँचवी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक क्षेत्रीय पुस्तकालय केन्द्र को रू. 60,000 का अनुदान प्रदान किया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 02 करोड़ रूपए की स्वीकृति इन केन्द्रों के विकास हेतु दी गई।

## राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र (National Information Centres and Inter-University Centres)

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय पुस्तकालय केन्द्रों की स्थापना के कार्यक्रम की छठवीं योजना के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में नवीन सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से,

समीक्षा की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तीन राष्ट्रीय सूचना सेवा केन्द्रों की स्थापना की तथा सात विशिष्ट क्षेत्रों में अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्रों की। इनकी स्थापना शिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को सूचना के विकसित स्वरूप तथा ग्रन्थपरक सहयोग प्रदान करने के लिए की गयी। ये सभी वर्तमान विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थानों में स्थापित किये गये।

### ( अ ) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (National Information Centres)

राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों ने विविध विषयों में सन्दर्भ एवं सूचना सेवा, प्रलेखन सेवा और सामाजिक जागरूकता सेवा उपयोगकर्ताओं की माँग पर देने के लिए प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्रों में कम्प्यूटर डाटाबेस विकसित किया है।

| क्र.सं. | संस्थान/विश्वविद्यालय | विषय | विस्तृत विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर | विज्ञान | भौतिक, प्राकृतिक एवं व्यावहारिक विज्ञान |
| 2. | महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा | सामा.विज्ञान | अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान शिक्षा, मनोविज्ञान |
| 3. | एस.एन.डी.टी.महिला विश्वविद्यालय,मुम्बई | मानविकी | समाजशास्त्र, ग्रन्थालय-विज्ञान, विशिष्ट शिक्षा |

### ( ब ) अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र (Inter-University Centres)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना का सूत्रपात किया जो विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत अनुसंधान सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये स्वशासी केन्द्र विशवविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के खण्ड-12 (सी.सी.सी) के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। आयोग ने इन्हें पुस्तकालय विकसित करने तथा राष्ट्र के किसी भी भाग से आये अनुसंन्धानकर्ताओं को अनुसंधान एवं खोज के लिए प्रयोगशाला सुविधा प्रदान करने के लिए अनुदान प्रदान किया है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नाभिकीय विज्ञान केन्द्र | जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 2. | एस्ट्रोनॉमी एवं एस्ट्रोफिजिक्स के लिए | पूना विश्वविद्यालय, पूना |

| | | |
|---|---|---|
| | अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र | |
| 3. | अन्तर-विश्वविद्यालय संघ | देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इंदौर |
| 4. | क्रिस्टल वृद्धि केन्द्र | अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास |
| 5. | पश्चिम क्षेत्रीय यान्त्रिक केन्द्र | बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई |
| 6. | एम.एम.टी. रडार केन्द्र | श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति |
| 7. | शैक्षिक संचार हेतु अन्तर-विश्वविद्यालय संघ (शिक्षा एवं संचार) | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्र अध्ययन केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।ये विश्वविद्यालय विश्व के सोलह भागों के कुछ देशों और क्षेत्रों के विभिन्न पक्षों से संबंधित गहन अध्ययन कराते हैं। यह सहायता पुस्तकालय सुविधाओं को सुदृढ़ करने में भी सहायक होती है। इस परियोजना की अभी समीक्षा की जा रही है।

भारत की विश्वविद्यालय प्रणाली विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को सम्मिलित करती है, जैसे - केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, सरकारी और सम्बद्ध महाविद्यालय जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालय संग्रह को विकसित करने के लिए अनुदान प्राप्त करते हैं। विश्वविद्यालयों के शिक्षक, छात्र और अनुसंधानकर्ता पुस्तकालय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने प्रारम्भ से ही सामान्य और विशिष्ट विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकों और पत्रिकाओं के अधिग्रहण के लिए अनुदान प्रदान करता रहा है। सामान्य विकास परियोजना, केन्द्रीय पुस्तकालय के साथ-साथ विभागीय पुस्तकालयों के लिए अनुदान आवंटित है। विशिष्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत अध्ययन केन्द्रों के लिए, विशिष्ट सहायता के विभागों को, विभागीय सहायता के लिए प्रदत्त धन, व्यक्तिगत शिक्षकों को और शिक्षक समूहों को अनुसंधान के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता और विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तर्गत धन आवंटित किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पुस्तकालयों से धन की आवश्यकता के लिए प्रस्ताव प्राप्त करता है।

उचित वितरण करने के लिए राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रणाली के विशेषज्ञों से बनी विशेषज्ञ समिति अथवा अतिथि समिति की राय ली जाती है। अनुदान आवंटन का प्रतिरूप समिति की आवश्यकताओं एवं अनुशंसाओं को प्राप्त करने के बाद तैयार किया जाता है। आवंटित धनराशि में भिन्नता विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या, सुविधाओं, आधार संरचना, पाठ्यक्रमों, विभागों की संख्या और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। आयोग ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों के संग्रह विकास में काफी कुछ योगदान दिया है। परन्तु इसके बावजूद भी पुस्तकों और पत्रिकाओं के अधिग्रहण के लिए सहायता अपर्याप्त ही पायी जाती है क्योंकि यह किसी अन्य स्रोत के द्वारा भी समतुल्य पूरी नहीं होती है।

सूचना विस्फोट के कारण, बढ़ते हुए मूल्य, उपयोगकर्ताओं की पेचीदी माँग और संकुचित बजट पुस्तकालय की आवश्यकता को बढ़ा रहे हैं जो पूरा नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकालयों के लिए अतिरिक्त धन की माँग को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए आयोग विभिन्न सहकारी कार्यक्रमों को लाया है यथा क्षेत्रीय पुस्तकालय केन्द्र, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र और सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क के माध्यम से संसाधन सहभागिता (इनफ्लिबनेट)। इस प्रकार के कार्यक्रम जहाँ पुस्तकालयों की उपयोगिता को बढ़ाने में सहायक होंगे वहीं विविध प्रकार के उपयोक्ता समूह भी लाभान्वित हो सकेंगें।

**आधारभूत सुविधाएँ : पुस्तकालय भवन, उपकरण और फर्नीचर**

पुस्तकालय का सुचारु रूप से कार्य करना और प्रभावी तथा दक्ष सेवा का परिचक्र, कार्यकारी भवन, आधुनिक उपकरणों और उचित फर्नीचर पर निर्भर करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में भवन सुविधाओं के अभाव का अनुभव किया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के गेहूँ देय शैक्षणिक विनिमय कार्यकारी के अन्तर्गत पाँच पुस्तकालयों को भवन विस्तार के लिए 1951-61 के बीच रू. 54,30,000/- का अनुदान दिया गया।

आयोग ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत नये पुस्तकालय भवन के निर्माण के लिए या वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया है। उपलब्ध सांख्यिकी के आधार पर आयोग ने निम्न प्रकार से अनुदान उपलब्ध कराया है-

(1) द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 2.67 करोड़

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रू.78.88 लाख

(3) पुस्तकालय भवनों के लिए मार्च 1973 तक रू. 3,83,75,289 करोड़

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उदार भाव से प्रदत्त अनुदान के पश्चात भी ये पुस्तकालयों की बढ़ती आवश्यकता के लिए अपर्याप्त है। डॉ. एस.आर.रंगनाथन, अध्यक्ष विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय विकास समिति (1965) ने पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया। समिति मुद्रित प्रलेखों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए भी जागरूक थी। भारतीय मानक संस्थान में पुस्तकालय भवन और उपकरणों के लिए एक खण्डीय समिति बनाने के लिए सम्पर्क किया गया। समिति ने पहला मानक 15:1533:1960 "पुस्तकालय भवन के अभिकल्प में प्राथमिक तत्वों से संबंधित व्यवहार संहिता" के नाम से प्रकाशित किया।

समिति ने संस्तुति की कि किसी भी नये भवन, उपकरण का प्रारूप या वर्तमान पुस्तकालय भवन के अनुकूलन के लिए अथवा पुस्तकालय के विस्तार के लिए परीक्षण और अनुमोदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा। वे मानक भारतीय मानक 15:1533:976 द्वारा पुस्तकालय भवन के अभिकल्प में प्राथमिक तत्व के नाम से संशोधित हुए। संस्तुति की गई है कि -

(1) पुस्तकालय के साथ-साथ विभाग, प्रयोगशाला, छात्रावास के भवनों की अवस्थिति;

(2) पुस्तकालयों के विभिन्न विभागों के आकार और उनके सापेक्ष स्थान के साथ खिड़कियों और रोशनदानों के लिए विनिदर्श;

(3) कर्मचारियों की संख्या व स्थान निर्धारण तथा समूह वार्ता, सम्मेलन, गोष्ठी और समिति कक्ष;

(4) जलापूर्ति, निकासी और स्वच्छ वातावरण के लिए जरूरी आवश्यकताएँ सातवीं योजना में।

पुस्तकालय शैक्षणिक संस्थानों का मुख्य केन्द्र होने के कारण विश्वविद्यालयों की सभी गतिविधियों में प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकता है यथा अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी स्थापना के समय ही

अनुभव कर लिया था। आयोग ने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास में बहुत ही गतिशील भूमिका निभायी है।

समितियों और आयोगों की संस्तुतियों और उनकी स्वीकृति तथा नवप्रवर्तनशील परियोजनाओं और कार्यक्रमों के अवतरण द्वारा उनके क्रियान्वयन ने शैक्षणिक पुस्तकालयों को उनके संग्रह निर्माण, आधारभूत सुविधाओं को प्राप्त करने में, कर्मचारियों के प्रशिक्षण में, सेवा शर्तों के सुधार में, शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा छात्रों तक सेवा विस्तार में और परिष्कृत औद्योगिक का उपयोग करके पुस्तकालय के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा का विकास और व्यवस्था करने वाली सर्वोच्च संस्था है। पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के क्षेत्र में यूजीसी के प्रमुख क्रियाकलाप इस प्रकार हैं-

(1) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(2) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रमों में सुधार हेतु पाठ्यक्रम विकास समिति (Curriculum Development Committee) का गठन।

(3) राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों की स्थापना

(4) इनफ्लिबनेट की स्थापना।

(5) यूजीसी-इन्फोनेट कंसोर्सिया की स्थापना एवं प्रोत्साहन।

(6) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों हेतु राष्ट्रीय समीक्षा समिति का गठन तथा

(7) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, आदि।

बोध प्रश्न -

1. राधाकृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई थी?

---

---

2. यूजीसी का पूरा नाम क्या है?

---

---

3. इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी?

---

---

---

4. यूजीसी इन्फोनेट क्या है?

---

---

---

## 10.3 राजा रामामोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (Raja Rammohan Rai Library Foundation-RRRLF)

यह प्रतिष्ठान भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिस्थापित एवं पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्तशासी संगठन है। इसे स्थापित करने का उद्देश्य केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों, राज्य सरकारों, पुस्तकालय सेवा एवं जन शिक्षा को बढ़ावा देने में लगे हुए संगठनों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे कस्बों तक पुस्तकालय आन्दोलन को ले जाना है। इस प्रतिष्ठान की स्थापना पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के अर्न्तगत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। राजा राममोहन राय शताब्दी समारोह राष्ट्रीय समिति की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1972 में हुई थी।इस बैठक में ही यह निर्णय लिया गया कि पुस्तकालय सेवाओं का एक जाल बिछाया जाय, जिससे देश के सुदूर क्षेत्रों में पुस्तकें पहुँचे ताकि लोगों में पठन-अभिरूचि का विकास हो। यह प्रतिष्ठान वित्तपोषक निकाय के अतिरिक्त देश में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को समन्वित,संचालित एवं विकसित करने हेतु एक राष्ट्रीय एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। यह देश में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोन्नत बनाने का उत्तरदायित्व भी निभा रहा है। देश में पुस्तकालय सुविधाओं में सुधार लाने हेतु, प्रतिष्ठान के समतुल्य एवं गैर-समतुल्य सहायता की निश्चित योजनाएँ अंगीकृत की है। समतुल्य सहायता की राशि एक लाख रूपये से पचास लाख रूपये तक राज्यानुसार उसके आकार, जनसंख्या, पुस्तकालय की आन्तरिक संरचना एवं निधि की पिछली उपयोगिता पर निर्भर करता है। गैर समतुल्य सहायता राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों

के राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों को पठन सामग्रियो के भण्डार में आंशिक वृद्धि करने हेतु तथा पुस्तकालयों में बाल अनुभाग के आंशिक विकास हेतु दिया जाता है।

### 10.3.1 संगठन (Organisation)

इसे इस प्रकार संगठित कर संचालित किया जा रहा है -

(1) केन्द्रीय शिक्षा मंत्री अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति - अध्यक्ष

(2) भारत सरकार, संस्कृति विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति - सदस्य

(3) भारत सरकार द्वारा नामित 13 व्यक्ति जिनमें चार प्रसिद्ध पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य शिक्षाविद होते हैं।

(4) भारतीय पुस्तकालय संघ, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया के प्रतिनिधि

(5) शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित तीन व्यक्ति तथा सदस्य सचिव।

प्रतिष्ठान के कार्यों में सहायता करने हेतु दो समितियाँ गठित की गई हैं- प्रशासनिक समिति एवं राज्य पुस्तकालय योजना समिति। प्रशासनिक समिति प्रतिष्ठान के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करती है जबकि राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं -

(1) लोक समाज की आवश्यकतानुसार पुस्तकें चयन करना।

(2) पुस्तकालय सेवाओं को लोगों के लिए उपयोगी बनाना तथा राज्य सरकारों पर पुस्तकालय अधिनियम के लिए जोर देना।

(3) राज्य विशेषकर नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवाओं के लिए कार्य की व्यापक योजना तैयार करना।

(4) विचार गोष्ठी, परिसंवाद, प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन साधारण में पठन-अभ्यस्तता के विकास का वातावरण तैयार करना।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में चल पुस्तकालय सेवाओं हेतु क्षेत्रों का चुनाव करना।

(6) पुस्तकालय आन्दोलन से संबंधित अन्य कार्य आदि।

## 10.3.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रतिष्ठान के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं -

(1) भारत में पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देना।

(2) राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के निर्माण और उसके अभिग्रहण का प्रयास करना।

(3) राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, जिला पुस्तकालयों और अन्य प्रकार के पुस्तकालयों की समस्त सेवाओं को एकीकृत कर राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली का निर्माण करना।

(4) विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित कराने तथा अपनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना और प्रयास करना।

(5) पुस्तकालयों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(6) पुस्तकालय विकास तथा प्रगति में संलग्न क्षेत्रीय पुस्तकालय संधों, राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ एवं ऐसे ही अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(7) पुस्तकालय विकास से संबंधित नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रकाशित करना।

(8) भारत एवं विदेशों में पुस्तकालय विकास हेतु विचारों और सूचनाओं के समासोधक (Clearing house)केन्द्र के रूप में कार्य करना।

(9) पुस्तकालय विकास हेतु भारत सरकार को सलाह देना।

(10) पुस्तकालय विकास से संबंधित समस्याओं पर शोधकार्य को बढ़ावा देना।

इस प्रतिष्ठान का मौलिक उद्देश्य तो पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना रहा है। शेष उद्देश्य सहायक अथवा गौण है।

## 10.3.3 गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम (Activities and Programmes)

सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास और उन्नयन के लिये प्रतिष्ठान ने कई योजनायें एवं कार्यक्रम निर्धारित किये हैं। इनमें से कुछ योजनाओं के अन्तर्गत पूर्ण वित्तीय सहायता एवं कुछ में पचास प्रतिशत सहायता पुस्तकालयों को उपलब्ध करायी जाती है। इसकी मुख्य योजनाएँ इस प्रकार हैं -

**( 1 ) पुस्तकालयों को सहायता (Assistance to Libraries)**

- सकलन निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण पुस्तकालय एवं चलित (Mobile) पुस्तकालय सेवा।
- वर्कशाप, सेमीनार, सम्मेलन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता।
- पुस्तकालयों को शैक्षिक उद्देश्य के लिए टेलीविजन एवं वीसीआर खरीदने के लिए सहायता।
- सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक (Voluntary) संगठनों को सहायता।
- बाल पुस्तकालयों को सहायता देना।

**( 2 ) राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति (National Information Policy)**

राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के निर्माण में प्रतिष्ठान ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है।

## 10.3.4 अन्य कार्यक्रम (Other Programmes)

देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु इस प्रतिष्ठान ने पिछले चौंतीस वर्षों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्य किये है। प्रतिष्ठान ने विभिन्न स्तरों के कई हजार पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की है। विवरण इस प्रकार है -

| | |
|---|---|
| राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय | 32 |
| मण्डलीय एवं जिला पुस्तकालय | 458 |
| उपमण्डलीय/ताल्लुक/तहसील पुस्तकालय | 510 |
| नगर एवं ग्रामीण पुस्तकालय | 30222 |
| नेहरू युवक केन्द्र | 275 |
| जवाहर लाल भवन | 50 |
| अन्य | 210 |
| **कुल** | **31757** |

इस प्रतिष्ठान ने नेशनल पालिसी एण्ड इनफार्मेशन सिस्टम तैयार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिवर्ष राजा राममोहन राय की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है।

### 10.3.5 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (National and International Co-operation)

प्रतिष्ठान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघों एवं संगठनों जैसे ILA, IFLA, IASLIC आदि से अपना सहयोग बनाये रखता है।

### 10.3.6 प्रकाशन (Publications)

प्रतिष्ठान के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन निम्नलिखित हैं -

1. Indian Libraries : Trends and Perspectives
2. Directories of Indian Public Libraries
3. Grandnana: Indian Journal of Library Studies (Biannual)
4. RRRLF Newsletter (Quarterly)
5. Raja Rammohan Roy and New Learning
6. Books for Millios at their door steps
7. Annual Reports

अतः यह प्रतिष्ठान देश में पुस्तकालय आन्दोलन के विकास एवं प्रगति के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेषकर सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता एवं सहयोग हेतु अभूतपूर्व एवं सराहनीय कार्य कर रहा है।

बोध प्रश्न -

5. राजा राममोहन राय शताब्दी समारोह राष्ट्रीय समिति की बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी?

---

---

---

6. RRRLF का पूरा नाम बताइये।

---

---

---

7. RRRLF मुख्य रूप से किस प्रकार के पुस्तकालयों के विकास हेतु कार्य कर रहा है?

---

---

---

## 10.4 निस्केयर (National Institute of Science Communication and Information Resources - NISCAIR)

निस्केयर का पूरा नाम राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान (National Institute of Science Communication and Information Resources) है। इसकी स्थापना सी.एस.आई.आर. के दो अग्रणी सूचना संस्थानों निस्काम (National Institute of Science Communication एवं इन्सडॉक (Indian National Scientific Documentation Centre- INSDOC)के विलय के फलस्वरूप सन 2002 में हुई थी। इससे पहले इसे इन्सडॉक के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी।

## 10.4.1 संगठनात्मक संरचना (Organisational Structure)

निस्केयर की संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है :-

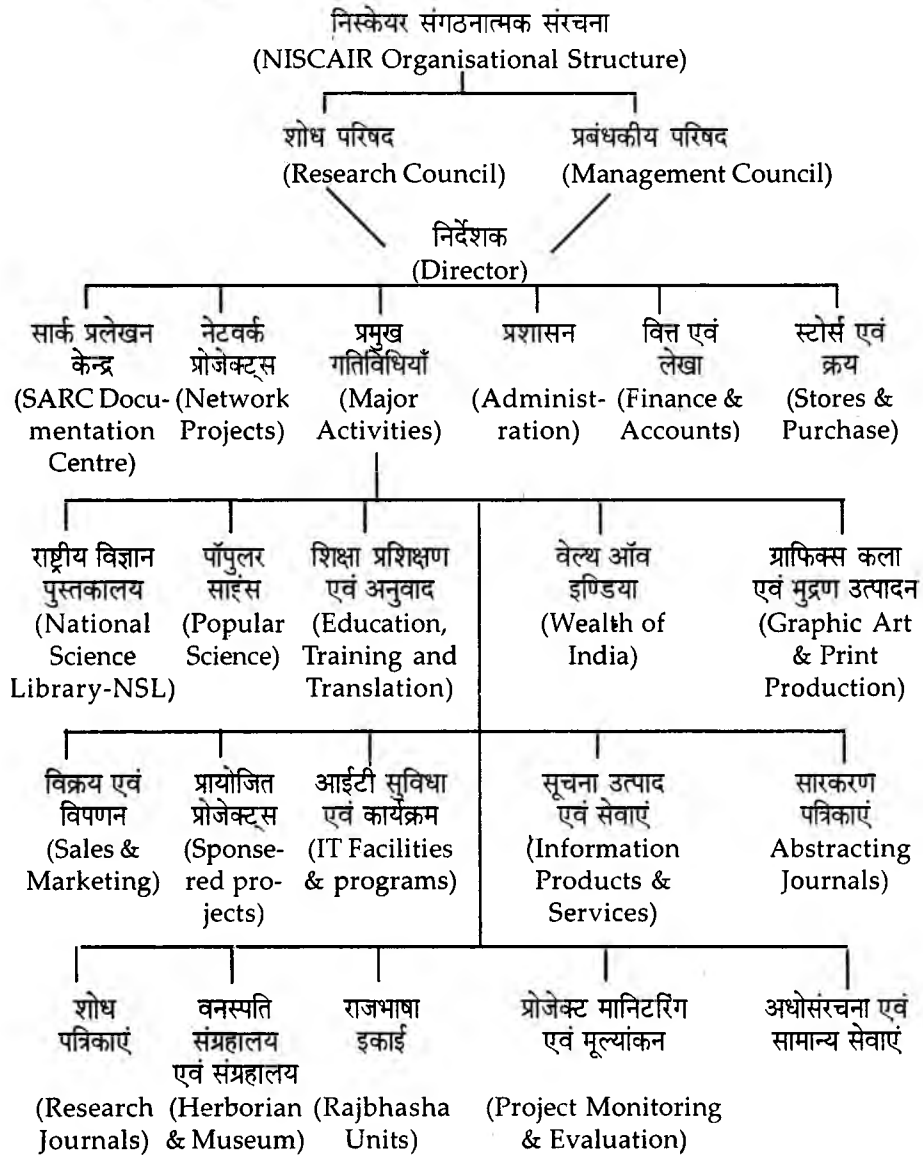


## 10.4.2 उद्देश्य (Objectives)

(1) विश्व में प्रकाशित सभी वैज्ञानिक पत्रिकाओं को भारत के लिए प्राप्त करना और उनका उपयोग करना;

(2) भारत में हो रही वैज्ञानिक प्रगति के सम्बन्ध में विश्व के अन्य देशों को सूचना भेजना एवं उन देशों की वैज्ञानिक प्रगति की सूचना प्राप्त करना,

(3) राष्ट्र के समस्त प्रकाशित एवं अप्रकाशित वैज्ञानिक प्रतिवेदनों के लिए राष्ट्रीय प्रलेखागार के रूप में कार्य करना।

(4) विभिन्न तकनीकी सेवाओं द्वारा वैज्ञानिक सूचनाएँ विशेषज्ञों को प्रदान करना।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे संगठनों से तालमेल रखना।

(6) संचार विज्ञान, पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना विज्ञान तथा सूचना प्रबंध से संबंधित व्यक्तियों का विकास करना, आदि।

### 10.4.3 गतिविधियाँ (Activities)

1. **सार्क प्रलेखन केन्द्र (SAARC Documentation Center)** - इस केन्द्र की स्थापना 1994 में की गई थी। यह सार्क का एक क्षेत्रीय केन्द्र है। यह सार्क सदस्य देशों के लिए प्रभावी सूचनातंत्र के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकासात्मक मामले में सूचना आदान-प्रदान हेतु सक्षम बनाता है। सार्क सिस्टम केन्द्रीय सुविधा (Control Facility) अर्थात् सार्क प्रलेखन केन्द्र (SDC) एवं प्रत्येक सदस्य देश में एक फोकल प्वाइंट (Focal Point)से मिलकर बना है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, आर्थिक, उद्योग तथा विकासात्मक मामले से सम्बन्धित प्रकाशित प्रतिवेदन आदि के रिपोजिटरी (Repozitory) के रूप में कार्य करता है। मानव संसाधन विकास, सार्क प्रलेखन केन्द्र का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। यह सदस्य देशों के पुस्तकालय/ प्रलेखन/सूचना व्यावसायियों (Professional) के लिए सूचना प्रबन्धन में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से सम्बन्धित शार्ट टर्म (Short Term) प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करता है। यह सदस्य देशों के शोधार्थियों को सूचना सेवा भी प्रदान करता है।

2. **राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय (National Science Library)** - निस्केयर के इस पुस्तकालय में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ग्रन्थों, संन्दर्भ स्त्रोतों आदि का विशाल संकलन है। पुस्तकालय के द्वारा उपयोगकर्ताओं को तकनीकी क्वेरी सेवा, छायाप्रति सेवा, इण्टरलाइब्रेरी लोन सेवा, ई-जर्नल अभिगम सेवा आदि प्रदान की जाती है।

3. **पारम्परिक ज्ञान डिजीटल पुस्तकालय (Traditional Knowledge Digital Library, TKDL)**- इस परियोजना के द्वारा निस्केयर भारत के पारम्परिक ज्ञान जैसे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि से संबंधित ज्ञान का डेटाबेस तैयार कर रहा है।

4. **आई.एस.एस.एन. (ISSN)** - निस्केयर भारत में सामायिकी प्रकाशनों के लिए (ISSN) प्रदान करता है।

5. **शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Education and Training)** - निस्केयर शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इनमें प्रमुख रूप से -

   ( 1 ) **एसोसिएटशिप इन इन्फॉर्मेशन साइंस (AIS)** - निस्केयर स्नातकोत्तर स्तर पर प्रलेखन एवं सूचना विज्ञान में शैक्षिक पाठ्यक्रम का आयोजन करता है। जिसे AIS के नाम से जाना जाता है।

   ( 2 ) **लघुकालीन पाठ्यक्रम (Short Term Courses)** - निस्केयर सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग पुस्तकालय एवं ICT तथा संचार से सबंधित लघुकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

   (3) आन साइट प्रशिक्षण कार्यक्रम

   (4) इग्नू के अध्ययन केन्द्र के रूप में भी निस्केयर कार्य कर रहा हैं

6. **डेटाबेस डिजाइन एवं विकास (Database Design and Development)** - डेटाबेसों के निर्माण एवं विकास में निस्केयर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख डेटाबेसों में इंडियन साइंस एबस्ट्रेक्ट्स डेटाबेस, नेशनल यूनियन कैटालॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इण्डिया डेटाबेस, इंडियन पेटेंट्स डेटाबेस तथा मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लांट्स एबस्ट्रैक्ट्स डेटाबेस का विकास किया गया है। जो सभी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन पर उपलब्ध है।

7. **प्रकाशन (Publications)**- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य निस्केयर द्वारा किया जा रहा है।

## 10.4.4 सेवाएँ (Services)

निस्केयर शोधार्थियों एवं वैज्ञानिकों की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की सूचना सेवायें उपलब्ध कराता है जिसमें प्रमुख हैं -

( 1 ) **विषयवस्तु सारकरण और छायाप्रति सेवा (Contents, Abstracts and Photocopy CAPs)**- निस्केयर के द्वारा एक और महत्वपूर्ण सेवा,

जो कि प्रलेख वितरण सेवा का एक रूप ही है, वह है - विषयवस्तु, सारकरण और छायाप्रति सेवा। इस सेवा का प्रारम्भ निस्केयर ने 1992 में किया था। इस सेवा के अन्तर्गत वैयक्तिक और संस्थापक ग्राहक 5000 प्रमुख भारतीय एवं विदेशी पत्रिकाओं मे से चयनित 40 पत्रिकाओं की अन्तर्वस्तु मासिक रूप से प्राप्त करता है। इस सेवा के अन्तर्गत जो विषय सम्मिलित किए गये हैं इस प्रकार है - लेखांकन, विज्ञापन एवं जन संपर्क, कृषि विज्ञान, कला, संगीत,नृत्य, मनोरंजन, जीव विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी, भवन निर्माण, उद्योग रसायन विज्ञान उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय और अर्थशास्त्र, संप्रेषण, कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, जनांकिकी, समाजशास्त्र, सांख्यिकी,औषधि और भेषजीय, भू-विज्ञान, शिक्षा, अभियांत्रिकी,मानवजाति विज्ञान, लोक साहित्य, रीति-रिवाज, आहार और पोषण उद्योग, सामान्य रूचि की पत्रिकाएं, भूगोल, जीवनी, इतिहास, सूचना विज्ञान, श्रमिक एवं औद्योगिक संबंध, भू-अर्थशास्त्र, विनियोग, भाषा, भाषा विज्ञान, साहित्य, कानून, प्रबंधन, मटेरियल साइंस, गणित, चिकित्सा विज्ञान, खनन उद्योग एवं धातु विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, प्रदूषण, समुद्र विज्ञान, फोटोग्राफी और सिनेमैटोग्राफी, राजनीति विज्ञान, मुद्रण, प्रकाशन, पुस्तक व्यापार, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, सैनिक कार्य, धर्म एवं धर्म विज्ञान, रबर एवं प्लास्टिक उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान एवं कल्याण, खेल-कूद, मानक एवं एकस्व पत्रिकाएं, वस्त्र उद्योग, परिवहन, पशु चिकित्सा और पशु स्वास्थ्य, जल प्रबंधन। इस सेवा के अन्तर्गत दो प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं-

1. मात्र अन्तर्वस्तु
2. अन्तर्वस्तु और सार/छायाप्रतियाँ

**( 2 ) प्रलेख प्रति प्रदाय सेवा (Document Copy Supply Service)-** इस सेवा में उपयोगकर्ताओं द्वारा माँग (Research) किये गये किसी प्रलेख की प्रति यदि निस्केयर के ग्रंथालय में उपलब्ध नहीं है तो इण्टर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से मंगाकर उपलब्ध करायी जाती है।

**( 3 ) अनुवाद सेवा (Translation Service)-** निस्केयर विदेशी भाषाओं के प्रलेखों को अंग्रेजी में तथा भाषा के प्रलेखों को विदेशी भाषाओं में अनुवाद

करके वैज्ञानिक एवं विभिन्न शोध संस्थानों को उपलब्ध कराता है। यह सेवा पूर्ण अनुवाद एवं तदर्थ अनुवाद दोनों रूप में प्रदान की जाती है।

( 4 ) **बिब्लियोग्राफिक सेवाएँ (Bibliographic Services)** - निस्केयर विशेष विषयों पर वाङ्मय सूचियों के द्वारा विभिन्न अनुसंधान प्रपत्रों का ग्रंथमिति विश्लेषण किया जाता है तथा अनुसंधान पत्रिकाओं के इम्पैक्ट फैक्टर को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान उद्धरण रिपोर्ट खोज की सेवा भी दी जाती है।

( 5 ) **सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएँ (Information Retrieval Services)**- निस्केयर अनुसंधानों की पुनरावृत्ति को दूर रखने के लिए वैज्ञानिकों को उनकी अभिरूचि के क्षेत्रों में प्रकाशित अनुसंधान लेखों की सूची उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करता है। यह सूची अन्तर्राष्ट्रीय सीडी-रोम डेटाबेस और इन्टरनेट पर उपलब्ध आनलाइन पूर्ण पाठ्य पत्रिकाओं की खोज करके तैयार की जाती हैं।

( 6 ) **ग्रंथमितीय सेवाएँ (Bibliometric Services)** - इसके द्वारा ग्रंथमितीय सेवा प्रदान की जाती है। यह सेवा विभागाध्यक्ष, शोध योजना को बनाने वाले, नीति निर्धारकों एवं वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके अन्तर्गत साइटेशन एनालिसिस, इम्पैक्ट फैक्टर आफ जर्नल्स, मल्टीफैसेटेड बिब्लियोमैट्रिक एनालिसिस एवं बिब्लियोमैट्रिक एनालिसिस की जाती है। यह सेवा सशुल्क है।

( 7 ) **साहित्य खोज सेवाएँ (Literature Search Services)** - निस्केयर साहित्य खोज सेवा प्रदान करता है तथा वांगमयसूची कम्पाइल करता है। यह सेवा माँग आने पर प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत विज्ञान,प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा उद्योग के क्षेत्र में भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय डेटाबेस से सूचना खोजकर प्रदान की जाती है। इसके लिए शुल्क लिया जाता है।

( 8 ) **ई-जर्नल एक्सेस (E-Journal Access)**- निस्केयर द्वारा शोधार्थियों एवं वैज्ञानिकों को CSIR-E Journal कंसोर्टियम के माध्यम से ऑनलाइन ई-पत्रिकाओं एवं डेटाबेसों को देखने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त संपादन,पुस्तक प्रदर्शनी,परामर्श सेवा, मुद्रण एवं उत्पादन, एन.पी.ए.एस.एफ. (National Prior Art Search, Patent Drafting & Patent Informatics Services Facility) तथा आई.एस.एस.एन. (ISSN) प्रदान करना आदि सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

**सी.एस.आई.आर. ई-जरनल्स कंसोर्टियम (CSIR E-Journals Consortium)-** निस्केयर के राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय में शोधार्थी ऑनलाइन ई-पत्रिकाओं के डेटाबेसों को देख सकता है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आलेखों को (Emerald) पर देखा जा सकता है। इसमें एमरॉल्ड (Emerald) प्रकाशक की 126 पत्रिकाएँ ऑनलाइन सर्च की जा सकती हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद ने इस कंसोर्टियम की स्थापना अपने वैज्ञानिकों एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों को ई-पत्रिकाओं को सुलभ कराने की दृष्टि से की है देश भर में इसकी 40 प्रयोगशालाएँ हैं।

"इस परियोजना का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान पत्रिकाओं पर इलेक्ट्रॉनिक सुलभता उपलब्ध कराने तथा इस प्रकार सीएसआईआर सूचना संसाधनों को पूलिंग, शेयरिंग तथा इलैक्ट्रानिक रूप से सुलभता प्राप्त करने की सुविधाओं को सशक्त बनाने तथा डिजिटल पुस्तकालयों के उद्‌भव को उत्प्रेरित करने के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रानिक सुलभता की संस्कृति का केन्द्रीकरण करने का है।"

राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान (निस्केयर) की स्थापना दो संस्थाओं के सम्मिलित रूप में हुई है। ये संस्थाएँ हैं - इन्सडॉक (INSDOC) और निस्कॉम (NISCOM) । निस्केयर को इस परियोजना के लिए समन्वयक बनाया गया है। सीएसआईआर ई-जर्नल्स कसोर्टियम के द्वारा करीब 4300 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर कीवैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान की गई है। ये पत्रिकाएँ 15 अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। इन प्रकाशकों के नाम इस प्रकार हैं -

| क्र. | पत्रिका का नाम | पत्रिकाओं की संख्या | पहुँच तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | एल्सवीर | 1500 | जनवरी 2005 |
| 2. | ब्लैकवेल | 355 | जनवरी 2005 |
| 3. | जानबिली | 374 | जनवरी 2005 |
| 4. | स्प्रिंजर | 800 | जनवरी 2005 |
| 5. | अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स | 16 | फरवरी 2005 |
| 6. | अमेरिकन सोसाइटी आफ सिविल इंजीनियर्स | 30 | फरवरी 2005 |
| 7. | अमे.सोसा. आफ मैकेनिकल इंजीनियर्स | 20 | मार्च 2005 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | अमेरिकन केमिकल सोसाइटी | 41 | मार्च 2005 |
| 9. | कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस | 74 | मार्च 2005 |
| 10. | आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस | 69 | मार्च 2005 |
| 11. | रॉयल सोसाइटी आफ केमिस्ट्स | 37 | अप्रैल 2005 |
| 12. | टेलर एण्ड फ्रांसिस | 600 | फरवरी 2006 |
| 13. | एमरॉल्ड | 126 | अप्रैल 2006 |
| 14. | इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स | 164 | फरवरी 2007 |
| 15. | एसोसिएशन आफ कम्प्यूटिंग मशीनरी | 49 | |
| | | 4255 | |

## 10.4.5 राष्ट्रीय विज्ञान डिजिल पुस्तकालय (National Science Digital Library)

यह देश में अपने प्रकार का प्रथम पुस्तकालय है। "इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में रह रहे अपहुँच वाले विद्यार्थियों तक पहुँच बनाकर उन्हें महानगरों में रह रहे विद्यार्थियों को उपलब्ध ई-सुविधाओं तथा अन्य गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम आधारित सामग्री पर सुलभता के स्तर के अनुरूप ही सुविधाएँ उपलब्ध कराके राष्ट्रीय विकास में सहयोग करना है।' दसवीं पंचवर्षीय योजना में अप्रैल 2004 में 44.23 करोड़ बजट की स्वीकृति के साथ इस राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल पुस्तकालय का आरम्भ एक केन्द्रीय नेटवर्क परियोजना के रूप में हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस परियोजना में सक्रिय भागीदार हैं। इसमें स्नातक पूर्व स्तर पर ई-कोर्स के सृजन के लिए यूजीसी मॉडल पाठ्य चर्चा के आधार पर चिन्हित बहुत से विशेष विशेषज्ञों के लिए 19 कार्यदल बनाए गये। इसने मल्टीमीडिया कन्टेट क्रियेशन के लिए एक मार्गदर्शिका "सैम्पल मल्टीमीडिया लर्निंग आब्जेक्ट" का सृजन किया है। हाल ही में नमूना ई-ग्रन्थों का सृजन भी किया गया है। इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त है। इसमें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित ग्रन्थों, संदर्भ, स्रोतों आदि का अप्रतिम संकलन है।

**विज्ञानलोकप्रियकरण (Popular Science) -** निस्केयर विद्यार्थियों एवं आम जनता के मध्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने एवं वैज्ञानिक विकासों के प्रति सतत जागरूकता को बढ़ाने के लिए अनेक लोकप्रिय वैज्ञानिक ग्रन्थों के साथ-साथ तीन वैज्ञानिक पत्रिकाओं जैसे- साइंस रिपोर्टर (अंग्रेजी मासिक), विज्ञान प्रगति (हिन्दी मासिक) और साइंस की दुनिया (उर्दू त्रैमासिक) का प्रकाशन करता है। इसके अलावा सी.एस.आई.आर.न्यूज, सी.एस.आई.आर. समाचार का भी प्रकाशन करता है।

**शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुवाद (Education, Training and Translation)**

निस्केयर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुवाद के अन्तर्गत कई प्रकार के कार्य एवं सेवाएँ प्रदान कर रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित शोध समुदाय के सदस्यों के मध्य सूचना सम्प्रेषण के लिए निस्केयर 19 शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की दो सारकरण पत्रिकाओं का प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। जिनके अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी प्रमुख विषयों को सम्मिलित किया जाता है। सामयिकी प्रकाशनों की सारकरण / अनुक्रमणीकरण और सामयिक अभिकरण सेवा (CAS) उपलब्ध कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

## 10.4.6 प्रकाशन (Publications)

निस्केयर (NISCAIR)द्वारा प्रकाशित प्रमुख प्रकाशन निम्नलिखित हैं -

(1) Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR) (Monthly)

(2) Indian Journal of Chemistry, Section A (IJC-A)(Monthly)

(3) Indian Journal of Chemistry, Section B (IJC-B)(Monthly)

(4) Indian Journal of Experimental Biology (IJEB) (Monthly)

(5) Indian Journal of Pure & Applied Physics (IJPAP) (Monthly)

(6) Indian Journal of Chemical Technology (IJCT) (Bimonthly)

(7) Indian Journal of Engineering and Materials Sciences (IJEMS) (Bimonthly)

(8) Indian Journal of Biochemistry Biophysics (IJBB) (Bimonthly)

(9) Indian Journal of Radio & Space Physics (IJRSP) (Bimonthly)

(10) Journal of Intelectual Propert Rights (JIPR) (Bimonthly)

(11) Natural Product Radiance (NDR) (Bimonthly)

(12) Indian Journal of Marine Sciences (IJMS) (Quarterly)

(13) Indian Journal of Fibre and Textile Research (IJFTR) (Quarterly)

(14) Indian Journal of Biotechnology (IJBT) (Quarterly

(15) Indian Journal of Traditional Knowledge (IJTK) (Quarterly).

(16) Annals of Library and Information Studies (ALIS) (Quarterly)

(17) Medical & Aromatic Plants Abstracts (MAPA) (Bimonthly)

(18) Indian Science Abstract (ISA) (Fortnightly)

(19) भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका (अर्द्धवार्षिक)

### 10.4.6.1 अन्य प्रकाशन (Other Publications)

विज्ञान को जन सामान्य के अन्तर्गत लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से निस्केयर (NISCAIR)तीन लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं साइंस रिपोर्टर (अंग्रेजी मासिक), विज्ञान प्रगति (हिन्दी मासिक) और साइंस की दुनिया (उर्दू पाक्षिक) का प्रकाशन करता है। निस्केयर (NISCAIR) ने विभिन्न श्रृंखलाओं के अन्तर्गत लगभग 60 लोकप्रिय पुस्तकों का अग्रेजी में प्रकाशन भी किया है। 28पुस्तकें हिन्दी में भी प्रकाशित की है। समय की मांग को दृष्टिगत में रखते हुए 'निस्केयर' ने 'आई.टी.फॉर किड्स' (IT for Kids) नामक एक नई श्रृखला के अन्तर्गत बच्चों के लिए (Power Point for Beginners, MS Word for Beginners, Web Designing for Beginners, C++ for kids , A Concise Guide to the Internet, Exploring Networks, Linux, MS Excel, Computer Fundamentals, Basics of the Internet, Java for Kids आदि पुस्तकों का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में किया है।

निस्केयर विश्वकोशीय प्रकाशनों में 'वैल्थ आफ इण्डिया' (Wealth of India) एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। इसका हिन्दी रूपान्तरण "भारत की सम्पदा" भी प्रकाशित किया जाता है।

काउन्सिल आफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) से संबंधित प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास की सूचनाओं को सम्प्रेषित करने की दृष्टि से निस्केयर सी.एस.आई.आर.न्यूज (पाक्षिक) और इसका हिन्दी

अनुवाद 'सी.एस.आई.आर. समाचार' मासिक रूप में प्रकाशित करता है।

बोध प्रश्न -

8. निस्केयर की स्थापना कितने संस्थाओं के विलय के पश्चात किस वर्ष में हुई थी?

---

---

9. ए आई एस (AIS) का पूरा नाम क्या है?

---

---

10. जर्नल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च की प्रकाशन आवधिकता क्या है?

---

---

## 10.5 नासडॉक (National Social Science Documentation Centre NASSDOC)

### 10.5.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

इण्डियन स्कूल आफ वर्ल्ड अफेयर्स एवं इण्डियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज की एक बैठक मे सामाजिक अनुसंधान विषयपर पुस्तकालय संगोष्ठी में राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र की स्थापना के लिए सन 1959 में संस्तुति की गई। अनेक सम्मेलनों में इसकी स्थापना हेतु जोर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1969 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Social Science Research- ICSSR) की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। इस परिषद द्वारा 1970में सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र (Social Science Documentation Centre-SSDC) की स्थापना की गई। सन 1986 से इसके नाम में परिवर्तन कर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र (नासडॉक) कर दिया गया जिससे इसे राष्ट्रीय

प्रलेखन केन्द्र का स्वरूप प्रदान किया जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधानकर्ताओं को प्रलेखन एवं सूचना सेवा प्रदान करना हैं।

### 10.5.2 उद्देश्य (Objectives)

इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत एवं मान्य शोध सामग्री एवं कृतियों का संकलन करना।
2. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता से सम्पन्न किये गये अनुसंधानों के प्रतिवेदनों को सुलभ करना।
3. सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ताओं को शोध हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, आदि।

### 10.5.3 नासडॉक के क्रियाकलाप (Activities of NASSDOC)

नासडॉक के मुख्य क्रियाकलाप एवं कार्यक्रम निम्नलिखित हैं -

1. सामाजिक विज्ञानों में शोध हेतु सूचना सेवा के लिए विषय वांगमय सूचियों का संकलन करना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्रों को भारत में प्रकाशित सामाजिक विज्ञानों से संबंधित शोध पत्रिकाओं की प्रलेखन से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराना।
3. संदर्भ एवं शोध सामग्रियों का संकलन करना।
4. माइक्रोफिल्म बनाने एवं रिप्रोग्राफी की व्यवस्था करना।
5. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित तथा वित्तीय सहायता से सम्बद्ध किए गए अनुसंधानों के प्रतिवेदनों का संग्रह करना।
6. भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा शोध उपाधि के लिए स्वीकृत अप्रकाशित शोध प्रबन्धों का संकलन करना।
7. अनुरोध किये जाने पर वांगमय सूची को मंगाकर उपलब्ध कराना।
8. परिषद की वित्तीय सहायता से अन्य संस्थाओं द्वारा सम्पन्न किये गये अनुसंधानों के प्रतिवेदनों का संग्रह करना।

9. फोटो कापी सेवा प्रदान करना।

10. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

11. भारत में सामाजिक विज्ञान में हो रहे सभी प्रकाशनों की सूची तैयार करना, तथा

12. देश में सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं में प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र स्थापित एवं संचालित करने हेतु सहायता प्रदान करना आदि।

## 10.5.4 नासडॉक की सेवाएँ (Services of NASSDOC)

शोध को प्रोत्साहन एवं सहायता हेतु मुख्य रूप से नासडॉक द्वारा निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं -

( 1 ) **अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान (Inter-Library Loan)** - नासडॉक इस सेवा के अन्तर्गत स्थानीय तथा सीमित रूप से अन्यत्र उपलब्ध सूचना सामग्री को मंगाकर उपलब्ध कराता है लेकिन इसे परिषद के कर्मियों तथा अनुदान प्रदान किये गये शोधार्थियों तक ही सीमित किया गया है। कंसोर्सिया इन्टरनेट के निरन्तर प्रयोग में वृद्धि ने इस समस्या को लगभग समाप्त कर दिया है, की सहायता ली जा सकती है। लेकिन परिषद इसे परिषद के कर्मियों तथा अनुदान प्रदान किए गए शोधार्थियों/ विजिटिंग स्कॉलर्स तक ही सीमित रखा है।

( 2 ) **रिप्रोग्राफिकल सेवाएँ (Reprographical Services)**- कॉपीराइट के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रलेखों/आलेखों की प्रतियाँ शोधकार्य हेतु नासडॉक परिषद कर्मियों तथा अन्य संस्थाओं को अल्पतम शुल्क पर सुलभ करता है।

( 3 ) **माँग किए जाने पर वाङ्मय सूचियों का संकलन (Collection of Bibliographies on Demand)** - विशिष्ट विषयों पर मांग किए जाने पर अल्पतम शुल्क पर संक्षिप्त वाङमयसूचियों को संकलित कर सुलभ किया जाता है। उपयोगकर्ताओं के आवश्यकतानुसार संकलित एवं प्रस्तुत वाङ्मयसूचियों की सेवा अत्यधिक उपादेय एवं लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

( 4 ) **संदर्भ सेवाएँ (Reference Services)** - सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र के संदर्भ प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने को भी नासडॉक में व्यवस्था है जिन्हें टेलीफोन, व्यक्तिगत रूप तथा पत्राचार द्वारा सम्पन्न किया जाता है। अनुंसधानकर्ताओं,

विशेषज्ञों एवं संस्थाओं की सहायता के लिए प्रकाशनों के विवरणों को खोज कर, संदर्भों को सत्यापित कर तथा प्रलेखों को प्राप्त कर संदर्भ सेवा का आयोजन किया जाता है। तीव्र सेवा के आयोजन हेतु प्रलेखों के पूर्ण संदर्भ के साथ अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सुलभ किया जाता है।

( 5 ) **रिफ्रल सेवा (Referral Services)**- सूचना के अभाव अथवा अनुपलब्ध होने की स्थिति में नासडॉक उपयोगकर्ताओं को अन्य स्रोत-व्यक्ति अथवा संस्था से संपर्क करने का परामर्श देता है जिससे उसकी सूचना आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

( 6 ) **परामर्श सेवाएँ (Consultation Services)**- प्रलेखन क्रियाकलापों एवं सेवाओं को सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में समुन्नत बनाने हेतु संबंधित संस्थाओं को परामर्श तथा मार्गदर्शन भी नासडॉक द्वारा प्रदान किया जाता है।

( 7 ) **प्रलेखन एवं वाङ्मयात्मक सेवाएँ (Documentation and Bibliographical Services)**- ऐसे कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है (1) परिषद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्वयं परियोजनाओं को सम्पन्न करना अथवा चुनी हुई संस्थाओं की सहायता से किसी परियोजना को सम्पन्न करना। (2) परिषद द्वारा आर्थिक अनुदान प्रदान किए गये योजना के अन्तर्गत सम्पन्न परियोजनाओं से संबधित प्रलेखन कार्य एवं वाङ्मयात्मक क्रियाकलाप का आयोजन। इसके अतिरिक्त अन्तर्ग्रन्थालय संसाधन केन्द्र (Inter Library Resources Centre)की स्थापना की गयी है। इसके अन्तर्गत दिल्ली के 38 पुस्तकालयों में उपलब्ध सामाजिक विज्ञानों की सामयिकियों को एकत्रित कर इस केन्द्र को उपादेय बनाने की व्यवस्था की गई है जिससे शोधार्थी एवं गहन अध्ययन करने वाले इन सामग्रियों का लाभ उठा सकें।

## 10.5.5 परिषद द्वारा सम्पन्न की जाने वाली परियोजनाएँ

नासडॉक द्वारा अनुसंधान सूचना शृंखला के अन्तर्गत निम्नांकित वाङ्मयात्मक प्रकाशनों को प्रकाशित किया गया है -

**सामाजिक विज्ञानों की संघ सूचियाँ तथा तालिकाएँ** - यूनियन कैटालॉग आफ सोसल साइंस सीरियल (Union Catalogue of Social Science Serials) को एक प्रथम परियोजना के रूप में 1970में प्रारम्भ किया गया था। इसका संकलन कार्य

1976 में नासडॉक द्वारा पूर्ण कर लिया गया। अब तक इस संघ सूचीको 32 खण्डों में प्रकाशित किया जा चुका है। इसमें 17 राज्यों तथा 2 केन्द्रीय शासित क्षेत्रों के 550पुस्तकालयों में उपलब्ध सामाजिक विज्ञानों की पत्रिकाओं को तालिकाबद्ध किया गया है जो सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सूचना स्रोत का कार्य करती है। इनमें 31,125 धारावाहिक प्रकाशनों को अनुक्रमणिकाबद्ध किया गया है जो भारत के प्रमुख पुस्तकालयों के सामयिक संसाधनों का वृहत सूचना स्रोत तथा संदर्भ उपकरण हैं।

**यूनियन लिस्ट ऑफ सोसल साइंस पीरियोडिकल्स (Union List of Social Science Periodicals)** - इसे चार खण्डों में संकलित कर 1971-72 में प्रकाशित किया गया था। इसमें आन्ध्र प्रदेश, मुम्बई, दिल्ली तथा कर्नाटक के पुस्तकालयों में उपलब्ध पत्रिकाओं को अनुक्रमणिकाबद्ध कर अद्यतन किया जाता है।

**समाचार पत्रों की संघ सूचियाँ (Union Catalogue of Newspaper)** - दिल्ली के प्रमुख 35 पुस्तकालयों के समाचार पत्रों तथा समाचार पत्रों के कार्यालयों में उपलब्ध 252 से अधिक समाचार पत्रों की भी संघ सूची नासडॉक ने सम्मिलित किया है।

**निर्देशिकाएँ (Directories)** - नासडॉक ने दो निर्देशिकाएं (i) Directory of Social Research Institutions, (ii) Directory of Professional organisations in India जिनका प्रकाशन 1971 में किया गया था, को अद्यतन किया है।

**महात्मा गाँधी बिब्लियोग्राफी (Mahatma Gandhi Bibliography)** - नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता में, इस परियोजना को 1968 में प्रारम्भ किया गया था जिसमें अक्टूबर 1970 के पूर्व में अग्रेजी भाषा में प्रकाशित मोनोग्राफों की वाङ्मयसूची संकलित किये जाने की योजना थी। गाँधी शताब्दी राष्ट्रीय समिति की भारत द्वारा गठित करने पर 1972 तक सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित मोनोग्राफों को इस वाङ्मय सूची में संमिलित किया गया। 1974 में इसके प्रथम खण्ड का प्रकाशन नासडॉक द्वारा किया गया। कालांतर में इसके बंगला, हिन्दी, संस्कृत तथा उर्दू के भी खण्ड प्रकाशित किये गये।

**भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिकाओं की पूर्वव्यापी अनुक्रमणिकायें, (Retrospective Indexes of Indian Social Science Periodicals)** - इसके संकलन कार्य को पूर्वव्यापी अनुक्रमणीकरण परियोजना के रूप में नासडॉक की प्रलेखन सेवाएँ एवं अनुसन्धान सूचना समिति (Committee on Documentation Services and Research Information) ने 1976 में स्वीकृति प्रदान की थी। इसके

लिए भारतीय समाज शास्त्र की 240 पत्रिकाओं का चयन किया गया जिसके लिए 1947-70, 1920-47 तथा 1920-47 तथा 1920 पूर्व की अवधि की पत्रिकाओं की संचयी अनुक्रममिका का संकलित करने की योजना बनाई गयी है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र विशेषज्ञों एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए यह एक उपयोगी वाङ्मयात्मक उपकरण है।

**क्षेत्रीय अध्ययन वाङ्मयसूची (Area Studies Bibliography)**- इस परियोजना का प्रारम्भ 1979 में किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य भारत के सभी राज्यों तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्रों की अनुसंधानात्मक महत्व की सभी सामाजिक विज्ञानों की सामग्रियों की सूचना एक ही स्थान पर सुलभ करने का रहा है।

इस परियोजना में वाङ्मयसूचियों की शृंखलाबद्ध ढंग से सभी क्षेत्रों की पृथक-पृथक सभी भाषाओं एवं सभी प्रकार की सामग्रियों वाङ्मय सूचियाँ क्षेत्रानुसार संकलित कर प्रकाशित करने का लक्ष्य रहा है। इसे दो पक्षों में संकलित एवं प्रकाशित करने की योजना रही है जिसमें प्रारम्भ से लेकर अद्यतन सामग्रियों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रहा है प्रथम पक्ष में सभी प्रकार की सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्रियों को तालिकाबद्ध किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है और दूसरे पक्ष में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की सामग्रियों को तालिकाबद्ध करने की योजना है। लगभग 12,000आख्याओं को तालिकाबद्ध किया जा चुका है।

**भाषा वाङ्मयसूचियाँ (Language Bibliographies)** - इस परियोजना का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। जिसमें अनुसंधानात्मक मूल्य के सामाजिक विज्ञानों के सभी विषयों तथा सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्रियों को सूचीबद्ध करने की योजना है। इनका प्रकाशन गुजराती, हिन्दी, कन्नड़ और उड़िया में शीघ्र होने वाला है। इन वाङ्मयसूचियों में 6000 हिन्दी, 2000 गुजराती एवं 300 उड़िया की संदर्भ कृतियों का उल्लेख हैं ।

**अनुसंधान सूचना (Research Information)** - एक प्रकार की नवीन सेवा "Bibliography of the month" की आख्या के अन्तर्गत नासडॉक ने प्रारम्भ की है। इसके अन्तर्गत नासडॉक द्वारा प्राप्त वाङ्मयसूचियों की तालिका लघुत्तम रूप में प्रत्येक माह प्रकाशित की जाती है।

## 10.5.6 विनियम कार्यक्रम (Exchange Programme)

नासडॉक अनेक संस्थाओं से अपने प्रकाशनों के विनिमय के आधार पर पर्याप्त प्रकाशनों को प्राप्त करता है। इस प्रकार देशी विदेशी लगभग 1000 संस्थाओं से लगभग 2300 पत्रिकाओं का विनियम किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप नासडॉक का संकलन उन्नत होता जा रहा है।

**आधार-सामग्रियों का बैंक एवं पुस्तकालय (Data-Bank and Library)**

सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में सक्रिय एवं सुनियोजित अनुसंधानों के कारण आधार सामग्रियों की वृद्धि होती जा रही है जिनकी माँग भी अधिकाधिक होती जा रही है। अतः ऐसा सामग्रियों को सुलभ करने हेतु आधार-सामग्री अभिलेखागार की स्थापना की गयी है। इसके लिए अनेक संस्थानों को सहायता भी प्रदान की जा रही है।

## 10.5.7 नासडॉक का पुस्तकालय (Library of NASSDOC)

इसका एक अपना पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है। यह पूरे वर्ष में केवल तीन दिन (26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर को बन्द रहता है) इसका अध्ययन कक्ष प्रतिदिन 10 घण्टे खुला रहता है।

संदर्भ में उपयोगी सामग्रियों की दृष्टि से नासडॉक के इस पुस्तकालय में 27000 प्रलेखों का संकलन किया गया है। इसमें अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, शोध आलेख (Research Articles), योजनाओं के प्रतिवेदन आदि सम्मिलित हैं।

सामाजिक विज्ञानों से संबंधित सभी प्रकार के संदर्भ एवं सूचना कृतियों का संग्रह इसमें किया गया है। अनुसंधान पद्धतियों एवं विधियों की कृतियों के संकलन पर अधिक ध्यान दिया गया है।

इसके पत्रिकाओं की सजिल्द प्रतियों का संकलन बहुत विशाल है जो लगभग एक लाख से अधिक है। 1800 सामयिकी पत्रिकाओं का नियमित रूप से अधिग्रहण किया जाता है। इसके अतिरिक्त 50सामान्य पत्रिकाओं और 25 समाचार पत्रों को भी नियमित रूप से प्राप्त किया जाता है। आई.सी.एस.एस.आर. के सभी प्रकाशनों को इसके संग्रह में रखा जाता है।

**शोध प्रबन्धों का संग्रह (Collections of Doctoral Dissertations)**

सामाजिक विज्ञानों में भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत शोध उपाधियों के शोध प्रबन्धों (Thesis) को संग्रह करके क्रय किया जाता है। शोध प्रतिवेदनों का भी संग्रह किया जाता है। वर्तमान में लगभग 2500 शोध प्रबन्ध 1500 शोध प्रतिवेदनों का संग्रह किया गया है जो शोधार्थियों के लिए उपयोगी है।

इनकी जानकारी हेतु नासडॉक वाङ्मयसूचियों का भी प्रकाशन करता है।

**सूक्ष्म स्वरूपों की सामग्रियाँ (Microforms of Documents)**

नासडॉक के पुस्तकालय में निम्नांकित सामग्रियों को सूक्ष्म स्वरूपों (Micro-films and Michrofiche) में भी संग्रहीत किया गया है।

(1) Annals of Indian Administration; (2) Anthropological Soci-

ety of Bombay Journal; (3) Bombay Geographical Society Journal, (4) Economic Banking Papers; (5) Gujrat Research Society Journals. (6) Indian Linguistics (7) Psychological Abstracts, (8) Bibliography of Mughal India, 1526-1707, (9) Social Action, (10) Castes and Tribes of Northern India/E/Thruston, Tools, (11) शोध उपाधियों की कृतियाँ तथा प्रतिवेदन ।

### 10.5.8 नासडॉक के प्रमुख प्रकाशन

इसके प्रकाशनों का विवरण निम्नांकित है :

( 1 ) **ICSSR Newsletter,** नियमित रूप से 1969 से प्रकाशित किया जा रहा है।

( 2 ) **ICSSR Research Abstracts Quarterly,** 1971 में इसे प्रारम्भ किया गया था।

( 3 ) **Indian Dissertation Abstracts,** त्रैमासिक प्रकाशन है।प्रथम खण्ड 1973 में प्रकाशित किया गया था। इसमें ICSSR तथा AIU सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

( 4 ) **Indian Psychological Abstracts,** द्वैमासिक प्रकाशन के रूप में 1972 से प्रारम्भ किया गया है।

( 5 ) **ICSSR Journal of Abstracts and Reviews: Sociology and Social Anthropology :** अर्धवार्षिक प्रकाशन के रूप में 1992 से प्रारम्भ किया गया है।

( 6 ) **ICSSR Journal of Abstracts and Reviews : Economics:** चुने हुए भारतीय अर्थशास्त्र पत्रिकाओं के आलेखों की सारांशकरण पत्रिका है जिसमें अर्थशास्त्र की पुस्तकों की भी समीक्षाएँ प्रकाशित की जाती हैं।

( 7 ) **ICSSR Journal of Abstracts and Reviews : Geography :** यह अर्द्धवार्षिकी प्रकाशन सारांशकरण एवं समीक्षात्मक पत्रिका है।

(8) **ICSSR Journal of Abstracts and Reviews: Political Science :** राजनीति विज्ञान की भारतीय पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की सारांशकरण एवं समीक्षात्मक पत्रिका है।

नासडॉक सामाजिक विज्ञानों का भारत का राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र है जिसकी सेवाएँ इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हैं।

बोध प्रश्न -

11. सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र की स्थापना कब हुई थी?

---

---

12. एस.एस.डी.सी. के नाम में परिवर्तन कर 'नासडॉक' किस वर्ष में रखा गया?

---

---

13. आई.सी.एस.एस.आर. न्यूज लेटर का प्रकाशन कब से प्रारम्भ हो रहा है?

---

---

## 10.6 सारांश (Summary)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट हो रहा है कि पुस्तकालयों के विकास में इन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तथा यह क्रम निरन्तर जारी रहा। शैक्षणिक पुस्तकालयों विशेषकर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विकास में यूजीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है जबकि सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन के क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नासडॉक एवं विज्ञान एवं संचार के क्षेत्र में निस्केयर के क्रियाकलाप एवं सेवाएँ अद्वितीय हैं। निस्केयर सूचना एवं अनभव के विनिमय (Exchange) हेतु अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सम्पर्क तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध रखता है। एफ.आई.डी. के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यूनेस्को के विश्व विज्ञान सूचना प्रणाली (UNISIST) की परियोजनाओं में भी यह सहयोग प्रदान करता है। इसी प्रकार रूस के विशालतम प्रलेखन केन्द्र (VINITI) से भी सहयोगात्मक भूमिका अदा करता है।

## 10.7 अभ्यास कार्य (Exercise)

1. नासडॉक की स्थापना एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
2. निस्केयर की संगठनात्मक संरचना कर रेखा चित्र बनाइये तथा संक्षेप में इसकी सेवाओं का वर्णन कीजिए।
3. राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन पर एक निबन्ध लिखिए।
4. यूजीसी के प्रमुख क्रियाकलापों की व्याख्या कीजिए।

## 10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर (Answer of Sense questions)

1. राधाकृष्णन आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी।
2. यूजीसी का पूरा नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commissions)है।
3. इनफ्लिबनेट का पूरा नाम इनफार्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क है।
4. 'यूजीसी- इन्फोनेट' यूजीसी द्वारा स्थापित एवं पोषित कसोर्सिया का नाम है।
5. सन 1972 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।
6. RRRLF का पूरा नाम 'Raja Rammohan Ray Library Foundation' है।
7. मुख्य रूप से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु कार्य कर रहा है।
8. दो संस्थाओं को मिलाकर इसकी स्थापना 2002 में की गई।
9. Associationship in Information Science
10. मासिक
11. सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र की स्थापना सन 1970 में हुई।
12. सन 1986
13. सन 1969

## 10.9 सन्दर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री


1. Kumar, P.S.G. Foundation of Library and Information Science, Delhi : B.R. Publishing Corporation, 2003.
2. Kumar, P.S.G., UGC Schemes for the Development of College Libraries (in Lucknow Libn. V 12, N3; 1980, pp 110-114).
3. RRRLF (Kolkata), Brochure.
4. Saini, Om Prakash. Granthalaya evam Samaj, Agra : Y.K. Publishers.
5. Sharma, B.K. and Singh, D.V., Shaikshanik Pustakalaya Pranali, Agra : Y.K. Publishers, 2006.
6. Srivastava, S.N. and Verma, S.C. University Libraries in India: Sterling , 1980.
7. Tripathi, S.M., Pralekhan evam Suchana Sevayen tatha Networks, Vol. 1, Agra : Y.K. Publishers, 1998.

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

**BLIS-01**

# पुस्तकालय एवं सूचना समाज

## खण्ड

## 4

## पुस्तकालय सहभागीकरण एवं विस्तार कार्य

इकाई - 11 5

पुस्तकालय सहभागीकरण : अवधारणा, आवश्यकता एवं स्वरूप

इकाई - 12 27

पुस्तकालय विस्तार कार्य

## विशेषज्ञ समिति - पाठ्यक्रम अभिकल्पन

| | |
|---|---|
| **डॉ0 पाण्डेय एस0 के0 शर्मा** | अवकाश प्राप्त मुख्य ग्रंथालयी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, |
| **डॉ0 ए0 पी0 गक्खर** | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इला0 |
| **डॉ0 यू0 सी0 शर्मा** | एसोसियेट प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष, बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |
| **डॉ0 सोनल सिंह** | एसोसिएट प्रोफेसर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन |
| **डॉ0 ए0 पी0 सिंह** | एसोसिएट प्रोफेसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| **डॉ0संजीव सर्राफ** | उपपुस्तकालयाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| **डॉ0 टी0एन0 दुबे** (सदस्य सचिव) | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |

## सम्पादक मण्डल

| | |
|---|---|
| **डॉ0 टी0 एन0 दुबे** | विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| **श्री आर0 जे0 मौर्य** | सहायक ग्रन्थालयी, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
| **श्री राजेश गौतम** | प्रवक्ता, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |

## लेखक

| | |
|---|---|
| **डॉ0 माँगेराम** | उपपुस्तकालयाध्यक्ष, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, आगरा |

## परिमापक

| | |
|---|---|
| **डॉ0 बी0 के0 शर्मा** | पूर्व विभागाध्यक्ष, डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा |

प्रस्तुत पाठ्य सामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के स्वयं के हैं।

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य-सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

**उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से** डॉ0 आर0के0 पाण्डेय **कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित,** सितम्बर, 2016

मुद्रक : चन्द्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद

## खण्ड-4 : पुस्तकालय सहभागीकरण और पुस्तकालय विस्तार कार्य

### प्रस्तावना

पुस्तकालयों के संदर्भ में सहभागीकरण से आशय है पुस्तकालयीय संसाधनों की सहभागिता, चाहे वे संसाधन भौतिक हों, वित्तीय हों, या मानवीय हों। संसाधनों का सहभागीकरण पुस्तकालय सेवाओं के प्रयोग एवं उपयोग में वृद्धि करता है साथ ही उपयोक्ता समुदाय का इच्छित लाभ सुनिश्चित कराता है।

पुस्तकालय विस्तार कार्य अथवा सेवा समाज में पुस्तकालय सेवा से वंचित समूहों को उनकी आवश्यकतानुसार सम्भव पुस्तकालय एवं सूचना तथा मनोरंजनात्मक सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। विस्तार सेवा पुस्तकालय सेवा का विस्तारित स्वरूप है जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो सकता है।

इस खण्ड में दो इकाइयाँ है-

इकाई 11 : पुस्तकालय सहभागीकरण की अवधारणा, आवश्यकता, उद्देश्य उसके स्वरूप आदि की विवेचना से सम्बन्धित है।

इकाई 12 : पुस्तकालय विस्तार कार्य, अवधारणा, आवश्यकता और उद्देश्य के अध्ययन से सम्बन्धित है।

# इकाई - 11 : पुस्तकालय सहभागीकरण : अवधारणा, आवश्यकता एवं स्वरूप

## इकाई की रूपरेखा


11.0 उद्देश्य

11.1 विषय प्रवेश

11.2 पुस्तकालय सहभागीकरण : अवधारणा व परिभाषा

11.3 पुस्तकालय सहभागीकरण : आवश्यकता

11.4 पुस्तकालय सहभागीकरण : उद्देश्य

11.5 पुस्तकालय सहभागीकरण की पूर्वापेक्षायें

11.6 पुस्तकालय सहभागीकरण का स्वरूप (क्षेत्र)

11.7 भारतीय परिदृश्य

11.8 सम्बन्धित प्रश्न

11.9 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री


## 11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त शिक्षार्थी :

- पुस्तकालय सहभागीकरण की अवधारणा को समझ सकेंगे;
- इसके आवश्यकता व उसके उद्देश्य को जान सकेंगे;
- इसके विकास के कारकों को जान सकेंगे;
- इसके स्वरूप व इसमें निहित प्रक्रियाओं से परिचित होंगे;
- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिया-कलापों से परिचित होंगे; और
- इसमें उपयुक्त आधुनिक तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

## 11.1 विषय प्रवेश

बीसवीं शताब्दी में ज्ञान जगत में हुए विस्फोटक विकास ने ज्ञान के स्रोतों व सूचना स्रोतों में भी विस्फोटक विकास कराया। विश्व के विभिन्न देशों व विभिन्न भाषाओं में अपार सूचना स्रोतों का सृजन व उत्पादन होने लगा। इसने किसी भी पुस्तकालय के लिए इन सूचना स्रोतों के व्यापक संग्रह निर्माण की अवधारणा को असम्भव बना दिया। अतः सभी पुस्तकालयों को अपने सूचना स्रोतों के संग्रह को

सार्वभौमिक बनाना असम्भव हो गया। प्रत्येक पुस्तकालय के सूचना स्रोतों का संग्रह सीमित होता गया और प्रत्येक पुस्तकालय अपने संग्रह से ही अपने पाठकों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की अवधारणा को अव्यवहारिक व असम्भव मानने लगा। पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य पुस्तकालयों का उपयोग अपरिहार्य हो गया।

प्रारम्भिक काल में पुस्तकालय व्यक्ति के उपयोग या सम्मानवर्धन के लिये स्थापित किये जाते थे पर कालान्तर में पुस्तकालय व्यक्ति की जगह समूह विशेष के उपयोग के लिये स्थापित किये जाने लगे। पुस्तकालय का उद्देश्य ज्ञानार्जन व ज्ञान सृजन में प्रभावी कारक बनने का हो गया। समूह विशेष, तथा शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े समूह, शोध संस्थानों से जुड़े लोग, व्यवसाय विशेष से जुड़े लोग आदि एवं क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा आवश्यक ज्ञानार्जन कर अपने कार्य व व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये पुस्तकालयों की स्थापना की जाने लगी। समाज में शिक्षा के प्रसार, आवश्यक ज्ञानार्जन व सूचना प्राप्ति तथा फुरसत की घड़ी के सदुपयोग के लिये सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना हुई किन्तु इन सभी प्रकार के पुस्तकालयों के लिए अपने उपभोक्ताओं की सूचना व ज्ञानार्जन सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने संग्रह से ही कर पाना दुरूह ही नहीं अपितु असम्भव होने लगा।

ज्ञान जगत में विस्फोटक विकास ने केवल सूचना स्रोतों के सृजन व उत्पादन में ही विस्फोटक विकास नहीं कराया अपितु सूचना स्रोतों के प्रकार में भी आशातीत विस्तार कराया। प्रारम्भ में केवल ग्रन्थ ही ज्ञान व सूचना के स्रोत थे, किन्तु कालान्तर में ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के सूचना स्रोतों का सृजन हुआ। पत्र-पत्रिकाये, शोध-प्रतिवेदन, पेटेन्ट, शासकीय प्रकाशन, व्यापारिक साहित्य, तकनीकी प्रतिवेदन, शोध प्रबंध आदि भी महत्वपूर्ण सूचना स्रोत बनते गये। इनमें से कुछ स्रोत अनेक पुस्तकालयों के लिये मुख्य सूचना स्रोत बन गये। सभी प्रकार के पुस्तकालयों के लिये इन सभी सूचना स्रोतों का संग्रह करना असम्भव होता गया। अतः सभी पुस्तकालयों को विभिन्न प्रकार के सूचना स्रोतों के लिये अन्य पुस्तकालयों की सहायता लेना अपरिहार्य हो गया। इस परिस्थिति ने भी पुस्तकालयों की एक-दूसरे पर निर्भरता को अत्याधिक बढ़ावा दिया।

पुस्तकालयों में सूचना संसाधनों के स्थायी स्वामित्व की अवधारणा ही सूचना संसाधनों के संग्रह निर्माण का आधार स्तम्भ रहा है। कालान्तर में कुछ पुस्तकालयों ने

पाया कि स्थायी सूचना संसाधनों की स्वामित्व की अवधारणा उनके लिये हितकर नहीं है क्योंकि उन स्रोतों पर धन का व्यय अधिक व उनका उपयोग कम हो रहा था। इनके कारण उन पुस्तकालयों में अनेक सूचना संसाधनों के स्थायी स्वामित्व के स्थान पर अस्थायी स्वामित्व की ओर झुकाव पैदा किया। 'स्थायी स्वामित्व' की अवधारणा अपने पाठकों की भविष्य व प्रत्याशित आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्व देती है जबकि 'अस्थायी स्वामित्व' की अवधारणा तात्कालिक व अल्पकालिक आवश्यकता की पूर्ति पर ही ध्यान देती है। इस अवधारणा पर आधारित पुस्तकालयों के लिये अपने उपयोक्ताओं की भविष्य व प्रत्याशित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य पुस्तकालयों पर निर्भरता अनिवार्य हो जाती है।

इन सभी कारकों ने पुस्तकालयों में सहकार की उपयोगिता को रेखांकित ही नहीं किया अपितु पुस्तकालय सहकारिता को अपरिहार्य बना दिया। पुस्तकालय सहकारिता ने सहकारी संग्रहों के निर्माण व अन्तर्ग्रन्थालयी आदान-प्रदान से उनके समुचित उपयोग को भी सुनिश्चित किया। इस प्रक्रिया ने पुस्तकालयों के सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद अपने निर्दिष्ट विषय क्षेत्र में उत्कृष्ट व व्यापक संग्रह निर्माण कराकर पाठकों के सूचना संसाधनों के अभिगम को उच्चस्तर तक पहुँचाया और संसाधन सहभागीकरण की अवधारणा को विकसित ही नहीं किया अपितु संसाधन सहभागीकरण के दर्शन को मूलरूप दिया।

संसाधन सहभागीकरण की प्रक्रिया में पुस्तकालय समतुल्यता की अवधारणा मूलाधार है। इसमें संसाधन की प्रचुरता व अल्पता महत्वहीन होता है। संसाधन सहभागीकरण में एक पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री का उपयोग दूसरे पुस्तकालय के पाठक तभी कर पाते हैं जब अभीष्ट सामग्री को उनके पुस्तकालय में उपलब्ध कराया जाय। इस कार्य को तकनीकी विकास निरन्तर सुगम बनाता आ रहा है। पोस्टल व सम्वाहक माध्यम से प्रारम्भ कर, पाठ्य सामंग्रियों की माइक्रोफार्म प्रति, छायाप्रति, फैक्स, टेलीटेक्स आदि कम्युनिकेशन माध्यमों के उपयोग ने संसाधन सहभागिता को दृढ़ता व गति प्रदान कर इसे सुगम बनाया है। टेलीकम्युनिकेशन तकनीकी, इण्टरनेट व मूल पाठ के इलेक्ट्रानिक स्थानान्तरण ने संसाधन सहभागीकरण को आसान व सुगम बनाकर, इसे व्यापक रूप में अपनाये जाने का मार्ग प्रशस्त किया जिसके कारण संसाधन सहभागीकरण आज पूरे विश्व में व्यापकरूप में व्यवहरित किया जा रहा है।

## 11.2 संसाधन सहभागीकरण की अवधारणा

मानव समाज का मूलाधार आपसी सहयोग है। सहयोग मानव के लिये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पुस्तकालय सहयोग का मूलतत्व मानव समाज में व्याप्त सहयोग की भावना व किसी भी पुस्तकालय का सार्वभौमिक रूप में व्यापक न होने की अपरिहार्यता ही है। पुस्तकालय सहयोग के मूल में पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा सदस्य पुस्तकालयों के पाठकों की माँग की अधिक आपूर्ति करना ही होता है। इस मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुस्तकालय सहयोग की सहकारी अधिग्रहण, सहकारी सूचीकरण, संघ सूची निर्माण, व पाठ्य सामग्रियों का आदान-प्रदान इत्यादि प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाता है और इनके द्वारा पुस्तकालयों की प्रक्रियाओं, कार्यों, पाठ्य सामग्रियों में होने वाली अनावश्यक व निरर्थक पुनरावृत्ति को रोककर की गई बचत को पुस्तकालयों या उपभोक्ताओं की सेवाओं के उन्नयन में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार पुस्तकालय सहयोग ने उपभोक्ताओं को सूचना संसाधनों की उपलब्धता के स्तर का उन्नयन कर पुस्तकालयों द्वारा सूचना व ज्ञान के अभिगम को सम्बन्धित किया है और यही संसाधन सहभागीकरण की मूल अवधारणा है। अतः संसाधन सहभागीकरण पुस्तकालय सहयोग के क्षेत्र की सूचना संसाधनों के अंतर्ग्रथालयी आदान-प्रदान की प्रक्रिया का परिवर्धित व परिष्कृत रूप ही है।

संसाधन सहभागीकरण पुस्तकालयों में आपसी परस्परता एवं भागीदारी की अवधारणा पर आधारित है। इसमें सभी भागीदारों को अपने संसाधन सुलभता के अनुसार योगदान करना एवं अपनी आवश्यकता की आंशिक पूर्ति अन्य पुस्तकालयों के सूचना संसाधनों से करना होता है। इसके लिये पुस्तकालयों में सहयोग की इच्छा व अन्य पुस्तकालयों के सहयोग का समुचित उपयोग करने की सोच की आवश्यकता होती है।

### 11.2.1 परिभाषा -

ऐलेन केंट ने संसाधन सहभागिता की अवधारणा की व्याख्या निम्नरूप में की है। "संसाधन सहभागिता उस कार्य-प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें अनेक पुस्तकालय अपने समान कार्यों को आपसी भागीदारी से सम्पन्न करते हैं। संसाधन सहभागिता में परस्परता व आपसी भागीदारी होती है। इसमें सभी सहयोगी पुस्तकालय अपने संसाधनों को अन्य के उपयोग के लिये उपलब्ध कराते हैं। एक दूसरे से संसाधनों को उपयोग के लिए एक दूसरे को उपलब्ध कराते है। एक पुस्तकालय दूसरे के कार्य निस्पादन में भी सहयोग करता है।"

'सहभागिता' शब्द का अर्थ बाँटना, आवंटित करना या हिस्सेदारी निभाना है तथा 'संसाधन' शब्द सभी सामाग्रियों, कार्यों, प्रक्रियाओं व सेवाओं को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार संसाधन सहभागिता का अर्थ अनेक पुस्तकालयों द्वारा अपने संसाधनों, सेवाओं व कार्यों या पुस्तकालयी प्रक्रियाओं को एक दूसरे को बाँटकर साझेदारी करना या आवंटित कर सहयोग करना है।

पुस्तकालय संसाधन के अन्तर्गत मुद्रित व अमुद्रित सामग्रियों के साथ-साथ ही मानव संसाधनों को भी सम्मिलित किया जाता है। इनके उपयोग में इस प्रकार से सहभागिता की जाती है कि पुस्तकालयों की सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।

संसाधन सहभागिता की अवधारणा में प्रत्येक पुस्तकालय को अपनी सेवाओं व कार्यों को प्रभावित किये बिना ही सहभागिता का कार्य करने की बात निहित है। इसमें सम्भावित प्रभावों की बात नहीं कही गई है। ग्रन्थालय को एक दूसरे के हित साधन को ध्यान में रखकर ही संसाधन सहभागिता करनी चाहिये। कभी-कभी पुस्तकालयों को विरोधाभासी हितों की स्थिति में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

## 11.3 पुस्तकालय सहभागीकरण की आवश्यकता

पुस्तकालय सहभागीकरण की आवश्यकता के अनेक कारक हैं जिनके कारण पुस्तकालय सहभागीकरण की प्रक्रिया अपनाने को विवश होते गये। पुस्तकालय के उद्देश्यों व मूल अवधारणा में हुए परिमार्जन इसका मूलाधार है। कालान्तर में पुस्तकालय स्वामित्व की अवधारणा को त्यागते गये एवं यथासम्भव अधिकाधिक ज्ञान प्रसार की अवधारणा को अपना मूलाधार बनाते गये। जिसके फलस्वरूप पुस्तकालयों का मुख्य ध्येय अपने पाठकों की ज्ञान व सूचना पिपासा की तृप्ति के लिये अपने संसाधनों के अलावा अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों की सहायता लेना अपरिहार्य होता गया। पुस्तकालय सहभागीकरण की आवश्यकता निम्न कारकों पर आधारित है।

### 11.3.1 साहित्य - विस्फोट-

विज्ञान व तकनीकि के क्षेत्र में निरन्तर विकास एवं मुद्रण तकनीकि के आविष्कार के कारण ग्रन्थों के प्रकाशन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाओं में निरन्तर अनगिनत ग्रंथ प्रकाशित किये जाने लगे। सूचना साहित्य के उत्पादन में इस विस्फोटक स्थिति के कारण किसी भी पुस्तकालय के लिये अपने पाठकों की वर्तमान व भविष्य की ग्रन्थों की माँगों को पूरा करने के लिए अभीष्ट भाषा में ग्रन्थों का

व्यापक संग्रह निर्माण करना असम्भव कर दिया जिसने पुस्तकालयों को अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों पर निर्भरता को अपरिहार्य कर दिया।

### 11.3.2 अभिलेखों की विविधता

ज्ञानजगत में निरन्तर होने वाले विकास व प्रसार ने ज्ञान के संचार के माध्यम को ग्रन्थों की सीमा के बाहर निकाला एवं अनेक प्रकार के अभिलेखों को विकसित कराया। ज्ञान के त्वरित संचार के लिये सामयिकी पत्रिकाओं का बहुत तेजी से प्रकाशन होने लगा व कालान्तर में सामयिक प्रकाशन ज्ञान के प्रमुख स्रोत बन गये। इनके साथ ही मानक, पेटेन्ट, शोध प्रतिवेदन, शोध-प्रबन्ध, तकनीकी प्रतिवेदन, शासकीय प्रकाशन, आँकड़ा प्रकाशन आदि अनेक प्रकार के अभिलेखों का प्रकाशन होने लगा। सभी पुस्तकालयों के लिये सभी प्रकार के प्रलेखों का संग्रह करना असम्भव हो गया। अतः पुस्तकालय कुछ प्रकार के अभिलेखों का संग्रह करने पर ही अपने को सीमित करने के लिये बाध्य हो गये। शेष प्रकार के अभिलेखों के लिये उन्हें अन्य पुस्तकालयों पर निर्भर होने की आवश्यकता हुई।

### 11.3.3 ज्ञान व सूचना जगत में विस्फोट -

शोध की प्रक्रिया एकल शोध से विमुख होकर समूह-शोध की ओर उन्मुख होती गई। शोधकर्ताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इससे ज्ञान जगत में समाहित विषयों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। विषयों के सूक्ष्मीकरण ने इसे और जटिल बना दिया। इन परिस्थितियों में किसी पुस्तकालय के लिये सभी विषयों अथवा कुछ विषयों के सूक्ष्मतम स्तर तक के ज्ञान पर प्रलेखों का संग्रह करना दुरूह ही नहीं अपितु असम्भव हो गया। अतः सभी पुस्तकालय अपने लिये विषयों एवं उनकी सूक्ष्मता के स्तर की सीमा निर्धारित कर उसी पर संग्रह निर्माण करने के लिये बाध्य होते गये और अपने पाठकों की अन्य विषयों की आवश्यकता पूरा करने के लिये अन्य पुस्तकालयों पर निर्भर होते गये।

इसके साथ ही साथ अध्ययन व शोध की प्रकृति भी बदलने लगी। अंतर्विषयी अध्ययन व शोध अधिक होने लगे। ऐसे पाठकों की अन्य विषयों सम्बन्धी ग्रन्थों व प्रेलेखों की आवश्यकता की पूर्ति उन विषयों के पुस्तकालयों से कराने की बाध्यता होती गई।

### 11.3.4 सीमित वित्तीय संसाधन -

पुस्तकालयों के वित्तीय संसाधन में पुस्तकालयों की आवश्यकता के अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार दिन-प्रतिदिन पुस्तकालयों की क्रयशक्ति में ह्रास होता जाता है। इसके विपरीत पाठ्य सामग्रियों के मूल्यों व पुस्तकालय कर्मियों पर नवीन सेवायें प्रदान करने की अनिवार्यता आदि के कारण पुस्तकालय में अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है। ग्रन्थों व पत्रिकाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण क्रय किये जाने वाले ग्रन्थों व पत्रिकाओं की संख्या कम होती जाती है। जिसकी सम्पूर्ति संसाधन सहभागीकरण के द्वारा करना अनिवार्य हो जाता है।

किसी भी पुस्तकालय के लिये बढ़ती कीमतों व सीमित वित्त के कारण अपने संग्रह को अद्यतन व व्यापक बनाना अति दुरूह हो गया है। अतः पुस्तकालयों के लिये यह अपरिहार्य हो जाता है कि वे एक दूसरे से सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर अपने संग्रह की कमियों को दूसरे पुस्तकालयों के संग्रह से पूरा करें। यही नहीं अपितु यह भी आवश्यक हो जाता है कि कुछ पुस्तकालय सहयोग व सहकार द्वारा एक अद्यतन व व्यापक संग्रह का निर्माण करें और अपने पाठकों को संसाधन सहभागीकरण द्वारा अद्यतन व व्यापक संग्रह का लाभ प्रदान करें।

### 11.3.5 स्तरीय पुस्तकालय सेवाओं की अनिवार्यता -

पुस्तकालयों में पाठ्य सामग्री के उत्कृष्ट संग्रह का निर्माण अतिमहत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था। यह इस अवधारणा पर आधारित था कि उपयोक्ताओं की संतुष्टि उन्हें उनकी वांच्छित पाठ्य सामग्री देकर ही की जा सकती है। किन्तु कालान्तर में इस अवधारणा में परिवर्तन होता गया और उपयोक्ताओं को सन्दर्भ सेवा, वाङ्मयी सेवा, सूचना सेवा आदि को प्रदान करने की आवश्यकता बढ़ती गयी। पुस्तकालयों के लिये इन सेवाओं पर अधिक ध्यान व जोर देना आवश्यक होता गया। पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग इन सेवाओं को प्रदान करने में किया जाने लगा। संग्रह निर्माण के लिये संसाधन में कमी आने लगी। जिससे संग्रह में भी कमी आती गयी। इस कमी की पूर्ति संसाधन सहभागिता द्वारा किया जाना आवश्यक होता गया।

### 11.3.6 पुस्तकालय सेवा की बदलती अवधारणा-

पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र ग्रन्थ उपयोगार्थ; प्रत्येक पाठक को उसका ग्रन्थ व प्रत्येक ग्रन्थ को उसका पाठक में निहित अवधारणा की पूर्ति हेतु पुस्तकालय अपने पाठकों की माँग को अपने संग्रह से पूर्ण करने का हर प्रयास करते थे, किन्तु पाठकों की

सभी माँगें अपने ही संग्रह से कर पाना हर पुस्तकालय के लिये सम्भव नहीं हो पाता था। अतः पुस्तकालय अन्य पुस्तकालयों के संग्रह का सहारा लेने लगे। क्रमशः यह प्रक्रिया विस्तृत होती गई और कालान्तर में अपरिहार्य व बहुत व्यापक हो गई।

इसके अलावा पुस्तकालय सेवा की अवधारणा पाठकों को उनकी माँग की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने तक सीमित रहने के बजाय उनके अध्ययन के विषय पर अद्यतन प्रकाशित सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री की सूचना विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे सामायिक जागरूकता सेवा (CAS), चयनात्मक सूचना प्रसारण (SDI), 'सूचना विश्लेषण' आदि द्वारा प्रदान करने की ओर उन्मुख होने लगी जिससे पुस्तकालय अपने संसाधनों का उपयोग इन सेवाओं के लिये करने लगे। फलतः पुस्तकालयों को अपने संग्रह में अनुपलब्ध ग्रन्थों व अन्य पाठ्य सामग्रियों को अन्य पुस्तकालयों से मांगने के लिये बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार पुस्तकालयों की एक दूसरे पर निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई।

## 11.4 पुस्तकालय सहभागीकरण का उद्देश्य -

पुस्तकालय सहभागीकरण का मूल उद्देश्य, ज्ञान व साहित्य जगत में हुए विस्फोट, पुस्तकालयों के सिकुड़ते वित्तीय साधन, अंतर्विषयी व विशिष्टीकृत अध्ययन तथा ज्ञान स्त्रोतों की विविधता के परिपेक्ष में पुस्तकालयों द्वारा अपने उपयोक्ताओं की उन्नतर सेवा प्रदान कराना है। पुस्तकालय सहभागीकरण इन सभी कारकों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं को दूर करता है। संसाधन सहभागीकरण प्रत्येक पुस्तकालय को अपने उपयोक्ताओं को उनके उपयोग की अधिकतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है। यह अन्य पुस्तकालयों के संसाधन के उपयोग से सम्भव होता है। संसाधन सहभागीकरण के मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं।

### 11.4.1 उपलब्ध पाठ्य सामग्री का अधिकतम उपयोग-

प्रत्येक पुस्तकालय अपने संग्रह में उपलब्ध सामग्री का उपयोग अपने पाठकों द्वारा कराने के साथ-साथ अन्य पुस्तकालय के पाठकों के उपयोग के लिये भी उपलब्ध कराता है जिससे अपने संग्रह का अधिकतम उपयोग कराने में सफल होता है। यह संसाधन सहभागिता के कारण हो पाता है।

### 11.4.2 पाठकों को पाठ्य सामग्री की अधिकतम उपलब्धता -

पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण अपनाकर पुस्तकालय अपने पाठकों को

अपने संग्रह के अतिरिक्त अन्य पुस्तकालयों के संग्रह में उपलब्ध सामग्रियों को भी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार उपयोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की अधिकतम सामग्री उपलब्ध हो जाती है।

### 11.4.3 उपलब्ध वित्तीय संसाधन का अधिकतम उपयोग-

पुस्तकालय सहभागीकरण से पुस्तकालय संगठन व संचालन में मितव्ययिता प्राप्त की जाती है। सहकारी अधिग्रहण, सहकारी सूचीकरण, ग्रन्थ आदान-प्रदान, सहकारी संग्रहण जैसे कार्यों द्वारा प्रतिभागी पुस्तकालयों द्वारा इन पर किये जाने वाले खर्च में कमी आती है और इस प्रकार से बचत की गई राशि को पाठ्य सामग्री अर्जन व सेवा के उत्कृष्टीकरण पर खर्च कर वित्तीय संसाधन के उपयोग को अधिकतम स्तर पर ले जाया जाता है। इन सहकारी कार्यक्रमों से की गई बचत से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री की अवाप्ति, अच्छे स्तर का सूचीकरण व पाठक सेवा देने में किया जाता है। इस प्रकार कम धन खर्च कर अच्छी पुस्तकालय सेवा दी जाती है या यह कह सकते हैं कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से उत्कृष्ट पुस्तकालय सेवा प्रदान की जा सकती है।

### 11.4.4 पुस्तकालय सेवा में उत्कृष्टता -

एक पुस्तकालय अन्य पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री के साथ-साथ अन्य संसाधनों व सेवाओं का उपयोग कर अपने पाठकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करता है। अन्य पुस्तकालयों के विशिष्ट संग्रह, सूचीकरण कौशल, वाङ्मयी सेवा, भण्डारण सुविधा आदि का उपयोग कर अपने पाठकों की सेवा को उच्चीकृत करता है। इससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी सम्भव हो जाता है।

### 11.4.5 पुस्तकालय सेवा का समन्वयीकरण -

पुस्तकालय सहभागीकरण द्वारा किसी पुस्तकालय व सूचना प्रणाली की पुस्तकालय सेवा या किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध पुस्तकालय सेवा का पाठ्य सामग्री अर्जन व उपयोग, सूचीकरण, भण्डारण, वाङ्मयी सूचना सेवाओं का सहभागीकरण करके एक समन्वित पुस्तकालय सेवा प्रणाली का सृजन किया जाता है। इससे पाठकों को उत्कृष्ट पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती है।

## 11.5 पुस्तकालय सहभागीकरण की पूर्वापेक्षायें -

पुस्तकालय सहभागीकरण के लिये कुछ अनिवार्य अपेक्षायें होती हैं। इन पूर्वापेक्षाओं के बिना इसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। सहभागीकरण में सहभागी पुस्तकालयों को कुछ बातों पर सहमत होना अनिवार्य होता है। सहमति के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं।

- सहभागी पुस्तकालयों के पुस्तकालय सहभागीकरण में भागीदारी के लिये पुस्तकालय प्रबंधन की सहमति।
- सहभागीकरण के लिये उपलब्ध सामग्री, सेवा, उपकरण आदि का पूर्व निर्धारण। सहभागीकरण के लिए अनुपलब्ध सामग्रियों जैसे पाण्डुलिपि, शोध, प्रबंधन आदि का चिन्हीकरण।
- सहभागीकरण के लिये उपलब्ध सामग्री व सेवा की साझीकरण द्वारा उपयोग पर सहमति।
- अन्तः पुस्तकालय आदान-प्रदान के लिये संहिता का निर्माण व उसके नियमों के पालन करने पर सहमति।
- निर्धारित अधिग्रहण नीति का पालन। प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा उनके लिये निर्धारित विषय क्षेत्र की पाठ्य सामग्री या ग्रंथ, पत्रिकायें, अन्य प्रलेखीय सामग्री के लिए अधिग्रहण की निर्धारित नीति का सतत् पालन करने पर सहमति होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक वित्त का आवंटन करना, आदेशित सामग्री, अर्जित सामग्री व उसका सूचीकरण आदि सम्बन्धी सूचना यथासम्भव उपलब्ध कराना चाहिये जिससे अन्य पुस्तकालय उन सामग्रियों का क्रय न करें एवं आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें। पुस्तकालयों में पाठ्य सामग्रियों का अर्जन सहकारिता के आधार पर करने पर सहमति होना चाहिये।
- यथासम्भव सहकारी सूचीकरण या केन्द्रीकृत सूची को अपनाने पर सहमति होनी चाहिये। इससे सूचीकरण में एकरूपता आयेगी एवं संघीय सूची का निर्माण सरल हो जायेगा। सूचीकरण की एकरूपता व संघसूची, सहभागीकरण के कार्य में अत्यन्त सहायक व महत्वपूर्ण होते हैं।
- भागीदार पुस्तकालयों में उपलब्ध पाठ्य सामग्रियों की संघ सूची जिसमें पाठ्य सामग्री के उपलब्ध स्थल का जिक्र किया गया हो, का निर्माण व सतत्

**अनुरक्षण**, व अद्यतनीकरण करने पर सहमति व इसका व्यवस्थापन अनिवार्य है। संघ सूची के बिना किसी पाठ्य सामग्री की उपलब्धता की जानकारी नहीं हो पायेगी। संघ सूची के निर्माण के लिये प्रत्येक पुस्तकालय को उसके **अधिग्रहीत** पाठ्य सामग्री की सूचना संघ सूची व्यवस्थापन को देना अनिवार्य होना चाहिये।

आधुनिक समय में पुस्तकालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा संगणकीकृत (कम्प्यूटराइज्ड) ग्रन्थ सूची (ओपेक = आन लाइन पब्लिक एक्सेस केटालाग) का निर्माण किया जा सकता है। जिसमें ग्रन्थों के क्रयादेश, सूचीकरण आदि के स्तर पर होने की सूचना भी दी जा सकती है। इसके अलावा इनके आन लाइन उपलब्ध करा देने पर संघ सूची की कोई उपयादेयता नहीं रह जाती है। संघ सूची का काम आन लाइन सूची द्वारा अधिक प्रभावी व कुशलतापूर्वक किया जा सकता है।

- सभी कम उपयोग वाली पाठ्य सामग्री का केन्द्रीयकृत भण्डारण के लिये उन सामग्रियों का निर्धारण व उपलब्ध कराने पर सहमति।
- प्रभावी व कुशल संचार व डाक प्रणाली की उपलब्धता।
- संसाधन सहभागीकरण के सफल कार्यान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि एक पुस्तकालय से पाठ्य सामग्री दूसरे पुस्तकालय को आसानी से व सुरक्षित रूप में प्रेषित की जा सके। सहभागीकरण की प्रक्रिया के संचालन के लिये प्रभावी दूर संचार प्रणाली होनी चाहिए। जिससे कालान्तर में पत्रिकाओं के सम्पूर्ण सम्पुट या अंक भेजने के बजाय अभीष्ट लेख या भाग की माइक्रोफिल्म या छायाप्रति भेजी जाने लगी। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने इसे और अधिक सरल, कुशल व प्रभावी बना दिया है। अब अभीष्ट पाठ्य सामग्री को इलेक्ट्रानिक डाक्यूमेन्ट डिलीवरी द्वारा दुनिया के किसी भी भाग में क्षणभर में भेजा जा सकता है। इन सबके बावजूद भी सफल पुस्तकालय सहभागीकरण के लिये प्रभावी व कुशल दूर संचार प्रणाली एक अपरिहार्य आवश्यकता बनी हुई है।

## 11.6 ग्रन्थालय सहभागीकरण का स्वरूप ( क्षेत्र ) -

संसाधन सहभागीकरण का मुख्य उद्देश्य सहभागी पुस्तकालयों के पाठकों को उनकी जरूरत के अधिकतम ज्ञान स्रोतों को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पुस्तकालयों में अनेक ऐसे सहयोगात्मक कार्य किये जाते हैं जो इसकी पूर्ति

में सहायक होते हैं या इस कार्य को उत्तम बनाने में सहायक होते हैं। सहभागी पुस्तकालय अलग-अलग अनेक समान कार्य करते हैं। इन सभी कार्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर पुस्तकालय उन कार्यों को उत्कृष्टता से सम्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ-साथ सहयोग से किये गये कार्य से हुई मितव्ययिता से संचित स्त्रोत का अन्य कार्यों या सेवाओं में उपयोग करते हैं। उन सभी कार्यों का क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ सहभागीकरण या परस्पर सहयोग किया जा सकता है, को सहभागीकरण का क्षेत्र या स्वरूप कहते हैं।

संसाधन सहभागीकरण के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है-

- पाठ्य सामग्री अधिग्रहण
- सहकारी प्रस्तुतीकरण
- अन्तर्पुस्तकालयीय आदान-प्रदान
- सहकारी भण्डारण (संचयन)
- सहकारी प्रचार
- सहकारी सेवा-संदर्भ सेवा, सूचना सेवा
- उपकरणों का सहकारी उपयोग
- कर्मचारी विनिमय

### 11.6.1 सहकारी अधिग्रहण -

पुस्तकालय सेवा का मूलाधार पाठ्य सामग्री होती है। पाठ्य सामग्री का अधिग्रहण एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। पुस्तकालय के वित्त का एक बड़ा हिस्सा पाठ्य सामग्री के अधिग्रहण पर खर्च होता है। पुस्तकालयों में अनेक प्रकार की पाठ्य सामग्री अधिग्रहित की जाती है। इनमें ग्रन्थ, पत्रिकायें व ग्ंदर्भ स्त्रोत प्रमुख है। ग्रन्थ तो सभी पुस्तकालयों में अधिग्रहित किये जाते हैं। अनेक पुस्कालय एक ही ग्रन्थ, पत्रिका या सन्दर्भ स्त्रोत की प्रति अधिग्रहित करते हैं इनमें से कुछ का उपयोग अधिक और कुछ का उपयोग कम होता है। यह बात पत्रिकाओं व महँगे सन्दर्भ ग्रन्थों पर अधिक लागू होती है। अतः यदि कुछ पुस्तकालय आपस में मिलकर सहकारिता के आधार पर पाठ्य सामग्रियों का अर्जन करें तो वित्तीय साधन में काफी बचत होगी और इस प्रकार बचत की गई राशि से अतिरिक्त पाठ्य सामग्री का अधिग्रहण किया जा सकता है।

सहकारिता के आधार पर अर्जन करने पर सहभागी पुस्तकालयों में पाठ्य

सामग्रियों की अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं होती है एवं उपलब्ध धन से अधिक पाठ्य सामग्री का अधिग्रहण की जा सकती है। जिससे पाठकों को अधिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है।

सहकारिता पर आधारित अधिग्रहण के अनेक तरीके होते हैं। इनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

- **विषय आधारित :** सहभागी पुस्तकालय अपने कार्यक्षेत्र, वित्तीय संसाधन, पाठकों की आवश्यकता के परिपेक्ष में आपस में विषय क्षेत्र का निर्धारण (बटवारा) करते हैं और प्रत्येक पुस्तकालय अपने विषय क्षेत्र में यथासम्भव व्यापक व प्रभावी संग्रह का निर्माण करता है तथा अन्य विषय क्षेत्रों में अपनी आवश्यकतानुसार संग्रह निर्माण करता है।
- **क्षेत्र आधारित :** सहभागी पुस्तकालय अर्जन के कार्य को प्रकाशन क्षेत्र के आधार पर निर्धारण कर उस क्षेत्र के प्रकाशनों का व्यापक संग्रह निर्माण करते हैं। इसमें क्षेत्रीय अध्ययन को भी आधार बनाया जाता है।
- **भाषा आधारित :** सहभागी पुस्तकालय विभिन्न भाषाओं के प्रकाशनों के संग्रह का निर्माण आपसी सहयोग व सहकरिता के आधार पर करते हैं।

सहकारी अधिग्रहण पत्रिकाओं (सामयिक प्रकाशन) व महँगे सन्दर्भ स्रोतों के सन्दर्भ में अत्यन्त उपयोगी पाया गया है। विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र की पत्रिकाओं के लिये सहकारी अधिग्रहण बहुत ही प्रभावी होता है। विशेषत अनुक्रमणिकी व सारणिकी सामयिकियों के सन्दर्भ में सहकारीकरण अत्यन्त प्रभावी व उपयोगी होता है।

अधिग्रहण के क्षेत्र में सहभागीकरण का एक प्रमुख उदाहरण अमेरिका के अनुसंधान पुस्कालयों द्वारा अपनायी गयी योजना है। इस योजना का नाम फार्मिंगटन प्लान (Farmington Plan) है। इस योजना के अन्तर्गत आपसी सहयोग से विदेशों में प्रकाशित उन सभी ग्रन्थों का जो शोधकार्य के लिए उपयोगी है, अधिग्रहण कर संघीय सूची, जिसे लाइब्रेरी आफ कांग्रेस बनाती थी, में शीघ्र ही सम्मिलित कराना, व आपसी आदान-प्रदान के लिये उपलब्ध कराना था। कालान्तर में राष्ट्रीय स्तर की योजना 'प्रोग्राम फार एक्वीजीशन एण्ड कैटलॉगिंग' के क्रियान्वयन के बाद, इसकी उपयोगिता सीमित हो गई। लाइब्रेरी आफ कांग्रेस और ओहियों स्थित ओ0सी0एल0सी0 OCLC (On-line Computer Library Centre) सहभागीकरण की अति प्रभावी प्रणाली हैं।

किसी भी पुस्तकालय तंत्र में अधिग्रहण की केन्द्रीयकृत प्रणाली अपनाकर संसाधन उपयोग में मितव्ययिता के साथ-साथ पाठकों को उन्नत पुस्तकालय सेवा प्रदान की जा सकती है। सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्रों में केन्द्रीकृत अधिग्रहण प्रणाली अतिप्रभावी होती है। भारत में निस्केयर (NISCAIR) द्वारा सी0एस0आई0आर0 पुस्तकालयों के लिये सामयिकी (पत्रिकाओं) की केन्द्रीयकृत अधिग्रहण प्रणाली अपनायी गयी है।

### 11.6.2 सहकारी प्रस्तुतीकरण -

सहकारी सूचीकरण प्रणाली में सहभागी पुस्तकालयों के वर्गीकरण व सूचीकरण का कार्य केन्द्रीयकृत कर किसी एक पुस्तकालय या केन्द्र में कराया जाता है और सहभागी पुस्तकालयों को प्रलेखों की प्रविष्टियां प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार अन्य पुस्तकालय वर्गीकरण व सूचीकरण पर होने वाले व्यय को बचा लेते हैं और इसका उपयोग अन्य सेवायें प्रदान करने में करते हैं। इससे सूची में एकरूपता व गुणवत्ता आती है जो पाठकों के लिये सहायक होती है। इस प्रक्रिया की सफलता के लिये सहभागी पुस्तकालयों द्वारा वर्गीकरण व सूचीकरण की किसी एक पद्धति का अपनाना अनिवार्य होता है। यह प्रणाली पत्रक सूची (Card Catalogue) प्रणाली के लिए अत्यन्त उपयोगी होती है। इसमें प्रविष्टियों को मुद्रित पत्रक के रूप में प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली में यूनिट कार्ड (Unit Card) प्रणाली अपनाई जाती है। यूनिट कार्ड प्रणाली में मुख्य प्रविष्टि की प्रतियों में ही अपेक्षित विवरण जोड़कर सहायक प्रविष्टियां (Added Entry) बनाई जाती है।

एच0 ए0 शर्मा के अनुसार "सहकारी सूचीकरण का एक सरल स्वरूप तब विद्यमान हुआ कहा जा सकता है कि जब अनेक पुस्तकालय एक केन्द्रीय सूचीकरण विभाग की स्थापना तथा अनुरक्षण के व्यय अथवा कार्य में हाथ बँटाते हैं और उस केन्द्रीय सूचीकरण विभाग द्वारा सूचीकृत प्रलेखों की प्रविष्टियाँ निर्माण करने के कार्य से मुक्त होकर जो लाभ होता है उसका उपभोग करते हैं।"

सहकारी प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य व्यय में कमी, सूचीकरण में शुद्धता व आकर्षण तथा वर्गीकरण व सूचीकरण में एकरूपता व मानकीकरण लाना है।

सहकारी प्रस्तुतीकरण से मितव्ययिता, सूचीकरण व वर्गीकरण में एकरूपता व मानकीकरण जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ-साथ प्रस्तुतीकरण में शीघ्रता व कर्मचारियों की अन्य कार्यों के लिये उपलब्धता भी बढ़ती है जिससे पुस्तकालय सेवा को प्रभावी व उत्कृष्ट बनाने में सहायता प्राप्त होती है।

सहकारी प्रस्तुतीकरण अन्य पुस्तकालय के कर्मचारियों में तकनीकी कार्यों में अकुशलता, पुस्तकालय में पाठ्य सामग्रियों की जानकारी में कमी पैदा करने के साथ ही व्यावसायिक बेरोजगारी, सूची प्रविष्टियों में अनावश्यक विवरण व कभी-कभी प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की स्थिति भी पैदा करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 ई0 में लाईब्रेरी ब्यूरो नाम के प्रतिष्ठान ने पत्रक सूची के लिये केन्द्रीकृत सूचीकरण का कार्य प्रारम्भ किया। सन् 1896 ई0 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने मुद्रित सूची प्रविष्टियों को वितरित करने का कार्य प्रारम्भ किया परन्तु शीघ्र ही लाइब्रेरी आफ कांग्रेस ने 1902 में इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया जिसे वह सफलतापूर्वक पूरी बीसवीं सदी तक करता रहा। ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिटिश नेशनल बिब्लियो ने इस कार्य को सम्पादित किया। सूचना प्रौद्योगिकी (संगणकीकरण) व इण्टरनेट ने इस कार्य को अब अनुपयोगी बना दिया है।

सूचीकरण की जटिल समस्या ने पुस्तकालयाध्यक्षों को सतत् इस समस्या के समाधान के लिये प्रेरित किया है। इसके लिए सरल, मितव्ययी व समयसाध्य प्रक्रिया के लिये सतत् प्रयत्न किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में प्रयुक्त व प्रयोग किये गये कुछ प्रक्रियाओं व प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना प्रासंगिक है।

**प्रकाशनपूर्व सूचीकरण ( Prenatal Cataloguing ) :-**

भारत में 1950 ई0 में डॉ0 एस0 आर0 रंगनाथन ने 'लाईब्रेरी डेवेलपमेन्ट प्लान' नामक अपनी पुस्तक के माध्यम से इस विधि को प्रस्तुत किया। इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ की जुजों (फार्म) को राष्ट्रीय या राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय को भेज देना था। इन पुस्तकालयों द्वारा अपने यहाँ स्थापित विभाग (ब्यूरो) द्वारा ग्रन्थ का वर्गीकरण व सूचीकरण कर प्रकाशक को शीघ्र ही भेजा जाना था। ब्यूरो को ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ ही उन ग्रन्थों का सूची पत्रक भी मुद्रित कर लेना था। जिसे पुस्तकालय क्रय कर सूचीकरण का कार्य कर लेंगे।

**स्त्रोत पर सूचीकरण ( Cataloguing at Source ) :-**

यह योजना संयुक्त राज्य अमेरिका में सन् 1958 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना को लाइब्रेरी आफ कांग्रेस ने प्रारम्भ किया था। यह रंगनाथन की प्रकाशन पूर्व के योजना से मिलती जुलती है। इस योजना में प्रकाशक अपने प्रकाशनान्तर्गत ग्रन्थ को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को भेजता है और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस उसका वर्गीकरण व

सूचीकरण (मुख्य प्रविष्टि) को प्रकाशक को भेजता है। प्रकाशक इस प्रविष्टि को आख्या पत्र के पृष्ट पर भाग पर छापता है और इसी बीच लाइब्रेरी आफ कांग्रेस ग्रन्थ के लिये मुद्रित पत्रक भी तैयार कर लेता है। इस प्रकार ग्रन्थ के साथ ही ग्रन्थ की मुख्य प्रविष्टि और मुद्रित पत्रक उपलब्ध हो जाते थे। इसके क्रियान्वयन में कई कठिनाईयों के कारण कालान्तर में इसे तिलांजली देनी पड़ी।

**प्रकाशन में सूचीकरण ( Cataloguing in Publication ) :-**

इस योजना को जे0 एल0 ह्वीलर ने 1981 में प्रस्तुत किया था। इसमें स्रोत पर सूचीकरण की प्रणाली में बाधक कारकों को हटाने या परिमार्जित करने का प्रयास किया गया था। इस प्रणाली में ग्रन्थ में मुद्रित की जाने वाली प्रविष्टि से लेखक के जन्म वर्ष, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष व स्थल तथा ग्रन्थ का भौतिक विवरण यथा पृष्ठ संख्या, आकार आदि हटा दिया गया। मुख्य प्रविष्टि के स्थान पर सूचीकरण की आधार सूचना (Basic Data) ही आख्या पृष्ठ के पीछे मुद्रित किये जाने का प्रावधान था।

**संघ सूची ( Union Catalogue ) :-**

संसाधन सहभागिता का मुख्य आधार संघ सूची है। संघ सूची सहभागी पुस्तकालयों की एक समेकित सूची होती है। इसमें प्रत्येक ग्रन्थ की प्रवृष्टि में यह सूचना अंकित होती है कि वह ग्रन्थ या पाठ्य सामग्री किन-किन सहभागी पुस्तकालयों में उपलब्ध है। इसी के आधार पर एक पुस्तकालय किसी ग्रन्थ के लिए उन पुस्तकालयों की सूचना जहाँ वह ग्रन्थ उपस्थित है प्राप्त कर सकता है और उन पुस्तकालयों से स्वयं या संघ सूची केन्द्र के माध्यम से परस्पर आदान-प्रदान की सेवा के अंतर्गत ग्रंथ प्राप्त कर अपने पाठक को उपलब्ध कराता है। इसकी अनुपस्थिति में परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया या संसाधन सहभागिता का कार्य दुरूह हो जाता है।

## 11.6.3 अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान ( Inter-Library Loan ) -

अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान संसाधन सहभागिता का सर्वाधिक व्यवहारिक रूप है। इसे पुस्तकालय सहकारिता का पर्यायवाची भी माना जाता है। इसमें सहभागी पुस्तकालय पाठ्य सामग्रियों का पुस्तकालय स्तर पर आपस में आदान-प्रदान करते हैं। एक पुस्तकालय उन पाठ्य सामग्रियों को जो उसके संग्रह में उपलब्ध नहीं है उन्हें अन्य पुस्तकालयों से अपने पाठक के उपयोगार्थ निश्चित समय के लिये उधार लेता है। यह कार्य स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके लिये एक श्रेणी या प्रकार या क्षेत्र विशेष के अनेक पुस्तकालय आपसी सहयोग व सहभागिता पर सहमति

और समझौता करते हैं। सहभागी पुस्तकालयों में सहमति द्वारा मुख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर अनुबन्ध होना चाहिए।

- संसाधन सहभागिता हेतु उपलब्ध सामग्री का निर्धारण;
- अधिग्रहण नीति का निर्धारण। इसमें निर्दिष्ट विषय क्षेत्र में सतत संग्रह निर्माण व अवांक्षित व अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचना;
- आवश्यक उपकरण जैसे संघ सूची निर्माण;
- एकरूपता व मानकीकरण वाली सहकारी सूचीकरण;
- सूचियों व संघ सूचियों की अद्यतनता बनाये रखना;
- पाठ्य सामग्री के आदान-प्रदान सम्बन्धी प्रक्रिया का निर्धारण (जैसे-देने-लौटाने का खर्च, उधार की अवधि, भेजने का साधन आदि)
- पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को अभिगम उपलब्ध कराना।

अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान के लिये पुस्तकालयों में मुख्य रूप से पाठ्य सामग्री को उधार पर रखने की अवधि, इसे भेजने व लौटाने का खर्च, भेजने के माध्यम यथा पोस्ट आफिस, परिवहन माध्यम, कुरियर या अन्य सेवाओं के उपयोग, उधार की अवधि का विस्तार, आदि पर आपस में सहमति बनानी पड़ती है। पाठ्य सामग्री के उपयोग में रहने की स्थिति में, इसे न देने या समय पर न लौटाने आदि पर भी पूर्व निर्णय लिया जाना चाहिए।

इसके लिये संघ सूची की उपलब्धता अति आवश्यक इसलिये भी होती है कि संघ सूची केन्द्र प्रदायी पुस्तकालय के निकटतम पुस्तकालयों की सूचना याचक पुस्तकालय को उपलब्ध कराता है जिससे आदान-प्रदान की प्रक्रिया में कम समय व धन खर्च हो तथा याचक पुस्तकालय किसी पुस्तकालय में किसी कारण से पाठ्य सामग्री के आदान-प्रदान के लिये उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में किसी अन्य पुस्तकालय से इसके लिये याचना कर सके।

तकनीकी प्रगति अन्तर्पुस्तकालय आदान-प्रदान को दिन प्रति दिन सरल, सस्ता और आसान बनाता जा रहा है। इस प्रक्रिया में पाठ्य सामग्री को भौतिक रूप में याचक पुस्तकालय के पास भेजा जाता है। पत्रिकाओं व सामयिकियों में से किसी एक लेख की याचना किये जाने पर सामयिकी की जिल्दसाजी किये गये पूर्ण खण्ड (Volume) को भेजा जाता है। किन्तु कालान्तर में सूक्ष्मछाया (माइक्रोफिल्म) की तकनीक के उपलब्ध होने

के बाद पूर्णखण्ड अथवा पूरी पुस्तक की अपेक्षा अपेक्षित लेख या भाग की माइक्रोफिल्म भेजी जाने लगी। इसे प्रेषित करना कम खर्चीला व अधिक आसान होता है यद्यपि इसके उपयोग के लिए माइक्रोफिल्म रीडर मशीन की आवश्यकता होती है।

माइक्रोफिल्म में निहित कठिनाइयों से शीघ्र ही छुटकारा मिल गया। सस्ती व त्वरित छायाप्रति तकनीक ने आदान-प्रदान की प्रक्रिया को बहुत ही सरल, सस्ता व आसान बना दिया है। अब पाठ्य सामग्री भेजने के बजाय उसकी छायाप्रति भेजी जाती है। बहुत से पुस्तकालय इसके लिये कोई मूल्य भी नहीं लेते हैं। छायाप्रति स्थायीरूप से पाठक के पास या याची पुस्तकालय में उपलब्ध रहती है। इससे उधार पाठ्य सामग्री को लौटाने के कार्य में लगने वाले खर्च व समय की बचत होती है।

सूचना प्रौद्योगिकी ने इस कार्य को और आसान, सस्ता व त्वरित बना दिया है। इस प्रणाली को डाक्यूमेन्ट डिलीवरी पद्धति कहते हैं। इसके लिये याची व प्रदायी दोनों पुस्तकालयों में संगणक प्रणाली, स्कैनर व नेटवर्क सम्पर्क का उपलब्ध होना अनिवार्य है। प्रदायी पुस्तकालय अभीष्ट पाठ्य सामग्री को स्कैनर से स्कैन कराकर इसे याची पुस्तकालय के संगणक पर भेज देता है। याची पुस्तकालय में इसका उपयोग अन्य संगणक पर डाउनलोड करके या इसका प्रिन्ट आउट (छपी प्रति) प्राप्त कर उपयोग किया जाता है। इसमें पूरा कार्य सम्पादन त्वरित (कुछ ही मिनट) व कम खर्च में होता है। आज के समय में जब संसार में शोध कार्यों में लगे लोगों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है, संसाधन सहभागिता के लिये यह प्रणाली अति उपयुक्त है।

### 11.6.4 सहकारी संचयन ( Cooperative Storage ) -

पुस्तकालयों में समय बीतने के साथ-साथ यह पाया जाता है कि पुस्तकालय के संग्रह में कुछ ऐसी पाठ्य सामग्री होती है जिनका उपयोग नहीं हो रहा है या वे पुरानी (आउटडेटेड) हो गई है। यह पुरानी सामयिकियों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के विषय में अधिक होता है। ग्रन्थों में भी यह बात पायी जाती है। पुस्तकालय ऐसी पाठ्य सामग्री को अपने संग्रह से छँटनी (वीड आउट) कर देते हैं। ऐसी पाठ्य सामग्री अन्य पुस्तकालय के पाठकों या भविष्य के पाठकों के लिये उपयोगी हो सकती है।

किसी भी राष्ट्र या समाज में ज्ञानदायी पाठ्य सामग्री आने वाली पीढ़ी के लिये धरोहर होती है। ऐसी सांस्कृतिक एवं साहित्यिक धरोहर का संरक्षण किया जाना आवश्यक है, जिससे आगामी पीढ़ियाँ इनमें निहित ज्ञान से वंचित न हो। ऐसी सामग्रियों

या पुस्तकालयों द्वारा स्थायी व अस्थायी रूप से अपने संग्रह से निकाली गई सामग्रियों के भण्डारण की व्यवस्था सहकारिता के आधार पर की जाती है। इसे ही सहकारी संचयन कहा जाता है।

अमेरिका में मिड वेस्ट इण्टर लाइब्रेरी सेन्टर सहकारी संचयन का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसमें सहभागी पुस्तकालय स्थायी, अस्थायी, किरायेदारी के रूप में या उपहार के रूप में पाठ्यसामग्री भण्डारण के लिये देते हैं। भारत में पुस्तकालय परामर्शदायी समिति (1958) ने इस प्रकार की व्यवस्था करने की संस्तुति की थी किन्तु इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका। अपितु नैसडाक (NASSDOC) ने इस सम्बन्ध में कार्य करना प्रारम्भ किया। वह सामाजिक विज्ञान के शोध प्रबन्धों की प्रति को सरक्षित करता है। भारत में (ICSSR) ने सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में अन्तर्ग्रन्थालय केन्द्र स्थापित किया जिसमें 90,000 से अधिक ग्रन्थ संग्रहीत है।

### 11.6.5 अन्तर्पुस्तकालय पठन-

इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में स्थित प्रत्येक पुस्तकालय के पाठकों को अन्य पुस्तकालयों में अपने पुस्तकालय जैसी ही पुस्तकालय सेवा उपलब्ध करायी जाती है। एक पुस्तकालय का पाठक दूसरे पुस्तकालय में पठन-पाठन के साथ-साथ ग्रन्थों को निर्गमित करा सकता है। पाठकों को सदस्यता पत्र या रीडर्स टिकट उसका अपना पुस्तकालय ही जारी करता है। सहभागी पुस्तकालय पाठकों द्वारा ग्रन्थ के न लौटने, क्षति करने या खो देने के सम्बन्ध में समझौता करते हैं। यह प्रायः एक नगर में स्थित पुस्तकालयों में ही सम्भव हो पाता है।

### 11.6.6 सहकारी कार्य-

पुस्तकालय कुछ अन्य क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग से कार्य करते हैं। पुस्तकालय प्रचार व प्रसार सेवा में सहयोग से कार्य करते हैं। प्रचार माध्यमों का उपयोग सहकारिता के आधार पर करते हैं। इससे प्रचार व्यय साध्य हो जाता है।

पुस्तकालयों के संचालन के लिये नवीन तकनीकि अपनायी जा रही है। सभी पुस्तकालयों में नई तकनीक में दक्ष कर्मचारी रखने के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं अतः उनके कर्मचारियों को दूसरे पुस्तकालय के दक्ष कर्मचारी प्रशिक्षित कर देते हैं। इसके अलावा कुछ पुस्तकालय आपस में सहयोग कर अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये मिलकर एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इससे प्रशिक्षण का व्यय साध्य

हो जाता है। पाठ्य सामग्री के संरक्षण अनुरक्षण व सूचना तकनीकी के क्षेत्र में इस सहयोगात्मक प्रक्रिया को प्रायः अपनाया जाता है।

### 11.6.7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन सहभागिता -

एक देश के पुस्तकालय के पाठक की आवश्यकता यदि राष्ट्रीय स्तर पर पूरी नहीं हो रही है तो इसके लिये दूसरे देश के पुस्तकालयों में उपलब्ध पाठ्य सामग्री का उपयोग सहभागिता के आधार पर किया जाता है। यह दो प्रकार से सम्पन्न होता है। प्रथम याची पुस्तकालय प्रदायी पुस्तकालय से अपने स्तर से सीधे सम्पर्क करता है और प्रदायी पुस्तकालय आवश्यकता की पूर्ति करता है। ऐसा न हो पाने की स्थिति में याची पुस्तकालय अपने देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय से याचना करता है और राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रदायी पुस्तकालय या उसके राष्ट्रीय पुस्तकालय के माध्यम से अभीष्ट ग्रन्थ उपलब्ध कराता है। दूसरी प्रक्रिया में समय अधिक लगता है लेकिन ग्रन्थ के सुरक्षित वापसी की दृष्टि से इसे उपयोगी माना जाता है। आधुनिक युग में माइक्रोफिल्म, छायाप्रति व इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के उपलब्ध होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य सामग्री का आदान प्रदान या सहभागीकरण सरल व साध्य हो गया है।

## 11.7 भारतीय परिदृश्य -

भारत में पुस्तकालय सहकारिता व संसाधन सहभागिता का कोई तंत्र विकसित नहीं हो सका है। पुस्तकालय सेवा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण, पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना, विकास व संचालन राज्यों पर निर्भर है। अभी भी अधिकांश राज्यों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की है। विकसित देशों में उन्नीसवीं शताब्दी में ही पुस्तकालय अधिनियम पारित कर पुस्तकालय सेवा की स्थापना की गई। किन्तु भारत में शैक्षणिक व शोध पुस्तकालयों का ही विकास हो पाया। पुस्तकालय सहकारिता व संसाधन सहभागिता इन्हीं पुस्तकालयों में विकसित व क्रियान्वित हुई। किन्तु इन पुस्तकालयों में भी संसाधन सहभागीकरण की कोई समन्वित योजना क्रियान्वित नहीं हुई। शैक्षणिक व शोध पुस्तकालय अपनी स्वेच्छा व आपसी सम्बन्धों से ही संसाधन सहभागिता में भागीदारी करते हैं। संसाधन सहभागीकरण के लिए 1963 में चण्डीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में पुस्तकालयों का सहभागीकरण समूह बनाया गया किन्तु यह असफल रहा।

पुस्तकालयों में सहभागीकरण के प्रभावी न होने का एक मुख्य कारण शैक्षणिक व शोध पुस्तकालयों के संग्रह की संघीय सूची का न बन पाना है। इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। निस्केयर (NISCAIR) ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विभिन्न पुस्तकालयों के सामयिकी के संग्रह की संघीय सूची तैयार की जिससे संसाधन सहभागिता को प्रभावी बनने में काफी सहायता मिली। नासडॉक (NASSDOC) ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सामयिकी की संघीय सूची बनाई जिससे संसाधन सहभागिता को बढ़ाया गया। किन्तु इन सूचियों को अपडेट करते रहने की कोई व्यवस्था न होने के कारण इसकी उपयोगिता क्षीण होती गई और संसाधन सहभागिता भी कमजोर होती गयी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय पुस्तकालयों द्वारा सामयिकों के अर्जन पर अपने वित्तीय साधन की अत्यधिक राशि व्यय करने एवं समसमायिकों के मूल्यों में बेतहासा वृद्धि के कारण लगातार अधिक अनुदान की माँग की समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के अधिकतम व प्रभावी उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया। इसके फलस्वरूप तदर्थ नियुक्त एक समिति के प्रतिवेदन के अनुसार देश में एक सूचना एवं पुस्तकालय तंत्र (INFLIBNET : Information and Library Network) को 1991 में एक अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। इंफ्लिबनेट निम्नलिखित प्रकार की सेवा प्रदान करता है।

- सूची आधारित सेवा
- डेटाबेस आधारित सेवा
- प्रलेख आपूर्ति सेवा
- संग्रह विकास सेवा
- संचार आधारित सेवा
- पुस्तकालय स्वचालन सम्बन्धी सेवा
- सूचना स्रोत कसोर्टियम सेवा

इंफ्लिबनेट विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का संगणकीकरण कराने की दिशा में उपकरण हेतु अनुदान, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, पुस्तकालय प्रबन्धन साफ्टवेयर 'सोल' (SOUL) प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय के संग्रहों का संगणकीय डेटाबेस बनने व उनके आनलाइन उपलब्ध होने पर संसाधन सहभागिता अति

प्रभावी ढंग से क्रियान्वित होगी। इंफ्लिबनेट देश को छः भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में एक पुस्तकालय को संसाधन सहभागिता के लिए प्रलेख प्रदायी केन्द्र के रूप में कार्य कराने की योजना पर काम कर रहा है।

इंफ्लिबनेट निम्नलिखित डेटाबेस बनाकर संसाधन सहभागिता को बल प्रदान कर रहा है।

- ग्रन्थ - 7998450
- सामयिकी - 13881
- सीरियल होर्डिंग - 50164
- शोध प्रबन्ध - 220206

इंफ्लिबनेट ने यू0जी0सी0 इन्फोनेट की स्थापना कर 8000 से अधिक सामयिकियों को विश्वविद्यालय के उपयोक्ताओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर संसाधन सहभागीकरण की दिशा में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण योगदान किया है।

## 11.8 सम्बन्धित प्रश्न -

1. पुस्तकालय सहभागीकरण की अवधारणा को बताते हुए इसको परिभाषित कीजिए।
2. पुस्तकालय सहभागीकरण की आवश्यकता एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
3. पुस्तकालय सहभागीकरण की भारतीय परिदृश्य में विवेचना कीजिए।
4. सहभागीकरण के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

## 11.9 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री

1. Chandel, A. S., and Sharaf, Veena etc. Planning in Library Resource Sharing, Lucknow : Print House, 1987.
2. Dasgupta, A. Notes on Resource Sharing in Libraries. Library Review V 12, N 2 : 1980. pp. 291-4.
3. Kumar, P.S.G., Fundamentals of Information Science. Delhi : S. Chand, 1998.

# इकाई - 12 : पुस्तकालय विस्तार कार्य

## इकाई की रूपरेखा


12.0 इकाई का उद्देश्य

12.1 विषय प्रवेश

12.2 पुस्तकालय विस्तार कार्य : अवधारणा व परिभाषा

12.3 आवश्यकता

12.4 उद्देश्य

12.5 पुस्तकालय विस्तार : स्वरूप

12.6 सम्बन्धित प्रश्न

12.7 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री


## 12.0 इकाई का उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन कर लेने के पश्चात् आप :

1. पुस्तकालय विस्तार की अवधारणा को समझ लेंगे,
2. पुस्तकालय विस्तार कार्य करने की आवश्यकता को जान पायेंगे,
3. पुस्तकालय विस्तार कार्य से होने वाले लाभ को जान लेंगे, एवं
4. पुस्तकालय विस्तार कार्य के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

## 12.1 विषय प्रवेश

पुस्तकालयों का मूल उद्देश्य ज्ञान प्रसार में सहायक बनकर ज्ञान के सृजन, उपयोग और प्रसार को पल्वित-पुष्पित करना है। पुस्तकालय उपभोक्ता समुदाय की ज्ञान पिपासा की आपूर्ति हेतु पाठ्य सामग्रियों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी अल्पकालिक व दीर्घकालिक सूचना की मांग की पूर्ति करना पुस्तकालयों का अभीष्ट कार्य होता है। पुस्तकालय की इस सम्बन्ध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग समाज के कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इसके कई कारण होते हैं। मुख्य कारण तो इसके विषय में जानकारी का न होना ही होता है। किन्तु कुछ अन्य कारण भी काफी प्रभावी होते हैं। पुस्तकालय इन कारणों को यथासम्भव दूर करने का प्रयास कर उपभोक्ताओं द्वारा अपनी सेवाओं के उपयोग को उच्चतम स्तर पर ले जाने का कार्य करते हैं। पुस्तकालयों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये कार्य पुस्तकालय प्रसार कार्य की श्रेणी में आते हैं।

## 12.2 पुस्तकालय विस्तार कार्यः अवधारणा व परिभाषा

विस्तार सेवा किसी भी सेवा प्रदायी संस्था की इस सोच पर आधारित होती है कि संस्था निर्दिष्ट वर्ग या समूह को सेवा प्रदान करने के उपरान्त यह पाती है कि समाज में कुछ ऐसे लोग, वर्ग या समूह है जिनके लिये उनकी सेवा हितकर है पर वर्तमान में यह सेवा विभिन्न कारणों से उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। यह सेवा प्रदायी अभिकरण की गुरुत्तर सेवा प्रदान करने की क्षमता व सद्भाव पर आधारित होता है। प्रसार सेवा निर्दिष्ट सेवा के अतिरिक्त होती है।

विस्तार या प्रसार सेवा की अवधारणा, प्रारम्भिक दौर में शिक्षा क्षेत्र से प्रारम्भ हुई। शैक्षणिक सस्थानों में यह अवचेतना जागृत हुई कि उनका कर्तव्य केवल अपनी संस्था की चहारदिवारी के अन्दर शिक्षा प्रदान करने मात्र से ही पूर्ण नहीं होता है अपितु अपनी चहारदिवारी से बाहर जाकर समाज के उस वर्ग को जो शिक्षा से वंचित है उन्हें प्रारम्भिक स्तर की या साक्षरता के स्तर की शिक्षा देकर एक अच्छे समाज के विकास में सहायक होकर ही पूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन होगा। इस अवचेतना ने शैक्षिक विस्तार सेवा को विकसित किया। इसी प्रकार कृषि शिक्षा वाली संस्थानों ने भी यह पाया कि उनके संस्थान में उपलब्ध ज्ञान, कौशल व तकनीक की वास्तविक उपयोगिता कृषि कार्य में लगे किसानों द्वारा उपयोग किये जाने में है। इस अवधारणा ने कृषि प्रसार सेवा को विकसित किया। इसी प्रकार गृह विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, समाज कार्य से जुड़े संस्थानों ने भी अपनी अपनी प्रसार सेवा प्रारम्भ की।

पुस्तकालय विस्तार सेवा भी शैक्षिक, कृषि, समाजकार्य आदि प्रसार सेवाओं की भाँति समाज के लोगों के पास जाकर अपनी सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा पुस्तकालय समाज के उस वर्ग व समुदाय को जो विभिन्न कारणों से उनकी सेवा का उपयोग नहीं कर पा रहा है, उनके लिये वह पुस्तकालय सेवा जो उनके लिये उपयोगों हो, प्रदान करता है। पुस्तकालय विस्तार सेवा का उद्देश्य पुस्तकालय सेवा से वंचित समूह को पुस्तकालय सेवा एवं समाज के विशिष्ट वर्ग व समुदाय को उनके लिये अति उपयोगी ज्ञान व सूचना सम्बन्धी सेवाओं के साथ-साथ मनोरंजनात्मक सेवा प्रदान करना है।

**परिभाषा :**

पुस्तकालय विस्तार सेवा समाज में पुस्तकालय सेवा से वंचित वर्गों, समूहों को उनकी आवश्यकतानुसार सम्भव पुस्तकालय सेवाओं व ग्रंथालयेत्तर सूचना व मनोरंजनात्मक सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया है। पुस्तकालय प्रसार सेवा पुस्तकालय सेवा का विस्तारित रूप है जिसमें सेवा के स्वरूप, समय, स्थान को सेवा उपयोक्ता की दृष्टि से विविधता प्रदान कर पुस्तकालय सेवा दी जाती है।

मैक्कालविन (McColvin) ने पुस्तकालय प्रसार सेवा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है।

"पुस्तकालय की प्रसार सेवाओं का उद्देश्य है कि सभी लोग पुस्तकालय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें" (Extension Services of the library is the ultimate objective so that all may enjoy the benefits of library services)

## 12.3 आवश्यकता :

पुस्तकालयों में पुस्तकालय प्रसार कार्य किये जाने के अनेक कारक होते हैं। इन कारकों में निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण व मुख्य माने जाते हैं।

### 12.3.1 संभावित पाठक व उनकी सीमायें :

पुस्तकालयों की सेवाओं का उपयोग बहुत से लोग नहीं करते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि ऐसे लोगों को समुचित ढंग से अभिप्रेरित किया जाय तो उनमें से बहुत से लोग पुस्तकालय के उपभोक्ता बन जाते हैं। अतः ऐसे लोगों को प्रसार कार्यों से अभिप्रेरित करना अपेक्षित होता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पुस्तकालय का उपयोग तो करना चाहते हैं किन्तु विशेष परिस्थितियों जैसे जेल के कैदी, अस्पताल के मरीज, विकलांग, वृद्ध आदि पुस्तकालय नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग पुस्तकालय से अधिक दूरी पर निवास करने, या आजीविका में व्यस्तता आदि या पुस्तकालय सेवा से अनभिज्ञता के कारण भी पुस्तकालय सेवा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों का पुस्तकालय सेवा के उपयोग में समर्थ बनाया जाना आवश्यक होता है और यह कार्य पुस्तकालय प्रसार कार्य से सम्पादित किया जा सकता है।

### 12.3.2 पुस्तकालय का एक सामाजिक संस्था का स्वरूप :

सार्वजनिक पुस्तकालय को एक सामाजिक संस्था माना जाता है। इसकी प्रकृति एक सामाजिक संस्था की प्रकृति के अनुरूप होती है। सार्वजनिक पुस्तकालयों का कार्य समाज के लोगों का मनोरंजन कराना व खाली समय का उपयोग कराना ही नहीं है अपितु उनकी सूचना की आवश्यकता व आवश्यक ज्ञान व कौशल की जानकारी प्रदान कर उनके विकास व उन्नयन कर उन्हें परिपूर्ण बनाना एवं ज्ञान व सूचना आधारित समाज के निर्माण में सहायक होना है। अतः पुस्तकालय को अपने को समाज की बौद्धिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक कार्यकलापों से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिये पुस्तकालयों को प्रसार सेवा कार्य का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है।

### 12.3.3 नागरिक अधिकार :

सार्वजनिक पुस्तकालयों का सृजन व संचालन सार्वजनिक कोष से प्राप्त राशि से किया जाता है। इनकी स्थापना सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है अथवा सरकारी अनुदान द्वारा किया जाता है। अतः पुस्तकालय सार्वजनिक कोष से संचालित सार्वजनिक संस्था है। डा0 एस0आर0 रंगानाथन ने सार्वजनिक पुस्तकालय को "समुदाय के लिए समुदाय द्वारा चलाये जाने वाली सार्वजनिक संस्था" कहा है। अतः समाज व समुदाय के सभी लोगों को पुस्तकालय के उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है। इनके इस अधिकार को मानकर पुस्तकालयों को प्रयत्न करना चाहिये कि उनकी सेवा समाज के सभी लोगों को उपलब्ध हो और जो पुस्तकालय तक पहुँच कर इसकी सेवा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पुस्तकालय अपनी सेवा उनके पास ले जाकर उपलब्ध कराये।

### 12.3.4 पुस्तकालय के तृतीय सूत्र की माँग :

"प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक" सूत्र का अभिप्राय यह भी है कि प्रत्येक पुस्तक तक उसके उपयुक्त पाठक को पहुँचाया जाय। ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि लोगों को ग्रंथों व उसमें निहित ज्ञान व सूचना की जानकारी व उनसे प्राप्त हो सकने वाले ज्ञान का लाभ लोगों को बतलाकर उनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित व आकर्षित किया जाय। ग्रंथों को उनके उन संभावित पाठकों तक ले जाना चाहिए जो पुस्तकालय आकर अभीष्ट ग्रंथों तक नहीं पहुँच पाते हैं। यह कार्य पुस्तकालय प्रसार सेवा से किया जा सकता है।

## 12.4 उद्देश्य :

सभी संस्थाओं का प्रयास होता है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में अधिकतम प्रभावी स्तर को प्राप्त करें। संस्थायें अपने कार्य की केवल गुणवत्ता पर ही केन्द्रित नहीं रहती है अपितु अपने कार्य के दायरे को भी विस्तारित करने का प्रयास करती हैं। पुस्तकालय एक सेवा प्रदायी संस्था है। अन्य सेवा प्रदायी संस्थाओं की तरह पुस्तकालय भी अपनी सेवा की गुणवत्ता बनाये रखने के साथ-साथ अधिक से अधिक उपयोक्ताओं तक अपनी सेवा की पहुँच बनाये रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। इससे पुस्तकालय के उपयोक्ता समुदाय में पुस्तकालय की सेवा का महत्व बढ़ता रहता है और पुस्तकालय अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होता है। पुस्तकालय प्रसार कार्य के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होते हैं।

### 12.4.1 संभावित उपयोक्ताओं को उपयोक्ता बनाना :

सभी सेवा प्रदायी संस्थाओं के सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उनकी

सेवाओं का उपयोग न करने वाले लोगों को अपनी सेवा का उपयोक्ता कैसें बनाया जाय? इसी प्रकार पुस्तकालय भी केवल पुस्तकालय आने वाले लोगों को ही अपनी सेवा प्रदान कर संतुष्ट नहीं होते हैं अपितु ऐसे प्रयास करते हैं कि संभावित उपयोक्ता भी पुस्तकालय आकर उनकी सेवा का उपयोग करें। यह कार्य प्रसार सेवा द्वारा सम्पादित किया जाता है। अपने उपयोक्ताओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि करते रहना पुस्तकालयों का अभीष्ट होना चाहिए।

### 12.4.2 न पहुँचने वालों तक पहुँचना :

समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कई अपरिहार्य कारणों से पुस्तकालय आकर पुस्तकालय सेवा का उपयोग नहीं कर पाते हैं यद्यपि उनमें पुस्तकालय सेवा के उपयोग की चाह रहती है। पुस्तकालय से असाधारण दूरी पर रहने वाले निवासी, विकलांग, जेल के बंदी, अपनी जीवकोपार्जन के कार्य से समय न निकाल पाने वाले लोग, अपेक्षित आवागमन के साधन के अभाव से ग्रस्त लोग इत्यादि श्रेणी के लोग पुस्तकालय आकर पुस्तकालय सेवा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को पुस्तकालय सेवा के दायरे में लाना प्रसार सेवा का उद्देश्य होता है।

### 12.4.3 पुस्तकालय को समाज का अपरिहार्य अंग बनाना :

पुस्तकालय केवल अध्ययन केन्द्र ही नहीं अपितु सार्वजनिक पुस्तकालय एक सामाजिक, बौद्धिक व सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में कार्य करता है। ग्रेट ब्रिटेन की न्याय समिति के अनुसार आज सार्वजनिक पुस्तकालय को स्वस्थ मनोरंजन साहित्य उपलब्ध कराने का साधन मात्र नहीं माना जाता अपितु इसे राष्ट्रीय कल्याण की महान संभावनाओं का प्रेरक शक्ति तथा शिक्षा व संस्कृति की प्रगति के मूल आधार के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया है। आज सार्वजनिक पुस्तकालय शैक्षिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक केन्द्र के रूप में समाज के अपरिहार्य अंग बन गये हैं। अतः सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के सांस्कृतिक व शैक्षिक क्रिया कलापों में भागीदार होते हैं। यह कार्य प्रसार सेवा के माध्यम से किया जाता है।

### 12.4.4 साक्षरता व शिक्षा में सहयोग :

समाज में अशिक्षित व निरक्षर को शिक्षित व साक्षर करने का कार्यक्रम किन्ही - किन्ही स्थानों पर चलाया जाता है। पुस्तकालय ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं और नवशिक्षितों में अध्ययन पठन-पाठन की अभिरूचि बनाये रखने का कार्य करते हैं। पुस्तकालय उन विद्यालयों में जहाँ पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं होती है। पुस्तकालय सेवा प्रदान करते हैं। पुस्तकालय प्रसार सेवा से इन कार्यों को सम्पन्न किया जाता है।

### 12.4.5 सूचना समाज का निर्माण :

आधुनिक समय में समाज का उन्नयन, विकास व कल्याण समाज के लोगों द्वारा अपने कार्य सम्पादन में अपेक्षित व आवश्यक सूचना का समुचित उपयोग करने की क्षमता व सम्भावना पर निर्भर करता है। ऐसे कार्य अनेक संस्थाओं द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। सूचना व शिक्षा से ही सूचना समाज का निर्माण होता है। इस कार्य में सम्बन्धित संस्थायें ही सहायक होती हैं। पुस्तकालय इन सभी संस्थाओं में प्रमुख होता है। पुस्तकालय लोगों को उनके क्रिया-कलापों, कार्यक्षेत्रों, व दिनचर्या सम्बन्धित अपेक्षित सूचनायें प्रदान करते हैं। इस प्रकार की सेवा उपयोक्ता को पुस्तकालय आये बिना ही प्रदान की जाती है। इसके लिए विभिन्न संचार माध्यमों जैसे, दूरभाष, इ-मेल, वेबसाइट, बुलेटिन बोर्ड आदि के साथ-साथ सूचना सेवा केन्द्रों की स्थापना आदि का सहारा लिया जाता है। सूचना केन्द्रों की स्थापना विभिन्न स्तरों व क्षेत्रों के आधार की जाती है। आधुनिक समय में पुस्तकालय प्रसार सेवा के लिये यह एक प्रमुख कार्य का रूप ग्रहण कर रहा है।

## 12.5 पुस्तकालय विस्तार कार्य :

पुस्तकालय विस्तार सेवा विभिन्न प्रकार के कार्य कलापों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वह सभी कार्य जिसके द्वारा पुस्तकालय तक न आ पाने वाले लोगों को पुस्तकालय सेवा मुख्यतया पाठ्य सामग्री का पठन-पाठन व आदान-प्रदान करना एवं द्वितीय श्रेणी में वे सभी कार्य आते हैं जिसके द्वारा पुस्तकालय को एक सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक केन्द्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन दोनों श्रेणियों में सम्मिलित मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं।

### 12.5.1 शाखा पुस्तकालय व सेवा केन्द्र :

पुस्तकालय से काफी दूरी पर अवस्थित उपयोक्ताओं के लिये, यदि उनकी संख्या काफी होती है, तो पुस्तकालय ऐसे स्थानों पर अपनी शाखायें या सेवा केन्द्र स्थापित कर उन्हें पुस्तकालय सेवा प्रदान करते हैं। ग्रंथों का अधिग्रहण, सूचीकरण, प्रस्तुतीकरण आदि कार्य मुख्यालय में सम्पन्न कर पाठ्य सामग्रियों को उपयोगार्थ शाखा पुस्तकालय में प्रेषित किया जाता है। शाखा पुस्तकालय पाठ्य सामग्रियों के पठन पाठन, आदान-प्रदान आदि का कार्य करते हैं। इन शाखाओं को थोड़े कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता है। पाठकों के विशेष वर्ग जैसे बालक, महिलायें आदि के लिये भी कभी-कभी शाखा संचालित की जाती हैं। बन्दीगृह, अस्पताल, कारखानों, मिलिट्री क्षेत्र आदि के लिए अलग से सेवा केन्द्र संचालित किये जाते हैं। ऐसे केन्द्रों पर मनोरंजक व लोकप्रिय साहित्य या उस वर्ग की रूचि के अनुसार की पाठ्य सामग्री ही उपलब्ध कराई जाती है। महानगरों में अवस्थित विश्वविद्यालय पुस्तकालय महानगरों के विभिन्न

क्षेत्रों में अध्ययन केन्द्र आदि स्थापित कर उस क्षेत्र के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

### 12.5.2 चल पुस्तकालय :

चल पुस्तकालय बहुत प्रभावी व प्रचलित पुस्तकालय प्रसार सेवा है। यह सेवा प्रमुख रूप से उन दूर दराज के क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती है जहाँ शाखा पुस्तकालय या सेवा केन्द्र स्थापित करने की सम्भावना नहीं होती है। इस सेवा के अन्तर्गत एक निश्चित क्षेत्र को कई भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के लिए दिन व समय का निर्धारण पूर्व में करा लिया जाता है, जिसकी पूर्व सूचना उस क्षेत्र के लोगों को दे दी जाती है। निश्चित तिथि व समय पर पुस्तकालय से चुनी पाठ्य सामग्री पुस्तकालय के कर्मचारी किसी वाहन से लेकर उस क्षेत्र में जाते हैं और लोगों को ग्रंथ प्रदान करते हैं तथा पूर्व में प्रदान किये गये ग्रंथों को वापस लेते हैं। प्रारम्भिक काल में बैलगाड़ियों या घोड़ा गाड़ियों का उपयोग इस कार्य के लिये किया जाता था। कालान्तर में मोटरगाड़ियों का उपयोग किया जाने लगा। सर्वप्रथम अमेरिका में 1950 ई0 में गाड़ी का उपयोग किया गया। इन गाड़ियों में ग्रंथ रखने के रैक, कार्य करने के लिए पटल आदि की व्यवस्था रहती है। भारत में चल पुस्तकालय का कार्य केरल में नावों व तामिलनाडु में साइकिल का उपयोग कर किया जाता है। चल पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के साथ-साथ पुस्तकालय प्रचार व जनसम्पर्क का भी कार्य कर लेते हैं।

### 12.5.3 प्रदर्शन :

पुस्तकालय की पाठ्य सामग्रियों या अन्य सूचनादायी सामग्रियों का प्रदर्शन उन सामग्रियों के उपयोग में वृद्धि के साथ-साथ पुस्तकालय की छवि को निखारता है। प्रदर्शन प्रसार कार्य का प्रमुख अंग है। प्रदर्शन प्रलेखों में निहित विषय सामग्री का प्रचार-प्रसार करता है। पुस्तकालय में प्राप्त नवीन प्रलेखों व अन्य सूचना स्त्रोतों को पाठकों के संज्ञान में लाने का काम भी प्रदर्शन से किया जाता है। प्रदर्शन पुस्तकालय के विशिष्ट संग्रहों व सेवाओं को भी उपयोक्ताओं के संज्ञान में लाता है और उसके उपयोग के लिये प्रेरित करता है। प्रदर्शन का स्वरूप आकर्षक, प्रभावी व सुरूचिपूर्ण होना चाहिये। प्रदर्शन को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है।

#### 12.5.3.1 विषय - प्रदर्शन :

विषय-प्रदर्शन में एक विषय के विभिन्न भागों, अवयओं व आयामों से सम्बन्धित ग्रंथों को एक साथ रखा जाता है। जिससे उपयोक्ताओं को किसी विषय से सम्बन्धित सभी ग्रंथ एक स्थान पर मिल जाय व विषयों में बढ़ती हुए विशिष्टीकरण व अंतर्विषयीपन की प्रवृत्ति के कारण ऐसे प्रदर्शनों की उपयोगिता बढ़ती जा रही है।

### 12.5.3.2 प्रासंगिक प्रदर्शन

विशेष दिवसों, स्मरणीय घटनाओं, अवसरों व उत्सवों के मनाये जाने के समय पुस्तकालय उससे सम्बन्धित ग्रंथों, प्रलेखों व अन्य सामग्रियों का प्रदर्शन करते हैं। इन अवसरों से सम्बन्धित पाठ्य सामग्रियों का प्रदर्शन पाठकों को इनके विषय में जानने की जिज्ञासा पैदा करते हैं जिससे उन पाठ्य सामग्रियों का उपयोग बढ़ता है।

### 12.5.3.3 चल प्रदर्शन :

चल-पुस्तकालय इस प्रकार के प्रदर्शन को करते हैं। इसके अतिरिक्त बुक मोबाइल द्वारा ग्रंथों को प्रदर्शित किया जाता है एवं शाखा पुस्तकालयों व सेवा केन्द्रों को पाठ्य सामग्रियों की आपूर्ति की जाती है। इन बुक मोबाइलों द्वारा ग्रंथों के प्रदर्शन से सम्भावित पाठक आकर्षित होते हैं और पुस्तकालय के उपयोक्ता बनते हैं। चल पुस्तकालय व बुक मोबाइल अपनी सेवा देने में अति प्रभावी साबित हुए हैं।

प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण प्रभावी प्रसार सेवा है। प्रदर्शन का स्वरूप आकर्षक, प्रभावी व स्पष्ट संदेश होने वाला होना चाहिए।

## 12.5.4 प्रदर्शनियाँ :

पुस्तक प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य अध्ययन व पठन की प्रवृत्ति को पैदा व प्रोत्साहित करना, किसी विशिष्ट विषय-वस्तु से सम्बन्धित पाठ्य सामग्रियों को लोगों के संज्ञान में लाना, किसी अवसर, घटना, पर्व, थीम, आदि से सम्बन्धित उत्सवों आदि के समय, तत्सम्बंधी पाठ्य सामग्री का लोगों के संज्ञान में लाना तथा पुस्तकालय में प्राप्त विशिष्ट संग्रहों की जानकारी देना होता है। पुस्तक प्रदर्शनियाँ स्थानीय इतिहास, व्यवसाय, पाठ्यक्रम, कला, सामान्य रूचि के विषय, विशिष्ट व्यक्तियों व अवसरों, नयी अर्जित ग्रंथ, विशिष्ट पर्व, घटना, आदि से सम्बन्धित पाठ्य सामग्रियों को लोगों के संज्ञान में लाने के लिये आयोजित की जाती है। प्रदर्शनियों का कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। प्रदर्शनियों को आकर्षक, कलात्मक व सजीवतापूर्ण बनाने हेतु रंग-विन्यास, प्रकाश व्यवस्था तथा आवश्यक उपकरणों के उपयोग से आयोजित व व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

प्रदर्शनियों के उपयोगी होने के बावजूद, इन पर व्यय होने वाली राशि व समय, कर्मचारियों का कार्य-समय आदि के खर्च को दृष्टिगत करते हुए इसमें अनावश्यक रूप से संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। इसका चुनाव सोच समझकर किया जाना चाहिये। अन्यथा पुस्तकालय की सेवायें अनावश्यक रुप से प्रभावित होती हैं।

## 12.5.5 प्रसार व्याख्यान :

समय-समय पर पुस्तकालय समसामयिक विषयों या स्थानीय रूचि के विषयों

या विशेष अवसर से सम्बन्धित बिन्दुओं पर विद्वानों या पुस्तकालय व्यवसायिको के व्याख्यान देने के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। इस संबंध में स्थानीय व्यवसायिक संघों की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं। स्थानीय क्लबों व संस्थाओं, पुस्तकालयाध्यक्ष या उनके सहयोगी कभी कभी स्थानीय क्लबों व संस्थाओं में पुस्तकालय की सूचना सेवा के महत्व, प्रभाव, उपयोगिता आदि पर व्याख्यान देते हैं। ऐसे सभी अवसरों पर पुस्तकालय सम्बन्धित विषय बिन्दु पर पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री का प्रदर्शन करके ग्रंथों के पठन पाठन, ज्ञानार्जन व पुस्तकालय सेवा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

### 12.5.6 कहानी सुनाना :

सार्वजनिक पुस्तकालयों या उनकी शाखाओं में कहानी सुनाने की व्यवस्था की जाती है। कहानी सुनाने का कार्य अनुभवी कर्मियों द्वारा किया जाता है। इसके लिये समय का पूर्वनिर्धारण कर इसका प्रचार कराया जाता है। यह विशेषकर बच्चों के लिये आयोजित किया जाता है। नवसाक्षर व नवशिक्षित भी इस कार्यक्रम में रूचि लेते हैं। कहानी सुनाने का ढंग रूचिकर होना चाहिए। इसे पाठशालाओं की अध्यापिकाओं द्वारा भी कराया जाता है। ऐसे अवसर पर रूचिकर बाल साहित्य का प्रदर्शन भी किया जा सकता है।

### 12.5.7 पाठ-पठन :

इस प्रसार सेवा में विशेषकर निरक्षर व नवसाक्षर लोगों को समाचार पत्र, धार्मिक साहित्य, मनोरंजक साहित्य आदि को पढ़कर लोगों को सुनाया जाता है। दूरस्थ स्थानों पर जहाँ पुस्तकालय व अन्य कोई सेवा उपलब्ध नहीं होती है, इसको आयोजित करना अधिक उपयोगी होता है। इस प्रकार के कार्यक्रम को शाखा पुस्तकालयों व पुस्तकालय के केन्द्रों पर पूर्वनिर्धारित समय पर आयोजित किया जाता है। पाठ सुनाने वाले व्यक्ति का उच्चारण स्पष्ट, आवाज मधुर व प्रस्तुतिकरण रूचिकर होना चाहिए। इससे साक्षरता में व पुस्तकालय उपयोग में वृद्धि होती है।

### 12.5.8 प्रौढ़ शिक्षा :

पुस्तकालय प्रौढ़ शिक्षा में भी अपना योगदान देते हैं। कामगारों व मजदूरों के बीच में इसे किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय इसके लिये कार्यक्रम निर्धारित कर इस कार्य को करते हैं। कम साक्षर लोगों में साक्षरता बढ़ाने के साथ-साथ उनमें पठन क्षमता का विकास, उन्हें नवसाक्षर साहित्य प्रदान कर सकते हैं। कामगारों के कार्य से सम्बन्धित ग्रंथों को पढ़कर सुनाया जाता है और उनमें उनके कार्य से सम्बन्धित जानकारी के साथ ही उनमें पढ़ने की उत्सुकता पैदा की जाती है। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम सभी विकासशील देशों में चलाया जाता है। पुस्तकालय इसमें अपना समुचित योगदान करते हैं।

### 12.5.9 ग्रंथ निक्षेप केन्द्र :

इस सेवा के अन्तर्गत एक सार्वजनिक पुस्तकालय के सेवा क्षेत्र में स्थित ग्रामों को छोटे-छोटे समूहों जिसमें पाँच या छः ग्राम हों और वे सभी एक निश्चित दूरी की परिधि में हों, बाँट दिया जाता है एवं प्रत्येक ग्राम-समूह में एक केन्द्र स्थापित कर वहाँ पाठ्य सामग्री रखी जाती है। उस समूह के सभी ग्रामों के लोग उस केन्द्र पर रखी पाठ्य सामग्री का उपयोग करते हैं। यह केन्द्र किसी स्थानीय व्यक्ति यथा ग्राम प्रधान, अध्यापक आदि की देखरेख में संचालित होता है।

इन केन्द्रों के परिचालन की प्रक्रिया में एक निश्चित अवधि व क्रम में एक केन्द्र की अध्ययन सामग्री दूसरे केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दी जाती हैं। इस प्रकार सभी ग्रामों को लोगों को कालान्तर में पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो जाती हैं। एक चक्रपूर्ण होते ही पाठ्य सामग्री संग्रह में नवीन पाठ्य सामग्री सम्मिलित कर दी जाती है। इस प्रकार यह प्रसार सेवा काफी प्रभावी बन जाती है। इससे ग्रामों में आपसी सौहार्द व सहकार की भावना भी बलवती होती है।

### 12.6.10 मेले व पर्व :

स्थानीय मेले, पर्वों व महत्वपूर्ण घटनाओं पर आयोजित समारोहों आदि के अवसरों का उपयोग प्रसार सेवा के लिए किया जाता है। इन अवसरों पर अवसर के अनुसार पाठ्य सामग्री का प्रदर्शन, पुस्तकालय की सेवाओं का विवरण व महत्व आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम रखा जाता है। मेलों के समय फिल्मों का प्रदर्शन व पर्वोंपर तत्सम्बन्धी डाकूमेट्री फिल्म, आदि का प्रदर्शन भी किया जाता है।

## 12.7 सम्बन्धित प्रश्न -

1. विस्तार कार्य एवं सेवाएँ क्या हैं? बताइए।
2. विस्तार सेवा की आवश्यकता बताइए।
3. जनमाध्यम - विज्ञापन, प्रदर्शिनी आदि के आयोजनों की विवेचना कीजिए।

## 12.8 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री

1. Kumar, P.S.G., Foundations of Library and Information Science. Delhi. B.R. Publishing Corporation, 2003.
2. Mittal, R. L. Library Administration. Delhi : Metropolitan, 1964.
3. Shukla, B.B. Library Extension Services. Cuttack : Bharti, 1989.